ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

सतत रूप से विकसित भारत की ओर अग्रसर

वार्षिक प्रतिवेदन व लेखा 2024-25

5 DECADES OF UNEARTHING ENERGY

easterncoalfields · eastern coalfields · Easterncoal · coalfieldseastern · coalfieldseastern

वार्षिक प्रतिवेदन व लेखा

2024-25

ECL

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

www.easterncoal.nic.in

CIN-U10101WB1975GOI030295

लक्ष्य

प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरना, जो खदान से लेकर बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास प्राप्त करके देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो।

संकल्पना

सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अनुकूल तरीके से कुशलतापूर्वक और किफायती ढंग से कोयला और कोयला उत्पादों की नियोजित मात्रा का उत्पादन और विपणन करना।

विषयसूची

02-41

कारपोरेट अवलोकन

2	सीआईएल के मूल मूल्य
3	कॉर्पोरेट जानकारी
4	निदेशक मंडल
6	वार्षिक आम बैठक की सूचना
16	अध्यक्ष का वक्तव्य
20	परिचालन सांख्यिकी/वित्तीय स्थिति
31	निदेशकों का प्रोफ़ाइल

42-207

वैधानिक रिपोर्ट

42	बोर्ड की रिपोर्ट 2024-25
179	वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
206	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और उस पर उनका उत्तर

209-313

वित्तीय विवरण

209	31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट
211	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
213	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
215	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
217	कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
236	बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाले नोट्स
269	लाभ और हानि विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स
280	खातों पर अतिरिक्त नोट्स
308	शब्दकोष

अंगारा

कोल इंडिया लिमिटेड का आधिकारिक शुभंकर

बुनियादी मूल्य

C

देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध

I

हितधारकों को मूल्य प्रदान करने की ईमानदारी

L

सीखने और नवाचार से प्रेरित संस्कृति

निगमित संसूचना

पंजीकृत कार्यालय
ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया,
पोस्ट – डिसेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्द्धवान,
पिन- 713333, पश्चिम बंगाल

निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी

पूर्णकालिक निदेशकगण
श्री सतीश झा, सीएमडी एवं सीईओ
(19.12.2024 से)
श्री समीरन दत्ता, सीएमडी एवं सीईओ (अतिरिक्त प्रभार)
(28.12.2023 से 18.12.2024 तक)
मोहम्मद अंजार आलम, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
(15.09.2022 से)
सुश्री आहुति स्वई, निदेशक (कार्मिक)
(18.11.2022 से 31.08.2024 तक)
श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना
(09.12.2022 से 29.04.2024 तक)
श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन
(01.02.2023 से)
श्री गुंजन कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन)
(15.01.2025 से)
श्री गिरीश गोपीनाथन नायर, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना
(25.03.2025 से)

सरकार नामिति निदेशकगण
श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), कोल इंडिया
(18.03.2024 से)
श्री माणिक चंद्र पंडित, निदेशक, कोयला मंत्रालय
(19.07.2023 से 31.12.2024 तक)
सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय
(01.01.2025 से)
सुश्री चेतना शुक्ला, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय
(25.07.2025 से)

स्वतंत्र निदेशकगण
श्री शिव नारायण पाण्डेय (01.11.2021 से 31.10.2024 तक)
(28.03.2025 से पुनः नियुक्त)
श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से 31.10.2024 तक)

कंपनी सचिव
श्री रामबाबू पाठक (01.07.2018 से)

सांविधिक लेखापरीक्षक
मेसर्स के ए एस जी एंड कंपनी, धनबाद

शाखा लेखापरीक्षक
मेसर्स एस. गुहा एवं एसोसिएटस, कोलकाता
मेसर्स सुदीप्ता घोष एवं कंपनी, बर्द्धमान
मेसर्स अइच रे दास एवं चट्टोपाध्याय, बर्द्धमान
मेसर्स पीएनपी एवं कंपनी, बर्द्धमान
मेसर्स एस. के. नरेदी एवं कंपनी, कोलकाता

लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स के. जी. गोयल एवं एसोसिएटस, जयपुर (अग्रणी लागत लेखापरीक्षक)
मेसर्स एम. जी. एवं एसोसिएटस, बर्नपुर
मेसर्स पंत एस. एवं एसोसिएटस, गाजियाबाद
मेसर्स बी. रे एवं एसोसिएटस, कोलकाता

सचिवालयिक लेखापरीक्षक
मेसर्स मेहता एवं मेहता
मुम्बई - 400018

आंतरिक लेखापरीक्षक :
मेसर्स मित्रा रॉय एंड दत्ता, कोलकाता
मेसर्स कोमांडूर एंड कंपनी एलएलपी, कोलकाता
मेसर्स डीई एंड बोस, कोलकाता
मेसर्स एमआईआर एंड एसोसिएट्स, कोलकाता
मेसर्स चटर्जी एंड कंपनी, कोलकाता
मेसर्स एसडीआर एंड एसोसिएट्स, भबनेश्वर
मेसर्स पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स, दिल्ली
मेसर्स एन.ए. सिद्दीकी एंड कंपनी, लखनऊ
मेसर्स एस. श्रीवास्तव एंड कंपनी, लखनऊ
मेसर्स एस एन नंदा एंड कंपनी, दिल्ली
मेसर्स सी.के.डीई एंड एसोसिएट्स, मुंबई
मेसर्स घोषाल एंड घोषाल, कोलकाता
मेसर्स बंद्योपाध्याय एंड दत्ता, कोलकाता
मेसर्स विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी, जयपुर

खानों का अवस्थान
राज्य : **पश्चिम बंगाल**
जिला : पश्चिम बर्द्धमान
बांकुड़ा
पुरूलिया

राज्य : झारखण्ड
जिला : धनबाद
गोड्डा
दुमका
पाकुड़
देवघर

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
यूको बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
केनरा बैंक
एक्सिस बैंक लिमिटेड
पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक

निक्षेपागार
मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता
मेसर्स एनडीएमएल
आईएसआईएन: INE06V901011

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल (2024-25 के दौरान)

पूर्णकालिक निदेशकगण

श्री सतीश झा, सीएमडी एवं सीईओ
(19.12.2024 से)
श्री समीरन दत्ता, सीएमडी एवं सीईओ (अतिरिक्त प्रभार)
(28.12.2023 से 18.12.2024 तक)
मोहम्मद अंजार आलम, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
(15.09.2022 से)
सुश्री आहुति स्वैन, निदेशक (कार्मिक)
(18.11.2022 से 31.08.2024 तक)
श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना
(09.12.2022 से 29.04.2024 तक)
श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन
(01.02.2023 से)
श्री गुंजन कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन)
(15.01.2025 से)
श्री गिरीश गोपीनाथन नायर, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना
(25.03.2025 से)

सरकार नामिति निदेशकगण

श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), कोल इंडिया
(18.03.2024 से)
श्री माणिक चंद्र पंडित, निदेशक, कोयला मंत्रालय
(19.07.2023 से 31.12.2024 तक)
सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय
(01.01.2025 से) 16.07.2025

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री शिव नारायण पाण्डेय
(01.11.2021 से 31.10.2024 तक)
(28.03.2025 से पुनः नियुक्त)
श्री शिव तपस्या पासवान
(01.11.2021 से 31.10.2024 तक)

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक (02.07.2018 से)

निदेशक मण्डल (8 अगस्त, 2025 तक)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक / सीईओ

श्री सतीश झा, सीएमडी एवं सीईओ

पूर्णकालिक निदेशकगण

एमडी अंजार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ
श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन
श्री गुंजन कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन)
श्री गिरीश गोपीनाथन नायर, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना

सरकार नामिति निदेशकगण

श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीआईएल
सुश्री चेतना शुक्ला, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री शिव नारायण पाण्डेय

मुख्य वित्तीय अधिकारी

मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक

निदेशक मण्डल

श्री सतीश झा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल

श्री मुकेश अग्रवाल
निदेशक (वित्त), सीआईएल
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, ईसीएल

डॉ. चेतना शुक्ला
उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, ईसीएल

मोहम्मद अंजार आलम
निदेशक (वित्त), ईसीएल

श्री नीलाद्रि रॉय
निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल

श्री गुंजन कुमार सिन्हा
निदेशक (मानव संसाधन), ईसीएल

श्री गिरीश गोपीनाथन नायर
निदेशक (तकनीकी)
परियोजना एवं योजना, ईसीएल

श्री रामबाबू पाठक
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/
कंपनी सचिव, ईसीएल

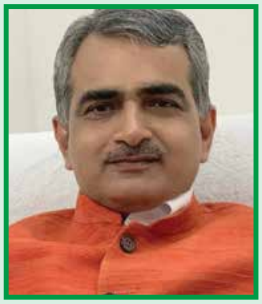

श्री शिव नारायण पांडे
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Eastern Coalfields Limited
(कोल इंडिया की एक अनुषंगी)
(A Subsidiary of Coal India Limited)
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)

टेलीफैक्स: 0341-2520546

ईमेल: companysecretary.ecl@coalindia.in

संदर्भ संख्या ईसीएल:सीएस:15(2025)/10462

30 जुलाई, 2025

50वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की पचासवीं (50वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025 को सुबह 11:30 बजे** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, सीएमडी कार्यालय, सैंक्टोरिया, पीओ-दिशेरगढ़, पश्चिम बर्धमान, पिन-713333, पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी: -

सामान्य कारबार :

1. 31 मार्च, 2025 तक की ऑडिटेड बैलेंस शीट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ और हानि का विवरण, सभी नोट्स के साथ नकदी प्रवाह विवरण, वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरणों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति पर अतिरिक्त नोट्स, भारत के वैधानिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।

2. श्री नीलाद्रि रॉय (डीआईएन-10055093) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

विशेष कारबार :

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

   "संकल्प लिया गया" कि कंपनी के लागत लेखा परीक्षा कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसार निम्नलिखित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा और किया जाता है:

क्रम सं.	लागत परीक्षक का नाम	वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षा हेतु पारिश्रमिक (रु. में)
1.	मेसर्स के. जी. गोयल एवं एसोसिएट्स	6,60,000.00
2.	मेसर्स एम. जी. एवं एसोसिएट्स	6,30,000.00
3.	मेसर्स पंत एस एवं एसोसिएट्स	5,41,500.00
4.	मेसर्स बी राय एवं एसोसिएट्स	2,71,500.00
	कुल: (इक्कीस लाख तीन हजार रुपये) मात्र	**21,03,000.00**

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
सांकतोड़िया, पो : डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-7133
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975G01030295, वेबसाइट /Website: www.easterncoal.nic.in

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में उपरोक्त फर्मों की नियुक्ति रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा निर्देशित होगी।"

बोर्ड के आदेशानुसार
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

(रामबाबू पाठक)
(Rambabu Pathak)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव
Sr. Manager (Finance)/Company Secretary

दिनांक: 30 जुलाई, 2025

पंजीकृत कार्यालय:
CIN-U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सैंक्टोरिया, पी.ओ. दिशेरगढ़,
जिला- पश्चिम बर्धमान
पिन: 713333, पश्चिम बंगाल

<u>नोट्स:</u>

1. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों द्वारा साधारण और विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर स्पष्टीकरण और "कोविड-19" द्वारा उत्पन्न खतरे के कारण बनाए गए नियमों के संबंध में 8 अप्रैल, 2020 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और 13 अप्रैल, 2020 के 17/2020 के माध्यम से, 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 28 दिसंबर, 2022 के 10/2022 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, जिनमें सबसे नवीनतम 25 सितंबर, 2023 का 09/2023 है, "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के आयोजन पर स्पष्टीकरण" के संबंध में है, (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना। एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ही वार्षिक आम बैठक का स्थल माना जाएगा।

2. चूँकि यह वार्षिक आम बैठक (एजीएम) एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों द्वारा अधिकृत ई-मेल आईडी से लिंक पहले ही उपलब्ध करा दिया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं की जाएगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
सांकतोड़िया, पो : डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-7133
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975G01030295, वेबसाइट /Website: www.easterncoal.nic.in

बैठक में या कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाना है। आपकी कंपनी के सदस्यों ने 30 जुलाई, 2001 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में निदेशक मंडल को सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया था।

4. विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

प्रतिलिपि :

1. मेसर्स के ए एस जी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैधानिक लेखा परीक्षक, द्वितीय तल, श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, धनबाद, झारखंड – 826001

2. मेसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक, 201-206, शिव स्मृति चेम्बर्स, द्वितीय तल, 49ए, डॉ. एनी बेसेंट रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के ऊपर, वर्ली, मुंबई – 400018

3. मैसर्स. के जी गोयल एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट ऑडिटर्स, 289, महावीर नगर 2, महारानी फार्म, गायत्री नगर बी, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान 302018

4. ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के समस्त निदेशकगण।

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
सांकतोड़िया, पो : डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-7133
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975G01030295, वेबसाइट /Website: www.easterncoal.nic.in

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (i) के अनुसरण में विवरण

शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025 को होने वाली पचासवीं (50वीं) वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना के साथ संलग्न।

विशेष कारबार : मद सं. 3

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14(ए)(ii) के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक को बाद में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति ने 24 सितंबर, 2024 को आयोजित अपनी 141वीं बैठक में सिफारिश की और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 24 सितंबर, 2024 को आयोजित अपनी 377वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लागत लेखाकार फर्मों को लागत लेखा परीक्षक के रूप में निम्नलिखित पारिश्रमिक के साथ नियुक्त करने की मंजूरी दी है, जिसे आगामी एजीएम में अनुमोदित किया जाना है:

क्रम सं.	लागत लेखापरीक्षक का नाम	वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षा हेतु पारिश्रमिक (रु. में)
1.	मेसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स	6,60,000.00
2.	मेसर्स एम जी एंड एसोसिएट्स	6,30,000.00
3.	मेसर्स पंत एस एंड एसोसिएट्स	5,41,500.00
4.	मेसर्स बी रे एंड एसोसिएट्स	2,71,500.00
	कुल: (इक्कीस लाख तीन हजार रुपये) मात्र	**21,03,000.00**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में उपरोक्त फर्मों की नियुक्ति, अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा निर्देशित होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी, या उनके किसी भी रिश्तेदार की इस प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं है।

बोर्ड के आदेशानुसार
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

(रामबाबू पाठक)
(Rambabu Pathak)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव
Sr. Manager (Finance)/Company Secretary

दिनांक: 30 जुलाई, 2025

<u>**पंजीकृत कार्यालय**</u>
सीआईएन-U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सैंक्टोरिया, पी.ओ. दिशेरगढ़,
जिला- पश्चिम बर्धमान
पिन: 713333, पश्चिम बंगाल

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
सांकतोड़िया, पो : डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-7133
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975G01030295, वेबसाइट /Website: www.easterncoal.nic.in

नाम और निदेशक का पदनाम	श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल
डीआईएन	10055093
जन्म तिथि	11.04.1966
राष्ट्रीयता	भारतीय
निदेशक मंडल में नियुक्ति की तिथि	01.02.2023
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की शर्तें और मांगे गए पारिश्रमिक तथा अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार
योग्यता और अनुभव	वर्ष 1987 में आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से बी.टेक और वर्ष 1990 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणन प्राप्त किया।
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य
वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या	11
अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की सूची	कोल गैस इंडिया लिमिटेड
ईसीएल में अन्य समिति के अध्यक्ष / सदस्यता	सदस्य: क. ईसीएल बोर्ड की “सीएसआर” उप-समिति; ख. लेखा परीक्षा समिति; ग. ईसीएल बोर्ड की “परियोजनाओं के मूल्यांकन, आकलन और अनुमोदन” उप-समिति घ. ईसीएल बोर्ड की “जोखिम प्रबंधन” उप-समिति

ECL

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Eastern Coalfields Limited
(कोल इंडिया की एक अनुषंगी)
(A Subsidiary of Coal India Limited)
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)

टेलीफैक्स: 0341-2520546
ई-मेल: companysecretary.ecl@coalindia.in

संदर्भ संख्या: ईसीएल:सीएस:15(2025)/10472

4 अगस्त, 2025

स्थगित 50वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की **स्थगित** पचासवीं (50वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 को सुबह 11:30 बजे** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, सीएमडी कार्यालय, सैंक्टोरिया, पीओ-दिशेरगढ़, पश्चिम बर्धमान, पिन-713333, पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

1. 31 मार्च, 2025 तक की ऑडिटेड बैलेंस शीट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ और हानि का विवरण, सभी नोट्स के साथ नकदी प्रवाह विवरण, वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरणों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति पर अतिरिक्त नोट्स, भारत के वैधानिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।

2. श्री नीलाद्रि रॉय (डीआईएन-10055093) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

विशेष व्यवसाय:

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

“**यह निश्चय किया गया** कि कंपनी के लागत लेखा परीक्षा कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसार निम्नलिखित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा:

क्रम संख्या	लागत लेखा परीक्षक का नाम	वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षा हेतु पारिश्रमिक (रु. में)
1.	मेसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स	6,60,000.00
2.	मेसर्स एम जी एंड एसोसिएट्स	6,30,000.00
3.	मेसर्स पंत एस एंड एसोसिएट्स	5,41,500.00
4.	मेसर्स बी रे एंड एसोसिएट्स	2,71,500.00
	कुल: (इक्कीस लाख तीन हजार रुपये) मात्र	**21,03,000.00**

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
सांकतोड़िया, पो : डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-7133
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975G01030295, वेबसाइट /Website: www.easterncoal.nic.in

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Eastern Coalfields Limited
(कोल इंडिया की एक अनुषंगी)
(A Subsidiary of Coal India Limited)
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में उपरोक्त फर्मों की नियुक्ति रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा निर्देशित होगी।"

बोर्ड के आदेशानुसार
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

(रामबाबू पाठक)
(Rambabu Pathak)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव
Sr. Manager (Finance)/Company Secretary

दिनांक: 4 अगस्त, 2025

पंजीकृत कार्यालय:

सीआईएन-U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सैंक्टोरिया, पी.ओ. दिशेरगढ़,
जिला- पश्चिम बर्धमान
पिन: 713333, पश्चिम बंगाल

नोट्स:

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय वार्षिक आम बैठक का स्थल माना जाएगा। [सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, "कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों द्वारा साधारण और विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर स्पष्टीकरण" के संबंध में, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 है जो "वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन पर स्पष्टीकरण" के संबंध में है, जिसे सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" कहा जाता है]
2. चूंकि यह स्थगित वार्षिक आम बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, स्थगित वार्षिक आम बैठक के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
सांकतोड़िया, पो : डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-7133
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975G01030295, वेबसाइट /Website: www.easterncoal.nic.in

ECL

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Eastern Coalfields Limited
(कोल इंडिया की एक अनुषंगी)
(A Subsidiary of Coal India Limited)
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)

में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों के अधिकृत ई-मेल आईडी से लिंक पहले से ही प्रदान किया जाना चाहिए और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जानी चाहिए और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं की जाएगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाना है। आपकी कंपनी के सदस्यों ने 30 जुलाई, 2001 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में निदेशक मंडल को सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया था।

4. विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

प्रतिलिपि :

1. मेसर्स के ए एस जी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैधानिक लेखा परीक्षक, द्वितीय तल, श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, धनबाद, झारखंड – 826001

2. मेसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक, 201-206, शिव स्मृति चेम्बर्स, द्वितीय तल, 49ए, डॉ. एनी बेसेंट रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के ऊपर, वर्ली, मुंबई – 400018

3. मैसर्स. के जी गोयल एंड एसोसिएट्स, लागत लेखा परीक्षक, 289, महावीर नगर 2, महारानी फार्म, गायत्री नगर बी, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान 302018

4. सभी निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड।

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
सांकतोड़िया, पो : डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-7133
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975G01030295, वेबसाइट /Website: www.easterncoal.nic.in

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (i) के अनुसरण में विवरण

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 को आयोजित होने वाली **स्थगित** पचासवीं (50वीं) वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना के साथ संलग्न।

विशेष व्यवसाय: मद संख्या 3

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14(ए)(ii) के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक को बाद में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति ने 24 सितंबर, 2024 को आयोजित अपनी 141वीं बैठक में सिफारिश की और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 24 सितंबर, 2024 को आयोजित अपनी 377वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लागत लेखाकार फर्मों को लागत लेखा परीक्षक के रूप में निम्नलिखित पारिश्रमिक के साथ नियुक्त करने की मंजूरी दी है, जिसे आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाना है:

क्रम संख्या	लागत लेखा परीक्षक का नाम	वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षा हेतु पारिश्रमिक (रु. में)
1	मेसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स	6,60,000.00
2	मेसर्स एम जी एंड एसोसिएट्स	6,30,000.00
3	मेसर्स पंत एस एंड एसोसिएट्स	5,41,500.00
4	मेसर्स बी रे एंड एसोसिएट्स	2,71,500.00
	कुल: (इक्कीस लाख तीन हजार रुपये) मात्र।	**21,03,000.00**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में उपरोक्त फर्मों की नियुक्ति, अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा निर्देशित होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी, या उनके किसी भी रिश्तेदार की इस प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं है।

बोर्ड के आदेशानुसार

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

(रामबाबू पाठक)
(Rambabu Pathak)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव
Sr. Manager (Finance)/Company Secretary

दिनांक: 4 अगस्त, 2025

पंजीकृत कार्यालय:
सीआईएन-U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सैंक्टोरिया, पी.ओ. दिशेरगढ़,
जिला- पश्चिम बर्धमान
पिन: 713333, पश्चिम बंगाल

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
सांकतोड़िया, पो : डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-7133
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975G01030295, वेबसाइट /Website: www.easterncoal.nic.in

निदेशक का नाम और पदनाम	श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल
डीआईएन	10055093
जन्म तिथि	11.04.1966
राष्ट्रीयता	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	01.02.2023
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की शर्तें और मांगे गए पारिश्रमिक तथा अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार
योग्यता और अनुभव	वर्ष 1987 में आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से बी.टेक और वर्ष 1990 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणन प्राप्त किया।
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य
वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या	11
अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की सूची	कोल गैस इंडिया लिमिटेड
ईसीएल में अन्य समिति के अध्यक्ष / सदस्यता	सदस्य: क. ईसीएल बोर्ड की “सीएसआर” उप-समिति; ख. लेखा परीक्षा समिति; ग. ईसीएल बोर्ड की “परियोजनाओं के मूल्यांकन, आकलन और अनुमोदन” उप-समिति घ. ईसीएल बोर्ड की “जोखिम प्रबंधन” उप-समिति

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
सांकतोड़िया, पो : डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-7133
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975G01030295, वेबसाइट /Website: www.easterncoal.nic.in

अध्यक्ष का वक्तव्य

सम्मानित शेयरधारक, बोर्ड के सम्मानित सदस्य, विशिष्ट अतिथि, सरकारी प्रतिनिधि, कर्मचारी और उनके परिवार, ट्रेड यूनियन नेता, हितधारक और मित्र:

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) की इस ऐतिहासिक 50वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत गर्व और कर्तव्यबोध का अनुभव हो रहा है। यह स्वर्ण जयंती न केवल ईसीएल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी पाँच दशकों की सेवा पर चिंतन करने का अवसर भी प्रदान करती है - एक ऐसी सेवा जो भारत की प्रगति, औद्योगिक विस्तार और ऊर्जा परिवर्तन की कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है।

आपके अध्यक्ष के रूप में, मुझे पिछले वर्ष की हमारी उपलब्धियों को प्रस्तुत करने, इस संगठन की व्यापक यात्रा के संदर्भ में उनका विश्लेषण करने और भविष्य के लिए हमारे दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह वक्तव्य हमारे ऐतिहासिक प्रभाव के पैमाने और हमारी वर्तमान एवं भविष्य की ज़िम्मेदारियों, दोनों के साथ न्याय करने का प्रयास करता है।

1. पाँच उल्लेखनीय दशकों की यात्रा

1975 में अपनी स्थापना के बाद से, कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में, अग्रणी रही है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैले हमारे परिचालन भारतीय कोयला भंडारों के केंद्र में फैले हुए हैं, उद्योगों और घरों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाते हैं और लाखों परिवारों के लिए आजीविका का सृजन करते हैं। हमारी यात्रा विभिन्न चुनौतियों से भरी रही है: बाजार सुधार, नियामक बदलाव, वैश्विक अस्थिरता, तीव्र तकनीकी परिवर्तन, और सबसे बढ़कर, आर्थिक विकास को सामाजिक समानता और पर्यावरणीय देखभाल के साथ संतुलित करने की बदलती अनिवार्यताएँ।

दशकों से, हमें निरंतर कार्य करने में सक्षम बनाने वाली बात है हमारे मूल मूल्यों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता: परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता और शासन में ईमानदारी।

आज, जब हम पचास वर्षों के स्वर्णिम मील के पत्थर का जश्न मना रहे हैं, हम उन खनिकों, इंजीनियरों, कर्मचारियों और नेताओं की पीढ़ियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया है - जमीन पर, कोयला खदान में, बोर्डरूम में, और हमारे परिचालनों के आसपास के समुदायों में।

2. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

यह ईसीएल के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है - जो न केवल सांख्यिकीय दृष्टि से, बल्कि हमारे कामकाज के हर पहलू में की गई गुणात्मक प्रगति के कारण भी उल्लेखनीय है।

2.1 प्रमुख उत्पादन मापदंडों में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि

- रिकॉर्ड कोयला उत्पादन: ईसीएल ने 52.035 मीट्रिक टन का अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.41% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है और कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य सभी सहायक कंपनियों से आगे रहा। हमारा कुल उत्पादन अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गया, जिसने कई आंतरिक मानकों को पार कर लिया।

- ओवरबर्डन (ओबी) हटाने का मील का पत्थर: स्थापना के बाद से अब तक सर्वाधिक ओबी निष्कासन - 187.167 मिलियन क्यूबिक मीटर - के साथ हमने भविष्य की खनन गतिविधि, संवर्धित क्षमता उपयोग और बेहतर खदान-जीवन सूचकांकों की नींव रखी है।
- कोयला उठाव और प्रेषण शिखर: हमारे कोयला उठाव में भी नई ऊंचाई देखी गई, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 13.76% की वृद्धि के साथ वर्ष के लिए उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य सभी सहायक कंपनियों से आगे रही, जो बेहतर निकासी, रेलवे और अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ समन्वय को दर्शाता है।

ये उपलब्धियां हमारी टीम के समर्पण, तकनीकी उन्नयन और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की गवाही हैं।

2.2 वित्तीय मजबूती और अनुशासन

- **लाभप्रदता:** हमने लगातार तीसरे वर्ष लाभप्रदता बनाए रखी है, जिसमें बढ़ी हुई उत्पादकता, विवेकपूर्ण लागत प्रबंधन, डिजिटलीकरण और परिचालन सुधारों का योगदान रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सकल बिक्री कारोबार 20,183.54 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 18,999.97 करोड़ रुपये था, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 6.23% की वृद्धि हुई। कंपनी ने 301.22 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) और 204.49 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष यह 213.49 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) और 251.59 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) था। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की कुल संपत्ति 3,100.47 करोड़ रुपये थी।

2.3 उद्योग मान्यता और पुरस्कार

- **निगम से संबंधित शासन प्रणाली:** ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नई दिल्ली में आयोजित 15वें इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी विज़न समिट में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) द्वारा सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के प्रति ईसीएल की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
- **स्थिरता पुरस्कार:** हमारी टीमों को स्थिरता और सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिससे कार्यस्थल पर जवाबदेही और देखभाल की संस्कृति को बल मिला है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को मुंबई में स्वर्ण श्रेणी में सील बिज़नेस सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान स्थायी प्रथाओं, नवाचार और हमारे समुदाय व पृथ्वी पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव डालने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

3. परिचालन उत्कृष्टता और नवाचार

3.1. खनन कार्यों का आधुनिकीकरण

ईसीएल अपनी तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करने में अग्रणी बना हुआ है:

- **मशीनीकरण:** सतत खननकर्ता और लांगवॉल प्रौद्योगिकी का विस्तार, हाईवॉल और सतही खननकर्ताओं को अपनाना, तथा सतत उत्पादकता-संचालित उपकरण आधुनिकीकरण।
- **डिजिटलीकरण:** एकीकृत खान प्रबंधन प्रणालियों की तैनाती, कोयले और ओवरबर्डन की जीपीएस-सक्षम वास्तविक समय ट्रैकिंग, और स्वचालित तौल-पुल।
- **रिमोट सेंसिंग और सर्वेक्षण:** ड्रोन, जीआईएस मैपिंग और उन्नत भूभौतिकीय सर्वेक्षणों के उपयोग से हमारी योजना, सुरक्षा ऑडिट और पर्यावरण अनुपालन में काफी सुधार हुआ है।

3.2. रसद और कोयला उठाव

- **युक्तिसंगत निकासी:** सुव्यवस्थित पिट-टू-प्लांट लॉजिस्टिक्स, डिस्पैच के लिए डिजिटल समाधानों का लाभ उठाना, तथा भारतीय रेलवे के साथ बेहतर समन्वय।
- **तीव्रता और विश्वसनीयता:** तीव्र लोडिंग प्रणाली और आधुनिक कन्वेयर बेल्ट के साथ उच्च गति वैगन लोडिंग।

3.3. उत्पादकता वृद्धि और कार्यबल सहभागिता

- **कौशल विकास पहल:** खनन में तकनीकी प्रगति के अनुरूप कर्मचारियों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **प्रोत्साहन और मान्यता योजनाएँ:** संगठनात्मक पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर पर नवाचार और उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए कार्यक्रम।

4. सुरक्षा, स्वास्थ्य और कर्मचारी कल्याण

- **दुर्घटना दर में कमी:** कड़े सुरक्षा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), सभी अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए अत्याधुनिक PPE, तथा व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण दुर्घटना दर में उल्लेखनीय कमी आई है।
- **कर्मचारी सहायता:** बीमा उन्नयन, पेंशन योजनाएं, पारिवारिक मुआवजा, तथा कल्याण एवं शिकायत निवारण का सक्रिय संचालन।

5. पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास

- **वृक्षारोपण एवं पुनर्ग्रहण तथा हरित पहल:** वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 1.27 लाख पौधों के रोपण के साथ 78.03 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य पूरा हो चुका है।
- **जल प्रबंधन:** प्रमुख खदानों में शून्य तरल निर्वहन को अपनाना, आधुनिक वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण, तथा जल पुनर्चक्रण।
- **स्वच्छ ऊर्जा एकीकरण:** सौर ऊर्जा परियोजनाओं और ऊर्जा दक्षता पायलटों का चालू होना।
- **पर्यावरण निगरानी:** सभी प्रमुख खदानों में नियमित तृतीय-पक्ष पर्यावरणीय ऑडिट के साथ सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन संचालित किए गए।
- **इको-पार्क और जैव विविधता:** परित्यक्त खदान स्थलों को इको-पार्क, जल निकायों और सामुदायिक हरित क्षेत्रों में परिवर्तित करना।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सामुदायिक सहभागिता

- **स्वास्थ्य देखभाल:** मोबाइल क्लीनिक, स्वास्थ्य शिविर, स्थानीय औषधालयों का उन्नयन, तथा कमांड क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान।
- **शिक्षा:** छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, मॉडल और सरकारी स्कूलों को सहायता, बुनियादी ढांचे का उन्नयन।
- **ग्रामीण विकास:** पेयजल योजनाओं, स्वच्छता, ग्रामीण सड़कों और विद्युतीकरण में निवेश।
- **कौशल विकास:** स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं और हाशिए पर स्थित समुदायों पर लक्षित प्रशिक्षण केंद्र।
- **सशक्तिकरण कार्यक्रम:** महिला नेतृत्व वाले सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों और आजीविका मिशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **खेल और संस्कृति को बढ़ावा देना:** सामुदायिक खेलों, सांस्कृतिक उत्सवों और क्षेत्रीय विरासत के संरक्षण का निरंतर प्रायोजन।

7. डिजिटल परिवर्तन और शासन

- **बोर्ड प्रक्रियाएँ:** 1 जून, 2024 को ईसीएल, कागज रहित कॉर्पोरेट प्रशासन की ओर बढ़ते हुए, डिजिटल बोर्ड प्रबंधन समाधान को पूरी तरह से लागू करने वाली पहली कोल इंडिया लिमिटेड सहायक कंपनी बन गई।
- **ईआरपी और ई-प्रोक्योरमेंट:** संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ईआरपी प्लेटफॉर्म, निर्बाध ई-खरीद और डिजिटल भुगतान का और अधिक एकीकरण।
- **सार्वजनिक पारदर्शिता:** शिकायत निवारण, डिजिटल वेतन भुगतान और ऑनलाइन भर्ती के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ।

8. मानव पूंजी, औद्योगिक संबंध और समावेशिता

- **प्रशिक्षण निवेश:** सभी संवर्गों के लिए उन्नत तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण।

- **विविधता पहल:** तकनीकी और पर्यवेक्षी भूमिकाओं में महिलाओं की लक्षित भर्ती और उन्नति।
- **औद्योगिक सद्भाव:** वर्ष के दौरान कोई औद्योगिक व्यवधान नहीं हुआ, इसका श्रेय रचनात्मक ट्रेड यूनियन सहभागिता और शिकायत तंत्र को जाता है।

9. कॉर्पोरेट प्रशासन, नैतिकता और पारदर्शिता

- **मजबूत आंतरिक नियंत्रण:** व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा, जोखिम प्रबंधन और वैधानिक अनुपालन प्रक्रियाएं हमारे शासन दर्शन के मूल में बनी हुई हैं।
- **हितधारक सहभागिता:** सरकार, स्थानीय निकायों, नियामकों और शेयरधारकों के साथ नियमित परामर्श।

10. रणनीतिक दृष्टि: ईसीएल के लिए अगला दशक

- भविष्य की ओर देखते हुए, ईसीएल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। मध्यम अवधि में कोयला भारत के ऊर्जा मिश्रण का आधार बना रहेगा, लेकिन यह क्षेत्र जलवायु संबंधी अनिवार्यताओं, डिजिटल क्रांति और विकसित होते बाज़ार ढाँचों के अनुरूप रूपांतरित हो रहा है।

11. श्रद्धांजलि और आभार

इस स्वर्ण जयंती पर, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ –

- ईसीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को: आपकी दृढ़ता, अनुशासन और सरलता ने हमारी रीढ़ बनाई है।
- हमारे निवेशकों और शेयरधारकों को, आपके अटूट विश्वास के लिए।
- कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नियामकों, कोल इंडिया लिमिटेड और सभी राज्य सरकारों को, जिनका सहयोग महत्वपूर्ण रहा है।
- हमारे ट्रेड यूनियन साझेदारों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय समुदायों के लिए - आपका सहयोग हमारे मिशन के लिए आवश्यक है।

12. निष्कर्ष: उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता

- ईसीएल का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। घरों को रोशन करने, बिजली संयंत्रों को चलाने और उद्योगों को गति देने वाले कोयले का खनन करते हुए, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास, नेतृत्व और नवाचार का भी खनन करना होगा। आइए हम आगे बढ़ें - आत्मविश्वास से, समावेशी और टिकाऊ ढंग से।

(सतीश झा)
सीएमडी, ईसीएल
डीआईएन-10299809

दिनांक: 8 अगस्त, 2025
स्थान: सैंक्टोरिया

परिचालनात्मक सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2025	2024	2023	2022	2021
1. कोयला उत्पादन (मि.टन)					
भूमिगत	8.475	9.183	8.968	8.996	9.309
खुली खदान	43.560	38.377	26.050	23.432	35.695
कुल	**52.035**	**47.560**	**35.018**	**32.428**	**45.004**
2. उपरिभार हटाव (मि. घनमीटर)	187.167	170.899	132.985	118.989	139.585
3. कुल आवर्त (कच्चा कोयला) : (मि.टन)					
विद्युत शक्ति	41.32	36.09	28.150	29.970	36.170
सिमेंट	1.22	0.35	0.430	0.120	0.093
कोलियरी खपत	0.14	0.15	0.170	0.180	0.177
अन्य	7.08	7.16	6.760	5.830	5.60
कुल	**49.76**	**43.75**	**35.510**	**36.100**	**42.040**
4. कोयले का अंतिम स्टॉक (एमटी)	8.241	5.620	2.147	2.635	6.302
5. जनशक्ति	46996	48711	51074	52935	54866
6. उत्पादकता (ओ.एम.एस.) (मि.टन)					
भूमिगत	0.942	0.950	0.888	0.863	0.852
खुली खदान	25.951	14.258	11.420	10.310	15.374
समग्र	**4.181**	**3.849**	**2.829**	**2.555**	**3.397**
7. पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	1646.16	1461.34	1122.64	1227.99	1025.87
8. सकल बिक्री आवर्तन (₹ करोड़ में)	21,298.85	18999.97	19351.00	14453.63	14821.26
9. सकल बिक्री आवर्तन (₹ करोड़ में)	3,100.47	2,977.64	2,820.25	1813.71	888.82

श्रमशक्ति

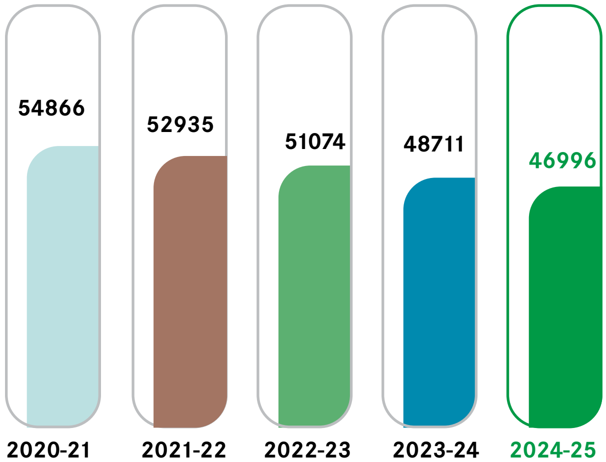

कोयला उत्पादन (एमटी में)

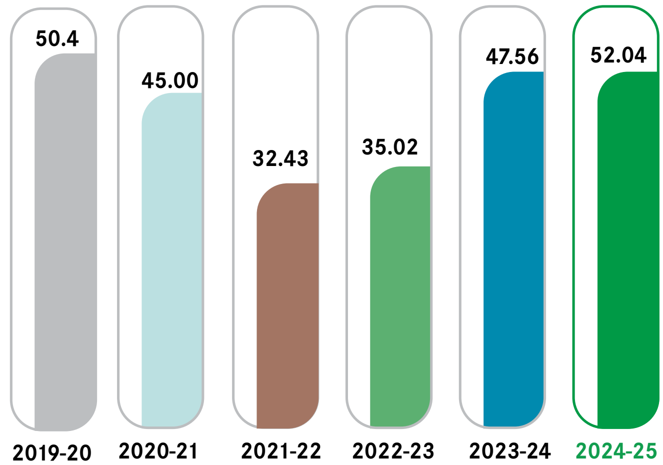

ओएमएस (टन/मैनशिफ्ट में)

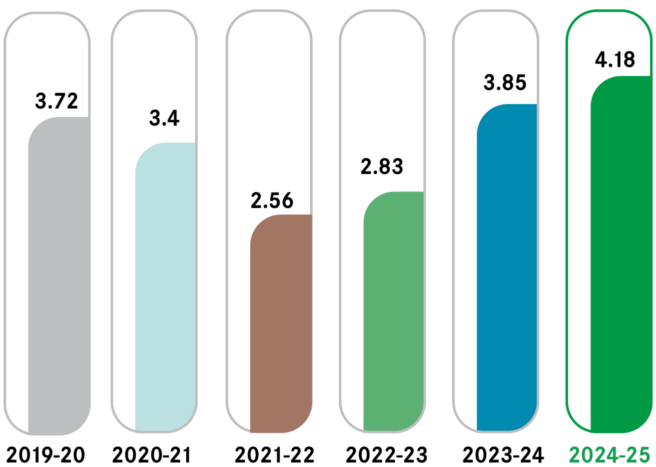

कोयला उठाव (एमटी में)

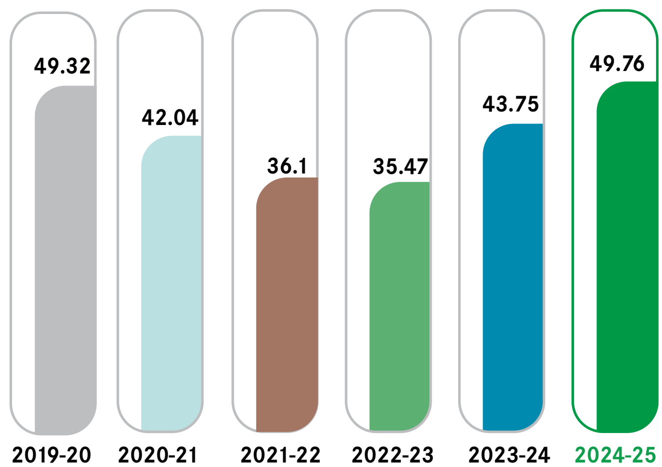

कोयला उठाव (एमटी में)

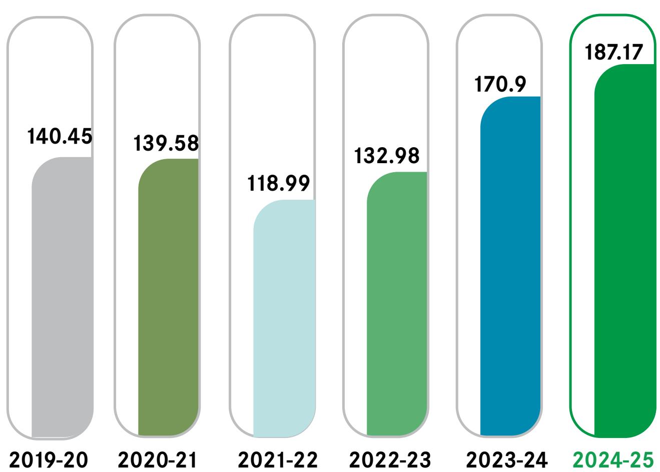

आय और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम.	विशिष्टियाँ	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
		2025	2024	2023 (पुन:कथन)	2022	2021
क	**से अर्जित**					
1	**सकल बिक्री (कोयला)**	**20,183.54**	**18,999.97**	**19,351.00**	**14,453.65**	**14,821.26**
	न्यून : उत्पाद शुल्क एवं अन्य उगाही	5,836.20	5,108.09	4,581.71	4,152.20	4,564.87
2	**निवल बिक्री**	**14,347.34**	**13,891.88**	**14,769.29**	**10,301.45**	**10,256.39**
2. i	कोयला आयात के लिए सुकरीकरण प्रभार			-	-	-
2. ii	रेत भूगर्त भरण एवं संरक्षी कार्यों के लिए सहायकी	-	2.03	1.53	-	0.12
2. iii	परिवहन व लदाई लागत की वसूली (उगाही का निवल)	445.50	403.64	271.69	264.11	306.10
2. iv	निकासी सुविधा शुल्क (शुल्क घटाकर)	297.70	261.59	211.97	185.19	155.54
2. v	सेवाओं से राजस्व (शुल्कों को छोड़कर)	-	-	-	-	-
3	**अन्य परिचालन राजस्व (शुल्कों को छोड़कर)**	**743.20**	**667.26**	**485.19**	**449.30**	**461.76**
3. i	ब्याज आय	192.24	309.34	211.55	120.75	99.85
3. ii	पारस्परिक निधि पर लाभांश	-	-	-	-	-
3. iii	अन्य गैर-परिचालन आय	468.12	330.21	344.75	97.35	286.03
4	**अन्य कमाई**	**660.36**	**639.55**	**556.30**	**218.10**	**385.88**
	कुल (क)	**15,750.90**	**15,198.69**	**15,810.78**	**10,968.85**	**11,104.03**
B	को संदाय / के लिए प्रदत्त					
1. i	वेतन एवं मजदूरी	7,531.30	7,838.18	8,077.44	6,234.51	5,924.72
1. ii	भविष्य निधि एवं पेंशन निधि को अंशदान	1,628.12	1,943.23	1,476.87	1,459.39	1,526.42
1. iii	स्टाफ कल्याण व्यय	394.42	312.61	373.06	289.89	337.16
1	कर्मी प्रसुविधा व्यय	9,553.84	10,094.02	9,927.37	7,983.79	7,788.30
2	उपभुक्त सामग्रियों की लागत	1,048.42	1,000.35	1,086.24	781.36	720.07
3	तैयार माल/चालू कार्य और विक्रेय माल की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	(238.95)	(497.30)	24.15	291.34	(300.71)
4	विद्युत शक्ति व्यय	436.30	433.63	425.44	434.92	431.19
5	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	4.41	7.33	6.92	13.86	11.56
6	मरम्मति	304.85	194.27	176.78	192.87	242.37
7	संविदात्मक व्यय	3,495.70	2,864.43	2,042.23	1,686.53	1,941.23
8	**वित्त लागत**					
	बट्टों का अकुंडलन	48.12	46.61	52.22	163.04	190.92
	अन्य वित्त लागत	94.20	74.52	12.63	0.62	2.88
9	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	734.90	700.17	628.35	529.70	494.18
10	विपट्टन गतिविधि समायोजन	(606.62)	(590.27)	(351.91)	(153.57)	1.27
11	प्रावधान और बट्टे खाता डालना	14.16	140.09	4.11	12.11	27.56
12	अन्य व्यय	560.35	517.35	495.83	469.65	460.47
	कुल (ख)	**15,449.68**	**14,985.20**	**14,530.36**	**12,406.22**	**12,011.29**

क्रम.	विशिष्टियाँ	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
		2025	2024	2023 (पुनःकथन)	2022	2021
13	**अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (क – ख)**	**301.22**	**213.49**	**1,280.42**	**(1,437.37)**	**(907.26)**
14	अपवादात्मक मदें	-	-	-	-	-
15	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**	**301.22**	**213.49**	**1,280.42**	**(1,437.37)**	**(907.26)**
16	न्यून : कर व्यय	96.73	(38.10)	387.62	(376.71)	(147.68)
17	**सतत परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**	**204.49**	**251.59**	**892.80**	**(1,060.66)**	**(759.58)**
18	अनिरंतरित परिचलानों से लाभ/(हानि) (करोपरांत)	-	-	-	-	-
19	संयुक्त उद्यम/संस्थान के लाभ/(हानि) में शेयर	-	-	-	-	-
20	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**	**204.49**	**251.59**	**892.80**	**(1,060.66)**	**(759.58)**
21	**अन्य व्यापक आय**					
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(109.12)	(94.20)	152.00	(65.42)	(234.48)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(27.46)	-	38.26	-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।	-	-	-	-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा	-	-	-	-	-
22	**कुल अन्य व्यापक आय**	**(81.66)**	**(94.20)**	**113.74**	**(65.42)**	**(234.48)**
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय [वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय को समाविष्ट]	**122.83**	**157.39**	**1,006.54**	**(1,126.08)**	**(994.06)**
23	**को रोप्य लाभ**					
	कंपनी के मालिक	204.49	251.59	892.80	(1,060.66)	(759.58)
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
24	**को रोप्य अन्य व्यापक आय :**					
	कंपनी के मालिक	(81.66)	(94.20)	113.74	(65.42)	(234.48)
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
25	**को रोप्य कुल व्यापक आय :**					
	कंपनी के मालिक	122.83	157.39	1,006.54	(1,126.08)	(994.06)
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम	विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथा				
		2025	2024	2023 (पुनःकथन)	2022	2021
	परिसम्पति					
क	**अप्रचलित परिसम्पति**					
	अ. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	6,509.58	5,973.43	5,512.04	4,411.30	3,572.54
	आ. पूँजीगत चालू कार्य	1,065.36	798.56	556.58	400.51	587.28
	इ. अन्वेषित और मूल्यांकित परिसम्पति	822.19	764.03	713.71	684.40	655.46
	ई. अमूर्त परिसम्पति	9.44	12.40	15.36	2.08	2.78
	उ. विकासाधीन अमूर्त परिसम्पति	-	-	-	9.16	
	ऊ. वित्तीय परिसम्पति					
	i. निवेश	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ii. ऋण	-	0.02	0.05	0.10	0.02
	iii. अन्य वित्तीय परिसम्पति	1,235.63	1,104.72	945.89	765.33	700.15
	ऋ. आस्थगित कर परिसम्पति (निवल)	779.12	848.38	793.17	904.97	513.58
	ए. अप्रचलित कर परिसम्पति (निवल)	-	71.14			
	ए. अन्य अप्रचलित परिसम्पति	1508.42	1,269.68	1,113.29	878.34	759.41
	कुल अप्रचलित परिसम्पति (क)	**11,929.82**	**10,842.44**	**9,650.17**	**8,056.27**	**6,791.30**
ख	**चालू परिसम्पति**					
	अ. वस्तुसूचियाँ	1,395.59	1,121.05	562.87	554.17	810.36
	आ. वित्तीय परिसम्पति					
	i. निवेश	-	-	-	-	-
	ii. व्यवसाय प्राप्य	2,059.08	1,892.15	1,564.50	2,504.20	4,423.53
	iii. नकदी एवं नकदी समतुल्य	208.15	119.12	532.11	882.47	945.16
	iv. अन्य बैंक अतिशेष	1,079.15	1,798.65	3,439.35	997.56	566.50
	v. ऋण	-	-	-	-	-
	vi. अन्य वित्तीय परिसम्पति	99.02	145.03	137.70	55.02	36.63
	इ. चालू कर परिसम्पति (निवल)	27.04	-	-	274.39	1,071.22
	ई. अन्य चालू परिसम्पति	2,078.69	2,017.49	1,910.85	1,409.17	855.95
	कुल चालू परिसम्पति (ख)	**6,946.72**	**7,093.49**	**8,147.38**	**6,676.98**	**8,709.35**
	कुल परिसम्पति (क + ख)	**18,876.54**	**17,935.93**	**17,797.55**	**14,733.25**	**15,500.65**
	साम्या और देयताएँ					
क	**साम्या**					
1	निर्गत, अत्यभिदत्त और प्रदत्त साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	4,269.42	4,269.42	4,269.42	2,218.45
2	**पूँजी मोचन आरक्षित निधि**					
	लेखा आरंभ में शेष	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर की वापसी खरीद	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंधी पर शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	**अधिमान शेयर पूँजी का साम्या भाग**					
	लेखा आरंभ में शेष	-	-	-	855.61	855.61
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-

क्रम	विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथा				
		2025	2024	2023 (पुन:कथन)	2022	2021
	वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-855.61	-
	साम्या शेयर की वापसी खरीद	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**855.61**
4	**सामान्य आरक्षित निधि**					
	लेखा आरंभ पर पुनःअभिकथित शेष	832.71	832.71	832.71	832.71	832.71
	सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-
	वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष	**832.71**	**832.71**	**832.71**	**832.71**	**832.71**
5	**प्रतिधारित उपार्जन**					
	लेखा आरंभ में शेष	(1,825.16)	(2,076.75)	(2,969.55)	(2,764.50)	(2,004.92)
	समायोजन	-	-	-	855.61	-
	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	204.49	251.59	892.80	(1,060.66)	(759.58)
	विनियोजन					
	सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण	-	-	-	-	-
	अन्य आरक्षित निधि से अंतरण	-	-	-	-	-
	अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-
	निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-
	वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष	**(1,620.67)**	**(1,825.16)**	**(2,076.75)**	**(2,969.55)**	**(2,764.50)**
6	**अन्य व्यापक आय**					
	अथ शेष	(299.33)	(205.13)	(318.87)	(253.45)	(18.97)
	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुनर्मापन (कर का निवल)	-81.66	-94.20	113.74	(65.42)	(234.48)
	लेखाबंदी पर शेष	**(380.99)**	**(299.33)**	**(205.13)**	**(318.87)**	**(253.45)**
7	**अन्य साम्या (2+3+4+5+6)**	**(1,168.95)**	**(1,291.78)**	**(1,449.17)**	**(2,455.71)**	**(1,329.63)**
8	**कंपनी के साम्याधारकों को रोप्य साम्या (1+7)**	**3,100.47**	**2,977.64**	**2,820.25**	**1,813.71**	**888.82**
9	**कंपनी के साम्याधारकों को रोप्य साम्या**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10	**अनियंत्रित ब्याज**	**3,100.47**	**2,977.64**	**2,820.25**	**1,813.71**	**888.82**
	देयताएं					
ख	**गैर मौजूदा देनदारियां**					
	अ. वित्तीय देयताएँ					
	i. उधार	146.34	150.09	155.94	151.04	2,091.68
	ii. व्यवसाय देय	-	-	-	-	-
	iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	233.73	214.33	93.34	90.35	98.86
	आ. प्रावधान	4,352.16	4,657.56	4,654.57	4,369.68	4,311.62
	इ. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	-	-	-	-	-
	ई. अन्य अप्रचलित देयताएँ	153.21	176.09	315.39	2.63	41.44
	कुल अप्रचलित देयाताएँ (ख)	**4,885.44**	**5,198.07**	**5,219.24**	**4,613.70**	**6,543.60**

क्रम	विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथा 2025	2024	2023 (पुन:कथन)	2022	2021
ग	**चालू देयताएँ**					
	अ. वित्तीय देयताएँ					
	i. उधार	1,517.12	671.15	7.79	7.36	7.07
	ii. व्यवासय देय	1,374.63	1,329.34	993.55	1,096.03	962.64
	iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	2,060.16	2,070.24	1,609.51	1,657.31	1,706.27
	आ. अन्य चालू देयताएँ	4,918.53	4,636.27	4,212.81	4,262.20	4,232.07
	इ. प्रावधान	1,020.19	1,053.22	2,909.62	1,282.94	1,160.18
	ई. चालू कर देयताएँ (निवल)	-	-	24.78	-	-
	कुल चालू देयताएँ (ग)	**10,890.63**	**9,760.22**	**9,758.06**	**8,305.84**	**8,068.23**
	कुल साम्या और देयताएँ (क+ख+ग)	**18,876.54**	**17,935.93**	**17,797.55**	**14,733.25**	**15,500.65**

सरकारी खजाने में योगदान (करोड़ रुपये में)

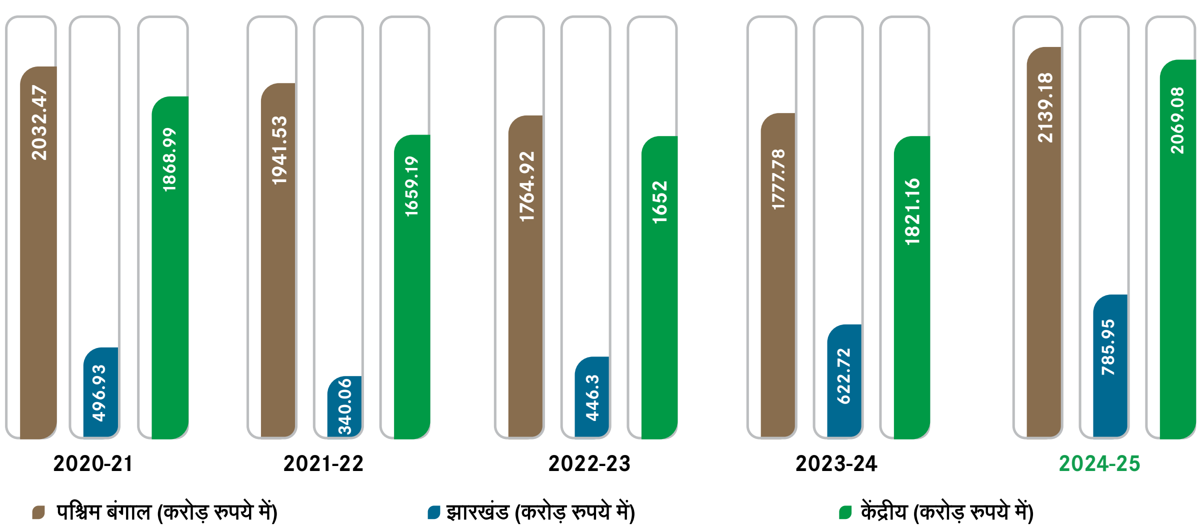

सकल बिक्री कारोबार (करोड़ रुपये में)

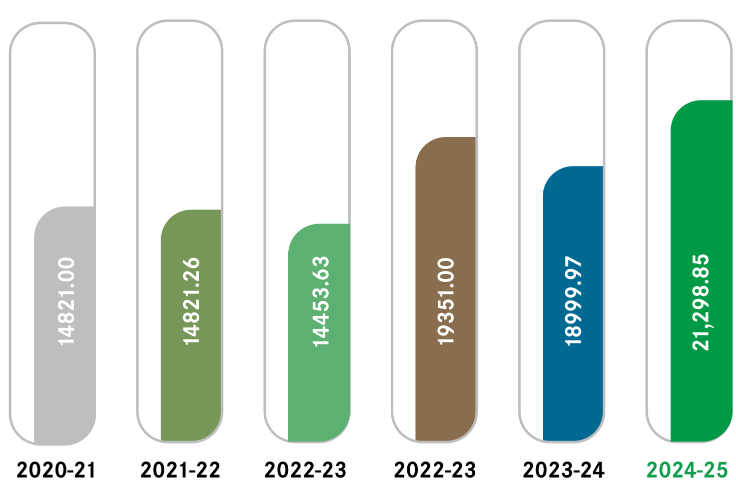

महत्वपूर्ण वित्तीय संसूचना

भारतीय लेखांकन मानक के पश्चात महत्वपूर्ण वित्तीय संसूचना :

(₹ करोड़ में)

क्रम	विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथा				
		2025	**2024**	**2023 (पुनःकथन)**	**2022**	**2021**
क	परिसम्पति एवं देयताएँ संबंधी					
1.i	प्रत्येक ₹1000/- के साम्या शेयरों की संख्या	4,26,94,200	4,26,94,200	4,26,94,200	4,26,94,200	2,21,84,500
1.ii	साम्या					
1.ii.a	साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	4,269.42	4,269.42	4,269.42	2,218.45
1.ii.b	अन्य साम्या	(1,168.95)	(1,291.78)	(1,449.17)	(2,455.71)	(1,329.63)
1.ii.c	साम्या (1.ii.अ + 1.ii.आ)	**3,100.47**	**2,977.64**	**2,820.25**	**1,813.71**	**888.82**
1.ii.d	आरक्षित पूँजी (बोनस शेयर के निर्गम रहित)	-	-	-	-	-
1.ii.e.	निवल मालियत (1.ii.इ - 1.ii.ई)	**3,100.47**	**2,977.64**	**2,820.25**	**1,813.71**	**888.82**
2.i	चालू परिपक्वता रहित दीर्घावधि उधार	146.34	150.09	155.94	151.04	2,091.68
2.ii	दीर्घावधि उधार की चालू परिपक्वता	8.13	7.90	7.79	7.18	6.95
2.iii.	चालू परिपक्वता सहित दीर्घावधि उधार (2.i. + 2.ii.)	154.47	157.99	163.73	158.22	2098.63
2.iv.	चालू परिपक्वता रहित अल्पावधि उधार	1,508.99	663.25	-	0.18	0.12
2.v.	कुल उधार (चालू परिपक्वता सहित) (2.iii.+2.iv.)	**1,663.46**	**821.24**	**163.73**	**158.40**	**2098.75**
3.i	सकल संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	11,136.37	9969.06	8,900.04	7,182.87	5,814.13
3.ii	संचित मूल्यह्रास/क्षति	4,626.79	3995.63	3,388.00	2,771.57	2,241.59
3.iii	निवल संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर (3.i. - 3.ii.)	6,509.58	5,973.43	5,512.04	4,411.30	3,572.54
3.iv.	निवल अन्य अचल परिसम्पति	1,896.99	1,574.99	1,285.65	1,096.15	1,245.52
3.v.	अन्य अप्रचलित परिसम्पति	3,523.25	3,294.02	2,852.48	2,548.82	1,973.24
3.vi.	चालू परिसम्पति	6,946.72	7,093.49	8,147.38	6,676.98	8,709.35
3.vii.	कुल परिसम्पति (3.iii. to 3.vi.)	**18,876.54**	**17,935.93**	**17,797.55**	**14,733.25**	**15,500.65**
3.viii.	चालू देयताएँ	10,890.63	9,760.22	9,758.06	8,305.84	8,068.23
3.ix.	प्रयुक्त पूँजी (3.vii - 3.viii.)	**7,985.91**	**8,175.71**	**8,039.49**	**6,427.41**	**7,432.42**
4.i	व्यवसाय प्राप्य	2,059.08	1,892.15	1,564.50	2,504.20	4,423.53
4.ii	नकदी एवं नकदी समतुल्य	208.15	119.12	532.11	882.47	945.16
4 iii	अन्य बैंक अतिशेष	1,079.15	1,798.65	3,439.35	997.56	566.50
5.i	कोयले का अंतिम स्टॉक (निवल)	1,050.43	808.09	313.76	339.63	622.73
5.ii	भण्डारों, पुर्जों एवं अन्य वस्तुसूचियों का अंतिम स्टॉक (निवल)	345.16	312.96	249.11	214.54	187.63
B	लाभ/(हानि) से संबंधित					
1.i	कर पूर्व लाभ	301.22	213.49	1,280.42	(1,437.37)	(907.26)
1.ii	करोपरांत लाभ/वर्ष के दौरान लाभ	204.49	251.59	892.80	(1,060.66)	(759.58)
1.iii	अन्य व्यापक आय	(81.66)	(94.20)	113.74	(65.42)	(234.48)
1.iv	कुल व्यापक आय (1.ii.+1.iii.)	122.83	157.39	1,006.54	(1,126.08)	(994.06)

क्रम	विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथा				
		2025	2024	2023 (पुनःकथन)	2022	2021
2.i	कोयले का सकल बिक्री	20,183.54	18,999.97	19,351.00	14,453.65	14,821.26
2.ii	निवल बिक्री	14,347.34	13,891.88	14,769.29	10,301.45	10,256.39
2.iii	अन्य परिचालनात्मक आय	743.20	667.26	485.19	449.30	461.76
2.iv	परिचालन से राजस्व (निवल) (2.ii.+2.iii.)	15,090.54	14,559.14	15,254.48	10,750.75	10,718.15
3.i.	जमाराशियों पर ब्याज व निवेश (ब्याज आय)	192.24	309.34	211.55	120.75	99.85
3.ii.	पारस्परिक निधियों से लाभांश	-	-	-	-	-
3.iii.	अन्य अपरिचालनात्मक आय	468.12	330.21	344.75	97.35	286.03
3.iv.	कुल अन्य आय (3.i.+3.ii.+3.iii.)	660.36	639.55	556.30	218.10	385.88
3	कुल आय (2.iv.+3.iv.)	15,750.90	15,198.69	15,810.78	10,968.85	11,104.03
4	कुल व्यय	15,449.68	14,985.20	14,530.36	12,406.22	12,011.29
4.i	कर्मी प्रसुविधा व्यय	9,553.84	10,094.02	9,927.37	7,983.79	7,788.30
4.ii	उपभुक्त सामग्री लागत	1,048.42	1,000.35	1,086.24	781.36	720.07
4.iii	विद्युत शक्ति व्यय	436.30	433.63	425.44	434.92	431.19
4.iv	वित्त लागत	142.32	121.13	64.85	163.66	193.80
4.v	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	734.90	700.17	628.35	529.70	494.18
4.vi.	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	4.41	7.33	6.92	13.86	11.56
4.vii.	विपट्टन गतिविधि समायोजन	(606.62)	-590.27	-351.91	(153.57)	1.27
4.viii.	प्रावधानित और बट्टा खाते	14.16	140.09	4.11	12.11	27.56
5	विक्रीत मालों की लागत (4 - 4.iv.-4.vi.-4.vii.-4.viii.)	15,895.41	15,306.92	14,806.39	12,370.16	11,777.10
6	ईबीआईटी (1.ii.+ 4.iv.-3.i.)	251.30	25.28	1,133.72	(1,394.46)	(813.31)
7	ईबीआईटीडीए (6+4.v.)	986.20	725.45	1,762.07	(864.76)	(319.13)
8	मूल्य योजित (1.ii.+4.iv.+4.v.+ 4.i.)	10,732.28	11,128.81	11,900.99	7,239.78	7,569.02

महत्वपूर्ण वित्तीय संबंधी अनुपात

क्रम	विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथा				
		2025	2024	2023	2022	2021
1	कर्ज साम्या अनुपात					
1.i	कुल कर्ज में साम्या	0.54	0.28	0.06	0.09	2.36
1.ii	दीर्घावधि कर्ज में साम्या	0.05	0.05	0.06	0.09	2.36
2	चालू अनुपात	0.64	0.73	0.83	0.80	1.08
3	औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ	6.73%	8.68%	38.53%	-78.49%	-54.81%
4	औसत प्रयुक्त पूँजी पर प्रतिलाभ	3.11%	0.31%	15.67%	-20.12%	-10.79%
5	सकल बिक्री (यथा माहों की संख्या) देनदार आवर्त अनुपात	1.17	1.09	1.26	2.88	3.13
6	विक्रीत मालों की लागत का (यथा माहों की संख्या) वस्तुसूची आवर्त अनुपात	0.70	0.44	0.26	0.47	0.48
7	निवल बिक्री पर मूल्यह्रास, ब्याज व कर-पूर्व अर्जन मार्जिन	6.87%	5.22%	11.93%	-8.39%	-3.11%
8	निवल बिक्री पर निवल लाभ मार्जिन	1.43%	1.81%	6.04%	-10.30%	-7.41%
9	प्रति शेयर अर्जन (₹)	47.90	58.93	209.12	-415.52	-397.86
10	प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	726.20	697.43	660.57	424.81	400.65

सूत्र :

1) मूल्य योजित = कर-पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति + कर्मी प्रसुविधा व्यय

2) साम्या = साम्या शेयर पूँजी + अन्य साम्या

3) कुल कर्ज में साम्या = उधार / साम्या

4) दीर्घावधि कर्ज में साम्या = (दीर्घावधि उधार + दीर्घावधि का चालू परिपक्वता) / साम्या

5) चालू अनुपात = चालू परिसम्पति / चालू देयताएँ

6) निवल मालियत पर प्रतिलाभ (%) = कर-पश्चात लाभ (वर्ष के दौरान लाभ) / औसत निवल मालियत

7) प्रयुक्त पूँजी = कुल परिसम्पति – चालू देयताएँ

8) ब्याज व कर पूर्व अर्जन (ईबीआईटी) = कर-पूर्व लाभ + वित्त लागत – ब्याज आय

9) औसत प्रयुक्त पूँजी पर प्रतिलाभ = ईबीआईटी / औसत प्रयुक्त पूँजी

10) देनदार आवर्त अनुपात = औसत देनदार (प्रावधानित का निवल) / सकल बिक्री * 12

11) विक्रीत मालों की लागत = (कुल व्यय – वित्त लागत – बट्टा खाते – प्रावधानित – सीएसआर – विपट्टन गतिविधि समायोजन)

12) वस्तुसूचि आवर्त अनुपात = कोयले की औसत वस्तुसूची / विक्रीत मालों की लागत * 12

13) ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति पूर्व अर्जन) = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति – ब्याज आय

14) ईबीआईटीडीए मार्जिन = ईबीआईटीडीए / निवल बिक्री

15) प्रति शेयर अर्जन = (कर-पूर्व लाभ (वर्ष के दौरान लाभ) – अधिमान लाभांश) साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या

16) प्रति शेयर बहि मूल्य = साम्या / साम्या शेयरों की संख्या

कर के बाद लाभ (करोड़ रुपये में)

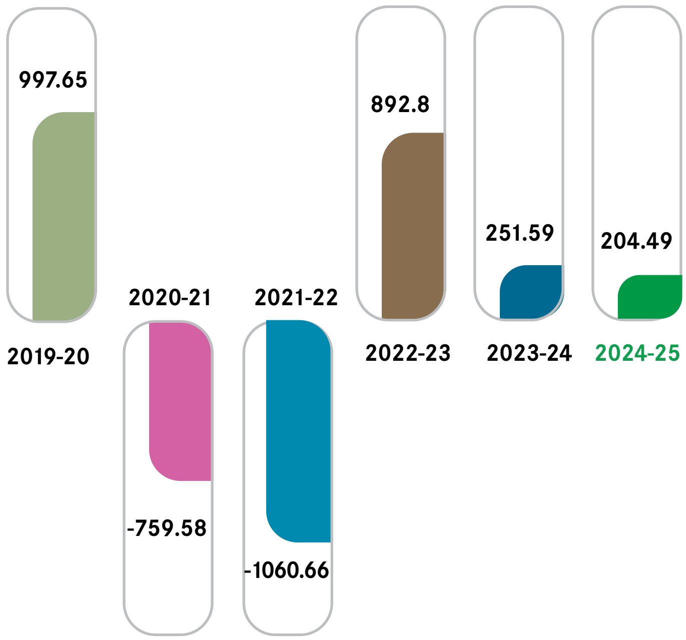

निवल मूल्य (करोड़ रुपये में)

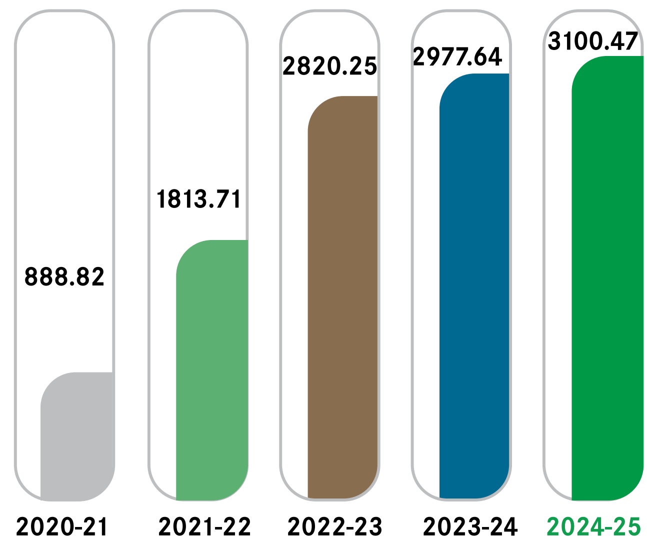

कैपेक्स (करोड़ रुपये में)

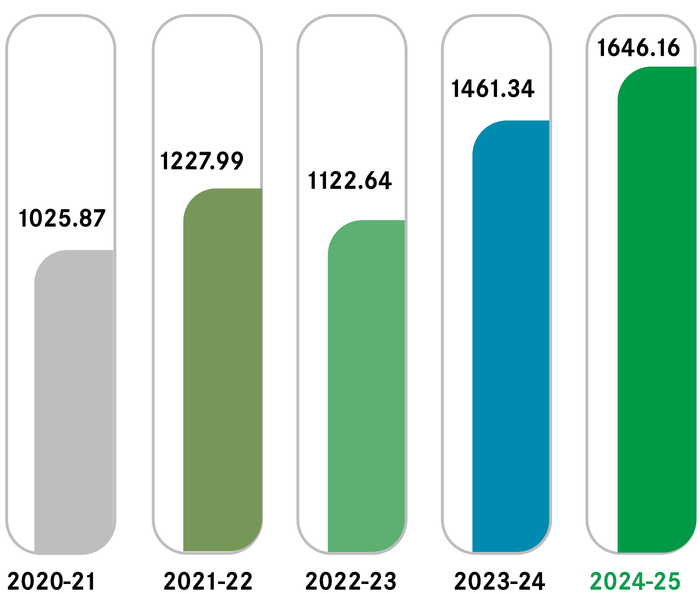

निदेशक मण्डल की पृष्ठभूमि

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री सतीश झा
(डीआईएन -10299809)

श्री सतीश झा (57 वर्ष) (डीआईएन -10299809) ने 19.12.2024 से ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले, वे सीएमपीडीआईएल में निदेशक (तकनीकी/इंजीनियरिंग सेवाएँ) के पद पर कार्यरत थे और 14.12.2024 तक सीसीएल में निदेशक (तकनीकी) पी एंड पी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।

श्री झा एक अत्यंत कुशल खनन पेशेवर हैं, जिन्हें बड़े यंत्रीकृत भूमिगत और ओपनकास्ट खनन कार्यों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से बी.ई. (खनन), आईएसएम धनबाद से औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन में एम.टेक और I2P2M से प्रमाणित परियोजना प्रबंधक की डिग्री प्राप्त की है और वर्तमान में आईआईटी बीएचयू से खान नियोजन में पीएचडी कर रहे हैं। उनकी योग्यताओं में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का योग्यता प्रमाणपत्र (DGMS) और एमआरएस, धनबाद से बचाव प्रशिक्षण भी शामिल है। श्री झा के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में जापान में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण (2004), कर्टिन विश्वविद्यालय, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में "सिंगरौली कोलफील्ड्स का सतत विकास बनाम खनन उपकरण चयन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रबंधन" पर एक पेपर प्रस्तुत करना (2019)

श्री झा ने सीएमपीडीआईएल, सीसीएल, एनसीएल और एसईसीएल में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं। सीएमपीडीआईएल में, उन्होंने कोयला क्षेत्र और राष्ट्रीय मास्टर प्लान में पीएम गतिशक्ति पोर्टल के उपयोग को सक्षम बनाने, कोयला उद्योग के लिए 5जी रोलआउट और उपयोग के मामलों को सक्षम बनाने, 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस, और "कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास" पर हैकाथॉन (2023) का आयोजन जैसी पहलों का बीड़ा उठाया। उन्होंने प्रशासनिक डैशबोर्ड विकसित करने और सीएमएसएमएस पोर्टल तथा "खनन प्रहरी" ऐप के उन्नयन में भी सहायता की। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न सहायक कंपनियों की एफएमसी परियोजनाओं के "गुणवत्ता" ऑडिट की प्रणाली भी शुरू की। उन्होंने राजस्थान राज्य में रेत पुनःपूर्ति अध्ययन भी किए और सीआईएल की सहायक कंपनियों में सौर परियोजनाओं के लिए पीएमसी करने हेतु सीएमपीडीआईएल का सक्रिय नेतृत्व किया।

सीसीएल में निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) के रूप में, उन्होंने कोटरे बसंतपुर (5 मिलियन टन प्रति वर्ष) परियोजना के लिए चरण II वन मंजूरी और कारो ओसी, केदला ओसी, रजरप्पा ओसी तथा मगध (20 मिलियन टन प्रति वर्ष) और चंद्रगुप्त (15 मिलियन टन प्रति वर्ष) परियोजनाओं के लिए चरण I मंजूरी प्राप्त की। चंद्रगुप्त ओसी खदान के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने संघमित्रा (20 मिलियन टन प्रति वर्ष) के लिए एमडीओ निविदा को अंतिम रूप देने के साथ-साथ 4 परियोजनाओं (21.75 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि) के लिए पर्यावरण मंजूरी भी प्राप्त की।

एनसीएल में, उन्होंने 2008 और 2010 में निगाही गाँव के सफल पुनर्वास जैसी परियोजनाओं का नेतृत्व किया, निगाही और अमलोहरी खदान के बीच बैरियर कोयला निष्कर्षण की योजना बनाई और उसे लागू किया, जो सीआईएल में पहला था और इसके लिए उन्हें एनसीएल प्रबंधन द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्होंने आईआईटी बीएचयू के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को क्रियान्वित करने और आईआईटी बीएचयू में नवाचार सह ऊष्मायन केंद्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे नोडल अधिकारी के रूप में 4 एनसीएल परियोजनाओं में 17 उपयोग मामलों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन से जुड़े थे। उन्होंने 23 वर्षों के अंतराल के बाद 36 हेक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो दुधिचुआ परियोजना के विकास में एक बड़ी बाधा थी, यह उनके सामुदायिक आउटरीच कौशल का प्रदर्शन था। श्री झा ने दुधिचुआ में एकीकृत "इन-पिट मोबाइल क्रशर-सह-कन्वेइंग सिस्टम" की भी शुरुआत की। एनसीएल अमलोहरी परियोजना में, उन्होंने रणनीतिक योजना के माध्यम से तीन वर्षों के अंतराल के बाद 2021-22 और 2022-23 में एपी लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दिया। उन्होंने अमलोहरी साइडिंग में रैपिड लोडिंग सिस्टम (आरएलएस 4एमटीवाई क्षमता)

की शुरुआत की और "वेस्ट टू वेल्थ" मिशन के अंतर्गत व्यवसाय विविधीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई - "ओबी टू एम-सैंड प्लांट" की स्थापना और कमीशनिंग। जीएम (कॉर्पोरेट प्लानिंग) के रूप में उनके नेतृत्व में, एनसीएल लगातार 7% सीएजीआर के साथ कुलीन "100 एमटीवाई क्लब" का सदस्य बन गया।

एसईसीएल में, श्री झा ने बिश्रामपुर क्षेत्र के कुम्दा में लांगवॉल खनन को सफलतापूर्वक शुरू किया और जटिल भूवैज्ञानिक स्थितियों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए 2003 में प्रतिष्ठित "एसईसीएल सम्मान" अर्जित किया।

श्री झा को प्राप्त पुरस्कारों में कोल इंडिया स्थापना दिवस (2019) पर "सर्वश्रेष्ठ महाप्रबंधक/एचओडी" पुरस्कार और उनके सामुदायिक आउटरीच प्रयासों के लिए अनेक सम्मान शामिल हैं। नवाचार, परिचालन उत्कृष्टता और सतत प्रथाओं के अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ, श्री सतीश झा भारत के कोयला खनन क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी नेता बने हुए हैं।

उनके नेतृत्व में, ईसीएल कंपनी में प्रत्यक्ष रोजगार के प्रावधान के बिना एकमुश्त (ओटीएल) राशि का भुगतान करके भूमि पर कब्जा लेने की एक नई नीति तैयार करने में सफल रही है। इस नई नीति का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण मुआवजा ढांचे में सुधार करना है। इस पहल के तहत, पारंपरिक रोजगार-आधारित मुआवजा मॉडल के स्थान पर भूमि मालिकों को एकमुश्त एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे का विकल्प दिया जाएगा।

भारतीय कोयला एवं खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, श्री झा को 8 जनवरी, 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित एवं सतत खनन प्रौद्योगिकी सम्मेलन (IConSSMT 2025) में खनन नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ओडिशा के माननीय वाणिज्य, परिवहन, इस्पात एवं खनन मंत्री श्री बी.बी. जेना द्वारा प्रदान किया गया।

कार्यात्मक निदेशक

मो. अंज़ार आलम
(डीआईएन-09743117)

मो. अंज़ार आलम (56 वर्ष) (डीआईएन-09743117) ने 15.09.2022 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार संभाला।

श्री आलम ने 1991 में बीआईटी, सिंदरी से बीटेक (मैकेनिकल) किया था, इसके बाद 2005 में पांडिचेरी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रतिष्ठित पीजीपीईएक्स एक वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए कार्यक्रम के तहत 2007 में आईआईएम कोलकाता से वित्त में विशेषज्ञता वाले प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया था।

ईसीएल में शामिल होने से पहले, श्री आलम आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड) में काम कर रहे थे - एक नवरत्न पीएसयू, जहाँ उन्होंने 1991 में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया और वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षा, आईटी, परियोजना प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षम में काम करने का 31 वर्षों का लंबा और विविध अनुभव है।

प्रबंधन की डिग्री पूरी करने के बाद, श्री आलम को आरआईएनएल के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष सलाहकार के रूप में चुना गया था और उन्हें व्यापार विकास, रणनीतिक गठबंधन और दुनिया भर में कोयला, लौह अयस्क और उच्च श्रेणी के चूना पत्थर संसाधनों की खोज का काम सौंपा गया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोयला उपक्रमों (आईसीवीएल) के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वैश्विक कोयला खनन परियोजनाओं / संसाधनों का वित्तीय मूल्यांकन किया। उन्होंने आरआईएनएल के लिए बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के सफल अधिग्रहण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके अलावा, चेन्नई में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) और क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक (दक्षिण) के रूप में, उन्होंने लगभग ₹3000 करोड़ प्रति वर्ष के कारोबार वाली 4 क्षेत्रीय शाखाओं

के वित्तीय कार्यों का प्रबंधन किया और बिक्री, ग्राहक संतुष्टि और अनुभव में सुधार के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की। श्री आलम ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) जैसे देशों का भी दौरा किया है। उन्होंने उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं के संबंध में पूंजीगत व्यय के मूल्यांकन हेतु मेट्रिक्स विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कोलोराडो, अमेरिका में लेवल 3 कम्युनिकेशंस में एक प्रशिक्षु के रूप में भी काम किया।

ईसीएल के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, श्री आलम को टीम में उनकी गतिशीलता और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, वे सभी स्तरों पर दक्षता हासिल कर सकते हैं। उनके सक्षम नेतृत्व और मूल्य समर्थन के तहत, ईसीएल ने सभी स्तरों पर अपनी सभी तिमाही प्रस्तुत की। उनके सक्षम नेतृत्व और मूल्यवान समर्थन के तहत, ईसीएल ने नियत तिथि से पहले अपने सभी तिमाही खाते जमा किए और 2023-24 के लिए छमाही वित्तीय विवरणी समय पर प्रस्तुत करने की मान्यता में सीआईएल से दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने ईआरपी एसएपी में लागत पत्र की निर्मिति के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूँजीगत व्यय प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया जिसने सीआईएल और मंत्रालय को सटीक पूँजीगत प्रतिवेदन प्रदान की है। वह कंपनी में डिजिटल पहल का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे संगठन में ई-ऑफिस को लोकप्रिय बनाने, वेतन पत्रक प्रक्रमण के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन भुगतान इंटरफेस, कोयला ग्राहकों के लिए ऑनलाइन कागजरहित वापसी प्रक्रमण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राजकोष प्रबंधन पर अपने मजबूत कौशल के साथ, ईसीएल कंपनी के 47000 कर्मचारियों को आसानी से ₹2300 करोड़ (लगभग) के लिए एनसीडब्ल्यूए-XI बकाया राशि का संदाय कर सकती है।

समाज में प्रौद्योगिकी परिवर्तन का गहन पालन, निगमित सुशासन, व्यक्तिगत वित्त और धन प्रबंधन पर सलाह देना, शतरंज खेलना आदि उनकी रुचि के क्षेत्र हैं।

श्री नीलाद्रि रॉय
(डीआईएन-10055093)

श्री नीलाद्रि रॉय (59 वर्ष) (डीआईएन-10055093) ने दिनांक 01.02.2023 से निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण किया है। श्री रॉय ने वर्ष 1987 में आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग (बीटेक) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1990 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणन प्राप्त किया।

वह 1987 में बीसीसीएल में कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए। श्री रॉय ने बीसीसीएल में 2004 तक विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएं दीं। बीसीसीएल की विभिन्न इकाइयों में सुरक्षा अधिकारी, कोलियरी प्रबंधक। बीसीसीएल में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शाफ्ट माइन, सुदामडीह नामक एक परियोजना में 15 से अधिक वर्षों तक काम किया था, जिसे इसके प्रतिकूल भू-खनन स्थिति के कारण दुनिया की सबसे कठिन खदानों में से एक माना जाता था। इसके बाद, मुख्य खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति पर, उन्हें जनवरी, 2004 में ईसीएल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएं दीं। मुग्मा क्षेत्र में परियोजना अधिकारी और उसके बाद वे ईसीएल मुख्यालय में कॉर्पोरेट ऑफिस में शामिल हुए। उन्होंने 2008 से 2022 तक ईसीएल के सीएमडी के महाप्रबंधक (तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं) / टीएस के रूप में कार्य किया। ईसीएल में निदेशक (तकनीकी) परिचालन के रूप में शामिल होने से पहले उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक (उत्पादन) के पद पर पदोन्नत किया गया था। उन्होंने डीएमटी द्वारा शुरू की गई एक परियोजना के सिलसिले में जुलाई, 2009 में जर्मनी का दौरा किया। उन्हें सितंबर, 2011 में इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित विश्व खनन कांग्रेस में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया था। उन्होंने सरकारी प्रतिनिधिमंडल के एक भाग के रूप में जून, 2015 में पोलैंड में सीआईएल का प्रतिनिधित्व किया। वे जुलाई, 2016 में सीआईएल प्रतिनिधिमंडल के साथ ऑस्ट्रेलिया गए। उन्होंने जून, 2019 के दौरान क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक विदेशी घटक के साथ आईआईसीएम द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने सीआईएल प्रतिनिधि के रूप में 31.10.2023 से 02.11.2023 तक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित खनन प्रदर्शनी और सम्मेलन “आईएमएआरसी 2023” में भी भाग लिया।

श्री गुंजन कुमार सिन्हा
(डीआईएन-10933783)

श्री गुंजन कुमार सिन्हा (56 वर्ष) (डीआईएन-10933783) ने 15 जनवरी, 2025 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में पदभार ग्रहण किया। तीन दशकों से अधिक की अपनी पेशेवर यात्रा में, उन्होंने कई भूमिकाओं में उत्कृष्टता हासिल की है और मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में चुनौतियों और जटिलताओं को नेविगेट करने का अपार अनुभव है।

श्री गुंजन कुमार सिन्हा की प्रेरणादायक यात्रा जुलाई 1994 में शुरू हुई जब वे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनियों में से एक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कल्याण अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए।

श्री सिन्हा को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न कोयला खदानों में कार्मिक एवं प्रशासन (पीएंडए) विभाग का 16 वर्षों तक अत्यंत समर्पण भाव से नेतृत्व करने का अनुभव है। इसके बाद सीसीएल के सतर्कता विभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए, उन्होंने सात वर्षों तक अनुशासनात्मक कार्रवाइयों और कानूनी मामलों का प्रबंधन किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सहायक कंपनी के भूमि एवं राजस्व अनुभाग के विधि प्रभाग में भी अपना योगदान दिया।

जनवरी 2022 में, श्री सिन्हा ने सीआईएल में भर्ती प्रभाग के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया और कार्यपालकों की भर्ती का प्रबंधन किया। मई 2024 में, उन्हें सीआईएल के मानव संसाधन विकास प्रभाग के प्रमुख के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे सीआईएल में प्रतिभा विकास और मानव पूंजी को मजबूत बनाने में मदद मिली।

उनकी शैक्षणिक योग्यताओं में रांची स्थित जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (XISS) से कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि और नई दिल्ली स्थित इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (आईएसटीडी) से प्रशिक्षण एवं विकास में डिप्लोमा शामिल है। श्री सिन्हा ने अपने नेतृत्व और प्रबंधन कौशल को विकसित करने के लिए ईएससीपी बिजनेस स्कूल, पेरिस से उन्नत प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।

कोल इंडिया लिमिटेड में तीन दशकों से अधिक समय तक उनके समृद्ध और विविध व्यावसायिक अनुभव और प्रदर्शन-प्रेरित मानव संसाधन पेशेवर के रूप में उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, ईसीएल को उनके सक्षम नेतृत्व में विकास के नए पथ पर अग्रसर होने और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का विश्वास है।

श्री गिरीश गोपीनाथन नायर
(डीआईएन-11048795)

श्री गिरीश गोपीनाथन नायर (58 वर्ष) (डीआईएन-11048795) ने 25 मार्च, 2025 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया।

वे कोयला खनन उद्योग में एक कुशल पेशेवर हैं और विभिन्न पदों पर 34 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में बी.टेक. की डिग्री प्राप्त की है और 1997 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

वह कोल इंडिया प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जिसने 2019 में अबू धाबी में विश्व ऊर्जा कांग्रेस और 2024 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में अफ्रीकी खनन इंदाबा में भाग लिया था।

वे 1990 में एसईसीएल के बिश्रामपुर क्षेत्र में कार्यरत हुए और शुरुआत में जयनगर 3 और 4 इंक्लाइन में और बाद में बिश्रामपुर ओसीएम में तैनात रहे। 2013-2014 में पदोन्नति पर बीसीसीएल धनबाद स्थानांतरित होने से पहले उन्होंने एसईसीएल में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उसके बाद उन्होंने बीसीसीएल में महाप्रबंधक (आईईडी), महाप्रबंधक (सीएमसी), महाप्रबंधक (जेएमपी) और निदेशक (तकनीकी) संचालन, बीसीसीएल के टीएस सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह दिसंबर, 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय में शामिल हुए और जीएम (सीएमसी), सीआईएल और कार्यकारी निदेशक (अनुबंध), कोल इंडिया लिमिटेड के रूप में कार्य किया।

श्री नायर की व्यावसायिक उपलब्धियों में कुसुंडा परियोजना की परिचालन दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। 2000 से 2009 के बीच, उन्होंने कोयला उत्पादन में 7.46% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) और कोयला प्रेषण में 4.95% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल करने में योगदान दिया। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान, परियोजना ने अब तक का अपना सर्वोच्च कोयला उत्पादन और ओवर-ऑब निष्कासन दर्ज किया और चिरिमिरी के लिए 989.40 हेक्टेयर वन भूमि अधिग्रहण हेतु चरण-II की मंजूरी प्राप्त की। कोरोना महामारी के चरम काल के दौरान, बीसीसीएल की क्षमता वृद्धि के लिए रिकॉर्ड संख्या में ठेके देने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो श्री नायर के नेतृत्व वाली टीम की एक असाधारण उपलब्धि थी।

उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति और बीसीसीएल के मानदंडों के अनुसार झरिया मास्टर प्लान के तहत कानूनी स्वामित्व धारकों (एलटीएच) के साथ सीधे लेन-देन करने के लिए क्षेत्रों को सक्षम करने वाली प्रक्रिया को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे खनन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था ताकि कंपनी अपने उत्पादन और जोखिम न्यूनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, जहां यह एक रणनीतिक निर्णय था क्योंकि बीसीसीएल को किसी भी मामले में खनन के उद्देश्य से एलटीएच से भूमि खरीदने की आवश्यकता थी।

कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमसी प्रभाग के प्रमुख के रूप में, उन्होंने GePNIC पोर्टल से GeM पोर्टल पर सेवाओं की खरीद का सुचारू संक्रमण और विभिन्न मॉडल निविदा दस्तावेजों (MDO, MDO राजस्व साझाकरण, हाई वॉल आदि) के अनुमोदन और अनुबंध प्रबंधन नियमावली में संशोधन सुनिश्चित किया है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए, इस आधार पर सहायक कंपनियों द्वारा कुल 14 MDO अनुबंध और 25 MDO राजस्व साझाकरण अनुबंध प्रदान किए गए। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड क्रमशः केंद्रीय मंत्रालयों और CPSEs में GeM पोर्टल से शीर्ष खरीदार हैं।

निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना के रूप में श्री नायर नीतिगत मामलों, सामग्री खरीद, अनुबंधों को अंतिम रूप देने आदि के संबंध में बोर्ड स्तर पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, कंपनी के परियोजना एवं योजना प्रभाग के प्रमुख के रूप में, वह ईसीएल के आठ विभागों अर्थात परियोजना एवं योजना, सिविल, अनुबंध प्रबंधन प्रकोष्ठ, एलआरई (भूमि, राजस्व, संपदा), पर्यावरण एवं वन, औद्योगिक इंजीनियरिंग, नए कोयला ब्लॉक और भूविज्ञान, खदान बंद करने की योजना (एमसीपी), भू-तकनीकी और नई पहल को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं।

उन्होंने ईसीएल में छह (06) कोयला उत्पादक क्षेत्रों के मालिक को भी नामित किया है और ईसीएल के छह (06) कोयला उत्पादक क्षेत्रों अर्थात केंदा क्षेत्र, कुनुस्तोरिया क्षेत्र, पांडवेश्वर क्षेत्र, झांझरा क्षेत्र, बंकोला क्षेत्र और सोनेपुर बाजारी क्षेत्र की विभिन्न संचालित खदानों के निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड में उनके लगभग 34 वर्षों के विशाल अनुभव से निश्चित रूप से न केवल ईसीएल बल्कि पूरे कोयला उद्योग को लाभ होगा।

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री मुकेश अग्रवाल
(डीआईएन-10199741)

श्री मुकेश अग्रवाल ने 8 फ़रवरी 2024 को कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया। वे कॉर्पोरेट वित्त, रणनीतिक योजना और वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में तीन दशकों से भी अधिक के शानदार करियर का अनुभव लेकर आए हैं। एक अनुभवी वित्त पेशेवर, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, श्री मुकेश अग्रवाल अपने मूल क्षेत्र में विश्लेषणात्मक दक्षता के साथ गहन कार्यात्मक विशेषज्ञता का समन्वय करते हैं। उनकी योग्यताओं ने उन्हें दूरसंचार, अवसंरचना, खनन और विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्रों में वित्तीय कार्यों का नेतृत्व और रूपांतरण करने में सक्षम बनाया है।

कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी नियुक्ति से पहले, श्री मुकेश अग्रवाल कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न उद्यम, एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) में कार्यकारी निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने संगठन के वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ बनाने, वित्तीय समेकन, डिजिटल परिवर्तन और नीति अनुकूलन की पहलों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर संयुक्त उद्यम, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) में मुख्य वित्तीय अधिकारी का पद भी संभाला, जहाँ उन्होंने महत्वपूर्ण वित्तीय संचालन और परियोजना वित्त मामलों की सटीकता और रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ देखरेख की।

श्री मुकेश अग्रवाल की प्रमुख दक्षताओं में वित्तीय क्षेत्रों का एक विस्तृत दायरा शामिल है—कॉर्पोरेट लेखांकन, लागत नियंत्रण, कोषागार और निधि प्रबंधन, कराधान, बजट और पूर्वानुमान, वैधानिक अनुपालन, वित्तीय संचालनों का डिजिटलीकरण और उद्यम जोखिम प्रबंधन। उन्होंने उद्यम-व्यापी ईआरपी एकीकरण का नेतृत्व किया है और तकनीक-सक्षम वित्तीय पारदर्शिता और रीयल-टाइम रिपोर्टिंग की दिशा में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विचारक, श्री मुकेश अग्रवाल परिचालन संबंधी बारीकियों को व्यापक नीतिगत सोच के साथ मिलाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। परियोजना प्रबंधन और वित्तपोषण के अलावा, उन्होंने योजनाओं को आकार देने, मूल्य निर्धारण और नियामक ढाँचे तैयार करने और राष्ट्रीय ऊर्जा एवं अवसंरचना लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय संसाधनों के अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डॉ. चेतना शुक्ला

डॉ. चेतना शुक्ला (45 वर्ष) 25.07.2025 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की उप महानिदेशक डॉ. शुक्ला, एम.एससी. (सांख्यिकी) के साथ स्नातकोत्तर हैं और सांख्यिकी में डॉक्टरेट की उपाधि भी रखती हैं। वह 2004 बैच की भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) की अधिकारी हैं। वह जुलाई, 2025 से भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले, उन्होंने 2021-2025 तक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) में उप महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। उनके पास 21 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

स्वतंत्र निदेशक

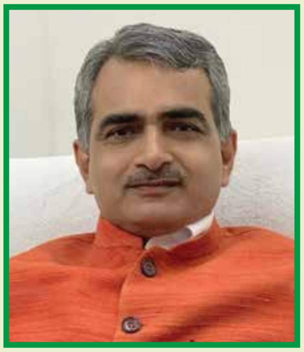

श्री शिव नारायण पांडे
(डीआईएन -09413672)

श्री शिव नारायण पांडे (64 वर्ष) (डीआईएन -09413672) का जन्म वर्ष 1962 में जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ था। बी.एससी. की डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने एलएलबी किया और एक प्रैक्टिसिंग वकील भी हैं। वे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं और शासकीय महाविद्यालय (विधि संकाय) में मानद व्याख्याता भी हैं।

उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुशासन समिति में नामित किया गया था। उन्हें विधि, वित्त, प्रबंधन, बिक्री, विपणन, प्रशासन, अनुसंधान, कॉर्पोरेट प्रशासन, तकनीकी संचालन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है।

वर्तमान में वे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में 01.11.2021 से 31.10.2024 तक एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और 28.03.2025 से पुनः नियुक्त किए गए हैं।

मुख्य सतर्कता अधिकारी

सुश्री दीप्ति पटेल

सुश्री दीप्ति पटेल ने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का पदभार ग्रहण कर लिया है।

सुश्री पटेल, भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसएसई -2010) की अधिकारी हैं और उन्होंने जेईसी, जबलपुर (म.प्र.) से इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। सुश्री पटेल ने भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक
(एसीएस-55637)

श्री रामबाबू पाठक (एसीएस-55637) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कंपनी सचिव हैं।

उन्होंने वर्ष 2008 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बी.कॉम. (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की। वे द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के एसोसिएट सदस्य हैं और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के भी एसोसिएट सदस्य हैं। श्री पाठक ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आईएमटी) गाजियाबाद से मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएचआरएम) भी प्राप्त किया है। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ से सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम (जीएमपी) भी पूरा किया है। श्री पाठक अप्रैल 2016 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा आयोजित दुबई ग्लोबल कन्वेंशन 2016-लीडरशिप फॉर बिज़नेस एक्सीलेंस एंड इनोवेशन में सीआईएल प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। उन्होंने सितंबर, 2022 में आईआईएम, नागपुर में ईएसजी पर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। 1 नवंबर, 2021 को सीआईएल स्थापना दिवस के अवसर पर, उन्हें सीआईएल तत्कालीन के अध्यक्ष, आईएएस, श्री प्रमोद अग्रवाल द्वारा ईसीएल के सर्वश्रेष्ठ विभागाध्यक्ष का पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में वे एनआईटी राउरकेला से "ईएसजी-पर्यावरण, सामाजिक और शासन" विषय पर पीएचडी कर रहे हैं।

वे वर्ष 2010 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्रबंधन प्रशिक्षु (वित्त) के रूप में शामिल हुए। तब से वे कंपनी सचिवालय में कार्यरत हैं और वर्तमान में वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/ कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

श्री पाठक आईसीएआई और आईसीएसआई जैसे पेशेवर निकायों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आसनसोल चैप्टर के मानद प्रबंध समिति सदस्य हैं। वे ईसीएल, आईसीएआई, आईसीएमएआई और आईसीएसआई के मानव संसाधन विकास विभाग में नियमित संकाय सदस्य भी हैं।

पूर्व बोर्ड सदस्य

श्री समीरन दत्ता
(डीआईएन -08519303)

श्री समीरन दत्ता (59) (डीआईएन -08519303) 28.12.2023 से 18.12.2024 तक ECL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। वह 28 दिसंबर, 2021 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक भी हैं। श्री दत्ता भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के एसोसिएट सदस्य हैं। वह अगस्त, 1988 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद में कोयला उद्योग में शामिल हुए और फिर अप्रैल, 1990 में कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता में स्थानांतरित हो गए, जहाँ उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। जनवरी, 2018 में उन्हें महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर पदोन्नत किया गया। श्री दत्ता ने बीसीसीएल में निदेशक (वित्त) का पदभार संभाला। 18 जुलाई, 2019 को उन्हें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सैंक्टोरिया में निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।

उन्हें 1 जुलाई, 2021 से 27 दिसंबर, 2021 तक कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। उन्होंने फरवरी, 2022 से अप्रैल, 2022 तक की संक्षिप्त अवधि के लिए सीएमपीएफओ के आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। कोयला उद्योग में उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए, श्री दत्ता को 28 दिसंबर, 2021 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है।

श्री निलेन्दु कुमार सिंह
(डीआईएन-09847503)

श्री निलेन्दु कुमार सिंह (56 वर्ष) (डीआईएन -09847503) ने 09.12.2022 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना का पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री सिंह ने वर्ष 1989 में आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से खनन इंजीनियरिंग (बी.टेक) में स्नातक किया और वर्ष 1994 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणन प्राप्त किया।

वे 1989 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए। श्री सिंह ने 2011 तक सीसीएल में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दीं, जैसे पिपरवार, अशोका, उरीमारी और कल्याणी परियोजनाओं में खान प्रबंधक। इसके बाद, जनवरी, 2012 में उनका स्थानांतरण एसईसीएल में हो गया। एसईसीएल के दीपका एवं छाल परियोजना में उप क्षेत्र प्रबंधक (एजेंट) तथा दीपका क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र एवं रायगढ़ क्षेत्र में क्षेत्रीय महाप्रबंधक हैं। उनके पास बड़ी खुली खदानों में काम करने, एफएमसी परियोजनाओं को संभालने, साइडिंग शुरू करने, नई खनन तकनीकों को अपनाने और उच्चतम क्षमता वाले एचईएमएम अर्थात 42 एम3 शॉवेल, 240टी डंपर के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है। उन्हें सीसीएल की पिपरवार खुली खदान में व्हाइट इंडस्ट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएएल) के साथ एकीकृत सीएचपी एवं सीपीपी के साथ “इन-

पिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम" पर काम करने का भी अनुभव है। उन्नत खनन तकनीकों का अनुभव हासिल करने के लिए उन्होंने 1997 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी किया था। उन्हें खेलों और चित्रकला में गहरी रुचि है। उन्होंने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तर पर वॉलीबॉल का प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान में, वह 30.04.2024 से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती आहुति स्वैन
(डीआईएन-09817248)

श्रीमती आहुति स्वैन (60 वर्ष) (डीआईएन-09817248) ने 18.11.2022 से 30.08.2024 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) का कार्यभार संभाला।

श्रीमती स्वैन ने वर्ष 1987 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) से अपना कैरियर शुरू किया था और उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का 35 वर्षों से अधिक का व्यापक और विविध अनुभव है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में ट्रेड यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध प्रबंधित करने में उनकी विशेषज्ञता शामिल है। ईसीएल में शामिल होने से पहले, श्रीमती आहुति स्वैन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद में महाप्रबंधक (सीएसआर) के रूप में कार्यरत थीं, जहां उन्होंने कार्यकारी स्थापना, कल्याण, सीएसआर और पीएफ एवं पेंशन विभाग का भी नेतृत्व किया है। उन्होंने सीएसआर के तहत उस टीम का भी नेतृत्व किया जिसने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न समर्पित गतिविधियाँ संचालित कीं, जिसके लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को वर्ष 2020 में सीआईएल द्वारा सम्मानित किया गया था।

बीसीसीएल में अपनी नियुक्ति से पहले, श्रीमती आहुति स्वैन सीसीएल में कार्यरत थीं, जहाँ उन्होंने सीसीएल की विभिन्न इकाइयों और क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। सीसीएल में पायलट परियोजनाओं, यूपीआईएस (एकीकृत व्यक्तिगत सूचना प्रणाली) और एनईआईएस (गैर-कार्यकारी सूचना प्रणाली) के कार्यान्वयन में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

श्रीमती स्वैन एक्सआईएसएस, रांची से पीएम एंड आईआर में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने अन्नामलाई विश्वविद्यालय से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए भी किया है। वह इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा प्रदत्त 'प्रमाणित कॉर्पोरेट निदेशक' भी हैं। श्रीमती आहुति स्वैन विभिन्न सामाजिक गतिविधियों और अभियानों जैसे गो ग्रीन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि से भी जुड़ी हैं।

श्री शिव तपस्या पासवान
(डीआईएन-09414240)

श्री शिव तपस्या पासवान (57 वर्ष) (डीआईएन -09414240) का जन्म वर्ष 1969 में चंदौली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। विद्यापीठ से राजनीति विज्ञान में बी.ए. की डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक सेवाओं में भाग लिया। उन्हें समाज कल्याण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

उन्होंने 01.11.2021 से 31.10.2024 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है।

डॉ. माणिक चंद्र पंडित
(DIN- 10279620)

डॉ. माणिक चंद्र पंडित, आईईएस (49) (डीआईएन- 10279620) भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारी, निदेशक, कोयला मंत्रालय, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक थे। 19.07.2023 से 31.12.2024 तक।

डॉ. पंडित ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी.एससी. (कृषि) किया। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा से एम.एससी. (डेयरी) पूरा किया और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से कृषि अर्थशास्त्र में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एम.एससी. के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप में 5वां स्थान प्राप्त किया और पीएचडी के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संस्थान फेलोशिप प्रदान की गई। उन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) परीक्षा, 2006 में भी तीसरा स्थान प्राप्त किया।

उन्हें वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग; कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग जैसे विभिन्न विभागों में कार्य करने का अनुभव है; ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग; कोयला मंत्रालय। उन्होंने "लोक प्रशासन और आर्थिक विकास: सिंगापुर के अनुभव और भारत के लिए सबक" विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सिविल सेवा कॉलेज, सिंगापुर में अध्ययन किया। उन्होंने परियोजना मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन -2013 (PARM-2013) पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ड्यूक सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ड्यूक विश्वविद्यालय, उत्तरी कैरोलिना, अमेरिका का भी दौरा किया। उन्हें योग, बैडमिंटन और संगीत सुनने में गहरी रुचि है।

सुश्री संतोष
(डीआईएन-09519383)

सुश्री संतोष (49 वर्ष) (डीआईएन-09519383) ने 01.01.2025 से 16.07.2025 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक का पदभार संभाला।

सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने 22.02.2023 को सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और इससे पहले उन्होंने 22.02.2023 तक सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक का पदभार ग्रहण किया। सुश्री संतोष एम.एससी. (सांख्यिकी) के साथ स्नातकोत्तर हैं। वह 1999 बैच की भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) की अधिकारी हैं। दो साल की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद जुलाई, 2001 में वह तत्कालीन योजना आयोग, नीति आयोग में शामिल हुईं। 05.01.2021।

उनके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों जैसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी के व्यावसायिक संचालन पर **50वीं वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

1.0 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिचालनों की मुख्य विशेषताएं और प्रमुख उपलब्धियां:

क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 2024-25 में कंपनी की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक 52.035 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन देखा, जिसमें 9.41% की सकारात्मक वृद्धि हुई, जो सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है।

ख) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, ईसीएल ने 13.76% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है जो सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है।

ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, ईसीएल ने कंपनी की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक ओबी निष्कासन दर्ज किया है अर्थात 187.167 मिलियन क्यूबिक मीटर।

घ) कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को एक दिन में सर्वाधिक रेलवे रेक (68 रेक) लोडिंग हासिल की, जो 31 मार्च, 2024 को एक दिन में सर्वाधिक 65 रेक लोडिंग के रिकॉर्ड से आगे निकल गई।

ङ) 28 मार्च, 2025 को, कंपनी ने स्थापना के बाद से एक ही दिन में 2.88 एल. टी. कोयला उत्पादन हासिल किया है, जो 31 मार्च, 2024 को पहले के उच्चतम एकल दिवस उत्पादन 2.80 एल. टी. को पार कर गया है।

च) 6 मार्च 2025 को, कंपनी ने स्थापना के बाद से एक दिन में सबसे अधिक ओबी निष्कासन (7.08 एल. क्यूम.) हासिल किया है, जो 29 फरवरी, 2024 को पहले के उच्चतम एकल दिवस ओबी निष्कासन 6.81 एल. क्यूम. से आगे निकल गया है।

छ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2022-23 से लगातार 3 वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है।

ज) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नई दिल्ली में आयोजित 15वें इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी विज़न समिट में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के प्रति ईसीएल की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार द्वारा झांझरा सिंदूर पार्क का उद्घाटन

झ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को मुंबई में स्वर्ण श्रेणी में सील बिजनेस सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान स्थायी प्रथाओं, नवाचार और हमारे समुदाय व पृथ्वी पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव डालने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ञ) ईसीएल की दो (02) खदानों (झांझरा परियोजना कोलियरी और सोनपुर बाजारी ओसीपी) को 21.10.2024 को 2022-23 के लिए कोयला मंत्रालय से प्रतिष्ठित फाइव स्टार रेटिंग पुरस्कार प्राप्त हुआ।

ट) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को 1 नवंबर, 2024 को सीआईएल के 50वें स्थापना दिवस पर गुणवत्ता जागरूकता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ठ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड की पहली सहायक कंपनी है जिसने 1 जून, 2024 से डिजिटल बोर्ड सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर को अपनाया है, जिससे पूरी बोर्ड प्रक्रिया कागज रहित और डिजिटल हो गई है।

ड) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट सुरक्षा पुरस्कार 2024 में दूसरा पुरस्कार जीता।

ढ) ईसीएल बोर्ड द्वारा सोनपुर-बाजारी विस्तार ओसी के लिए 12.00 एमटीवाई से 14.00 एमटीवाई तक की खान योजना को 20.07.2024 को क्लस्टर संख्या 12 (कुल क्षमता: 31.83 एमटीवाई) के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया और इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी में भी संशोधन किया गया है।

2.0 संगठन

कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) की स्थापना 1 नवंबर, 1975 को कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड (सीएमएएल) के पूर्वी प्रभाग की 414 खदानों का अधिग्रहण करके की गई थी और उसी दिन से कंपनी ने अपना व्यावसायिक संचालन शुरू किया। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में संचालित है। इसके 13 परिचालन क्षेत्र हैं जिनमें 79 कार्यरत खदानें, 47 भूमिगत खदानें, 22 खुली खदानें और 10 मिश्रित

भारत सरकार के माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा ईसीएल में सिंदूर पार्क का उद्घाटन

खदानें हैं। 01.04.2024 तक, ईसीएल के पास अपने कमांड क्षेत्रों में लगभग 57.218 बिलियन टन कोयला भंडार है (पश्चिम बंगाल में 33.943 बिलियन टन और झारखंड में 23.275 बिलियन टन)।

3.0 पूंजी संरचना

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2024-25	2023-24
क. शेयर पूंजी:		
i) अधिकृत शेयर पूंजी (1,000 रुपये प्रति शेयर के 4,60,00,000 इक्विटी शेयर)	4600.00	4600.00
ii) चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (1,000 रुपये प्रति शेयर के 4,26,94,200 शेयर)	4269.42	4269.42
ख. ऋण निधि:		
i. निर्यात विकास निगम, कनाडा	154.47	157.99
ii. बैंक ओवरड्राफ्ट	0.42	663.25
iii. बैंकों से अन्य ऋण	1,508.57	शून्य

4.0 उत्पादन प्रदर्शन

विशिष्टियाँ	ईकाई	2024-25			2023-24	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
		लक्ष्य	वास्तविक	कार्य सिद्धि (%)	वास्तविक	आत्यंतिक	%
उत्पादन							
i) कच्चा कोयला							
-भूमिगत खान		10.500	8.475	80.711	9.183	-0.708	-7.710
-खुली खदान		43.500	43.560	100.138	38.377	5.183	13.505
कुल	मि.टन	54.000	52.035	96.360	47.560	4.475	9.409
ii) कोककर कोयला		0.017	0.017	100.00	0.012	0.005	41.667
iii) अकोककर		53.983	52.018	96.359	47.548	4.470	9.401
उपरि संस्तर हटाव	मि.घनमीटर	150.000	187.167	124.778	170.899	16.268	9.519
उत्पादकता (ओ.एम.एस.)							
- भूमिगत		1.116	0.942	84.385	0.950	-0.008	-0.842
- खुली खदान	टन	20.403	25.951	127.192	14.258	11.693	82.010
- समग्र		4.678	4.181	89.376	3.849	0.332	9.626

कोयला उत्पादन (एमटी)

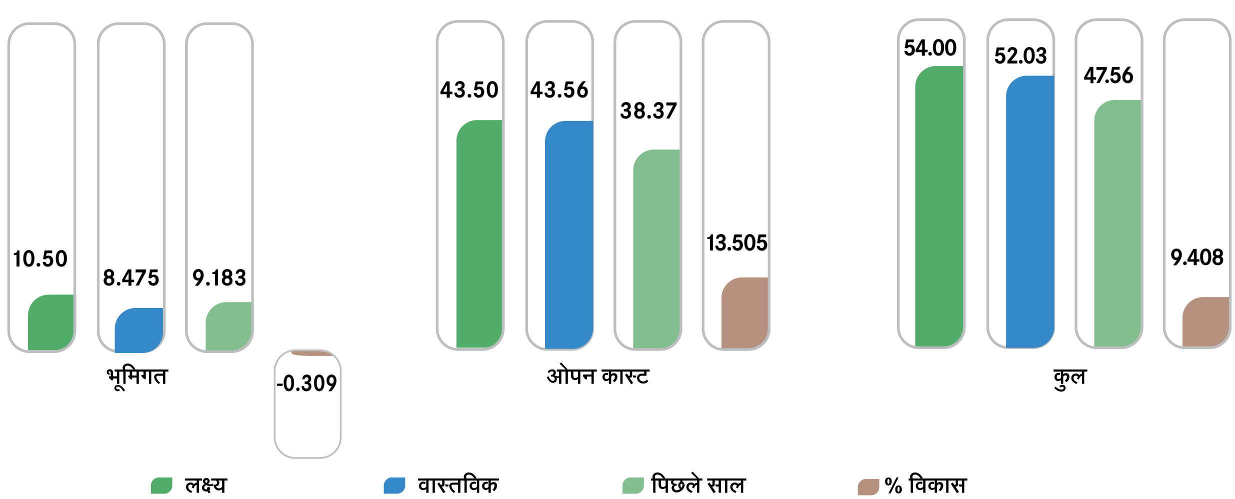

4.1 प्रणाली सामर्थ्य उपयोगिता सिद्धि

(आंकड़े % में)

विशिष्टियाँ	2024-25			2023-24
	लक्ष्य	वास्तविक	कार्य सिद्धि (%)	वास्तविक
भूमिगत	97.61	78.80	80.73	78.80
खुली खदान (विभागीय) उत्खनन	63.96	51.42	80.40	59.68
खुली खदान (अवक्रय) उत्खनन	100.74	130.16	129.20	107.55
खुली खदान (विभागीय + अवक्रय) उत्खनन	92.26	111.99	121.39	95.40
कुल [भूमिगत + खुली खदान (विभागीय)]	68.51	55.08	80.39	62.15
समग्र (भूमिगत + खुली खदान) (अवक्रय + विभागीय)	92.46	110.85	119.90	94.80

4.2 कोयला स्टॉक

31.03.2025 को यथा 8.241 मि.टन कोयले का लेखाबंदी भण्डार था (31.03.2024 को यथा 5.62 मि.टन)।

5.0 वित्तीय प्रदर्शन

5.1 वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सकल बिक्री कारोबार 20,183.54 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 18,999.97 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.23% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने कर-पूर्व कुल व्यापक आय 192.10 करोड़ रुपये और कर-पश्चात कुल व्यापक आय 122.83 करोड़ रुपये अर्जित की, जबकि पिछले वर्ष कर-पूर्व कुल व्यापक आय 119.29 करोड़ रुपये और कर-पश्चात कुल व्यापक आय 157.39 करोड़ रुपये थी। विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2024-25	2023-24
सभी खर्चों को चार्ज करने के बाद लेकिन पीआरपी/कार्यकारी सुपरएनुएशन लाभ, बीमांकिक प्रावधान, वित्त लागत, मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति और स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन से पहले लाभ (+)/हानि (-)	601.98	957.50
न्यून : पीआरपी / अधिशासी अधिवर्षिता प्रसुविधा का प्रभाव	80.29	159.73
न्यून : बीमांकिक प्रावधान	58.99	447.45
न्यून : वित्त लागत	142.32	121.13
न्यून : मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	734.90	700.17
न्यून : विपट्टन गतिविधि समायोजन	-606.62	-590.27
कर-पूर्व वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**192.10**	**119.29**
नकदी लाभ	163.38	741.64
करोपरांत कुल व्यापक आय	**122.83**	**157.39**

श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के झांझरा क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान

5.2 लाभ (हानि) में वृद्धि/कमी में योगदान करने वाले कारक

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ/(हानि)		**213.49**
क. आय में वृद्धि		
बिक्री (निवल)	455.46	
अन्य परिचालनात्मक राजस्व (निवल)	75.94	
अन्य आय	20.81	552.21
ख. व्यय में कमी		
कर्मचारी लाभ व्यय	540.18	
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	16.35	556.53
ग. लाभ में कुल वृद्धि		**1,108.74**
घ. न्यून : व्यय में कमी		
उपभोग की गई सामग्री की लागत	48.07	
स्टॉक में अभिवृद्धि/कमी	258.35	
संविदात्मक व्यय	631.27	
वित्त लागत	21.19	
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	34.73	
अन्य व्यय	27.40	1,021.01
ङ. लाभ में कुल कमी		**1,021.01**
च. लाभ में निवल परिवर्तन (ग-च)		**87.73**
31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कर से पहले लाभ/(हानि)		**301.22**

भारत सरकार के माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी का ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र का दौरा

5.3 पूंजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय ₹1646.16 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1461.34 करोड़) था।

5.4 विविध देनदार

31 मार्च, 2025 की तुलना में 31 मार्च, 2024 तक विविध देनदारों (सकल), देनदार कारोबार और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की स्थिति निम्नानुसार है:

विशिष्टियाँ	इकाई	31.03.2025	31.03.2024
विविध देनदार (सकल)	₹ करोड़ में	2,345.52	2,388.22
देनदार आवर्त	माह की संख्या	1.17	1.09
संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	₹ करोड़ में	286.44	496.07
विविध देनदार (निवल)	₹ करोड़ में	2,059.08	1,892.15

5.5 विदेशी ऋण की चुकौती

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2024-25	2023-24
सीआईएल के जरिए विदेशी ऋण की चुकौती	8.04	7.79

5.6 सरकारी राजकोष में अंशदान

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2024-25				2023-24			
	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल
i) पश्चिम बंगाल से संबंधित जीएसटी								
अ. आईजीएसटी	-	-	15.79	15.79	-	-	82.90	82.90
आ. सीजीएसटी	-	-	7.43	7.43	-	-	7.86	7.86
इ. एसजीएसटी	7.43	-	-	7.43	7.86	-	-	7.86
ई. मुआवजा उपकर	-	-	1,203.67	1,203.67	-	-	1,112.04	1,112.04
ii) झारखण्ड राज्य संबंधी								
अ. आईजीएसटी	-	-	0.06	0.06	-	-	0.29	0.29
आ. सीजीएसटी	-	-	61.70	61.70	-	-	49.75	49.75
इ. एसजीएसटी	-	61.70	-	61.70	-	49.75	-	49.75
ई. मुआवजा उपकर	-	-	780.43	780.43	-	-	568.32	568.32
iii) कोयले की रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ	24.46	536.04	-	560.50	21.66	528.16	-	549.82
iv) आ.ई एवं पी.ई उपकर	2,101.82	-	-	2,101.82	1,743.01	-	-	1,743.01
v) एएमबीएच उपकर	2.80	-	-	2.80	2.68	-	-	2.68
vi) पीडब्ल्यू एवं सड़क उपकर	2.67	-	-	2.67	2.55	-	-	2.55
vii) बिक्री कर (वैट/सीएसटी)	-	-	-	-	0.02	0.68	-	0.70
viii) भूगर्त भरण उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-	-	-	-	-	-	-

विशिष्टियाँ	2024-25				2023-24			
	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल
x) कोयले पर उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) प्रविष्टि कर	-	-	-	-	-	-	-	-
xii) प्रबंधन फीस	-	2.05	-	2.05	-	1.32	-	1.32
xiii) बाजार फीस	-	4.30	-	4.30	-	4.56	-	4.56
xiv) कोविड उपकर	-	19.43	-	19.43	-	16.59	-	16.59
xv) मार्गस्थ अनुमति फीस	-	41.18	-	41.18	-	21.66	-	21.66
xvi) जेएमबीएल उपकर	-	121.25	-	121.25				
कुल	**2,139.18**	**785.95**	**2,069.08**	**4,994.20**	**1,777.78**	**622.72**	**1,821.16**	**4,221.66**

5.7 वर्ष के दौरान विशेष उपलब्धियां:

1. कॉर्पोरेट लेखा विभाग ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड को तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अर्ध-वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने में सभी सहायक कंपनियों में दूसरा स्थान प्राप्त किया और उसी वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत वार्षिक लेखे और सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) द्वारा सीआईएल की वित्तीय विवरण समन्वय बैठक में द्वितीय और प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 11 जुलाई, 2025 के अपने संचार के माध्यम से बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईसीएल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं पाई गई।

3. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को जीएसटी नियमों के अनुकरणीय अनुपालन और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), कोलकाता सीजीएसटी और सीएक्स ज़ोन द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। यह सम्मान 1 जुलाई 2025 को साइंस सिटी ऑडिटोरियम, कोलकाता में आयोजित जीएसटी दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया। प्रशंसा पत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, श्री श्रवण कुमार, मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी और सीएक्स, कोलकाता ज़ोन, श्री मदन मोहन सिंह, मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, कोलकाता ज़ोन द्वारा प्रदान किया गया।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जीएसटी में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को सीआईएल में वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया

4. ईसीएल ने अप्रैल, 2011 से जून, 2017 की अवधि से संबंधित लंबे समय से लंबित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में अनुकूल परिणाम प्राप्त किए। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) द्वारा दिए गए फैसलों के कारण कुल 970.01 करोड़ रुपये की मांगों को रद्द कर दिया गया, जिससे कंपनी की आकस्मिक देनदारियों में काफी कमी आई।

6.0 कोयला विपणन

6.1 कुल उठाव की तुलना में माँग / लक्ष्य :

वर्ष 2024-25 में कोयले का वास्तविक उठाव 49.76 मिलियन टन था, जबकि मांग 54.00 मिलियन टन थी, अर्थात मांग संतुष्टि 92% रही। 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान क्षेत्रवार मांग और उठाव इस प्रकार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

सेक्टर	वर्ष 2024-25 में उठाव			वर्ष 2023-24 में उठाव		
	माँग / लक्ष्य	वास्तविक	% तुष्टि	माँग / लक्ष्य	वास्तविक	% तुष्टि
विद्युत शक्ति	40.000	41.320	103	34.000	36.090	106
सिमेंट	1.910	1.220	64	0.430	0.350	81
सीपीपी (ओआरएस)	0.140	0.150	105	0.250	0.180	71
सीपीपी (इस्पात)	0.490	0.400	82	0.490	0.420	86
इस्पात (मिश्रण योग्य)	-	-	-	-	-	-
स्पॉन्ज आयरन	0.130	0.060	50	0.850	0.080	9
निर्यात	-	-	-	-	0.010	-
लोको	-	-	-	-	0.001	-
प्रतिरक्षा	-	-	-	-	-	-
कोलियरी सन्निर्माण	0.160	0.140	86	0.180	0.150	84
अन्य	11.160	6.460	58	14.800	6.470	44
कुल	**54.000**	**49.760**	**92**	**51.000**	**43.750**	**86**

क्षेत्रवार कोयला प्रेषण

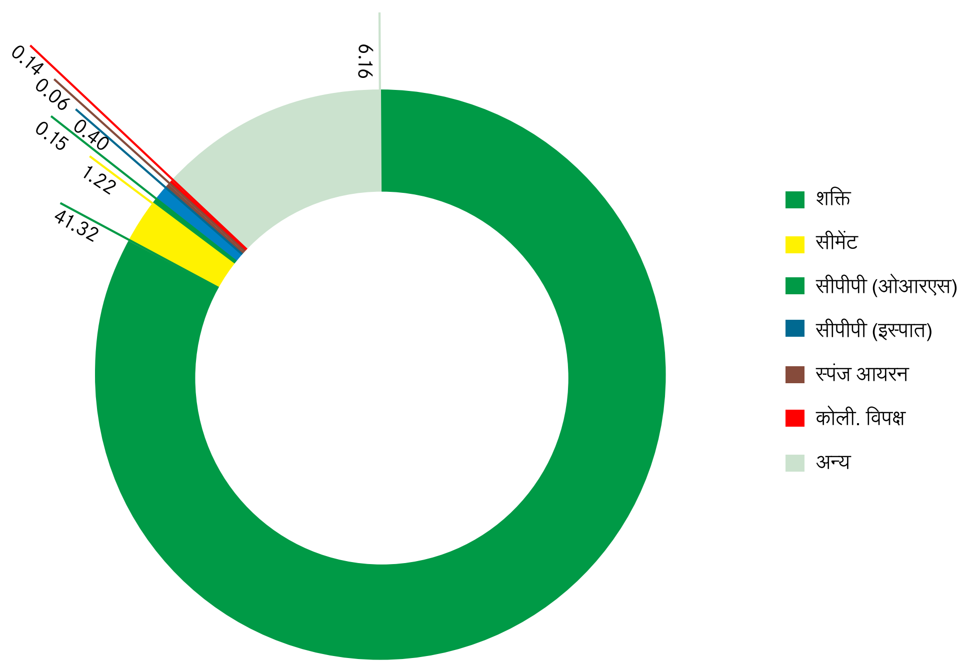

6.2 माल-डिब्बों का प्रतिदिन औसतन भारण :

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए कार्यक्षेत्रवार माल-डिब्बों में औसतन भारण यथा अनुसरित है :

(बॉक्स प्रति दिन में आँकड़े)

कार्यक्षेत्र	माल-डिब्बों का भारण			
	2024-25		2023-24	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	1087	989	1036	963
मुगमा/सलानपुर/ एस.पी. माइंस	322	302	309	245
आद्रा	09	09	08	09
पीरपैंती	-	-	-	-
राजमहल (वार्फ वाल)	66	124	136	80
कुल	**1484**	**1424**	**1489**	**1297**

6.3 रीतिवार प्रेषण :

(मिलियन टन में आकड़े)

प्रेषण की रीति	2024-25	2023-24
रेल	33.84	30.01
सड़क	3.02	3.48
मेरी-गो-राउंड (एमजीआर)	12.76	10.11
कुल	**49.62**	**43.60**

6.4 यथा 31.03.2025 को कोयले का लेखाबंदी स्टॉक यथा अनुसरित है :

(मिलियन टन में आकड़े)

कार्यक्षेत्र	31.03.2024 को यथा
रानीगंज	1.616
मुगमा/सलानपुर	1.731
संथाल परगना माइन्स	0.591
राजमहल	4.303
कुल	**8.241**

ईसीएल की खनन मशीनरी

6.5 हाजिर व अनन्य ई-निलामी तथा विशेष वायदा ई-निलामी:

रीति	2024-25			2023-24		
	प्रेषित परिमाण (लाख टन में)	अधिसूचित दर में वृद्धि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि	प्रेषित परिमाण (लाख टन में)	अधिसूचित दर में वृद्धि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि
हाजिर एवं अनन्य ई-निलामी						
रेल	38.70	720.33	53.17%	37.64	661.43	71.68
सड़क	27.16	387.39	43.60%	27.55	840.17	63.89
कुल	**65.86**	**1107.72**	**49.38%**	**65.19**	**1501.60**	**67.18**
विशेष वायदा ई-निलामी (विद्युत शक्ति)						
रेल	-	-	-	-	-	-
सड़क	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
समग्र कुल	**65.86**	**1107.72**	**49.38%**	**65.19**	**1501.60**	**67.18**

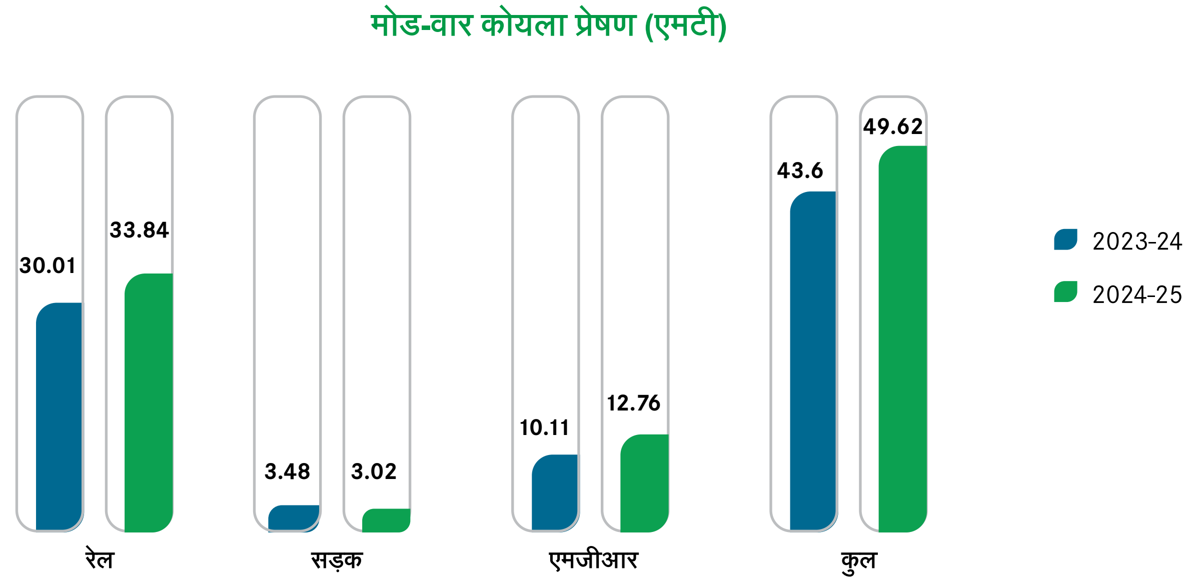

7.0 योजना :

7.1 परिचालनों का कमान क्षेत्र :

यहाँ 79 खननीय खदानों जिसमें 47 भूमिगत खदान, 22 खुली खदान और 10 मिश्रित खदान के साथ 13 परिचालन क्षेत्र हैं।

7.2 आधुनिकीकरण :

भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए, 2024-25 तक 56 खदानों में एलएचडी/एसडीएल की तैनाती द्वारा मध्यवर्ती तकनीक शुरू की गई। 31.03.2025 तक, ईसीएल की विभिन्न भूमिगत खदानों में 201 एसडीएल, 31 एलएचडी और 137 यूडीएम (प्रारंभिक सर्वेक्षण उपकरण सहित) कार्यरत थे। 2024-25 के दौरान, एसडीएल से 2.863 मीट्रिक टन, एलएचडी से 0.403 मीट्रिक टन, 2 हाईवॉल से 0.551 मीट्रिक टन और 1 रोड हेडर (लॉन्गवॉल पैकेज का हिस्सा) से 0.001 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त हुआ।

शटल कार (14 सेट) के साथ संयुक्त सतत माइनर की तैनाती द्वारा “मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी” को झांझरा, सरपी, कुमारडीह-बी यूजी, खोट्टाडीह यूजी और तिलाबोनी परियोजनाओं में तैनात किया गया है और ये सफलतापूर्वक चल रही हैं। 9 मानक ऊँचाई वाले सतत माइनर और 5 कम ऊँचाई वाले सतत माइनर से 2024-25 के दौरान 4.599 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त हुआ। झांझरा में, लॉन्गवॉल टेक्नोलॉजी अगस्त, 2016 से सफलतापूर्वक चल रही है और 2024-25 के दौरान उत्पादन 0.048 मीट्रिक टन (रोड हेडर को छोड़कर) था। 2024-25 के दौरान कुल भूमिगत कोयला उत्पादन 8.474 मीट्रिक टन था।

उपरोक्त के अतिरिक्त कोयला उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

क. **हाईवॉल माइनिंग:** निमचा कोलियरी और नारायणकुरी में हाईवॉल माइनिंग 2023-24 में शुरू की गई है। ईसीएल बोर्ड ने 24.09.2024 को हुई अपनी बैठक में मुग्मा क्षेत्र के राजपुरा-ओसीपी (0.50 एमटीवाई) में हाईवॉल माइनिंग योजना के अद्यतन लागत अनुमान को मंजूरी दे दी है। कार्यात्मक निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएफडी) ने 04.02.2025 को आयोजित अपनी बैठक में निरसा ओसीपी (0.30 एमटीवाई) में हाईवॉल खनन की योजना को मंजूरी दे दी है।

ख. **मैन राइडिंग सिस्टम:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ईसीएल में कुल सात खदानें हैं जहां मैन राइडिंग सिस्टम चालू हैं। झांझरा (3 डीजल चालित फ्री स्टीयरिंग वाहन); परासिया (1 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम); निमचा (2 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम); बांसरा (2 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम); श्यामसुंदरपुर (1 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम); चिनाकुरी खदान III (1 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम) और अमृतनगर कोलियरी (1 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम)। इसके अलावा, खोट्टाडीह कोलियरी में 2 बैटरी चालित फ्री स्टीयरिंग वाहन चालू हैं और चिनाकुरी खदान I में 2 बैटरी इंजन चालू हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दो खदानों में मैन राइडिंग सिस्टम चालू होने की उम्मीद है।

7.3 विविधीकरण:

क. **कोल बेड मीथेन (सीबीएम):** परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) ईसीएल बोर्ड द्वारा एमडीओ अवधारणा के तहत 22.09.2018 को प्रशासनिक रूप से तैयार और अनुमोदित की गई थी, जिसमें सतग्राम, कुनुस्तोरिया और श्रीपुर क्षेत्र के लीजहोल्ड क्षेत्र शामिल थे। सीएमपीडीआईएल को 08.05.2020 को सीबीएम के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया था। कोल बेड मीथेन डेवलपर (सीबीएमडी) के चयन के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा 15.05.2020 को बोली ई-प्रकाशित की गई थी। सीबीएम बोली 09.09.2020 को खोली गई और कोई बोलीदाता नहीं आया। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल द्वारा 30.10.2020 को दूसरी बार बोली ई-प्रकाशित की गई और बोली 06.01.2021 को खोली गई, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। बोली तीसरी बार दिनांक 09.06.2021 को ई-प्रकाशित की गई और बोली दिनांक 13.08.2021 को खोली गई, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

ईसीएल के सीएमडी श्री सतीश झा ने पांडवेश्वर क्षेत्र में दो नए खरीदे गए विभागीय ट्रक माउंटेड मैन बकेट लिफ्ट का उद्घाटन किया

वर्तमान में, रानीगंज सीबीएम ब्लॉक का 23.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सीबीएम हेतु निविदा हेतु चिन्हित किया गया है। GeM संगत वैश्विक निविदा दस्तावेज़ जाँच और अनुमोदन के अंतिम चरण में है।

ख **सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी):** कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) के उत्पादन हेतु सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी) पहल को आगे बढ़ा रहा है। परियोजना स्थल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के सोनपुर बाजारी क्षेत्र के निकट बहादुरपुर में चिन्हित किया गया है। पीडीआईएल द्वारा पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार की गई है और ईसीएल बोर्ड द्वारा 03.08.2021 को अनुमोदित की गई है, जिसमें मेथनॉल को प्रारंभिक रूप से डाउनस्ट्रीम उत्पाद के रूप में चुना गया है।

परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) मॉडल के तहत 31.01.2022 को एक वैश्विक निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गई थी। हालाँकि, प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। इसके जवाब में, सीआईएल ने रणनीतिक साझेदारी की, जिसके परिणामस्वरूप एसएनजी उत्पादन की संभावना तलाशने के लिए 12.10.2022 को गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुआ।

सीआईएल बोर्ड द्वारा 19.04.2023 को संशोधित पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट और परियोजना-पूर्व गतिविधियों को मंजूरी दिए जाने के साथ ही इस सहयोग को गति मिली। इसके बाद प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) को विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करने के लिए परियोजना निगरानी सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका कार्य 29.07.2024 को शुरू होगा।

05.08.2024 को सीआईएल और गेल के बीच एक संयुक्त उद्यम (जेवी) समझौते पर हस्ताक्षर के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी और भी मज़बूत हुई। कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी लाइसेंसदाताओं के लिए 12.09.2024 को जारी रुचि पत्र (ईओआई) में पाँच बोलियाँ प्राप्त हुईं, जिनका वर्तमान में मूल्यांकन किया जा रहा है।

इस पहल को सहयोग देने के लिए, सीआईएल ने गेल के सहयोग से 25.03.2025 को एक नई सहायक कंपनी, कोल गैस इंडिया लिमिटेड, की स्थापना की। इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य कोयला-से-एसएनजी व्यवसाय स्थापित करना है, जो सीआईएल के स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय वीटी सेंटर, ईसीएल, पी.एस. पांडवेश्वर, सोनपुर, पांडवेश्वर, बर्धमान, पश्चिम बंगाल, भारत, पिन-713378 में स्थित है।

ग. **भूमिगत कोयला गैसीकरण:** कास्ता वेस्ट ब्लॉक में पायलट भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) परियोजना का पहला चरण, जिसमें व्यापक भूवैज्ञानिक जांच, विस्तृत जल-भूवैज्ञानिक आकलन और चट्टान यांत्रिकी अध्ययन शामिल थे, सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। **यह कोल इंडिया में अपनी तरह की पहली परियोजना है।**

दूसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है और इसमें आवश्यक वैधानिक मंज़ूरियाँ प्राप्त करना शामिल होगा। इसके बाद, पायलट प्लांट का निर्माण, कमीशनिंग और संचालन किया जाएगा, जिसके बाद यह योजनाबद्ध शटडाउन और निगरानी चरण में प्रवेश करेगा।

7.4 भूमिगत कोयला उत्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कदम: विभिन्न परिचालन बाधाओं, ऊपरी परत के परिसमापन, कैविंग के लिए भूमि की उपलब्धता में देरी आदि को ध्यान में रखते हुए, भूमिगत उत्पादन में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं, मुख्यतः आने वाले वर्षों में झांझरा, सर्पी, तिलबोनी, सिदुली, परसिया-बेलबैड और निमचा जैसी अधिक संख्या में भूमिगत खदानों में शटल कार के साथ कंटीन्यूअस माइनर लगाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक लागू करके, और साथ ही मध्यवर्ती तकनीक के साथ मैन्युअल संचालन को धीरे-धीरे समाप्त करके। सेवानिवृत्ति के कारण ड्रिलिंग गैंग की कमी तथा साथ ही फेस और सपोर्टिंग पर अधिक कोयले की उपलब्धता के दोहरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक यूडीएम शुरू करने के लिए कार्रवाई की गई है।

7.5 वर्ष 2024-25 के दौरान निरूपित परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	प्राक्कलित अतिरिक्त पूँजी (₹ करोड़ में)			
			विभागीय	आंशिक बाह्यस्रोतीकरण	बाह्यस्रोतीकरण	एमडीओ
1.	रंगमती-ए यूजी	3.48	2016.54	-	979.49	1972.89 (ईसीएल- 208.44, एमडीओ- 1764.45)
2.	कयादा चौधर गरियापानी	4.00	3103.05	-	2181.13	2871.02 (ईसीएल- 1260.65, एमडीओ- 1610.37)
3.	निमचा यूजी	2.76	1553.87	-	728.16	1533.25 (ईसीएल=45.77, एमडीओ=1487.48)

7.6 वर्ष 2024-25 के दौरान सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	पूँजीगत निवेश का अनुमोदन (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तिथि	अभ्युक्ति
1.	पैरास्कोल-जम्बाड ओसी	1.80	1193.55	20.07.2024	प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हायरिंग मोड में मंजूरी दी गई
2.	निमचा यूजी	2.76	ईसीएल भाग: 45.77	23.12.2024	एमडीओ मोड में परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई

7.6a वर्ष 2024-25 में ईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना:

क्रम सं.	योजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूँजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तिथि	अभ्युक्ति
1.	खोट्टाडीह यूजी में स्वदेशी सतत खनिक	0.50	148.43	06.03.2025	विभागीय मोड में योजना को मंजूरी

7.6b वर्ष 2024-25 में ईसीएल के ईसीएफडी द्वारा अनुमोदित योजना:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूँजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तिथि	अभ्युक्ति
1	निरसा-ओसीपी में हाईवॉल खनन	0.30	4.22	04.02.2025	उपकरण किराये पर लेने के साथ आउटसोर्सिंग में योजना को मंजूरी

7.7 पूंजीगत परियोजनाएं:

वर्ष 2024-25 के दौरान, ईसीएल ने 17 पूंजीगत परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 3 नई ग्रीनफील्ड परियोजना (चुपेरभिटा-सिमलोंग ओसी, पारस्कोल-जंबद ओसी और निमचा यूजी) और 14 नग। परियोजनाओं के विस्तार / संशोधन / फौजदारी (झांझरा विस्तार यूजी, खोट्टाडीह सीएम, मोहनपुर विस्तार ओसीपी, न्यू

ईसीएल में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी की तैनाती

केंदा ओसी, सोनपुर बाजारी विस्तार ओसीपी, चित्रा ईस्ट ओसीपी, सिदुली मिक्स, नकरकोंडा-कुमारडीह बी ओसीपी, तिलबोनी यूजी, परासिया-बेलबैद यूजी, श्यामसुंदरपुर सहित सरपी यूजी, बोन्जेमेहरी विस्तार ओसीपी, हुरा-सी और इटापारा ओसीपी)।

7.8 नई पहल:

क **मौजूदा भूमिगत खदानों का तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण:** मेसर्स आईएसएम, मेसर्स एससीसीएल और मेसर्स पीडब्ल्यूसी के संघ द्वारा उत्पादन वृद्धि के अध्ययन हेतु 23 भूमिगत खदानों का परीक्षण किया गया। यह कोयला मंत्रालय/सीआईएल के निर्देशानुसार है। रिपोर्ट जनवरी, 2018 में प्रस्तुत की गई। इसे कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वीकार कर लिया है। तेईस परियोजनाओं में से, तीन परियोजना रिपोर्ट (सिदुली मिश्रित, तिलाबोनी भूमिगत और परसिया-बेलबैद भूमिगत) और एक योजना (शामपुर-बी) को मंजूरी दी गई है। पाँच और परियोजना रिपोर्ट/योजनाएँ निर्माण/अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

ख **बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक का परिचय सतत खनिक (सीएम):** वर्तमान में, पांच खदानों में कैविंग के साथ 14 सतत खनिक चालू हैं (झांझरा: 04 मानक ऊंचाई सतत खनिक और 02 कम ऊंचाई सतत खनिक; श्यामसुंदरपुर: 01 मानक ऊंचाई सतत खनिक; कुमारडीह बी: 02 कम ऊंचाई सतत खनिक और 01 मानक ऊंचाई सतत खनिक; खोट्टाडीह: 01 मानक ऊंचाई सतत खनिक और 01 कम ऊंचाई सतत खनिक और तिलाबोनी: 02 मानक ऊंचाई सतत खनिक)। इसके अलावा, 8 खदानों में कमीशन के लिए 22 सतत खनिकों की योजना बनाई गई है, जिसके लिए परियोजना रिपोर्ट पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है।

ईसीएल के सीएमडी श्री सतीश झा ने नई दिल्ली में "ऊर्जा के तालमेल पर केंद्रित पेट्रोलियम-कोयला-गैस-हाइड्रोजन उद्योग पर विश्व का एकमात्र सम्मेलन" में भाग लिया

अनुमोदित परियोजना रिपोर्टों के लिए 16 सतत खनिकों के चालू होने की समय-सीमा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना	प्रकार	संख्या	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
1.	श्यामसुंदरपुर	एलएचसीएम	2	2	-	-	-	-
2.	तिलाबोनी	एलएचसीएम	2	-	1	1	-	-
3.	पैरासीया बेलबैड	एलएचसीएम	1	-	1	-	-	-
		एसएचसीएम	1	-	-	1	-	-
		ईएचसीएम	2	-	-	-	1	1
4.	खोट्टाडीह स्वदेशी सीएम	एसएचसीएम	1	-	1	-	-	-
5.	सिदुली	एलएचसीएम	1	-	-	-	1	-
		एसएचसीएम	1	-	-	-	-	1
		ईएचसीएम	1	-	-	-	-	1
6.	शामपुर-बी	एलएचसीएम	2	-	-	-	1	1
7.	बांसड़ा	एलएचसीएम	2	-	-	-	1	1
	कुल एलएचसीएम		10	-	2	1	3	2
	कुल एसएचसीएम		3	2	1	1	-	1
	कुल ईएचसीएम		3	-	-	-	1	2
	कुल		**16**	**2**	**3**	**2**	**4**	**5**

निमचा कोलियरी, ईसीएल में हाइ-वाल माइनिंग

पेस्ट फिल तकनीक से युक्त सतत खनन यंत्र (कंटीन्यूअस माइनर) की शुरुआत हेतु शामपुर-बी की योजना को ईसीएल बोर्ड द्वारा 29.01.2022 को अनुमोदित कर दिया गया है। निविदा संबंधी गतिविधियाँ प्रगति पर हैं और सीआईएमएफआर द्वारा खनन पद्धति स्थापित हो जाने के बाद, आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।

निमचा यूजी के लिए 6 सतत माइनरों की स्थापना के लिए परियोजना रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से 2 को 2030-31 में, 1 को 2031-32 में, 1 को 2033-34 में स्थापित किया जाना है तथा शेष 2 को बाद में (2034-35 के बाद) स्थापित किया जाएगा।

ग . विदेशी सहयोग/प्रौद्योगिकी अवशोषण-अनुकूलन और नवाचार:

i) तिलाबोनी यूजी खदान में सतत माइनर की शुरूआत: मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2024-25 के दौरान कम ऊंचाई वाले सतत माइनर का 1 सेट चालू किया गया है।

ii) झांझरा में 2 अतिरिक्त मानक ऊंचाई सतत खनिकों की शुरूआत: मेसर्स गेनवेल कॉमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2024-25 में 2 मानक ऊंचाई सतत खनिकों की शुरूआत की गई है।

iii) एक सेट पावर्ड सपोर्ट लॉन्गवॉल झांझरा आर-VI सीम में काम कर रहा है।

iv) श्यामसुंदरपुर यूजी खदान में अतिरिक्त 2 कम ऊंचाई वाले सतत माइनर की शुरूआत: 2 कम ऊंचाई वाले सतत माइनर की आपूर्ति के लिए एलओए 08.08.2022 को मेसर्स गेनवेल कॉमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया।

v) पारसीया-बेलबैड भूमिगत जलग्रहण क्षेत्र में सतत खनन मशीन की शुरूआत के लिए: पारसीया-बेलबैड भूमिगत जलग्रहण क्षेत्र में चार और सतत खनन मशीनों की शुरूआत के लिए एलओए 30.03.2023 को मेसर्स गेनवेल कॉमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया।

vi) तिलाबोनी यूजी सीएच में दो और सतत खननकर्ता शुरू करने के लिए एलओए 30.03.2023 को मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया।

7.9 वर्ष 2024-25 के लिए चालू परियोजनाओं से संबंधित प्रमुख लक्ष्यों की उपलब्धि की स्थिति:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	गतिविधियाँ/मील के पत्थर	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सोनपुर-बाजारी विस्तार ओसीपी	सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 7(1) के तहत 526.51 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना	दिसंबर, 2024	पूर्ण। 30.08.2024 को 526.51 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 7(1) के अंतर्गत अधिसूचित।
2.	झांझरा विस्तार यूजी परियोजना	2 मानक ऊंचाई सतत खनिकों की कमीशनिंग (झांझरा यूजी परियोजना की तीसरी और चौथी मानक ऊंचाई सतत खनिक)	मार्च, 2025	पूर्ण। 2 मानक ऊंचाई सतत खनन मशीन 2024-25 के दौरान चालू की जाएगी।
3.	चुपरभिता- सिमलोंग ओसीपी	एमडीओ विकल्प में निविदा को अंतिम रूप देना	मार्च, 2025	पूर्ण। 08.05.2023 को मेसर्स एनईपीएल-एसएसजीएल-जीकेआर, गुरुग्राम को एलओए जारी किया गया तथा 01.01.2025 को एमडीओ मोड में जारी किया गया।
4.	तिलाबोनी यूजी	2 मानक ऊंचाई वाले सतत खनन यंत्र का कमीशनन	मार्च, 2025	पूर्ण। निम्न ऊंचाई सतत खनन मशीन को अप्रैल, 2024 में चालू किया गया।

ईसीएल में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी

7.10 खदान बंद करने की योजना:

क) 31.01.2025 को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित एमसीपी दिशानिर्देशों के अनुसार 91 एमसीपी को संशोधित करने की आवश्यकता है।

ख) सीसीओ के साथ संशोधित त्रिपक्षीय समझौतों के निष्पादन के लिए सीएमपीडीआईएल में संशोधित एमसीपी की तैयारी प्रक्रियाधीन है।

ग) तृतीय पक्ष ऑडिट के बाद सीसीओ को 99.43 करोड़ रुपये की राशि के 48 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

घ) पीएमसीए रिपोर्ट के अनुसार सीसीओ से अब तक 57.82 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।

ङ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एस्क्रो फंड में 76.13 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

7.11 अन्वेषण:

क) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभागीय रूप से 53790 मीटरेज की ड्रिलिंग की है।

ख) 31.03.2025 तक लालमटिया ए और बी ब्लॉक के डिपसाइड में 2130 मीटरेज ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है।

ग) सरिस्थली साउथ ब्लॉक में 17.6-लाइन किमी 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया।

घ) सीबीएम पैरामीटर अध्ययन के लिए 2 बोरहोल आयोजित किए गए हैं।

7.12 वर्ष 2024-25 के दौरान विशेष उपलब्धि:

क) ईसीएल बोर्ड द्वारा सोनपुर-बाजारी विस्तार ओसी के लिए 12.00 एमटीवाई से 14.00 एमटीवाई तक की खान योजना को 20.07.2024 को क्लस्टर संख्या 12 (कुल क्षमता: 31.83 एमटीवाई) के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया।

ख) क्लस्टर संख्या 12 (कुल क्षमता: 31.83 एमटीवाई) के अंतर्गत 2 वर्ष की अवधि के लिए 20.03.2025 को सोनपुर-बाजारी विस्तार ओसी के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को 12.00 एमटीवाई से 14.00 एमटीवाई तक संशोधित किया गया।

ग) क्लस्टर संख्या 1 के लिए ईसीएल बोर्ड द्वारा 14.01.2025 को खनन योजना को मंजूरी दे दी गई है।

घ) ईसीएल बोर्ड द्वारा 24.09.2024 को चिनाकुरी-I यूजी (क्लस्टर संख्या 06 एमडीओ - राजस्व साझाकरण) के लिए खनन योजना को मंजूरी दे दी गई है।

श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार, सोनपुर बाजारी क्षेत्र में समीक्षा बैठक के दौरान

ङ) मधुजोर यूजी और ओसी (एमडीओ - राजस्व साझाकरण) के लिए 14.01.2025 को ईसीएल बोर्ड द्वारा खनन योजना को मंजूरी दे दी गई है।

च) तिरत-कुआर्डीह यूजी और ओसी (एमडीओ - राजस्व साझाकरण) के लिए खनन योजना को ईसीएल बोर्ड द्वारा 23.12.2024 को मंजूरी दे दी गई है।

छ) गोपीनाथपुर मिश्रित खदान (एमडीओ - राजस्व साझाकरण) के लिए खनन योजना को ईसीएल बोर्ड द्वारा 17.08.2024 को मंजूरी दे दी गई है।

ज) चिनाकुरी यूजी (एमडीओ - राजस्व साझाकरण) के लिए खनन योजना को ईसीएल बोर्ड द्वारा 24.09.2024 को मंजूरी दे दी गई है।

झ) सभी सत्तर चालू परियोजनाओं के लिए पीएस मॉड्यूल मास्टर के माध्यम से एसएपी पोर्टल में ईआरपी लागू किया गया है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और यूजी विजन प्लान को लाइव किया गया है। परियोजनाओं की निगरानी भी एसएपी पोर्टल के पीएस मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है।

8.0 उपकरणों की संख्या (एचईएमएम):

8.1 यथा 31 मार्च, 2024 की तुलना में 31 मार्च, 2025 को उपस्करों की संख्या

उपस्कर	क्षमता (घनमीटर)	31.03.2025 को यथा उपस्करों की संख्या	31.03.2024 को यथा उपस्करों की संख्या
ड्रैगलाइन	26.8	01	01
शॉवेल	12 और 10 के बीच	09	11
	10 और 05 के बीच	25	24
	05 और 03 के बीच	09	10
	03 और 01 के बीच	10	11
		53	**56**
डम्पर	190 टन	18	18
	120 टन	Nil	09
	100 टन	49	28
	60 टन	81	76
	35 टन	27	41
		175	**172**
	410 एचपी	27	28
	320 एचपी	48	54
		75	**82**
व्हील डोजर	485 एचपी	02	Nil
ड्रिल	311 एमएम	05	05
	250 एमएम	07	07
	160 एमएम	30	31
	100 एमएम	03	03
		45	**46**

8.2 पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान सीएमपीडीआईएल प्रादर्शों के अनुसार उपस्करों के प्रत्येक प्रकारों की प्रतिशत उपलब्धता एवं उपयोगिता सिद्धि यथा अनुसरित है :

उपकरण	प्रतिशत उपलब्धता				प्रतिशत उपयोगिता सिद्धि			
	सीएमपीडीआईएल प्रदर्श	2024-25	2023-24	% में गत वर्ष से अंतर	सीएमपीडीआईएल प्रदर्श	2024-25	2023-24	% में गत वर्ष से अंतर
ड्रैगलाइन	85	79.52	83.34	-3.82	73	71.96	68.97	2.99
डम्पर	67	79.43	81.43	-2.00	50	33.50	34.43	-0.93
डोजर	70	69.09	72.38	-3.29	45	18.33	18.38	-0.05
शॉवेल	80	74.22	79.77	-5.55	58	38.76	45.48	-6.72
ड्रील	78	80.04	81.73	-1.69	40	17.03	16.01	1.02

8.3 वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदत्त नूतन उपस्कर एवं प्रतिस्थापित उपस्कर :

उपकरण	क्षमता	2024-25 में यथा प्रतिस्थापन / अतिरिक्त जोड़ा गया
शॉवेल	5 घनमीटर.	2
डम्पर	100 टन	21
	60 टन	6
डोजर		0
ड्रिल		0

एचईएमएम का प्रतिशत उपयोग

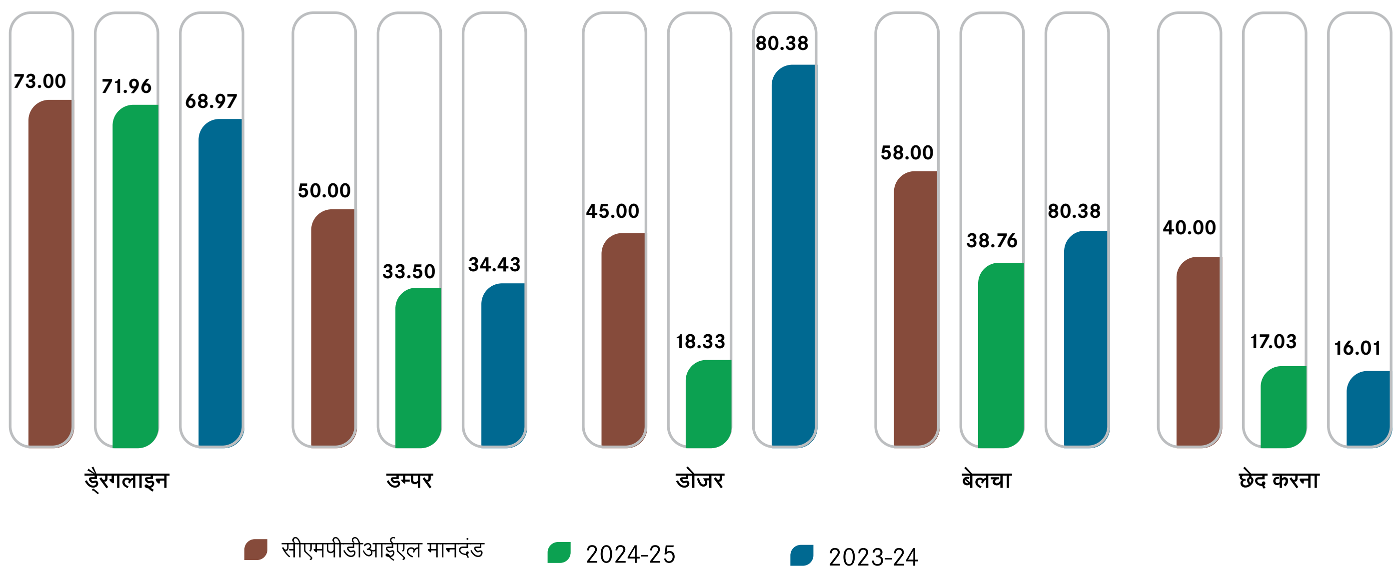

8.4 एचईएमएम की उपयोगिता सिद्धि में सुधार के लिए कार्रवाई :

खनन उपस्करों (एचईएमएम) के उपयोग में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

क) केंदा क्षेत्र में, शंकरपुर ओ.सी.पी. को रिजर्व समाप्त होने के कारण बंद कर दिया गया था और सभी उपकरणों को लाभकारी उपयोग के लिए सी.एल. जामबाद को स्थानांतरित कर दिया गया है।

ख) बंकोला क्षेत्र में, ठेकेदार की विफलता के कारण, नाकराकोंडा ओसीपी में अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 तक कोई ओवर-ओवर (ओबी) नहीं हटाया गया। वर्तमान में खदान चालू है और विभागीय कोयला उत्पादन क्षमता के स्तर तक है।

ग) सोनपुर बाज़ारी में, 10 क्यूबिक मीटर क्षमता वाली दो रोप शॉवल की उच्च क्षमता रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण बुरी तरह खराब हो गई थी। 2024-25 के दौरान पुर्जों के लिए दिए गए ऑर्डर अगस्त, 2026 तक मिलने की उम्मीद है। आगे आवश्यक पुर्जों की खरीद भी प्रक्रियाधीन है।

घ) कजोरा क्षेत्र में, 1 नं. 5 कम हाइड्रोलिक शॉवल भारी बारिश के कारण डूब गया। वर्तमान में मशीन को पुनः चालू कर दिया गया है और वह चालू है।

ङ) पांडवेश्वर क्षेत्र के खोट्टाडीह ओसीपी में कोल फेस पर जलभराव था। फ़िलहाल समस्या का समाधान हो गया है।

9.0 ऊर्जा संरक्षण

9.1 विद्युत शक्ति एवं ईंधन खपत:

क्रम	विशिष्टियाँ	इकाई	2024-25	2023-24
I.	**क्रय की गई विद्युत**			
	क. क्रय की गई इकाइयाँ	एम.केडब्ल्यूएच	867.65	835.42
	ख. आपूर्ति अभिकरणों को प्रदत्त कुल राशि (लगभग)	करोड़ रुपये में	642.27	610.05
	ग. दर प्रति ईकाई (औसतन)	रु./किलोवाट घंटा	7.40	7.30
	घ. विद्युत की विशेष खपत (लगभग)	किलोवाट घंटा/घन	3.71	4.04
II.	**विद्युत शक्ति की माँग**			
	क. औसतन विद्युत शक्ति की माँग	एमवीए	179.59	178.84
	ख. संविदात्मक माँग	एमवीए	207.40	199.33
	ग. प्रतिशत उपयोगिता सिद्धि	%	86.59	89.72

9.2 ऊर्जा संरक्षण:

विभिन्न इकाइयों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करने के लिए, 813 पारंपरिक पंखों को बीएलडीसी पंखों (सुपर पंखों) से, 127 पुराने एसी को ऊर्जा-कुशल एसी से, 1570 पारंपरिक लाइटों को एलईडी लाइटों से और 120 पुराने मोटरों को ऊर्जा-कुशल मोटरों से बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन ऊर्जा दक्षता उपायों से वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 7.763 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 1.1 मिलियन यूनिट की कुल अनुमानित बचत होगी, जिसके परिणामस्वरूप 1975 टन तक CO_2 उत्सर्जन में कमी आएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पावर फैक्टर में सुधार से प्राप्त शुद्ध लाभ 10.83 करोड़ रुपये है।

श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय कोयला एवं खान मंत्री,
भारत सरकार द्वारा सोनपुर बाजारी क्षेत्र में सीएसआर पहल के अंतर्गत ट्राइसाइकिल वितरण

9.3 भूमिगत मशीनरी कार्य-निष्पादन :

उपकरण	2024-25		2023-24	
	रजिस्टर में दर्ज	उत्पादकता (टन प्रति दिवस)	रजिस्टर में दर्ज	उत्पादकता (टन प्रति दिवस)
एसडीएल	183	63	225	70
एलएचडी	28	78	33	88
सतत खनित्र	12	1211	11	1310
कटाई लदाई मशीन	-	-	1	44
दीर्घ भित्ति मशीन	1	539	1	1802
उच्च भित्ति मशीन	2	1058	2	1204

9.4 सीएचपी का प्रदर्शन:

31 मार्च, 2025 तक, सोनपुर बाजारी और राजमहल स्थित दो प्रमुख सीएचपी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 24.46 मीट्रिक टन कोयले का संचालन किया, जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान 21.05 मीट्रिक टन कोयले का संचालन किया जाएगा।

9.5 वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ :

क) ईसीएल ने उत्तरी सीरसोल खदान के खनन परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डीवीसी के 132 केवी टावर के डायवर्जन के लिए कार्य आदेश जारी किया है।

ख) दोनों तरफ के वजन मापदंड का 100% अनुपालन करने के लिए 9 सड़क तौल पुलों की आपूर्ति और स्थापना के लिए कार्य आदेश जारी कर दिया गया है।

ग) ईसीएल में 3.73 मेगावाट रूफ टॉप सोलर प्लांट की स्थापना और कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.732 मेगावाट रूफ टॉप सोलर प्लांट में से 850 किलोवाट की कमीशनिंग की जा चुकी है।

ईसीएल के राजमहल क्षेत्र में साइलो लोडिंग सिस्टम

9.6 ईसीएल में सौर ऊर्जा पहल:

जलवायु परिवर्तन को लेकर लगातार बढ़ती वैश्विक चिंता ने टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख़ को प्रेरित किया है। विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों में, सौर ऊर्जा इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे नवाचार और तकनीक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसे-जैसे दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इनमें से, सौर ऊर्जा ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध लड़ाई में आशा की एक किरण बनकर उभरी है। कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता के साथ, सौर ऊर्जा दशकों में सैकड़ों पेड़ लगाने के बराबर है। इस ब्लॉग में, हम CO2 उत्सर्जन को कम करने में सौर ऊर्जा के उल्लेखनीय प्रभाव और वृक्षारोपण में इसके समतुल्य योगदान का अन्वेषण करते हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड ने पहले ही अपनी सभी सहायक कंपनियों को नेट ज़ीरो कंपनी बनने के तौर-तरीके/कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने बताया है कि नेट ज़ीरो कंपनी बनने के लिए ईसीएल को 525 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करनी होगी। इसके बाद, ईसीएल ने अपने परिचालन क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की पहल की है। ईसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 तक 1.906 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की है, जिससे 8.47 लाख किलोवाट बिजली पैदा हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 42.72 लाख रुपये की बचत हुई है और वित्त वर्ष 2023-24 तक 2.756 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 12.55 लाख किलोवाट बिजली पैदा हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 63.79 लाख रुपये की बचत हुई है।

ईसीएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने की योजना बनाई है:

क) **ईसीएल में 35 मेगावाट क्षमता का ग्राउंड माउंटेड सौर संयंत्र:** तीनों स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और जून, 2025 तक इसके चालू होने की उम्मीद है।

ख) **ईसीएल में 3732 किलोवाट क्षमता का रूफ टॉप सोलर प्लांट:** 3732 किलोवाट क्षमता के रूफ टॉप माउंटेड सोलर प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और इसके सितंबर, 2025 तक चालू होने की उम्मीद है।

ग) **ईसीएल में 5 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सौर संयंत्र:** सलानपुर क्षेत्र में 5 मेगावाट फ्लोटिंग सौर संयंत्र की परियोजना का कार्य सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।

घ) **ईसीएल में 5 मेगावाट क्षमता का ग्राउंड माउंटेड सौर संयंत्र:** सोनपुर बाजारी क्षेत्र में 5 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर संयंत्र की परियोजना एनआईटी तैयारी चरण में है।

35 किलोवाट रूफ टॉप सोलर पैनल, झांजरा

10.0 कल्याणकारी सुविधाएँ :

क्रम सं.	मद	31.03.2024 को यथा संचयी स्थिति	2024-25 के दौरान प्राप्ति	31.03.2025 को यथा संचयी स्थिति
1.	**शैक्षणिक प्रसुविधाएँ**			
	अ) डीएवी विद्यालय	06	-	06
	आ) i) आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों की संख्या	188	-	188
	आ) ii) आवर्ती सहायता अनुदान की राशि (₹ लाख में)	7151.81	-	7151.81
	इ) i) अनावर्ती सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों की संख्या	388	-	388
	इ) ii) आवर्ती सहायता अनुदान की राशि (₹ लाख में)	312.04	-	312.04
	ई) i) तदर्थ अनुदान स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	79	-	79
	ई) ii) स्वीकृत तदर्थ अनुदान की राशि (₹ लाख में)	69.60	-	69.60
	उ) विद्यालयों को संलग्न बसों की संख्या	156	-	156
	ऊ) i) सीआईएल छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति एवं अधिनिर्णित नकद की संख्या	20852	-	20852
	ऋ) ii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	321.774	-	321.774
	ए) i) चयनित इंजीनियरिंग एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पठन करने वाले वेज बोर्ड कर्मी के आश्रितों के शिक्षण शुल्क एवं होस्टल प्रभार देने के निहितार्थ वित्तीय सहायता के लिए सीआईएल योजना			
	ए) ii) स्वीकृत डब्ल्यूबीई वार्डो की संख्या	1083	-	1083
	ए) iii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	458.61	-	458.61
2.	खेलकूद और क्रीड़ा में संव्यय राशि (₹ लाख में)	733.118	-	733.118
3.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में संव्यय राशि (₹ लाख में)	99.09	-	99.09
4.	कैंटीन	82	-4	78
5.	**बैंकिंग प्रसुविधाएँ** – बैंकों की क्रियाशील शाखाओं की संख्या	27	-	27
6.	**सहकारी सोसाइटी**			
	अ) सहकारी साख सोसाइटी	62	-	62
	आ) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार	30	-	30
	इ) केंद्रीय सहकारी	04	-	04
	ई) सहकारी सोसाइटी को ऋण एवं में निवेश (₹ लाख में)	63.80	-	63.80

11.0 चिकित्सीय सुविधाएँ :

कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए 2 केंद्रीय अस्पताल, 575 बिस्तरों की क्षमता वाले 7 क्षेत्रीय अस्पताल और 99 औषधालय हैं। ईसीएल के दोनों केंद्रीय अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा टेली-परामर्श सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सात कार्यात्मक डिजिटल औषधालय भी हैं। वर्तमान में ईसीएल के लाभार्थियों की चिकित्सा समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न चिकित्सा विषयों के 35 विशेषज्ञों सहित 158 डॉक्टर कार्यरत हैं।

11.1 चिकित्सीय निर्देशपरक और चल औषधालय:

विशिष्टियाँ	2024-25	2023-24
बाह्य निर्देशित रोगियों की संख्या	3947	3147
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम		
- शिविरों की संख्या	723	151
- शिविरों की संख्या	16252	7604
कंपनी कर्मकारों का पीएमई	12045	11736
संविदात्मक कर्मकारों का पीएमई	1000	1015
कंपनी कर्मकारों का आईएमई	848	1006
संविदात्मक कर्मकारों का आईएमई	3133	1561

चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे ईसीएल कमांड क्षेत्र में बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक पहुँचने में मदद मिली है।

महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत सिलाई मशीनों का वितरण

श्रीमती शताक्षी महिला मंडल की अध्यक्ष किरण झा पांडवेश्वर क्षेत्र में चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन करती हुईं

शताक्षी महिला मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

ईसीएल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का उत्सव

11.2 वर्ष के दौरान की गई विभिन्न चिकित्सा संबंधी गतिविधियाँ:

क) डिजिटल डिस्पेंसरी: सात डिजिटल डिस्पेंसरी केंद्रों की परियोजनाएं 1 दिसंबर, 2022 से बंकोला क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र, एस.पी. माइंस क्षेत्र, मुग्मा क्षेत्र, पांडवेश्वर क्षेत्र, झांझरा क्षेत्र और सोनेपुर बाजारी क्षेत्र में सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। दिसंबर, 2022 से मार्च, 2025 तक इन औषधालयों के माध्यम से मरीजों को परामर्श दिया गया है।

ख) ईसीएल के अस्पतालों के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का उन्नयन: ईसीएल के अस्पतालों के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का उन्नयन विभिन्न आवश्यक उपकरणों की खरीद के साथ किया गया है जैसे प्रयोगशाला इनक्यूबेटर, आटोक्लेव, लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट / स्टेशन, अर्ध-स्वचालित मूत्र विश्लेषक, सी-आर्म मशीन, रेट्रोफिट डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम, मेडेंसी क्लास IV (4) सॉफ्ट टिशू डायोड डेंटल लेजर, पावर 10 डब्ल्यू, लैबमैन 6 अल्ट्रासोनिक क्लीनर और कैनालप्रो ऑटोमैटिक एबीएस रिडक्शन गियर हैंड पीस डेंटल एंडोमोटर।

ग) ईसीएल के मुख्य खनन श्रमिकों के बीच व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण: ईसीएल ने श्वसन और श्रवण दोष के विशेष संदर्भ में, ईसीएल के मुख्य खनन श्रमिकों के बीच व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण हेतु 08.06.2022 को एनआईओएच के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अध्ययन चार चरणों में किया गया और 2800 कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया गया।

घ) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत, पिछले दो वर्षों से सैंक्टोरिया अस्पताल में एक (01) 'जन औषधि केंद्र' कार्यरत है। 22 फरवरी, 2025 को, केंद्रीय अस्पताल कल्ला (सीएच कल्ला) में निदेशक (मानव संसाधन) ईसीएल द्वारा एक नए 'जन औषधि केंद्र' का उद्घाटन किया गया, जो सीएच कल्ला के रोगियों और आसपास के क्षेत्रों की आम जनता को किफायती दामों पर जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराएगा। यह सुविधा सभी के लिए सुलभता सुनिश्चित करने के लिए 24X7 संचालित होगी।

ङ) आयुष्मान भारत: ईसीएल के दो केंद्रीय अस्पतालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत एकीकृत किया गया है।

च) सीएच कल्ला में व्यावसायिक स्वास्थ्य विंग की स्थापना: सीआईएल के निर्देशों के अनुसार सीएच कल्ला में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य विंग की स्थापना की गई है। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तेरह (13) डॉक्टरों को आईएलओ रेडियोग्राफ में प्रशिक्षित किया गया है और पाँच (05) डॉक्टरों को अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता से औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट फेलो के रूप में प्रमाणित किया गया है। क्षेत्र स्तर पर किए गए पीएमई की समीक्षा के लिए एक व्यावसायिक स्वास्थ्य बोर्ड का भी गठन किया गया है। बोर्ड में व्यावसायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ (एएफआईएच प्रमाणित और आईएलओ प्रशिक्षित) के साथ-साथ छाती रोग विशेषज्ञ भी शामिल हैं। व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है और सभी संबंधितों को प्रसारित की गई है।

छ) इन-हाउस पैरामेडिकल कोर्स प्रशिक्षण (मेडिकल ड्रेसर एवं ईसीजी तकनीशियन): पैरामेडिकल (ईसीजी तकनीशियन एवं मेडिकल ड्रेसर) पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण क्रमशः 10.06.2024 और 17.06.2024 से शुरू किया गया। प्रशिक्षुओं की प्रगति जानने के लिए मासिक समीक्षा परीक्षा के साथ-साथ सैंक्टोरिया अस्पताल और सीएच कल्ला दोनों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

ज) पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम (PACS) एकीकरण: पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम (PACS) एक मेडिकल इमेजिंग तकनीक है जो एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी तकनीकों से डिजिटल इमेज को संग्रहीत, पुनर्प्राप्त, प्रबंधित और साझा करती है। यह भौतिक फिल्मों की आवश्यकता को समाप्त करता है और निदान एवं उपचार के लिए इमेज तक तेज़, दूरस्थ पहुँच को सक्षम बनाता है। 17.02.2025 को, PACS को सैंक्टोरिया अस्पताल के अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के साथ एकीकृत किया गया। PACS, HMIS के 14 मॉड्यूल में से एक था। PACS एकीकरण ने डॉक्टरों को सर्वर से ही सीधे रिपोर्ट उपलब्ध करा दी हैं।

झ) जिटल रेडियोग्राफी प्रणाली: डिजिटल रेडियोग्राफी (DR) एक्स-रे इमेजिंग का एक उन्नत रूप है जहाँ पारंपरिक फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्म के बजाय डिजिटल सेंसर का उपयोग किया जाता है। यह तत्काल छवि पूर्वावलोकन, उच्च छवि गुणवत्ता और कम विकिरण जोखिम प्रदान करता है। डिजिटल रेडियोग्राफी (DR) छवियों के त्वरित भंडारण, पुनर्प्राप्ति और साझाकरण की अनुमति देकर नैदानिक सटीकता में सुधार करती है और कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करती है। 30.12.2024 को, सैंक्टोरिया अस्पताल में डिजिटल रेडियोग्राफी प्रणाली स्थापित की गई।

ञ) ऑपरेशन थिएटर में सी-आर्म की स्थापना: सी-आर्म एक मोबाइल इमेजिंग उपकरण है जिसका उपयोग ऑपरेशन थिएटर में शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान वास्तविक समय में एक्स-रे इमेजिंग के लिए किया जाता है। यह सर्जनों को आंतरिक संरचनाओं को देखने, उपकरणों को निर्देशित करने और प्रत्यारोपण की स्थिति को सत्यापित करने में मदद करता है, खासकर आर्थोपेडिक, हृदय और रीढ़ की सर्जरी में। इसका उपयोग एनेस्थेटिस्ट द्वारा दर्द प्रबंधन के लिए भी किया जाता है। इसका "सी" आकार का आर्म सटीक इमेजिंग के लिए रोगी के चारों ओर लचीली स्थिति में रहने की अनुमति देता है। सी-आर्म को 19.06.2024 को सैंक्टोरिया अस्पताल में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के बाद से, सी-आर्म के उपयोग से एपिड्यूरल दर्द प्रबंधन और आकस्मिक सर्जरी को सुगम बनाया गया है।

ट) **नर्सिंग सहायक (जीडीए) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम**: कोल इंडिया की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत, स्थानीय एवं वंचित वर्ग की बालिकाओं को सैंक्टोरिया अस्पताल में निःशुल्क नर्सिंग सहायक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण उन्हें रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु आवश्यक कौशल और मार्गदर्शन प्रदान करेगा तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाएगा।

ठ) **क्षय रोग उन्मूलन एवं निक्षय-मित्र**: राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। कोल इंडिया इस कार्यक्रम में अपनी शुरुआत से ही भागीदार रहा है। 100 दिनों के सघन 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत 7 दिसंबर, 2024 से 7 अप्रैल, 2025 तक 26 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1663 लाभार्थी शामिल हुए।

12.0 सेवानिवृत्ति के बाद कल्याणकारी उपाय:

क) सीएमपीएफ ग्राहकों के दावों की एकरूपता, पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए सीएमपीएफओ की अधिकांश कार्यक्षमताएं फरवरी 2024 से ऑनलाइन मोड में हैं। पूर्व कर्मचारियों के पीएफ और पेंशन दावों को सी-केयर्स पोर्टल में संसाधित किया जाता है और चरणबद्ध तरीके से कुछ और सुविधाएँ और कार्यक्षमताएँ जोड़ी जाएंगी।

ख) कुछ अड़चनें थीं और सीएमपीएफओ के साथ संपर्क में ईसीएल मुख्यालय द्वारा 11.09.2024 को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें ईसीएल के सभी क्षेत्रों/इकाइयों/प्रतिष्ठानों के सभी पीएफ/पेंशन संबंधित अधिकारी और सीएमपीएफओ, आसनसोल और देवघर के क्षेत्रीय प्रमुख शामिल थे, ताकि कंपनी के दिशानिर्देश और नियमों के अनुपालन में सी-केयर पोर्टल में पीएफ, पेंशन और अन्य दावों को प्रस्तुत करने और उपलब्ध पैरामीटर के भीतर इसके समाधान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके। ईसीएल डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को सुगम बना रहा है और अनुवर्ती उपायों के रूप में, अगले महीने सीएमपीएफओ के क्षेत्रीय प्रमुख के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

ग) कर्मचारी का प्रोफ़ाइल पहले से ही सी-केयर्स पोर्टल पर अपलोड है, और 31 दिसंबर 2024 तक इसे बड़े पैमाने पर अपडेट किया गया है। इसके अलावा, ईसीएल के नोडल अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार नियमित आधार पर सी-केयर्स पोर्टल पर कर्मचारी डेटा को अपडेट किया जाता है। सदस्यों के पीएफ और पेंशन अंशदान से संबंधित वित्त मॉड्यूल पर काम चल रहा है।

घ) ईसीएल के सभी क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में प्रत्येक माह की 9 तारीख को समय-समय पर हेल्प डेस्क का आयोजन किया जाता है, ताकि कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के आश्रितों/पूर्व कर्मचारियों की पीएफ/पेंशन से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जा सके।

ङ) जीवनसाथी पेंशन के परेशानी मुक्त निपटान के लिए सदस्य पेंशनभोगियों की मृत्यु की स्थिति में, सभी पात्र सदस्यों, पेंशनभोगियों को सीएमपीएफओ द्वारा संशोधित (संयुक्त) पीपीओ जारी करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और ईसीएल इसके लिए आवेदन पर शीघ्रता से कार्रवाई कर रहा है।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन ईसीएल सेंट्रल हॉस्पिटल कल्ला, आसनसोल में

ईसीएल द्वारा की जाने वाली चिकित्सा संबंधी गतिविधियाँ

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 मनाएगा

13.0 सुरक्षा और बचाव:

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सभी हितधारकों की बेहतरी के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ईसीएल ने वर्षों से सुरक्षित प्रबंधन पद्धतियों और तकनीकों को अपनाने की दिशा में निरंतर प्रगति की है। हमारी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप, ईसीएल ने पिछले कुछ वर्षों में कार्यस्थल दुर्घटनाओं में लगातार कमी देखी है।

"सुरक्षा सर्वप्रथम और उत्पादन सर्वोपरि" इस मंत्र के साथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपनी सतत खनन प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में 'शून्य क्षति क्षमता' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। इसी उद्देश्य से, ईसीएल ने वर्ष 2024-25 के दौरान श्रमिकों और खदानों की सुरक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके तहत सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु उपयुक्त तकनीकी, प्रशासनिक और मानवीय पहल की जा रही हैं।

ईसीएल ने सुरक्षा मानकों के उत्थान की दिशा में अपने समर्पित और पारदर्शी प्रयासों के माध्यम से उल्लेखनीय सुधार किए हैं, जो प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाइयों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं से स्पष्ट हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सुरक्षा बजट आवंटन में 24.61% की वृद्धि हुई है।

13.1 दुर्घटना सांख्यिकी :

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	2024-25	2023-24
1.	घातक दुर्घटना (संख्या)	04	03
2.	मृत्यु-संख्या	05	05
3.	गंभीर दुर्घटना (संख्या)	03	04
4.	गंभीर चोट (संख्या)	03	05
5.	मृत्यु-संख्या/मिलियन टन उत्पदान	0.106	0.105
6.	मृत्यु-संख्या / 3 लाख श्रमिक पारी	0.133	0.126
7.	गंभीर चोट /मिलियन टन उत्पदान	0.064	0.105
8.	गंभीर चोट / 3 लाख श्रमिक पारी	0.080	0.126

13.2 सुरक्षा जागरूकता:

क) सभी खदानों में शिफ्ट-पूर्व सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया जा रहा है ताकि श्रमिकों को उनके कार्यस्थल में मौजूद विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में सुरक्षित रूप से अपना काम कैसे किया जाए, यह सिखाया जा सके। पर्यवेक्षकों के साथ-साथ, श्रमिकों को भी शिफ्ट-पूर्व सुरक्षा वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ख) कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, वर्ष के दौरान भूमिगत और खुली खदानों के विभिन्न क्षेत्रों में 12 सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए।

ग) कॉर्पोरेट स्तर के सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों और आईएसओ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय निरीक्षण पूरे वर्ष ईसीएल के सभी क्षेत्रों में मासिक रूप से आयोजित किए गए हैं।

दुर्घटना के आँकड़े

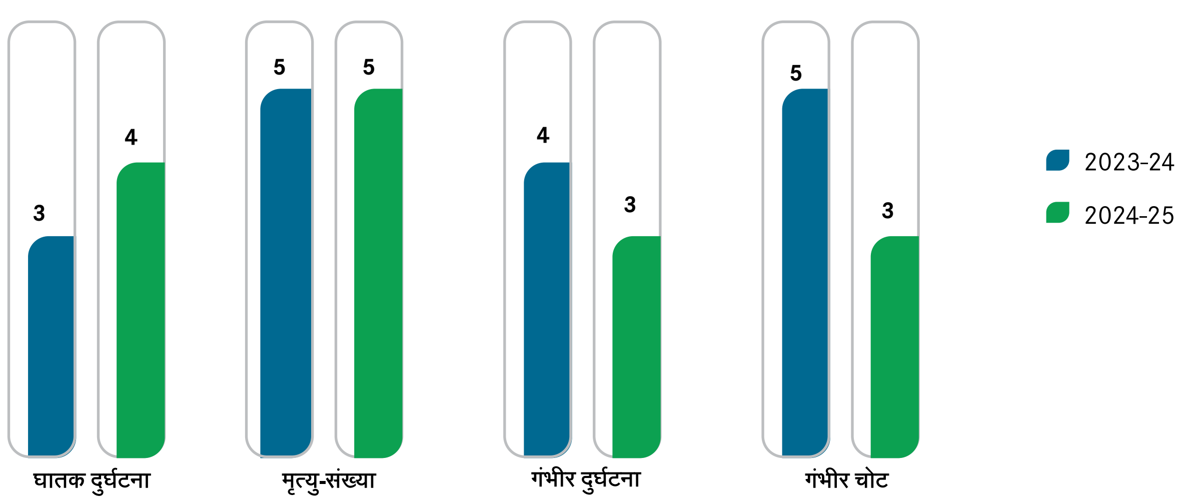

घ) दिनांक 19.09.2024 से 28.09.2024 तक सभी क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

ङ) 63वीं कॉर्पोरेट स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक 06.02.2025 को ईसीएल मुख्यालय में आयोजित की गई।

च) विभिन्न यूनियनों के सुरक्षा बोर्ड सदस्यों और ईसीएल प्रबंधन के बीच कॉर्पोरेट स्तर की द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें 13.06.2024 और 13.09.2024 को आयोजित की गईं।

छ) 2024-25 सत्र के लिए वार्षिक सुरक्षा सप्ताह डीजीएमएस के मार्गदर्शन में 18.11.2024 से 23.11.2024 तक क्षेत्र की सभी खदानों, पीएमई केंद्रों, वीटी केंद्रों के साथ-साथ पांच कैप्टिव खदानों में मनाया गया।

ज) सभी क्षेत्रों के एजेंटों और एएसओ के साथ कॉर्पोरेट स्तर पर मासिक समन्वय बैठकें आयोजित की गईं।

झ) कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईएलओ दिवस 28.04.2024 को मनाया गया।

ञ) वर्ष के दौरान विभिन्न खदानों में विभिन्न प्रत्याशित खतरों पर मॉक रिहर्सल आयोजित किए गए।

ट) एसएमपी के निर्माण और कार्यान्वयन, वेंटिलेशन, अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित परिवहन और विस्फोटकों के उपयोग आदि जैसे प्रमुख सुरक्षा विषयों पर कार्यबल को संवेदनशील बनाने के लिए पूरे वर्ष विभिन्न कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए हैं।

ठ) ईसीएल के 26 अधिकारियों को आईआईटी (आईएसएम), धनबाद से सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा के लिए लीड-ऑडिटर के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया।

13.3 सुरक्षा सुधार:

क) 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान गंभीर दुर्घटनाओं में 57% की कमी आई है।

ख) 58 खदानें जो ईसीएल की चालू खदानों का लगभग 78.38% है, 2024-25 के दौरान घातक, गंभीर और रिपोर्ट योग्य दुर्घटनाओं से मुक्त हैं।

ग) ईसीएल ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट सुरक्षा पुरस्कार 2024 में दूसरा पुरस्कार जीता।

घ) बंकोला क्षेत्र की श्यामसुंदरपुर कोलियरी ने 28.07.2024 को खान सुरक्षा पुरस्कार 2024 की बड़ी भूमिगत कोयला खदानों के लिए खानों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता।

ङ) ईसीएल की 2 खदानों (झांझरा प्रोजेक्ट कोलियरी और सोनपुर बाजारी ओसीपी) को 21.10.2024 को 2022-23 के लिए कोयला मंत्रालय से प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग पुरस्कार प्राप्त हुआ।

च) मार्च 2024 में सुरक्षा कार्रवाई कैलेंडर तैयार किया गया था, जिसमें विभिन्न सुरक्षा-संबंधी गतिविधियों को निर्धारित किया गया था, जिन्हें 2024-25 के दौरान सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।

भारत सरकार के कोयला सचिव की अध्यक्षता में एक टीम, जिसमें कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, ने स्विट्जरलैंड के हेगर बाख सुरंग का दौरा किया।

छ) ईसीएल की सभी खदानों का सुरक्षा ऑडिट 31.10.2024 को पूरा कर लिया गया और राष्ट्रीय खान सुरक्षा पोर्टल पर ऑडिट निष्कर्षों का अनुपालन 30.03.2025 तक पूरा कर लिया गया।

ज) ईसीएल ने 7.77 करोड़ रुपये में 15000 एलईडी कैप लैंप, 9.39 करोड़ रुपये में 3 पर्यावरण टेली मॉनिटरिंग सिस्टम, 8.16 करोड़ रुपये में 192 मिस्ट-टाइप अग्निशामक यंत्र, 7.36 लाख रुपये में 30 ब्रेथ एनालाइजर (ब्रेथ अल्कोहल मीटर) सहित प्रमुख सुरक्षा सामग्री खरीदी है।

झ) खनन जूते, गमबूट, ब्रेटिस कपड़े, सुरक्षा हेलमेट आदि जैसी विभिन्न नियमित सुरक्षा राजस्व वस्तुएं लगभग 10.78 करोड़ रुपये में खरीदी गईं।

13.4 खान सुरक्षा में श्रमिकों की सहभागिता :

क) 2024-25 के दौरान डीजीएमएस और ट्रेड यूनियनों के साथ सभी क्षेत्र स्तरीय और कॉर्पोरेट स्तरीय त्रिपक्षीय बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं।

ख) कंपनी स्तर के सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों ने, जो कार्यरत ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आईएसओ अधिकारियों के साथ मिलकर वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार सभी खदानों का निरीक्षण किया है।

ग) खदानों की सुरक्षा समिति में ठेकेदारों के श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

घ) खानों की सुरक्षा समिति को मजबूत एवं सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी (जैसे, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, एजेंट और आईएसओ प्रतिनिधि) सुरक्षा समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं ताकि इसकी महत्ता बढ़ाई जा सके।

13.5 मानसून की तैयारी:

क) 15 जून, 2024 से 15 अक्टूबर, 2024 तक मुख्यालय, क्षेत्र और इकाई स्तर पर मानसून नियंत्रण कक्षों को 24x7 आधार पर चालू किया गया था, जिन्हें अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के साथ निकट संपर्क रखते हुए उनके आवागमन के लिए टेलीफोन और वाहन प्रदान किए गए थे।

ख) 'बाढ़ चेतावनी सूचनाओं' की प्राप्ति के लिए 'मानसून नियंत्रण कक्ष के अधिकारी प्रभारी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी), मैथन के मुख्य अभियंता (पनबिजली) के साथ निकट संपर्क स्थापित रखे हुए थे, जब कभी नदियों के जल स्तर में वृद्धि के कारण पंचेत एवं मैथन डैम जल निकासी करती थी तब खदानों को खतरे में हो के लिए सतर्क किया गया।

ग) भारी वर्षा एवं आंधी तूफान से प्रभावित खनन क्षेत्रों को सतर्क करने के निहितार्थ मौसम पूर्वानुमान रिपोर्टों की प्राप्ति के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, अलीपुर, कोलकाता के निदेशक एवं क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केन्द्र, अलीपुर, कोलकाता के निदेशक के साथ भी मानसून नियंत्रण कक्ष के अधिकारी प्रभारी ने निकट संपर्क स्थापित रखा था।

घ) 2025-26 के आगामी मानसून के लिए, निम्नलिखित अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई है:

- **i)** ईसीएल की सभी खानों से मानसून कार्य योजना 31.01.2025 को सुरक्षा विभाग, ईसीएल मुख्यालय को प्रस्तुत की गई।
- **ii)** ईसीएल के क्षेत्रीय खान सुरक्षा अधिकारियों को सभी मानसून गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा के संबंध में अपने संबंधित क्षेत्र के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया है।

ईसीएल के राजमहल क्षेत्र में 100 टन डम्पर का शुभारंभ

iii) महाप्रबंधक (सुरक्षा) की अध्यक्षता में फरवरी, 2025 में आयोजित समन्वय बैठक में, ईसीएल के सभी क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे मानसून सीजन की शुरुआत से पहले अपने संबंधित मानसून कार्य योजना - 2025 के अनुसार अपने क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों के संबंध में अपने कार्य आदेशों को अंतिम रूप दें।

iv) ईसीएल मुख्यालय के सुरक्षा, ईएंडएम और सिविल विभागों की एक बहु-विषयक टीम ने 05.03.2025 से 26.03.2025 तक ईसीएल के सभी क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित कीं।

v) विभागाध्यक्ष (एस एंड आर), सीआईएल द्वारा जारी किए गए मॉडल दिशानिर्देशों के अनुरूप, मानसून अवधि के दौरान निर्बाध कोयला प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और ईसीएल के सभी क्षेत्रों में प्रसारित की गई है।

13.6 खान बचाव सेवाएँ :

ईसीएल की सभी कोलियरियों, बीसीसीएल के क्षेत्र XII और आईआईएससीओ, सेल की रामनगर कोलियरी के साथ-साथ नागरिक प्रशासन और सार्वजनिक प्राधिकरणों को माइंस रेस्क्यू स्टेशन, सीतारामपुर, रिफ्रेशर ट्रेनिंग (आरआरआरटी) के साथ रेस्क्यू रूम, केंदा और झांझरा और मुग्मा में संचालित रेस्क्यू रूम के माध्यम से आवश्यकता आधारित बचाव सेवाएं प्रदान की गईं।

13.7 आकस्मिक सेवाएँ:

क्रम सं.	कोलियरी	क्षेत्र	तिथि	घटना/कार्य की प्रकृति
1.	सतग्राम परियोजना	सातग्राम-श्रीपुर	19.03.2024	सीलबंद क्षेत्र को पुनः खोलना।
2.	चिनाकुरी खदान।	सोदेपुर	30.04.2024 से 01.05.2024 तक	दूसरा आउटलेट तलाशना.
3.	मुख्यालय ईसीएल के पास किलबर्न	मुख्यालय के पास	01.06.2024	ट्रांसफार्मर में आग
4.	दीमा हसाओ, असम	राज्य असम	07.01.2025 से 16.01.2025 तक	उस शाफ्ट में पर्यावरण निगरानी जहां 9 खनिक जलप्लावन के कारण फंस गए थे।
5.	दोही बारी ओसीपी	सीवी एरिया, बीसीसीएल	09.03.2025	ओसीपी में ट्रांसफार्मर में आग

ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सतीश झा ईसीएल की विभिन्न खदानों के दौरे के दौरान

13.8 बचाव प्रशिक्षण

खान बचाव केन्द्र में पुनश्चर्या तथा आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए थें और निम्नलिखित कर्मी को प्रशिक्षित किए गए थे :

ब्यौरे	2024-25	2023-24
खान बचाव प्रशिक्षित कर्मी की सक्रिय संख्या	497	479
नव प्रशिक्षित कर्मी की संख्या	88	87
पुनश्चर्या व्यवहार प्रशिक्षित की संख्या	4145	4174
आपात कर्तव्य निर्वहन की संख्या	05	03
प्राथमिक चिकित्सा में नव प्रशिक्षित व्यक्ति की संख्या	152	221
गैस क्रोमैटोग्राफ द्वारा विश्लेषित वायु नमूने की संख्या	2125	2230

13.9 प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण :

सीतारामपुर माइंस रेस्क्यू स्टेशन को डीजीएमएस द्वारा प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षण देने और प्राथमिक उपचार प्रमाण पत्र जारी करने के केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2024-25 के दौरान, छह सौ अट्ठासी (688) कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा, ईसीएल की अंतर क्षेत्रीय प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता 04.03.2025 को माइन रेस्क्यू स्टेशन, सीतारामपुर में आयोजित की गई, जिसमें ईसीएल के सभी क्षेत्रों से 5 सदस्यों वाली 34 टीमों ने भाग लिया, जिसमें पांच महिला टीमें और छह संविदा टीमें शामिल थीं। 22 और 23 अक्टूबर, 2024 को माइंस रेस्क्यू स्टेशन, सीतारामपुर में क्षेत्रीय खान बचाव प्रतियोगिता आयोजित की गई। ईसीएल की बचाव टीम द्वारा ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रीय महिला क्लबों और ईसीएल मुख्यालय के महिला क्लब में सीपीआर और प्राथमिक उपचार पर एक प्रदर्शन किया गया।

ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और खान सुरक्षा महानिदेशक की उपस्थिति में ईसीएल में वार्षिक सुरक्षा सप्ताह 2024 के अंतिम दिन का जश्न मनाया गया

13.10 उपकरण/उपकरणों की स्थिति:

मौजूदा उपकरण/उपकरण		नए उपकरण/उपकरण	
ब्यौरे	मात्रा (संख्या)	ब्यौरे	मात्रा (संख्या)
स्व-निहित श्वास उपकरण (एससीबीए)	102	स्व-निहित श्वास उपकरण की खरीद	78
पुनर्जीवन उपकरण	12	फायर टेंडर की खरीद	क्रय आदेश जारी
मल्टी गैस डिटेक्टर	04		
बैग उठाना	02		
हाइड्रोलिक कटर और स्प्रेडर	02		
बोर होल नमूना संग्रह पंप	01		

14.0 सतर्कता गतिविधियाँ :

कंपनी का सतर्कता स्कन्ध प्रबंधन कृत्य की पारदर्शिता, अभेद, जबाबदेही और दक्षता को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है। पूरे वर्ष कई सतर्कता गतिविधियों को संगठन के कामकाज की "पारदर्शी और तर्कसंगत" छवि को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रमुख भूमिका मिली है। अनेक हितधारकों के मध्य विश्वास जागृति के लिए नाना प्रकार के साहसिक एवं प्रगत कदमों को परिगृहीत किए गए थे। कई प्रकार के व्यपगतों/अनियमितताएँ परिचिह्नित करने के लिए नानाविध परिवाद आधारित अन्वेषण संचालित किए गए थे और अपचारी पदधारियों के विरूद्ध पैनल अध्युपायों को आरंभ किए गए थे तथा प्रचलित प्रणालियों के सुधारों की एक महत्वपूर्ण संख्या को लागू किया गया है। इसके अलावा, कंपनी की कार्यक्षमता की जवाबदेही, पारदर्शिता और तर्कसंगतता में अधिक स्पष्टता लाने के लिए, जानबूझकर इरादे से की गई अनियमितताओं / चूक के कई उदाहरणों पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया और कई मामलों में यह दोषी अधिकारियों को दंड देने में समाप्त हुआ। खामियों को रोकने के लिए विभिन्न मुद्दों पर गहन परीक्षाएं आयोजित की गई थीं और कुछ मामलों में, यह प्रणाली में सुधार के रूप में समाप्त हुआ है। और भी, सतर्कता विभाग में नियमित पर्यवेक्षण और अनुश्रवण द्वारा ईसीएल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकीय पहलों एवं ई-सुशासन को क्रियान्वित किया गया है।

14.1 निवारणात्मक सतर्कता :

कंपनी के कामकाज के संपूर्ण दायरे को कवर करने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों/इकाइयों में बड़ी संख्या में औचक निरीक्षण किए गए। इसके अलावा, विभिन्न हितधारकों के बीच वर्ष भर बड़ी संख्या में सतर्कता जागरूकता-सह-प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हुए। अधिकांश मामलों में, प्रचलित प्रणालियों का गहन अध्ययन किया गया है और जब भी आवश्यक हुआ, मौजूदा प्रणाली में सुधार के लिए और साथ ही "निवारक सतर्कता" के एक भाग के रूप में मौजूदा प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए विभिन्न "प्रणाली सुधार" उपायों को लागू किया गया है। इस तरह के ईमानदार प्रयास संगठन की कार्य संस्कृति पर उल्लेखनीय रूप से परिलक्षित हुए हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

ईसीएल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की झलकियाँ

क्रम सं.	विषय	2024-25	2023-24
i.	सामयिक जांच-पड़ताल के साथ-साथ संचालित औचक जांच/ निरीक्षण की संख्या	90	44
ii.	**सतर्कता जागरूकता सह अभिप्रेरक कार्यक्रम :**		
	a) आंतरिक संकायों के साथ जागरूकता कार्यक्रम	36	35
	b) ग्राम सभा के माध्यम से जागरूकता	03	01
iii.	गहन परीक्षा	12	10

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के तीन माह की अवधि के दौरान निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :

क्रम सं.	विषय	प्रशिक्षित पदधारियों की संख्या
1.	अधिप्राप्ति	85
2.	सदाचार और सुशासन	40
3.	संगठन की प्रणाली एवं पद्धतियाँ	350
4.	साइबर स्वच्छता एवं सुरक्षा	248
5.	आचरण नियम	100

14.2 दाण्डिक सतर्कता :

संगठनों के कृत्यों का उचित एवं पारदर्शी छवि स्थापित करने के साथ-साथ उसे बनाए रखने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से किए गए अनियमितताओं के दृष्टांतों को सतर्कता दृष्टिकोण रखकर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया गया और सुसंगत आचरण नियम के अधीन लिए गए कठोर एवं अनुकरणीय दांडिक अध्युपायों के साथ बरता गया। वर्ष के दौरान, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 33 पदधारियों को चेतावनी सहित (प्रशासनिक और अभिलिखित योग्य) कई वृहद और लघु शास्तियाँ अधिनिर्णित किए गए।y.

14.3 प्रौद्योगिकी उद्यमान :

संगठन की पारदर्शिता एवं क्षमता में अभिवृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी उद्यामन करने की दिशा में प्रबंधन द्वारा लिए गए निम्नलिखित पहलों का सतर्कता विभाग द्वारा अनुश्रवण किया गया :

क्रम सं.	गतिविधि	पुनरीक्षितापेक्षा सहित कुल परिमाण	वर्तमान प्रास्थिति		अतिशेष
			अधिष्ठापित/ नवप्रवर्तित	अधिष्ठापित/ नवप्रवर्तित	
1.	भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस/ जीपीआरएस) युक्त वाहन लक्ष्यानुसरण प्रणाली	1225	1225	1225	Nil
2.	सीसीटीवी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी	1888	1884	1672	04
3.	बूम रोधनाका / रीडर	232	232	223	Nil
	आरएफ आईडी टैग्स	12227	12227	12227	Nil
4.	मार्ग तोलन वेदी	162	136	108	26
	उपर्युक्त तोलन वेदी में से वैन के साथ मार्ग तोलन वेदी संयोजकता	122	122	122	Nil
	रेलवे तोलन वेदी	22	16	13	06
	उपर्युक्त रेलवे तोलन वेदियों में से वैन के साथ रेलवे तोलन वेदी संयोजकता	16	11	10	05
5.	बृहत् क्षेत्र जालक्रम (आसंधियों/ अवस्थितियों की संख्या)	244	242	242	02

14.4 सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम का क्रियान्वयन :

सत्यनिष्ठा संधि पहले से ही प्रचलन में है।

14.5 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन:

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार 28.10.2024 से 03.11.2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का विषय "राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति" था। 28.10.2024 को ईसीएल मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ईसीएल के निदेशकों और मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसके बाद सरदार वल्लभभाई पटेल की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित की गई और कोल इंडिया का राष्ट्रगान बजाया गया। 28.01.2024 को ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का डिजिटल उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद ईसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2024 के दौरान आयोजित गतिविधियों पर भाषण दिया जाएगा।

ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने 28.10.2024 को हमारी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और पारदर्शिता लाने और जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास करने के लिए ईमानदारी की शपथ दिलाई। हमारी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और पारदर्शिता लाने और जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास करने के लिए ईमानदारी की शपथ दिलाई गई।

इसी प्रकार, दिनांक 28.10.2024 को क्षेत्र के प्रतिष्ठान/परियोजना और इकाई स्तर पर संबंधित जीएम/एचओडी द्वारा शपथ दिलाई गई और इस अवसर पर, 2024 का सतर्कता समाचार पत्र 'सचेतना' और 'संग्रह- 2024' 28.10.2024 को जारी किया गया। 28.10.2024 को जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाने के साथ गुब्बारे छोड़े गए। दिनांक 31.10.2024 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करने के लिए सतर्कता विभाग में एक समारोह आयोजित किया गया। बाराचक हाउस, आसनसोल में सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। ईसीएल मुख्यालय और सभी क्षेत्रों/इकाइयों/प्रतिष्ठानों में महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रष्टाचार विरोधी नारे वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

इनके अलावा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

क) तस्वीरें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के फेसबुक पेज के माध्यम से दैनिक आधार पर सीवीसी के सोशल मीडिया हैंडल (ट्विटर: @CVCIndia, फेसबुक: @CVCofIndia) को टैग करते हुए सोशल मीडिया में अपलोड की गईं।

ख) ईसीएल के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए ईसीएल के सभी क्षेत्र/विभाग/इकाई/स्थापना के सभी जीएम/एचओडी को ई-मेल द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा।

ग) सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 के दौरान विभिन्न गतिविधियों को मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा कवर किया गया है।

विभिन्न विभागों ने अपने विभाग के विवरण को अद्यतन करने के लिए अपने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा, ईसीएल ने एक नई गतिशील आधिकारिक वेबसाइट भी विकसित की है, जिसने मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) ऑडिट पास कर लिया है। उपरोक्त गतिशील वेबसाइट को अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) क्लाउड पर होस्ट करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

ईसीएल में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह

14.6 वर्ष 2024-25 के दौरान की प्रमुख उपलब्धियाँ :

क) सतर्कता गतिविधियों को सामान्य प्रबंधन कार्यप्रणाली के साथ एकीकृत करके, कंपनी ने जागरूकता सह प्रेरणा कार्यक्रमों में नियमित बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के मनोबल को बढ़ाने के मामले में लाभ प्राप्त किया है। इसका प्रभाव उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय रूप से परिलक्षित हुआ है।

ख) कई आईटी पहलों का लाभ उठाने से पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, इससे अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से लागत में कमी आई है और समग्र रूप से निष्पक्ष कार्य वातावरण बना है।

ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा जांच एवं रिपोर्ट के लिए भेजे गए मामलों का अनुपालन उल्लेखनीय रूप से किया गया है।

15.0 राजभाषा कार्यान्वयन:

क) सितंबर, 2024 में, ईसीएल में राजभाषा (हिंदी) माह मनाया गया, जिसके अंतर्गत ईसीएल मुख्यालय, उसके 13 खनन क्षेत्रों और आस-पास के बंगाली एवं हिंदी माध्यम विद्यालयों में हिंदी भाषा के प्रचार/विकास हेतु 100 से अधिक विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इसके अलावा, हिंदी दिवस समारोह और राजभाषा (हिंदी) माह, 2024 के समापन पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया।

ख) ईसीएल राजभाषा टीम ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुवाहाटी में दिनांक 05.03.2025 को आयोजित पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के संयुक्त राजभाषा सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त, ईसीएल के छह (06) राजभाषा कार्मिकों ने दिनांक 17.01.2025 से 19.01.2025 तक भुवनेश्वर शहर के केआईआईटी विश्वविद्यालय में "विश्वमुक्ति" द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय राजभाषा संगोष्ठी में भाग लिया।

ग) आसनसोल शहर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ईसीएल द्वारा 22.11.2025 को द्वितीय "राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, 2024" का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय "साहित्य और लोक भाषा" था। सम्मेलन में काजी नज़रूल विश्वविद्यालय, बिधान चंद्र (बी.सी.) कॉलेज, बनवारीलाल भालोटिया (बी.बी.) कॉलेज, आसनसोल गर्ल्स कॉलेज, कुल्टी कॉलेज, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज, रानीगंज टीडीबी कॉलेज, चित्तरंजन देशबंधु कॉलेज, माइकल मधुसूदन कॉलेज, दुर्गापुर और पश्चिम बर्दवान जिले के अन्य कॉलेजों या स्कूलों के प्रोफेसरों, प्राचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया और बर्नपुर-आसनसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) के सभी सदस्यों जैसे आईआईएससीओ स्टील प्लांट, भारतीय रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंक, उप श्रमायुक्त कार्यालय आदि के साथ-साथ ईसीएल श्रमिकों की भी सक्रिय भागीदारी रही। साथ ही, आसनसोल शहर के प्रतिष्ठित एवं विद्वान व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति से सम्मेलन का महत्व सिद्ध हुआ।

कंपनी सचिवालय को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया

घ) स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संपूर्ण ईसीएल परिवार द्वारा 12.01.2024 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। यह दिवस मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में मनाया गया। यह कार्यक्रम ईसीएल के राजभाषा विभाग द्वारा मुख्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें 200 से अधिक कर्मचारियों ने ईसीएल मुख्यालय के तकनीकी भवन में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष एक साथ उपस्थित होकर श्रद्धापूर्वक इस दिवस को मनाया।

ङ) 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025' के अवसर पर 17 और 18 फरवरी, 2025 को पंचकोट कॉलेज, पुरुलिया में बंगाली और हिंदी में रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और लघु वीडियो प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 21.02.2025 को आयोजित सद्भाव सम्मेलन में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर पुरुलिया जिले के 'गाछ दादू' (वृक्ष के पितामह) के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद् श्री दुखु माझी, जिन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, को मुख्य वक्ता के रूप में सादर आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन का भव्य समापन हुआ जिसमें संथाली नृत्य और पुरुलिया के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध छऊ नृत्य को मनमोहक तरीके से प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में 400 से अधिक लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

च) ईसीएल के कुनुस्तोरिया क्षेत्र में 25.09.2024 को "काव्यम", सोनपुर बाजारी क्षेत्र में 27.09.2024 को और ईसीएल मुख्यालय में 05.09.2024 को बहुभाषी "काव्य पाठ" का आयोजन किया गया।

छ) ईसीएल मुख्यालय सहित खनन क्षेत्रों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "हिंदी ई-टूल्स एवं उनके अनुप्रयोग" तथा राजभाषा (हिंदी) के संवैधानिक प्रावधानों पर 11 (ग्यारह) राजभाषा (हिंदी) कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके साथ ही, क्षेत्रीय राजभाषा नोडल अधिकारी ने परिवर्तन राजभाषा अकादमी, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 27.11.2024 से 30.11.2024 तक पुरी, ओडिशा में स्थापना नीति अनुपालन पर आयोजित कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया।

ज) भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ईसीएल में प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत पाठ्यक्रमों की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईसीएल मुख्यालय और सालानपुर क्षेत्र के कुल 54 कर्मचारियों को उक्त पाठ्यक्रमों में नामांकित किया गया था। इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कार्मिकों के मूल्यांकन हेतु केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम 31.12.2024 को आया जिसमें 38 कार्मिक उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण कार्मिकों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया।

झ) राजभाषा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, ईसीएल ने अपने कमांड क्षेत्र में हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कुल्टी कॉलेज में हिंदी अध्ययनरत 190 से अधिक विद्यार्थियों के लिए दिनांक 16.12.2024 से 22.12.2024 तक "राजभाषा हिंदी" विषय पर सात दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया।

पद्मश्री एवं पर्यावरण कार्यकर्ता श्री दुखु माझी ने भाग लिया
ईसीएल में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह

ञ) ईसीएल मुख्यालय और सभी क्षेत्रों के सभी कंप्यूटरों को हिंदी में काम करने की सुविधा के लिए यूनिकोड सक्षम हिंदी फ़ॉन्ट में सक्रिय किया गया है। हिंदी पत्राचार को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही, आधुनिक तकनीक के माध्यम से अनुवाद का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही, ईसीएल ने 14.02.2025 को नई दिल्ली में सी-डैक पुणे के सहयोग से भारत सरकार द्वारा विकसित अनुवाद ई-टूल्स "कंठस्थ 2.0 संस्करण" पर एक दिवसीय अभ्यास-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की।

ट) राजभाषा विभाग की बंगाली पत्रिका "मृदंगर" का छठा अंक और हिंदी पत्रिका "ज्योत्सना" का 22वाँ अंक प्रकाशित हो चुका है। दोनों पत्रिकाओं के प्रत्येक अंक की एक-एक हज़ार प्रतियाँ कर्मचारियों और उनके आवासों पर वितरित की गई और ई-संस्करण दस हज़ार से अधिक लोगों को ई-मेल किया गया है। इसके साथ ही, हिंदी में तीन (03) समाचार बुलेटिन प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें झांझरा क्षेत्र से "सृजन", कुनुस्तोरिया क्षेत्र से "समृद्धि" और कजोरा क्षेत्र से "प्रयास" शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित समारोहों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों में विशिष्ट अतिथियों और श्रोताओं को ज्ञानवर्धक हिंदी पुस्तकें भेंट की गई हैं।

ठ) कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 04.10.2024 और 17.01.2025 को आयोजित निगरानी बैठक और 27 व 28 जून, 2024 को कोलकाता में आयोजित कोल इंडिया लिमिटेड की राजभाषा समीक्षा बैठक-सह-कार्यशाला में विभागाध्यक्ष (राजभाषा) और राजभाषा के अन्य अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। आसनसोल-बर्नपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित बैठकों और संगोष्ठियों में ईसीएल का नियमित रूप से प्रतिनिधित्व रहा है।

ड) ईसीएल में राजभाषा कार्यान्वयन पर त्रैमासिक रिपोर्ट तिमाही के अंत में गृह मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पूर्वी क्षेत्र) और बर्नपुर-आसनसोल टाउन राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भेजी गई है और वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रत्येक तिमाही में एकरूपता के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा संबंधित पोर्टल पर अपलोड की गई है।

ढ) ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र द्वारा राजभाषा माह, 2024 के दौरान जनसामान्य में हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु “हिंदी रथ यात्रा” का शुभारंभ किया गया, जिसने सितम्बर, 2024 के पूरे माह में रानीगंज क्षेत्र के विभिन्न बाजारों, कंपनी परिसरों, कोयला खदानों आदि में हिंदी का प्रचार-प्रसार किया। यात्रा के दौरान, जहां भी हिंदी रथ रुका, वहां आम जनता से हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए और सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया गया।

ण) ईसीएल मुख्यालय के आसपास के सात (07) स्कूलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के प्रदर्शन के लिए धातु बोर्ड प्रदान किए गए। भारत सरकार द्वारा अनुशंसित साहित्यकारों के उद्धरणों के अस्सी (80) बोर्ड बनाए गए और ईसीएल मुख्यालय तथा केंद्रीय अस्पतालों सहित इसके सभी क्षेत्रों में प्रदर्शित किए गए।

ईसीएल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की झलकियाँ

16.0 कम्प्यूटरीकरण एवं आईटी सक्षम सेवाएं:

16.1 ईसीएल में ई-निविदा प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ :

क) वर्ष 2024-25 के दौरान, कार्यों और सेवाओं से संबंधित कुल 4874 निविदाएं सीआईएल ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी https://coalindiatenders.nic.in पर प्रकाशित की गईं, जिनमें से कुल 2984 निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया, 368 निविदाएं रद्द कर दी गईं और शेष अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं (जीईएम पोर्टल पर जारी निविदाओं को छोड़कर)।

ख) वर्ष के दौरान मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों और कार्यशालाओं के 45 अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) की व्यवस्था की गई है।

ग) ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से निविदाओं के पूरा होने की औसत चक्र अवधि 2024-25 में औसतन 87 दिन रखी गई है। ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से निविदाओं के पूरा होने की न्यूनतम चक्र अवधि 9 दिन है।

घ) ईसीएल में सिविल क्रय आदेशों के लिए ई-मापन पुस्तिका (ई-एमबी) का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया है।

16.2 ईआरपी कार्यान्वयन:

ईसीएल का सिस्टम विभाग कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में सुरक्षित, विश्वसनीय और नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, ईसीएल नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए डिजिटलीकरण का विस्तार करने और पहुँच एवं सूचना पुनर्प्राप्ति को बेहतर बनाने हेतु वेब ऐप्स/मोबाइल ऐप्स विकसित करने पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। ईसीएल में कार्यान्वित आईटी अवसंरचना और सेवाएँ नीचे उल्लिखित हैं:

क) एसएपी ईआरपी उपलब्धि 2024-25: ERP को अगस्त 2021 से ECL में विधिवत रूप से लागू किया गया है। सभी मॉड्यूल सफलतापूर्वक चल रहे हैं और उनका लाभकारी उपयोग किया जा रहा है। विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सिस्टम को अनुकूलित किया गया है और कई नई पहल भी की गई हैं। ईआरपीएस में 2024-25 में विकसित और कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं।

मॉड्यूल	वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्धियाँ
वित्त व नियंत्रण (फिको)	1) पीआर और पीओ के लिए रिलीज रणनीति के कार्यान्वयन के माध्यम से एफआईसीओ मॉड्यूल में एसएपी-ईआरपी के माध्यम से बजटीय नियंत्रण। 2) बीजी रखरखाव के लिए बीजी मॉड्यूल।
मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम)	1) एचसीएम मॉड्यूल में नए ईएसएस पोर्टल का शुभारंभ। 2) नॉन-ईएक्स सीआर रेटिंग. 3) ईसीएल की सभी खदानों, क्षेत्रों और मुख्यालय के लिए एसएपी में केंद्रीकृत विभागाध्यक्ष (एचओडी) का अद्यतनीकरण 4) लंबे समय से अनुपस्थित सूची का प्रकाशन और प्रत्येक क्षेत्र और इकाई को स्वचालित ईमेल। 5) एसएपी में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी संवेदनशील पदों का कार्यान्वयन और 6) लंबित संवेदनशील स्थानांतरण के लिए सभी क्षेत्रों में स्वचालित
उत्पादन योजना (पीपी)	1) वर्षा रिपोर्ट (आंतरिक विकास)। 2) पीपी मॉड्यूल में फॉर्म-एच.
बिक्री और वितरण (एसडी)	अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, SAP ERP में बिक्री विभाग के लिए मौजूदा विरासत प्रणाली के स्थान पर स्वचालित प्रेषण प्रणाली पहले ही बनाई जा चुकी है। कार्यान्वयन अंतिम चरण में है।
एचएमएस	1) सैंक्टोरिया अस्पताल में पीएसी (पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन) सर्वर का एकीकरण। 2) एचएमएस से एसएपी तक सभी रोगी संबंधी बिलिंग डेटा का स्वचालित स्थानांतरण।
सामग्री प्रबंधन	1) ईसीएल में मानदंडों से अधिक इन्वेंटरी कटौती।

ख) ई-ऑफिस: ईसीएल मुख्यालय, ईसीएल के क्षेत्रों और इकाइयों के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों में ई-ऑफिस पूरी तरह कार्यात्मक है ताकि दस्तावेज़ों का इलेक्ट्रॉनिक संचलन हो सके और कार्यालय को कागज़ रहित बनाया जा सके। ईसीएल की कुल 211 संगठनात्मक इकाइयाँ, जिनके 1684 उपयोगकर्ता हैं, ई-ऑफिस का उपयोग कर रही हैं। ईसीएल के सभी उपयोगकर्ताओं को आवश्यकतानुसार ई-ऑफिस की सुविधा प्रदान की गई है ताकि कार्यालय और घर से फाइलों का त्वरित निपटान हो सके। सभी स्थानों पर ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से फाइलों का संचलन और त्वरित निपटान हुआ है।

ग) **दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस):** सीआईएल द्वारा विकसित दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) को ईसीएल में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ईसीएल मुख्यालय और तीन क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के नामित कर्मियों को डीएमएस के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया गया है। (प्रशिक्षित विभागों की संख्या: 30 और डीएमएस का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या: 154) डीएमएस में और सुधार के लिए उपयोगकर्ताओं से नियमित रूप से फीडबैक लिया जा रहा है।

घ) **साइबर सुरक्षा:** साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों और प्रश्नोत्तरी सुविधा पर नवीनतम जानकारी के साथ ईसीएल कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर जागरूकता ऐप (गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध) विकसित (इन-हाउस) किया गया है। इसके अतिरिक्त, कोलकाता के प्रख्यात संकाय (निदेशक, ISOEH) की मदद से ईसीएल के कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 24.10.2024 को ईसीएल में साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया गया था। सेमिनार में मुख्यालय और ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के 156 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, अगस्त और सितंबर 2024 के दौरान कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करने के लिए लगभग सभी क्षेत्रों में अलग-अलग दिनों में सिस्टम विभाग के इन-हाउस विशेषज्ञों द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

ङ) **वेब और ईमेल सेवाएँ:** ईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.easterncoal.nic.in है, जो एनआईसी पोर्टल पर उपलब्ध है। वेबसाइट को एसएसएल प्रमाणपत्र द्वारा सुरक्षित बनाया गया है और वेब एप्लिकेशन सुरक्षा अनुपालन के लिए नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है। सीआईएल ईमेल नीति के अनुसार, सुरक्षित आधिकारिक संचार के लिए सभी पात्र कर्मचारियों को कोल इंडिया की आधिकारिक ईमेल आईडी भी प्रदान की गई है।

ईसीएल में निम्नलिखित पोर्टल कार्यरत हैं:

क्रम सं.	वेब एप्लिकेशन का नाम	संबंधित विभाग
1.	विपणन और बिक्री के लिए पोर्टल – ई-नीलामी	बिक्री
2.	ईसीएल- खान बचाव प्रणाली प्रबंधन	सुरक्षा और बचाव
3.	पर्यावरण पोर्टल	पर्यावरण
4.	ऑनलाइन तिमाही आवंटन प्रणाली पोर्टल (OQAS)	प्रशासन, व्यक्तिगत, कल्याण और सीएसआर
5.	कार्य आदेश / आपूर्ति आदेश के लिए पोर्टल	सामग्री प्रबंधन
6.	सीएसआर पोर्टल	कल्याण और सीएसआर
7.	ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल	कल्याण और सीएसआर
8.	फॉर्म-16	वित्त (स्थापना)
9.	ऑनलाइन आवेदन प्रणाली गेटवे	भर्ती
10.	ईसीएल - प्रकाशन प्रबंधन प्रणाली	जनसंपर्क
11.	ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली (निदान)	शिकायत प्रकोष्ठ
12.	अनुबंध पोर्टल (सतर्कता)	सतर्कता
13.	सतर्कता शिकायत पोर्टल	सतर्कता

17.0 इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार:

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क) ईसीएल मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय स्टोरों, केंद्रीय स्टोरों, केंद्रीय कार्यशालाओं, केंद्रीय अस्पतालों और ईसीएल में ईआरपी अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न इकाइयों को जोड़ने वाले उच्च गति एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क पर आधारित कुशल एकीकृत डेटा संचार नेटवर्क स्थापित है।

ख) एमपीएलएस वीपीएन प्रबंधित नेटवर्क सेवाएं मेसर्स रेलटेल द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित की गई हैं, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में ईसीएल के सभी क्षेत्रों में फैले 242 विभिन्न स्थानों की कनेक्टिविटी के लिए है, जिसमें ईसीएल में ईआरपी के लिए नई दिल्ली में डेटा सेंटर और मुंबई में डेटा रिकवरी सेंटर शामिल हैं। ईसीएल मुख्यालय में एक 24x7 नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) भी स्थापित किया गया है, जो पूरे ईसीएल में सभी लिंक की निगरानी करता है, साथ ही लिंक में किसी भी व्यवधान की स्थिति में त्वरित बहाली भी करता है।

ग) ईसीएल मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, केंद्रीय अस्पतालों, स्टोरों, कार्यशालाओं और ईसीएल की इकाइयों में एसएपी ईआरपी एप्लिकेशन, इंटरनेट तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए वाईफाई प्रणाली के साथ लैन बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई।

घ) ईसीएल मुख्यालय में 1 जीबीपीएस इंटरनेट लीज लाइन और न्यूनतम 160 सार्वजनिक आईपी के साथ केंद्रीकृत उच्च गति इंटरनेट सेवाएं, जो ईसीएल के एमपीएलएस स्थानों पर वितरित की जाती हैं, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय, यूजी और ओसी खानों के एजेंट और प्रबंधक कार्यालय, केंद्रीय स्टोर, केंद्रीय कार्यशालाएं, अस्पताल, स्टोर, कार्यशालाएं और मौजूदा एमपीएलएस वीपीएन अंत बिंदुओं के दायरे में अन्य कार्यालय शामिल हैं।

ङ) ईसीएल ने अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके सभी क्षेत्रों और खदानों में ई-ऑफिस की सुविधा का विस्तार किया है। इसके परिणामस्वरूप फाइलों का तेजी से संचालन और कंपनी की सभी गतिविधियों का शीघ्र कार्यान्वयन संभव हुआ है।

च) केंद्रीय अस्पताल, कल्ला और सैंक्टोरिया अस्पताल में अन्य इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार उपकरणों के साथ-साथ हाई-स्पीड नेटवर्क बैकबोन की स्थापना की गई है। इस अवसंरचना का उपयोग करते हुए, अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे अस्पताल में रोगी डेटाबेस और उपचार प्रक्रिया के संगठन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

छ) सीआईएल, सहायक मुख्यालयों, मंत्रालयों, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी कार्यालयों, अन्य कार्यालयों और ईसीएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ विभिन्न बैठकों और नियमित बातचीत की सुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित की गई है, जो एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क पर आधारित है और 23 विभिन्न स्थानों पर वीडियो एंड प्वाइंट्स के साथ सार्वजनिक आईपी के साथ है।

ज) ईसीएल में प्रमुख पदों पर कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वॉयस और डेटा सेवाओं के लिए मोबाइल संचार हेतु पोस्टपेड सिम उपलब्ध कराया गया है।

झ) कार्यालय परिसर में आंतरिक संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ईसीएल मुख्यालय सहित ईसीएल की लगभग सभी इकाइयों में आंतरिक टेलीफोन कनेक्टिविटी और ईपीएबीएक्स प्रणालियों की सैकड़ों लाइनें स्थापित और अनुरक्षित की गई हैं।

ञ) भूमिगत खदानों में तथा सतह स्तर तक सुचारू टेलीफोन संचार के लिए 46 विभिन्न भूमिगत खदानों में भूमिगत टेलीफोन संचार प्रणाली स्थापित की गई है।

ट) खदानों में आंतरिक कोयला ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही की प्रभावी निगरानी और कोयले की चोरी को रोकने के लिए 1473 जीपीएस सेटों और खदान क्षेत्रों की जियोफेंसिंग के साथ जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (वीटीएस) स्थापित की गई है।

ठ) आरएफआईडी और बूम बैरियर आधारित वेब्रिज स्वचालन प्रणाली को कुल 122 सड़क वेब्रिजों पर लागू किया गया है, ताकि अनधिकृत वाहनों के प्रवेश और मानव हस्तक्षेप को रोका जा सके तथा केंद्रीय सर्वर पर वजन संबंधी आंकड़ों का स्वचालित वास्तविक समय हस्तांतरण किया जा सके।

ड) संवेदनशील स्थानों जैसे कि वेब्रिज, कोयला स्टॉक यार्ड, रेलवे साइडिंग, मैगजीन, स्टोर आदि पर केंद्रीकृत सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के साथ इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में वृद्धि की गई। ओसी खदान निगरानी के लिए कोयला स्टॉक, रेलवे साइडिंग और खदान दृश्य बिंदुओं पर पीटीजेड कैमरों के माध्यम से निगरानी प्रणाली स्थापित की गई।

ढ) ईसीएल में, संचार के लिए विभिन्न खदानों में वीएचएफ संचार नेटवर्क कार्यरत है। परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए इसे हर साल बढ़ाया जा रहा है।

17.1 विशेष उपलब्धियाँ:

क) 1144 नए सीसीटीवी कैमरों के चालू होने के साथ ही केंद्रीकृत सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। यह प्रणाली लाइव निगरानी और वीडियो फुटेज रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ चालू है। सीसीटीवी कैमरों की लाइव निगरानी और निगरानी के लिए ईसीएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और ईसीएल मुख्यालय में केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं।

ख) खदान से क्षेत्र कार्यालय और क्षेत्र कार्यालय से ईसीएल मुख्यालय तक सीसीटीवी कैमरों की कनेक्टिविटी के लिए प्रबंधित बैंडविड्थ सेवाएँ स्थापित की गईं। यह चालू हो चुकी है और काम कर रही है। इससे ईसीएल मुख्यालय में स्थापित केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में सीसीटीवी कैमरों का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।

ग) ईसीएल कमांड क्षेत्र के अंतर्गत खदानों की निगरानी के लिए पायलट के साथ ड्रोन निगरानी को किराये के आधार पर शुरू किया गया है और यह कार्यात्मक है। राजमहल क्षेत्र, एस.पी. माइंस क्षेत्र और मुग्मा क्षेत्र में सफल उड़ानें संचालित की गई हैं।

घ) बैंकोला क्षेत्र के लिए दो (02) डीजीएमएस अनुमोदित आंतरिक रूप से सुरक्षित भूमिगत संचार प्रणाली स्थापित और चालू की गई है।

18.0 भूमि अधिग्रहण एवं भूमि सूचना स्थिति:

18.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति:

वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न तरीकों से भूमि अधिग्रहण/कब्जे की स्थिति निम्नानुसार है:

अधिग्रहण का तरीका	अर्जित (हेक्टेयर में)	कब्ज़ा (हेक्टेयर में)
काश्तकारी भूमि का प्रत्यक्ष क्रय	165.60	165.60
आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम / एलए अधिनियम	-	-
सीबीए अधिनियम	535.989	104.354
सरकारी भूमि का हस्तांतरण	13.85	13.85
वन भूमि का हस्तांतरण	-	-
कुल	**715.439**	**283.804**

ईसीएल के पुनर्वास स्थल का हवाई दृश्य

18.2 सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण में प्रगति:

परियोजना का नाम	जिला/ राज्य	क्षेत्र	प्रास्थिति
बोनजेमेहरी विस्तार ओसीपी (1 एमटीवाई), सालनपुर क्षेत्र	पश्चिम बर्धमान/ पश्चिम बंगाल	17.68	धारा 4(1) के तहत अधिसूचना एस.ओ. संख्या 110(ई) दिनांक 6 जनवरी, 2025 के तहत प्रकाशित की गई थी। धारा 7(1) के तहत अधिसूचना के लिए आवेदन 26 मई, 2025 को एमओसी को भेज दिया गया है।
सोनपुर बाजारी विस्तार ओसीपी (12.00 एमटीवाई), सोनपुर बाजारी क्षेत्र	पश्चिम बर्धमान/ पश्चिम बंगाल	517.76	धारा 7(1) के तहत अधिसूचना एस.ओ. संख्या 3715(ई) दिनांक 30 अगस्त, 2024 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। धारा 8(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदन 3 अप्रैल, 2025 को सीसीओ को भेज दिया गया है।
चित्रा ईस्ट ओसीपी, एस पी माइंस	देवघर/झारखंड	146.62	धारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचना एस.ओ. संख्या 3101(ई) दिनांक 2 अगस्त, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई। धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचना एस.ओ. संख्या 4557(ई) दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई।
तिलबोनी यूजी माइन (1.86 एमटीवाई), बंकोला क्षेत्र	पश्चिम बर्धमान/ पश्चिम बंगाल	419.0496 [सभी अधिकार – 384.8326 हेक्टेयर और केवल खनन अधिकार – 34.217 हेक्टेयर]	धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचना एस.ओ. संख्या 2357(ई) दिनांक 18 जून, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई।
झांझरा परियोजना कोलियरी, झांझरा क्षेत्र	पश्चिम बर्धमान/ पश्चिम बंगाल	0.17	धारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचना एस.ओ. संख्या 4397(ई) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई। धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचना एस.ओ. संख्या 16(ई) दिनांक 2 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई।
झांझरा परियोजना कोलियरी, झांझरा क्षेत्र	पश्चिम बर्धमान/ पश्चिम बंगाल	4.21	धारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचना एस.ओ. संख्या 4247(ई) दिनांक 27 सितंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई। धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचना एस.ओ. संख्या 197(ई) दिनांक 9 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई।

सेंसर आधारित मिस्ट स्प्रेयर, राजमहल

18.3 सरकारी भूमि का हस्तांतरण:

झारखंड में चित्रा ईस्ट ओसीपी, एस पी माइंस क्षेत्र में 13.85 हेक्टेयर सरकारी भूमि ईसीएल को हस्तांतरित कर दी गई है।

18.4 पुनर्वास की स्थिति:

वर्ष 2024-25 के दौरान पुनर्वास लाभ प्राप्त करने वाले विस्थापित परिवारों की संख्या:

क्रम सं.	ब्यौरे	संख्या.
1.	पीएपी स्थानांतरित	723
2.	घरेलू भूखंड दिए गए	35
3.	भूखंड के बदले मौद्रिक मुआवजा प्राप्त करने वाले परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या	20
4.	रोजगार उपलब्ध कराया गया	236
5.	रोजगार के बदले मौद्रिक मुआवजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	06

18.5 विशेष उपलब्धियाँ:

क) मानक संचालन प्रक्रिया का कार्यान्वयन: 7 दिसंबर, 2024 को आयोजित कार्यात्मक निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएफडी) की बैठक में 'भूमि अधिग्रहण, कब्जा, मुआवजा भुगतान, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, रोजगार प्रस्तावों पर कार्रवाई और रिकॉर्ड रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' को मंजूरी दी गई है। तदनुसार, 25 फरवरी, 2025 को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा 'एसओपी' को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है।

25 फरवरी, 2025 को आयोजित 179वीं सीएमडी बैठक के दौरान, ईसीएल ने सीआईएल के अध्यक्ष श्री पी.एम. प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति में भूमि मामलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की है।

ख) **'सीओएएलआरआर' भूमि प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन:** यह सॉफ्टवेयर एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है और पहले चरण के तहत विरासत डेटा मॉड्यूल पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और दूसरे चरण के तहत अन्य मॉड्यूल भी विकसित किए गए हैं। नव विकसित सॉफ्टवेयर का सुरक्षा ऑडिट पूरा हो चुका है और पूरा सॉफ्टवेयर जून, 2025 में किसी समय लाइव पोर्टल पर लॉन्च होने की उम्मीद है।

ग) सभी भूमिगत एवं खुली खदान योजनाओं का डिजिटलीकरण तथा यूटीएम (यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर) ग्रिड के साथ भू-संदर्भन।

घ) ईसीएल का राजस्व मानचित्र डिजिटाइज्ड और यूटीएम ग्रिड के साथ जियो-रेफरेंसिंग।

ङ) अधिग्रहित भूमि, खदान सीमा, वृक्षारोपण क्षेत्र, यूटीएम ग्रिड के साथ डिजिटलीकृत और भू-संदर्भित और केएमएल फ़ाइल बनाकर गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

च) ईसीएल के राजस्व मानचित्र की कीहोल मार्क-अप लैंग्वेज (केएमएल) फ़ाइल को सीओएएलआरआर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया।

19.0 सुरक्षा प्रबंधन:

सुरक्षा विभाग का उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों और सामग्रियों की सुरक्षा करना है। कंपनी में चार (04) प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है:

क्रम सं.	ब्यौरे	व्यक्तियों की संख्या
1.	विभागीय सुरक्षा	2597
2.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)	943
3.	संविदात्मक सुरक्षा	950
4.	होम गार्ड	200
	कुल	**4690**

ईसीएल में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह

विभागीय सुरक्षा का प्राथमिक कर्तव्य कंपनी की संपत्ति यानी स्टोर, कार्यालय, विस्फोटक पत्रिका, कोयला डिपो/साइडिंग, कॉलोनियों की रक्षा करना और प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार वीआईपी को एस्कॉर्ट करना है। कोयला डिपो/साइडिंग से रेलवे वेब्रिज तक लोडेड रेलवे रेक, टिपिंग ट्रक/डंपरों को तब तक एस्कॉर्ट करना जब तक कि वजन न हो जाए। स्थानीय पुलिस के साथ सुरक्षा कर्मियों, सीआईएसएफ द्वारा सूचना और खुफिया सूचनाओं के अनुसार छापे मारना, संलिप्त ट्रकों/वाहनों के साथ कोयले को जब्त करना और बदमाशों को पकड़ना भी शामिल है। ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दें और तदनुसार एफआईआर दर्ज करें। उन्हें हड़ताल/घेराव/प्रदर्शन/भूख हड़ताल और कमांड क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या के दौरान भी तैनात किया जाता है। राजमहल, सोनपुर बाज़ारी, एस.पी. माइंस में स्थैतिक ड्यूटी के लिए सीआईएसएफ को तैनात किया गया है। इसके अलावा, मुग्मा, सलानपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोरिया, पांडवेश्वर, कालिदासपुर और सतग्राम क्षेत्र में भी उनके शिविर हैं। वे अवैध खनन, कोयले की अवैध तस्करी और अवैध कोयला डिपो के खिलाफ छापेमारी करने के लिए मोबाइल ड्यूटी पर रहते हैं और कोयला खदान/क्षेत्र में हड़ताल/घेराव के दौरान भी तैनात रहते हैं। विभागीय सुरक्षा के साथ होमगार्ड भी तैनात किए गए थे।

19.1 सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदम:

क. ईसीएल सुरक्षा विभाग के सुरक्षा कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए 106 सुरक्षा कर्मियों को पदोन्नत किया गया है तथा शेष सुरक्षा कर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रगति पर है।

ख. ईसीएल सुरक्षा विभाग के 203 सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षा गार्ड (टी) से सुरक्षा गार्ड के पद पर नियमित किया गया है।

ग. सीआईएसएफ की आगे तैनाती के लिए पुनः सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेज दी गई है।

घ. रेलवे साइडिंग पर कोयला चोरी की रोकथाम के सभी उपायों के साथ सीसीटीवी, आरएफआईडी और बूम बियर लगाए गए हैं।

ङ. कंपनी में पायलट परियोजना के रूप में ड्रोन निगरानी पहले ही शुरू कर दी गई है।

च. विभागीय सुरक्षा कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है।

19.2 कोयले के अवैध खनन/परिवहन/कोयले की चोरी को रोकने/रोकने के लिए उठाए गए कदम:

क. खुफिया जानकारी एकत्र करना।

ख. विभिन्न खदानों से कोयले की ढुलाई में लगे ट्रकों में होलोग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी सूचना बर्दवान (पूर्व) और बर्दवान (पश्चिम) ज़िलों की स्थानीय पुलिस को भी दी जाती है और यदि ट्रकों में ईसीएल का होलोग्राम नहीं पाया जाता है या ईसीएल का होलोग्राम संदिग्ध पाया जाता है, तो आवश्यक विभागीय/कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।.

ग. कोयला परिवहन के लिए जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

घ. कोयला खदानों के शीर्षों, कोयला ढेरों, कोयला स्थलों के तौल-ब्रिज, परिवहन के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी की स्थापना।

ङ. इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज और वीटीएस से जुड़ने वाले इन-मोशन वे-ब्रिज की स्थापना।

च. कोयला परिवहन मार्ग पर कुछ ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है, जहां ईसीएल सुरक्षा, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा नियमित गश्त की जाती है।

छ. खनन प्रहरी एप्लिकेशन का उपयोग किया जा रहा है।

ज. ईसीएल सुरक्षा, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा नियमित गश्त की जाती है।

झ. सीआईएसएफ, विभागीय सुरक्षा बल द्वारा पुलिस के साथ मिलकर औचक निरीक्षण/छापेमारी की जाएगी तथा अवैध कोयला/कोयले की अवैध तस्करी के साथ-साथ संबंधित वाहनों को जब्त किया जाएगा तथा बदमाशों को पकड़ा जाएगा और बाद में उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाएगा।.

ञ. पश्चिम बंगाल और झारखंड के राज्य प्राधिकारियों के साथ बैठक अवैध खनन और कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ राज्य और जिला स्तरीय बैठक (पश्चिम बंगाल के बर्दवान, बांकुड़ा, पुरुलिया और बीरभूम जिला और झारखंड की संयुक्त जिला स्तरीय बैठक) नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

ट. कोयला चोरी और अवैध खनन के मुद्दों से निपटने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

ठ. प्रभावित स्थलों पर महाप्रबंधक, सर्वेक्षण अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी तथा सीआईएसएफ अधिकारियों की क्षेत्रीय टीम द्वारा लगातार निरीक्षण किया जाता है तथा तदनुसार सीआईएसएफ कमांडेंट के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ड. न्यायालय में लंबित मामलों के तार्किक निष्कर्ष के लिए, ईसीएल ने इन मामलों की पैरवी के लिए वकील नियुक्त किए हैं।

ढ. न्यायालय में लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निचली अदालत और सत्र न्यायालय के लोक अभियोजक के साथ भी चर्चा की गई है।

ण. ईसीएल सुरक्षा ने कोयले की चोरी रोकने के लिए सीआईएसएफ कर्मियों की निजी सुरक्षा के साथ मिलकर औचक निरीक्षण/छापेमारी की है। जांच और छापेमारी के दौरान, उन्होंने कोयला जब्त किया, बदमाशों को पकड़ा और स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

19.3 कोयले की चोरी के रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी मध्यक्षेप :

क. शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखते हुए अवैध खनन की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के निहितार्थ आमजनों की सुगम्यता के लिए खनन प्रहरी अनुप्रयोग का लोकार्पण किया गया है।

ख. समस्त क्षेत्रों में प्रवर्तित जीपीएस आधारित वाहन अनुश्रवण प्रणाली कोयले की चोरी को रोकने के लिए एक कदम है।

ग. वाहन का जीवंत लक्ष्यानुसरण के लिए कोयला परिवहन वाहन में वीटीएमएस प्रणाली समर्थ जीपीएस लगाया गया है।

घ. रेलवे साइडिंग पर कोयले की चोरी के सभी निवारक उपायों के साथ सीसीटीवी, आरएफआईडी और बूम बैरियर लगाए गए हैं।

ङ. ईसीएल लीज होल्ड क्षेत्र की खदानों की निगरानी के लिए पायलट के साथ यूएवी सिस्टम ड्रोन को किराये पर लिया गया है।

च. कोयला डंप, वेब्रिज, रेलवे साइडिंग प्रवेश और निकास बिंदु आदि पर सीसीटीवी की स्थापना।

छ. सड़क वेब्रिज पीसी से वेटिंग डेटा को स्वचालित रूप से कैप्चर करना तथा ईसीएल मुख्यालय में एसएपी सर्वर और आरएफआईडी सर्वर से वेटिंग डेटा को ऑनलाइन सिंक करना ईसीएल द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

19.4 वर्ष के दौरान विभागीय सुरक्षा, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध तस्करी कोयला और अवैध खनन कोयला की जब्ती का विवरण:

वर्ष	राज्य	छापों की संख्या	अभिगृहीत कोयला (टन)	अभिगृहीत वाहन	गिरफ्तार व्यक्ति	प्राथमिकी दर्ज
अवैध तस्करी से कोयले का अभिग्रहण						
2024-25	पश्चिम बंगाल	3829	18930.43	125	36	849
	झारखण्ड	1804	7824.25	19	02	205
	कुल	5633	26754.68	144	38	1058
2023-24	कुल	3825	24882.63	112	115	1447
	अंतर	1808	1872.05	32	-77	-387
ईसीएल सुरक्षा कर्मी, के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयले का अभिग्रहण						
2024-25	पश्चिम बंगाल	41	105.34	-	05	41
	झारखण्ड	19	270.56	-	-	19
	कुल	60	375.9	-	05	60
2023-24	कुल	54	97.07	04	03	54
	अंतर	06	278.83	-04	02	06

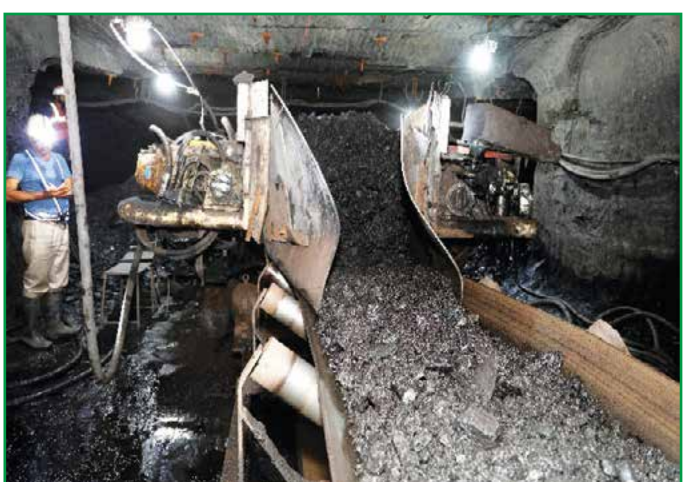

ईसीएल की खनन गतिविधियाँ

उपरि वर्णित आँकड़े, कोलियरी परिसर के बाहर, पुलिस के साथ-साथ के.औ.सु.ब. एवं ईसीएल सुरक्षा कर्मी द्वारा अभिगृहीत है। ट्रकें या तो अवैध खनन स्थलों से या अवैध तस्करी/अवैध कोयला स्टॉक से उक्त कोयला ले जा रहे थे। अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने के दौरान के.औ.सु.ब. और स्थानीय पुलिस के साथ विभागीय सुरक्षा कर्मी को पट्टाधृति क्षेत्र के अंदर और बाहर बंद करने के स्थान पर भी अभिनियोजन किया जाता है। वर्ष के दौरान, अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए 1110 स्थानों को बंद/सीलबंद किया गया है। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्ग्रस्त है।

अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने के दौरान के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस के साथ-साथ विभागीय सुरक्षा कर्मियों को पट्टाधृति क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर बंद करने वाले स्थान पर भी अभिनियोजित किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में 546 स्थलों और झारखंड में 564 स्थलों को बंद/सीलबंद किया गया है और अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने की सूचना पश्चिम बंगाल और झारखंड के स्थानीय पुलिस स्टेशनों को क्रमश 58 स्थलों और 66 स्थलों के लिए भेज दी गई है। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्ग्रस्त है।

19.5 अवैध कोयला तस्करी का अभिग्रहण :

वर्ष	2024-25	2023-24	अंतर
छापों की संख्या	5633	3825	1808
प्राथमिकी दर्ज की संख्या	1054	1447	-393
अभिगृहीत कोयला परिमाण (मैट्रिक टन)	26754.68	24882.63	1872.05
अभिगृहीत वाहन की संख्या	144	112	32
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	38	115	-77

ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में ड्रोन सीडबॉल रोपण

19.6 अवैध खनन स्थलों से अभिग्रहण:

वर्ष	2024-25	2023-24	अंतर
छापों की संख्या	60	54	06
प्राथमिकी दर्ज की संख्या	60	54	06
अभिगृहीत कोयला परिमाण (मैट्रिक टन)	375.90	97.07	278.83
अभिगृहीत वाहन की संख्या	शून्य	04	-04
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	05	03	02

19.7 अन्य सामग्रियों की चोरी / प्रत्युद्धरण :

वर्ष	2024-25	2023-24	अंतर
घटनाओं की संख्या	63	81	-18
प्राथमिकी दर्ज / सूचनाओं की संख्या	61	65	-04
चोरी की गई संपत्ति (₹ में)	12,14,930.02	8,65,335.00	3,49,595.02
प्रत्युद्धरित संपत्ति (₹ में)	10,000.00	-	10,000.00
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	02	08	-06

अवैध कोयला तस्करी की जब्ती

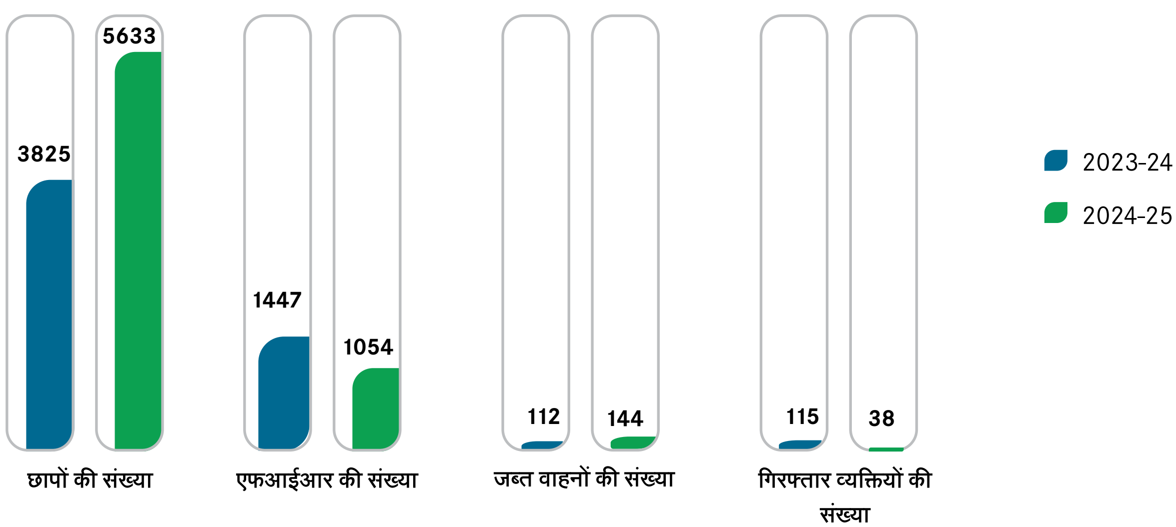

20.0 बुनियादी ढांचे का विकास:

क) भवन : वर्ष के दौरान आवासीय भवन, सेवा भवन, सामुदायिक भवन, जल आपूर्ति और सड़कों से संबंधित विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। 22.28 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य का निष्पादन किया जा चुका है।

ख) सड़क, रेलवे पार्श्व स्थल एवं सीएचपी संबंधित कार्य : कोयले का प्रेषण प्रमुख कार्यकलापों में से एक है और इसे कोयला परिवहन सड़कों, सीएचपी और रेलवे साइडिंग के नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। ईसीएल ने इस संबंध में उचित कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान रेलवे पार्श्वस्थल, सीएचपी और सड़कों से संबंधित विभिन्न कार्य निष्पादित किए गए और 184.24 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया गया।

ग) पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्थलों पर विकास कार्य: राजमहल, सोनपुर बाजारी, एस.पी. माइंस और मुग्मा में पुनर्वास स्थलों के विकास के लिए सड़क, नाली, चारदीवारी, स्कूल भवन, क्लब, सामुदायिक भवन, जलापूर्ति अवसंरचना आदि जैसे विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं।

घ) खान विकास : उपसुरंग की अनुसुरंगन, आनत की अनुसुरंगन, पादाग्र दीवार का निर्माण, अवधारण भित्ति का निर्माण, रेत भूगर्त भरण बंकर का निर्माण, सड़कों का मोड़, सड़कों का पथांतरण आदि जैसे विभिन्न कार्य खानों के विकास के लिए शुरू किए गए हैं। वर्ष के दौरान 83.44 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य निष्पादित किए गए हैं।

अवैध खनन स्थलों से जब्ती

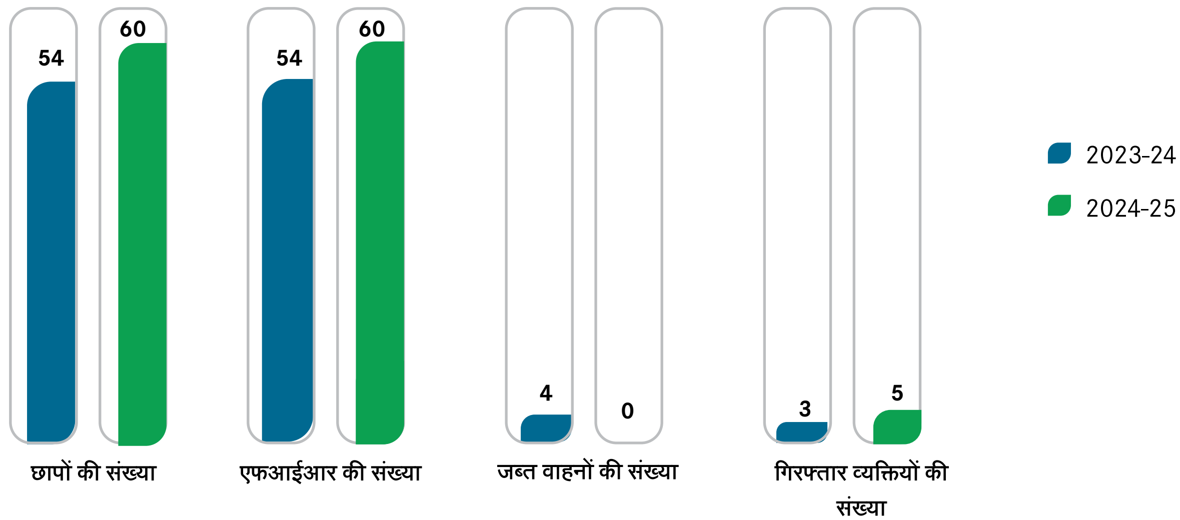

21.0 संविदा प्रबंधक :

21.1 एमडीओ एवं राजस्व साझाकरण संविदाएँ:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जीईएम पोर्टल के माध्यम से ईसीएल की बंद खदानों के लिए चार (04) राजस्व साझाकरण निविदाएं और एक (01) एमडीओ निविदा प्रदान करके अपने प्रमुख रणनीतिक उद्देश्यों में से एक को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसकी कुल खरीद मूल्य 73,241.25 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, सीएमसी विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीईएम पोर्टल पर मीठापुर यूजी के लिए 01 एमडीओ राजस्व हिस्सेदारी निविदा जारी की है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदान की गई एमडीओ राजस्व हिस्सेदारी निविदाओं का विवरण:

क्रम सं.	खान का नाम	क्षेत्रफल	अधिकतम क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	न्यूनतम निष्कर्षण योग्य भंडार (मि.टन प्रति वर्ष)	संपर्क अवधि	अनुबंध मूल्य (रु. करोड़ में)	राजस्व साझाकरण
1.	रतिबाटी यूजी	सतग्राम-श्रीपुर	0.45	9.00	24 वर्ष	6022.60	7.00%
2.	कुँअरडीह-तिरात	सतग्राम-श्रीपुर	3.00	46.40	25 वर्ष	28974.76	13.21%
3.	महाबीर (आर) कोलियरी	सतग्राम-श्रीपुर	3.00	57.80	25 वर्ष	22841.52	15.56%
4.	बेनाली कोयला खान	कुनुस्तोड़िया	0.80	15.20	25 वर्ष	5926.04	12.50%
	कुल		**7.25**	**128.40**		**63,764.92**	

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदान की गई एमडीओ निविदाओं का विवरण:

क्रम सं.	खान का नाम	क्षेत्रफल	अधिकतम क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	न्यूनतम निष्कर्षण योग्य भंडार (मि.टन प्रति वर्ष)	संपर्क अवधि	अनुबंध मूल्य (रु. करोड़ में)
1.	चुपरबिटा सिमलोंग एमडीओ	राजमहल क्षेत्र	6.00	118.90	25 वर्ष	9476.33
	कुल		**6.00**	**118.90**		**9476.33**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदान किए गए एमडीओ और राजस्व हिस्सेदारी निविदाओं की वित्त वर्ष 2023-24 के साथ तुलना:

एमडीओ राजस्व हिस्सेदारी निविदाओं की तुलना		
	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान	**वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान**
सं. एमडीओ राजस्व साझाकरण निविदाएं प्रदान की गई	04	01
एमडीओ राजस्व साझाकरण निविदाओं का अनुबंध मूल्य प्रदान किया गया	रु. 63,764.92 करोड़	रु. 7,128.83 करोड़

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एमडीओ निविदाओं की तुलना वित्त वर्ष 2023-24 से:

	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान	**वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान**
सं. एमडीओ राजस्व साझाकरण निविदाएं प्रदान की गई	01	01
एमडीओ निविदाओं का अनुबंध मूल्य	रु. 9,476.33 करोड़	रु. 8,498.41 करोड़

21.2 भूमिगत खानों में पुँजोत्पादन प्रौद्योगिकी के पुरःस्थापित के लिए वैश्विक निविदा :

भूमिगत क्षेत्र में मानक ऊंचाई सतत खननकर्ता, कम ऊंचाई सतत खननकर्ता, लांगवॉल खनन की शुरूआत से सतत कटाई प्रौद्योगिकी से भूमिगत खनन उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। ठेके किराये के आधार पर दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान झांझरा क्षेत्र में सतत खननकर्ता के दो (02) संचालन और रखरखाव निविदाएं जारी की गई हैं, जिनका अनुमानित मूल्य रु. इसी वर्ष झांझरा क्षेत्र में लॉन्गवॉल खनन के लिए एक (01) संचालन एवं रखरखाव निविदा जारी की गई है, जिसका अनुमानित मूल्य ₹1,265.55 करोड़ है।

21.3 उपरि संस्तर हटाव एवं कोयला निष्कर्षण के लिए उपस्करों को किराए पर लेना :

कोयला उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा आउटसोर्स की गई खुली खदानों से आता है। मौजूदा अनुबंधों के अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान 28.67 मीट्रिक टन कोयला और 2105.33 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबी की मात्रा के साथ 10 नए टेंडर दिए गए हैं। दिए गए अनुबंधों से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए औसतन 9.09 मीट्रिक टन कोयला और 76.47 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबी की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में 14 अनुबंधों के लिए दिए गए कुल अनुबंध मूल्य 6,967.41 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में दिए गए अनुबंधों ने पिछले साल ईसीएल के कुल उत्पादन में 28.64 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबी का उत्पादन जोड़ा है। ईसीएल की कुल संविदात्मक क्षमता 01.04.2025 तक 43.17 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन और 218.58 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबी निष्कासन है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आउटसोर्सिंग (HEMM की भर्ती) के माध्यम से कोयला प्राप्त करने का APP लक्ष्य 36.56 मीट्रिक टन था और कोयला उत्पादन की संविदात्मक क्षमता 41.72 मीट्रिक टन है, जो आवश्यक क्षमता का 117.32% है। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एचईएमएम निविदाओं की भर्ती की तुलना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**ब्यौरे**	**2024-25**	**2023-24**
1.	प्रदान किए गए एमएसई अनुबंधों की कुल संख्या	04	02
2.	प्रदान किए गए एमएसई अनुबंधों का कुल मूल्य (जीएसटी सहित रु. करोड़ में)	245.72	66.58

ईसीएल द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया पास के स्कूलों में

भारत सरकार के माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी की उपस्थिति में ईसीएल में नव नियुक्त कर्मचारियों का पदभार ग्रहण समारोह

21.4 कोयला परिवहन, वैगन लोडिंग, मोबाइल क्रशर और विविध अनुबंध:

इन अनुबंधों में फेस/स्टॉकयार्ड से साइडिंग तक कोयला ले जाना, रेल द्वारा प्रेषण के लिए वैगनों में कोयले की लोडिंग, तथा (-)100 मिमी आकार तक कोयले को कुचलने के लिए मोबाइल क्रशर की स्थापना और रेत परिवहन शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल बारह (12) कोयला परिवहन, वैगन लोडिंग, रेत परिवहन ठेके दिए गए हैं, जिनका मूल्य जीएसटी सहित 163.25 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला परिवहन, वैगन लोडिंग और रेत परिवहन अनुबंधों की वित्त वर्ष 2023-24 के साथ तुलना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	ब्यौरे	2024-25	2023-24
1.	प्रदान किए गए अनुबंधों की कुल संख्या	12	20
2.	दिए गए अनुबंधों का कुल मूल्य (जीएसटी सहित रु. करोड़ में)	163.25	329.03

21.5 विशेष उपलब्धियाँ :

क) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीएमसी विभाग की सभी निविदाएं गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर जारी की गई हैं, जिससे सीआईएल एनआईसी पोर्टल से जीईएम पोर्टल पर 100% की पूर्ण संक्रमण दर प्राप्त हुई है।

ख) सीएमसी विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 77,863.61 करोड़ रुपये की खनन सेवा निविदाएं प्रदान की हैं।

ग) एमडीओ एवं एमडीओ राजस्व साझाकरण अनुबंधों से आगामी वर्षों में 13.25 एमटीवाई की अधिकतम रेटेड क्षमता (पीआरसी) बढ़ गई है।

घ) सीएमसी विभाग ने राजमहल क्षेत्र के आरसीएमएल पैच पर उत्पादन से संबंधित लंबे समय से चली आ रही परिचालन संबंधी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है। इस समाधान ने पैच पर सुचारू उत्पादन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे राजमहल क्षेत्र को 18 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के अपने समग्र उत्पादन लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता मिली है।

ङ) बंकोला क्षेत्र का नाकराकोंडा कुमारडीही बी (3 एमटीवाई) ओसी पैच, जो ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के कारण पिछले दो वर्षों से बंद पड़ा था, का अनुबंध समाप्त कर दिया गया और 16.10.2024 को उक्त पैच के ओबी हटाने के लिए पुनः निविदा जारी की गई। यह कार्य 16.12.2024 को सफलतापूर्वक प्रारंभ हो गया है, जिससे ईसीएल की वार्षिक ओबी निष्कासन क्षमता 15.44 मिलियन घन मीटर बढ़ गई है।

च) बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी खनन जैसे लॉन्गवॉल, सतत माइनर, रोड हेडर ड्राइवेज आदि के लिए अनुबंध देने हेतु अनुसूची दरें तैयार करने की पहल और नई प्रौद्योगिकियों जैसे रिपर, सीएनजी/एलएनजी/ईवी संचालित एचईएमएम, ओबी से रेत तक प्रसंस्करण, कोयला और ओबी हटाने के लिए उच्च क्षमता वाले एचईएमएम, औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के साथ शुरू की गई और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को कार्य आदेश जारी किया गया।

छ) एचओई/परिवहन अनुबंधों के लिए निविदाएँ बोली वैधता अवधि 120 दिनों के भीतर पूरी की जानी हैं। तकनीकी बोली खुलने के बाद निविदाएँ प्रदान करने में 73 दिन लगते हैं। चूँकि एचओई/परिवहन निविदाएँ बोली वैधता अवधि समाप्त होने से 47 दिन पहले पूरी की जा रही हैं, इसलिए इससे कोयला उत्पादन, ओबी निष्कासन और परिवहन, जिसमें वैगन लोडिंग और क्रशिंग गतिविधियाँ शामिल हैं, पहले शुरू करने में सुविधा होती है।

ज) क्रय वरीयता नीति और मेक इन इंडिया नीति के अंतर्गत कुल सोलह (16) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसई) लाभान्वित हुए हैं। एमएसई को जीएसटी सहित कुल 408.96 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया।

झ) 'एचईएमएम' अनुबंधों को किराये पर लेने के संदर्भ में, चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दो (02) अनुबंध समाप्त कर दिए गए हैं और दोनों समाप्त अनुबंधों के लिए पुनः निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नौ (09) चूककर्ता ठेकेदारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्रतिबंधित फर्म का विवरण ईसीएल वेबसाइट पर "प्रतिबंध आदेश (सीएमसी)" अनुभाग में प्रकाशित किया गया है।

ञ) सीएमसी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तीन (03) "खनन सेवा अनुबंधों पर क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम" सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यकारी ग्रेड- प्रबंधन प्रशिक्षु (एमटी) से लेकर महाप्रबंधक (जीएम) स्तर तक के कुल 85 अधिकारियों ने भाग लिया।

21.6 31 मार्च, 2025 तक समझौता ज्ञापन लक्ष्य बनाम उपलब्धियां:

सीएमसी विभाग ने ईसीएल में सेवाओं के लिए वार्षिक खरीद लक्ष्य को महत्वपूर्ण अंतर से पार कर लिया है। जीईएम पोर्टल में लक्ष्य 6,510.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था और सीएमसी विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लक्ष्य से अधिक, जीएसटी सहित 77,863.61 करोड़ रुपये के अनुबंध प्रदान किए हैं।

22.0 गुणवत्ता नियंत्रण:

22.1 तृतीय पक्ष नमूनाकरण :

कंपनी ने सभी स्रोतों से कोयला खरीद के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए स्वीकार्य ग्रेड के कोयले के निर्धारण हेतु तृतीय पक्ष नमूनाकरण की सुविधा का विस्तार किया है। तृतीय पक्ष नमूनाकरण के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली गई हैं।.

22.2 ग्रेड पुष्टिकरण स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की अवधि के लिए ग्रेड भौतिकीकरण निम्नानुसार है:

अवधि	कुल प्राप्त परिणाम परिमाण	ग्रेड पुष्टिकरण प्रतिशत				रेफरी विश्लेषण के लिए लंबित प्रतिदर्श	
		बोनस	ग्रेड में	ग्रेड पुष्टिकरण प्रतिशत	गिरावट	कुल	%
2022-23	27.98	24%	73%	97%	3%	5.61	20%
2023-24	43.58	9%	89%	98%	2%	7.3	16%
2024-25	36.43	4%	86%	90%	10%	1.64	4%

अंतिम स्वीकार्य परिणामों के आधार पर 2022-23 की अवधि के लिए समग्र ग्रेड पुष्टिकरण 97% है जो 2023-24 की अवधि के लिए बढ़कर 98% हो गया है और 2024-25 में घटकर 90% हो गया है।

22.3 प्रेषित कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम:

क) गुणवत्ता जागरूकता पखवाड़ा 13.11.2024 से 26.11.2024 तक आयोजित किया गया। अभियान का मूल विषय खदान से लेकर बाजार तक कोयला गुणवत्ता के बारे में जागरूकता जगाने पर केंद्रित था, जिसमें कोयला खदान से लेकर क्षेत्र और मुख्यालय स्तर तक सभी स्तरों पर कर्मचारियों की भागीदारी शामिल थी। यह अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के प्रेषण के संबंध में ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार के माध्यम से कॉर्पोरेट छवि को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक अभियान था।

ख) कोयला गुणवत्ता में सुधार के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा निम्नलिखित पहल की गई:

i) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ईसीएल मुख्यालय द्वारा आकस्मिक गुणवत्ता निरीक्षण।

ii) क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पिट-हेड, साइडिंग आदि पर नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण वार्ता करना।

iii) साइडिंग पर विभिन्न स्रोतों और विभिन्न ग्रेड के कोयले के लिए स्थान का स्थायी चिह्नांकन।

iv) सभी रेलवे साइडिंग पर उपभोक्ता फीडबैक रजिस्टर का अनिवार्य रखरखाव।

v) प्रभावी धूल दमन के लिए साइडिंग और मोबाइल टैंकरों पर स्प्रिंकलर की उपलब्धता।

vi) रात्रि के समय प्रभावी एवं सुरक्षित पर्यवेक्षण के लिए सभी रेलवे साइडिंग पर उचित रोशनी की व्यवस्था।

vii) कोयला डिपो और रेलवे साइडिंग से पत्थर/बोल्डर उठाने और उसे हटाने के लिए पर्याप्त व्यक्तियों की नियुक्ति।

viii) साइडिंग तक केवल कुचले हुए कोयले (-100 मिमी) का परिवहन सुनिश्चित करना।

ईसीएल में खनन गतिविधियाँ

ग) कोयला गुणवत्ता संबंधी शिकायतों का निवारण: उपभोक्ता से प्राप्त किसी भी शिकायत के मामले में, संबंधित क्षेत्र को सूचित किया जाता है और कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए उचित प्रतिक्रिया दी जाती है तथा उचित स्तर पर इसकी सूचना दी जाती है।

घ) हमारी परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए पिछले दो वर्षों में दस (10) नए बम कैलोरीमीटर खरीदे गए हैं।

22.4 विशेष उपलब्धि:

वर्ष 2024-25 के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण विभाग की विशेष उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

क) सीआईएल 50वां स्थापना दिवस पुरस्कार: ईसीएल को 1 नवंबर, 2024 को सीआईएल के 50वें स्थापना दिवस पर गुणवत्ता जागरूकता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ख) गुणवत्ता जागरूकता पखवाड़ा 2024-25: ग्राहकों की संतुष्टि के माध्यम से ईसीएल की छवि को बढ़ाने के लिए 2024-25 में 13.11.2024 से 26.11.2024 तक गुणवत्ता जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया गया है।

23.0 सतत विकास पहल :

सतत विकास को आमतौर पर सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विरोधाभास माना जाता है। खनन की सदियों पुरानी प्रथाओं में पर्यावरण और समुदायों पर नकारात्मक प्रभावों पर विचार करने के बजाय अल्पकालिक लाभों को प्राथमिकता दी गई है। प्रौद्योगिकी के संवर्धन और संधारणीयता के मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, खनन को कैसे संधारणीय बनाया जाए, यह सवाल सबसे आगे आ गया है। पर्यावरणीय आयाम प्राकृतिक पर्यावरण की संधारणीयता और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक आयाम सामाजिक और सांस्कृतिक संधारणीयता की आवश्यकता पर जोर देता है, जो लाभ वितरण, खनन लागत और निर्णय लेने की प्रक्रिया के सवालों से जुड़ा है। आर्थिक आयाम जीवन के मानकों को बनाए रखने और उन मानकों की आर्थिक संधारणीयता से जुड़ी लागतों पर ध्यान केंद्रित करता है।

ईसीएल को मुंबई में गोल्ड श्रेणी में सील बिजनेस सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया

"कंपनी द्वारा समग्र रूप से किए जाने वाले विभिन्न पर्यावरणीय शमन उपायों की योजना बनाने, दिशा-निर्देश तैयार करने, समय-समय पर निगरानी करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए नए विचार उत्पन्न करने की दिशा में काम करने के लिए "संधारणीय विकास प्रकोष्ठ (एसडीसी)" का गठन किया गया है। एसडीसी की बैठक की अध्यक्षता निदेशक (तकनीकी) करते हैं। पर्यावरणीय शमन उपायों को सही और टिकाऊ तरीके से अपनाने से आस-पास के क्षेत्रों में काम करने और रहने वाले लोगों को बेहतर पर्यावरण मिलेगा और देश में कोयला क्षेत्र की समग्र छवि भी सुधरेगी। एसडीसी के तहत गतिविधियाँ इस प्रकार थीं:

i) **इको-पार्क/पर्यटन स्थलों का विकास:**

क) झांझरा इको-टूरिज्म पार्क: पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा झांझरा क्षेत्र में 13.02 हेक्टेयर भूमि पर इको-टूरिज्म पार्क का विकास कार्य पूरा हो गया है।

ख) मिल्ली गार्डन: बेलबैड रेलवे साइडिंग में 0.6 हेक्टेयर क्षेत्र में एक इको-रिलैक्सेशन पॉइंट और बाग विकसित किया गया है। पार्क की प्रमुख सुविधाओं में बाग़, औषधीय पौधों का बगीचा, फूलों की क्यारियाँ, फव्वारा, ग्रीन वॉल, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, सेल्फी पॉइंट, कैनोपी वॉकवे, स्क्रैप-मेटल मूर्तियाँ, ओपन एयर जिम, योगा स्पेस, लाइटिंग आदि शामिल हैं।

ii) **वेस्ट टू बेस्ट:** "वेस्ट टू बेस्ट" पहल के तहत, सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र में एक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की गई है। यह इकाई निर्माण कार्यों में स्थायी उपयोग के लिए प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक में परिवर्तित करती है। बंकोला क्षेत्र ने एक 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन' इकाई विकसित की है, जिसे 'वेस्ट टू बेस्ट' की अवधारणा के तहत डिज़ाइन किया गया है। यह संयंत्र अपशिष्ट प्लास्टिक को पेवर ब्लॉक में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण उद्देश्यों जैसे सड़कों, बगीचों, पार्कों आदि के लिए किया जा सकता है। संयंत्र ने अब तक 2000 किलोग्राम अपशिष्ट प्लास्टिक को पेवर ब्लॉक में परिवर्तित किया है जिसका स्थायी उपयोग किया गया है। बंकोला क्षेत्र की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की सफलता को विश्व पर्यावरण दिवस 2023 और मिशन लाइफ में अच्छी तरह से मान्यता मिली है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के समाधान के रूप में स्वच्छता अभियान 2023 के तहत विशेष अभियान 3.0 में भी संयंत्र को विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ है।

iii) **धूल नियंत्रण उपाय:** ईसीएल की खदानों और रेलवे साइडिंग में जल छिड़काव व्यवस्था उपलब्ध है, जैसे 24 ट्रॉली/स्थिर फॉग कैनन, 28 स्थिर जल छिड़काव प्रणालियाँ और 75 मोबाइल जल टैंकर। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र में 3 फॉग कैनन लगाए गए हैं। साथ ही, झांझरा क्षेत्र में 1 रोड स्वीपिंग मशीन भी चालू की गई है।

iv) **वर्षा जल संचयन संरचनाएँ:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बंकोला क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण की पर्यावरण-अनुकूल पद्धति सुनिश्चित करने हेतु 2 वर्षा जल संचयन संरचनाएँ क्रियाशील थीं। स्थापित संरचनाएँ भूजल, सतही जल या नगरपालिका जल जैसे पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद करती हैं।

v) **वैज्ञानिक अध्ययन:**

क) पिछले 10 वर्षों में किए गए वृक्षारोपण की सफलता का आकलन: ईसीएल में वृक्षारोपण की सफलता का आकलन करने हेतु अध्ययन

माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ईसीएल के अपने दौरे के दौरान

करने हेतु सीआईएमएफआर, धनबाद को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। 50% अग्रिम भुगतान किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। इस अध्ययन का उद्देश्य उत्तरजीविता दर निर्धारित करना, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों का मूल्यांकन करना, और क्षेत्र अध्ययन, ड्रोन सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण के माध्यम से वृक्षारोपण परिणामों में सुधार हेतु रणनीतियों की सिफारिश करना है।

ख) **ईसीएल में सामुदायिक उपयोग के लिए खदान-वार खदान जल की उपलब्धता और क्षमता पर अध्ययन:** ईसीएल में सामुदायिक उपयोग के लिए खदान जल की उपलब्धता की जाँच हेतु वैज्ञानिक अध्ययन आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी और आईआईटी-आईएसएम, धनबाद द्वारा किया जा रहा है और इसकी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इस अध्ययन में मौसमी आँकड़ों का संग्रह, जीआईएस मानचित्रण, जल गुणवत्ता मूल्यांकन और शून्य-अपव्यय खदान जल प्रबंधन योजना का विकास शामिल है, जिसका उद्देश्य घरेलू, कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त खदान जल का उपयोग करना है।

ग) **पर्यावरण मंजूरी (ईसी) शर्तों का तृतीय-पक्ष ऑडिट:** मेसर्स ईसीएल के क्लस्टर 12 (सोनपुर बाजारी परियोजना को छोड़कर) के अंतर्गत आने वाली खदानों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) अनुपालन का आकलन करने हेतु कार्य का ठेका सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, धनबाद को दिनांक 08.03.2025 को दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। यह कार्य पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के अनुपालन हेतु है।

24.0 शिकायत निवारण तंत्र-निदान:

निदान प्रकोष्ठ के अंतर्गत शिकायतों, पीजी पोर्टल के अंतर्गत सीपीजीआरएएमएस और एमएसएमई मामलों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। निदान के अंतर्गत, मुख्यालय स्तर पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के महीने के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों/ग्रेड/क्षमता में कार्यरत कर्मचारियों से कंपनी के समुचित विकास और वृद्धि के लिए सुझाव प्राप्त/स्वीकार किए जाते हैं और कल्याण विभाग को भेजे जाते हैं। सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के दौरान उनके बहुमूल्य सुझावों पर ध्यान दिया जाता है। वर्ष के दौरान सीपीजीआरएएमएस पर 525 और ईसीएल-निदान पोर्टल के माध्यम से 245 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से सीपीजीआरएएमएस के 519 और निदान के 216 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 35 मामले प्रक्रियाधीन हैं। सीपीजीआरएएमएस, निदान और एमएसएमई के लिए मासिक रिपोर्ट नियमित आधार पर और आवश्यकतानुसार विभिन्न प्राधिकरणों/सीआईएल/एमओसी से भेजी जा रही है।

डीएआरपीजी के 23.08.2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत सभी शिकायतों का निपटारा 21 दिनों के भीतर किया जाना है और सभी शिकायतों का समय-सीमा के भीतर निवारण कर दिया गया है। शिकायत निवारण तंत्र "ऑनलाइन निदान" के अंतर्गत ऑनलाइन प्रणाली और कभी-कभी ऑफलाइन प्रणाली पर आधारित है। शिकायत निवारण की समय-सीमा 60 दिन है, लेकिन इसका निवारण ज्यादातर 45 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। आज की तिथि में ऑनलाइन निदान योजना/सीपीजीआरएएमएस और ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है और संबंधित विभाग को अग्रेषित की जा रही है। सभी क्षेत्रों में नोडल अधिकारी हैं, जो लंबित शिकायतों की सीधे निगरानी करते हैं और शिकायतों के तेजी से निवारण को बढ़ावा देने के लिए मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करते हैं। पीजी पोर्टल और निदान के अंतर्गत शिकायतों का समय-सीमा के भीतर निपटान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, इकाइयों और मुख्यालय स्तर से नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। लोक शिकायत प्रकोष्ठ-निदान द्वारा अनसुलझे रह गए शिकायतों तथा कंपनी के नीतिगत निर्णय से संबंधित विषयों पर चर्चा करने तथा निर्णय लेने के लिए मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रों में शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन किया गया है।

एमएसएमई समाधान पोर्टल का संचालन और निगरानी लोक शिकायत प्रकोष्ठ-निदान, मुख्यालय द्वारा की जाती है तथा मासिक आधार पर दृष्टि डैशबोर्ड पोर्टल (सीपीएसई कॉन्क्लेव) में अपलोड करने के लिए एमएसएमई समाधान पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

25.0 जनसंपर्क:

ईसीएल का जनसंपर्क विभाग कंपनी और जनता के बीच सकारात्मक संबंध और आपसी समझ को सुव्यवस्थित और सुविचारित तरीके से बनाने और बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करता है। कंपनी एक स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी मीडिया नीति का पालन करती है। विभिन्न स्तरों पर पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों द्वारा नियमित रूप से प्रेस वार्ता और बैठकें आयोजित की जाती हैं। पूरे वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की हैं, कई विज्ञापन जारी किए हैं और कई प्रायोजनों और प्रदर्शनियों में सहयोग किया है या उनमें भाग लिया है। ईसीएल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सचित्र पोस्ट के माध्यम से सक्रिय रूप से अपडेट साझा करता है। कंपनी की एक द्विभाषी आधिकारिक वेबसाइट भी है। नागरिक चार्टर के अनुरूप, भूमि, नियुक्तियों और सामान्य अपडेट सहित कई प्रकार की जानकारी एक एकीकृत पहुँच बिंदु के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, ईसीएल नियमित रूप से 'ईसीएल समाचार' शीर्षक से अपनी प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाली एक दीवार पत्रिका प्रकाशित करता है।

26.0 कार्यकारी प्रतिष्ठान:

क) **एमटी और डॉक्टरों की नियुक्ति:** विभिन्न विषयों (खनन, सिविल और भूविज्ञान) के कुल 73 प्रबंधन प्रशिक्षु (एमटी) गेट-2023 के माध्यम से भर्ती होकर ईसीएल में शामिल हो गए हैं। प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) की नियुक्ति की विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:

गेट- 2023	ईसीएल को आवंटित एमटी की संख्या	डीवी/आईएमई में सफल एमटी की संख्या	शामिल हुए एमटी की संख्या
पहला चरण	79	57	49
दूसरा चरण	26	21	15
तीसरा चरण	07	03	03
चौथा चरण	07	05	06
कुल	**119**	**86**	**73**

नवनियुक्त कार्यपालकों की सुचारू ऑनबोर्डिंग के लिए, ईसीएल में उनकी नियुक्ति से पहले उनकी पोस्टिंग को अंतिम रूप देने के लिए, सीआईएल के निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी स्थापना विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। विभिन्न बैठकों और उनके संबंधित क्षेत्रों/तैनाती स्थलों तक परिवहन के माध्यम से, बिना किसी परेशानी के ऑनबोर्डिंग और इंडक्शन प्रक्रिया के लिए, आवास/भोजन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए गए।

ख) **प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) का प्रशिक्षण समापन:** सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लगभग 252 प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) का प्रशिक्षण समापन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

ग) **स्थानांतरण अनुरोध हेतु अंतर-सहायक आवेदनों का प्रसंस्करण:** ऑनलाइन एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से कुल 133 स्थानांतरण आवेदन प्राप्त हुए और उनका सफलतापूर्वक प्रसंस्करण किया गया। इसके अलावा, एचआरएमएस पोर्टल बंद होने के बाद, ऑनलाइन ईएसएस के माध्यम से 90 स्थानांतरण आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 71 मामलों पर ईसीएल के सक्षम प्राधिकारी के निर्णय हेतु प्रसंस्करण किया गया और ईएसएस पर अद्यतन किया गया।

घ) **ईआईएस और एचआरएमएस रिकॉर्ड का निर्माण/अद्यतन और एसएपी का एकीकरण:** सभी नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) और डॉक्टरों के रिकॉर्ड ईआईएस/एचआरएमएस और एसएपी डेटा पर बनाए/अद्यतन किए गए हैं। इसके अलावा, सभी कर्मचारी डेटा को नियमित आधार पर ईआईएस/एचआरएमएस पर अद्यतन किया गया है और इसे एसएपी में स्थानांतरित किया जा रहा है।

ईसीएल में सीएमडी, कार्यात्मक निदेशकों और कंपनी सचिव की उपस्थिति में वार्षिक प्रेस मीट का आयोजन किया गया

ङ) **जनवरी, 2025 में वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल करना:** 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 2161 कार्यकारी अधिकारियों ने वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) दाखिल किया। यह कई पत्रों, ई-मेल संचार और क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय के माध्यम से निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई से संभव हो सका।

च) **विकेन्द्रीकृत चिकित्सा भर्ती-2024:** विकेन्द्रीकृत चिकित्सा भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन ईसीएल की वेबसाइट और प्रिंट मीडिया में अधिसूचित किया गया था। विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

विकेंद्रीकृत चिकित्सा भर्ती	ईसीएल में अनंतिम रूप से चयनित डॉक्टरों की संख्या	डीवी/आईएमई में सफल डॉक्टरों की संख्या	आज तक रिपोर्ट किए गए डॉक्टरों की संख्या
पहला चरण	17	16	16
दूसरा चरण	11	07	06
कुल	**28**	**23**	**22**

छ) **सलाहकार की नियुक्ति:** कार्यात्मक निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएफडी) के निर्णय के अनुसार ईसीएल में सलाहकारों के तीन (03) पदों (सलाहकार (एलआरई) के लिए 2 पद और सलाहकार (पर्यावरण और वन) के लिए 1 पद) के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु ईसीएल/सीआईएल की वेबसाइट पर अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

ज) **प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस):** प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) की सभी गतिविधियाँ यानी ईसीएल की वेबसाइट पर और ई-मेल के माध्यम से पीएमएस अनुसूची का संचार, पीएमएस लक्ष्य निर्धारण: 2024-25 (PRIDE और PAR), 2023-24 के लिए पीएमएस मूल्यांकन (जून, 2024 से दिसंबर, 2024 तक सक्रिय), वित्त वर्ष 2023-24 के लिए PRIDE अपीलों का प्रसंस्करण (125 PRIDE अपील), वित्त वर्ष 2021-22 के लिए PAR अपीलों का प्रसंस्करण (8 PAR अपील) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूची के अनुसार SPARROW में सभी गतिविधियों को पूरा करना समय पर पूरा किया गया।

झ) **प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) का भुगतान:** सभी पात्र अधिकारियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) को नियमों और सीआईएल से उपलब्ध कराए गए पीजी के अनुसार निर्धारित समय के भीतर संसाधित और भुगतान किया गया है।

ञ) **ईसीएल वेबसाइट पर स्थानांतरण, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक परिपत्रों/मैनुअल के कार्यालय आदेशों का प्रकाशन:** पीएमएस और अन्य प्रासंगिक परिपत्रों से संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ अधिकारियों के सभी अंतर क्षेत्र/अंतर सहायक स्थानांतरण आदेश ईसीएल की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा रहे हैं, इसके अलावा इसे ईमेल के माध्यम से सभी संबंधितों को सूचित किया जा रहा है।

ट) पदोन्नति आदेश जारी करना: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ईसीएल के लगभग 400 कार्यपालकों को पदोन्नत किया गया। डीपीसी कट-ऑफ 30.09.2024 में उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए अनधिकृत एलडब्ल्यूपी/अनुपस्थिति विवरण सहित उनका उचित निकासी डेटा, अन्य पात्र कार्यपालकों के साथ, समयबद्ध तरीके से सीआईएल को भेज दिया गया। नई स्वीकृतियाँ प्राप्त करने पर सीआईएल/ईसीएल के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर, बिना किसी देरी के, ईसीएल द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किए गए।

ठ) प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी)/डॉक्टरों के संबंध में कंपनी रोल से नाम हटाना, जिन्होंने प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि के दौरान अपना रोजगार छोड़ दिया है: प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी)/डॉक्टरों के संबंध में कंपनी रोल से नाम हटाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया, जिन्होंने प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि के दौरान अपना रोजगार छोड़ दिया है, को जीएम (एचआर/नीति), सीआईएल द्वारा संचार संदर्भ संख्या सीआईएल/सी5ए(पीसी)/1279 दिनांक 04.11.2024 के माध्यम से प्रसारित किया गया है। इसी के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुपस्थिति और त्यागपत्र के लंबे समय से लंबित मामलों में 39 मामलों में से 35 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

ड) **संवेदनशील पदों पर स्थानांतरण:** कोयला मंत्रालय (एमओसी) से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों का डेटा बनाए रखने के लिए, एसएपी के माध्यम से स्वचालित अलर्ट जनरेशन की शुरुआत करके एक प्रणाली सुधार उपाय किया गया है। उक्त डेटा एसएपी पर बनाए रखा जा रहा है और ईसीएल के संबंधित क्षेत्रों/विभागों से सूचना/रिपोर्ट एकत्र करके 10 दिनों के नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 73 ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण/रोटेशन किया गया है, जिन्होंने संवेदनशील पदों पर निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया है।

27.0 कर्मचारियों का विवरण:

किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 के **अध्याय XIII** के अंतर्गत कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

28.0 निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

28.1 कार्यात्मक निदेशक:

श्री समीरन दत्ता 18.12.2024 तक कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) थे और श्री सतीश झा को 19.12.2024 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और वे वित्तीय वर्ष के अंत तक बोर्ड में थे। मोहम्मद अंजार आलम को 15.09.2022 से निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया था। सुश्री आहुति स्वैन को 31.08.2024 तक निदेशक (कार्मिक) नियुक्त किया गया था। श्री नीलेन्दु कुमार सिंह को 29.04.2024 तक निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना नियुक्त किया गया था। श्री गुंजन कुमार सिन्हा को 15.01.2025 से निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त किया गया एवं श्री गिरीश गोपीनाथन नायर को 25.03.2025 से निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना के पद पर नियुक्त किया गया।

28.2 सरकार द्वारा नामित निदेशक:

श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड को 18.03.2024 से नामित निदेशक नियुक्त किया गया। श्री माणिक चंद्र पंडित, निदेशक, कोयला मंत्रालय (एमओसी) 31.12.2024 तक कंपनी के नामित निदेशक थे। सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय (एमओसी) को 01.01.2025 से नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

28.3 स्वतंत्र निदेशक:

श्री शिव नारायण पांडे और श्री शिव तपस्या पासवान को 31.10.2024 तक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। श्री शिव नारायण पांडे को 28.03.2025 से पुनः नियुक्त किया गया।

28.4 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त श्री मोहम्मद अंजार आलम ने 15.09.2022 से मुख्य वित्तीय अधिकारी का कार्यभार संभाला और वर्ष 2024-25 तक इस पद पर बने रहेंगे। श्री रामबाबू पाठक इस वर्ष कंपनी सचिव रहे।

29.0 कॉर्पोरेट प्रशासन:

निगमित सुशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शेयरधारकों की आकांक्षाओं और हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। यह एक प्रतिबद्धता है जो शेयरधारकों के मूल्य, कामकाज में पारदर्शिता, मूल्यों और संगठन के सभी घटकों के बीच आपसी विश्वास को अधिकतम करने के मौलिक विश्वास द्वारा समर्थित है। निगमित सुशासन एक ऐसी संस्कृति है जो शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित की दिशा में कार्य करने के लिए निदेशक मण्डल, प्रबंधन और कर्मियों का मार्गदर्शन करती है। इसमें अनिवार्य रूप से विभिन्न हितधारकों के लिए एक रचनात्मक, उत्पादक और सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को 12 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 15वें भारत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी विजन शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

आपकी कंपनी शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने, सभी हितधारकों को सभी वास्तविक जानकारी के समय पर और संतुलित प्रकटीकरण और उनके हितों की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करके संचालन के सभी क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता, खुलेपन, जवाबदेही और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने जोखिमों को कम करने और दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक कार्यों में भूमि के कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली स्थापित की है।

29.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना :

31 मार्च, 2025 तक, लेखा परीक्षा समिति में दो (02) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक शामिल थे, अर्थात सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, एमओसी और श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीआईएल और दो (02) कार्यात्मक निदेशक अर्थात श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन और श्री गुंजन कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन)। श्री शिव नारायण पांडे, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, 31.10.2024 तक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे और उसके बाद, सुश्री संतोष, अंशकालिक, ईसीएल के आधिकारिक निदेशक, वर्ष के दौरान समिति के अध्यक्ष थे। निदेशक (वित्त) और महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा) लेखा परीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

29.2 सीएसआर समिति की संरचना

ईसीएल बोर्ड की 261वीं बैठक में सीएसआर उप-समिति का गठन किया गया। 31 मार्च, 2025 तक समिति में एक (01) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, अर्थात सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, एमओसी और तीन (03) कार्यात्मक निदेशक शामिल थे, अर्थात मोहम्मद अंजार आलम, निदेशक (वित्त); श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन और श्री गुंजन कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन)। श्री शिव तपस्या पासवान, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, 31.10.2024 तक सीएसआर उप-समिति के अध्यक्ष थे और उसके बाद, सुश्री संतोष वर्ष के दौरान समिति की अध्यक्ष थीं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं और महाप्रबंधक (सीएसआर और कल्याण) इस समिति के नोडल अधिकारी हैं।

29.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा:

निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों ने 2025-26 के दौरान घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं:

क) श्री शिव नारायण पांडे

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत आवश्यकतानुसार, स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा प्रस्तुत की थी कि वे एलओडीआर 2015 के विनियमन 16 (आई) के खंड (बी) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें किसी भी परिस्थिति या स्थिति के बारे में पता नहीं है, जो विद्यमान है या यथोचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है जो एक उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्र निर्णय के साथ और बिना किसी बाहरी प्रभाव के कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को बाधित या प्रभावित कर सकती है।

29.4 निदेशक मण्डल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश:

लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गईं।

29.5 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई योग्यता, सकारात्मक गुणों, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामलों को निर्धारित करने के मानदंड सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति :

एमसीए ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों के लिए उपर्युक्त को छूट दी थी।

29.6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(4) के अधीन – निदेशकगणों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन की पारिश्रमिक नीति :

एमसीए ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों के निदेशकों के लिए उपर्युक्त को छूट दी थी।

29.7 संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था :

नियंत्रक कंपनी और नियंत्रक कंपनी की अन्य सहायक कंपनियों के साथ किए गए लेनदेन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 23 (5) (ए) और (बी) के तहत छूट दी गई थी, जो दो सरकारी कंपनियों के बीच लेनदेन और नियंत्रक और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन थे, जिनके खाते नियंत्रक कंपनी के साथ समेकित होते हैं और अनुमोदन के लिए सामान्य बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हैं। इसलिए फॉर्म एओसी 2 तैयार नहीं किया जाता है।

29.8 निदेशक मण्डलीय सदस्यों का परिचय कार्यक्रम :

निदेशक मंडल को व्यवसाय से संबंधित सभी मामलों, कंपनी द्वारा उठाए गए जोखिम और शमन उपायों, कंपनी की नई पहलों आदि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013, संशोधित इनसाइडर ट्रेडिंग विनियम, 2015 के निषेध और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। एमडी अंजार आलम, निदेशक (वित्त) और श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन ने कार्यशाला-सह-नेतृत्व रिट्रीट "मंथन 3.0: कोल इंडिया के लिए एक स्थायी प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाने की यात्रा" में भाग लिया, जिसका आयोजन भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) द्वारा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के सहयोग से 11 से 12 दिसंबर, 2024 तक बांधवगढ़, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है।

29.9 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न का रोकथाम :

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी की एक यौन उत्पीड़न-विरोधी नीति है। यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कंपनी और कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यरत है। सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आती हैं।

सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) ने कर्मचारियों को पीओएसएच अधिनियम, 2013, शिकायत निवारण और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के बारे में शिक्षित करने के लिए ईसीएल में विभिन्न जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्य निम्नानुसार हैं:

1. श्रीमती मंजू चौधरी – अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी
2. डॉ. सोमदत्त मंडल – सदस्य
3. श्रीमती भविनी त्रिपाठी – सदस्य
4. सुश्री प्रिश्या कनौजिया – सदस्य
5. श्री स्नेह तिवारी – सदस्य
6. श्री शुभम कुशवाह – सदस्य
7. सुश्री पल्लबी हलदर - एनजीओ सदस्य

वर्ष 2024-25 के दौरान, यौन उत्पीड़न के कुल तीन (03) मामले दर्ज किए गए और सभी मामलों का विधिवत निवारण कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।

डब्ल्यूआईपीएस की 35वीं राष्ट्रीय बैठक में ईसीएल की भागीदारी

30.0 लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं लागत लेखापरीक्षक:

मेसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी का लागत लेखा-परीक्षण किया और लागत लेखा-परीक्षण रिपोर्ट को निदेशक मंडल द्वारा 24 सितंबर, 2024 को आयोजित अपनी 377वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। उपरोक्त रिपोर्ट 22 अक्टूबर, 2024 को एमसीए के साथ एक्सबीआरएल मोड में दाखिल की गई। मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट, जयपुर को वर्ष 2024-25 के लिए ईसीएल का प्रमुख लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। ई-फॉर्म सीआरए-2, एसआरएन F99347445 दिनांक 26 सितंबर, 2024 के माध्यम से एमसीए पोर्टल पर दाखिल किया गया है।

31.0 सचिवीय लेखा परीक्षा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए एक सहकर्मी-समीक्षित अभ्यासरत कंपनी सचिव फर्म मेसर्स मेहता एंड मेहता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़ द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा (सेक्रेटेरियल ऑडिट) कराई थी। 24 मार्च, 2022 को आयोजित 360वीं बोर्ड बैठक में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई। कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए प्रपत्र एम्आर-3 में 'सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट' प्राप्त कर ली है और उनकी टिप्पणी का उत्तर **अनुबंध-VIII** में संलग्न है।

32.0 स्टोर ऑडिट:

कंपनी में वित्तीय वर्ष 2018-19 से स्टोर ऑडिट की अवधारणा लागू की गई है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में संशोधित कार्यक्षेत्र और संशोधित ऑडिट शुल्क के साथ स्टोर्स के भौतिक सत्यापन हेतु स्टोर ऑडिटरों की नियुक्ति पर सीआईएल के बोर्ड की मंजूरी के अनुपालन में। वित्तीय वर्ष 2022-23 और उसके बाद की तीन वर्षों की अवधि के लिए स्टोर ऑडिटरों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है और पात्र बोलीदाताओं को कार्य सफलतापूर्वक सौंप दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में स्टोर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। स्टोर्स लेजर में आवश्यक सुधार शामिल कर लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक खातों में लेखांकन उपचार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में, स्टोर ऑडिट प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अपने सभी लेनदेन/गतिविधियों को डिजिटल रूप से संसाधित और रिकॉर्ड करने के लिए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एसएपी (ईआरपी) प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है। कंपनी ने ई-ऑफिस पोर्टल को भी सक्रिय रूप से लागू किया है और कंपनी के सभी प्रमुख स्तरों पर इसके उपयोग को अनिवार्य बना दिया है। कंपनी के लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर से संबंधित वैधानिक आवश्यकता से निपटने के लिए, कंपनी के सभी संबंधित व्यक्तियों को अपेक्षित ज्ञान प्रदान करने के लिए एसएपी (ईआरपी) के ऑडिट मॉड्यूल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

ईसीएल के सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र के निमचा ओसी कोलियरी में उच्च-दीवार खनन

33.0जोखिम प्रबंधन नीति:

आपकी कंपनी ने कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति का निर्माण करने हेतु जोखिम प्रबंधन चार्टर और जोखिम रजिस्टर को मंजूरी दी है। इकाई स्तर के जोखिम मूल्यांकन में रणनीतिक जोखिम, परिचालन जोखिम, वित्तीय जोखिम और अनुपालन जोखिम शामिल हैं। जोखिम रजिस्टर के अनुसार, विभिन्न जोखिमों की पहचान की गई है। निरंतर निगरानी और शमन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पहचाने गए जोखिम के लिए जोखिम स्वामी और जोखिम शमन योजना स्वामी को भी नामित किया गया है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन टीम ने विभागाध्यक्षों के परामर्श से और जोखिम प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन में जोखिम प्रबंधन ढांचे में परिकल्पित शासन प्रक्रिया को लागू किया था और साथ ही महत्वपूर्ण जोखिमों (आरटीएम) के लिए जोखिम शमन योजनाओं का निर्माण भी किया था। जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक 10 मई, 2024 को हुई थी।

34.0 निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (5) के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मण्डल एतदद्वारा अभिव्यक्त और पुष्टि करते हैं कि :

क. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, सभी लागू भारतीय लेखा मानकों का पालन किया गया तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;

घ. निदेशकों ने चालू व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे;

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

35.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ:

कार्यरत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत प्रास्थिति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

36.0 विज्ञान व प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं के क्रियान्यवन का विस्तृत प्रास्थिति **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

37.0 परियोजना निगरानी और कार्यान्वयन की स्थिति:

परियोजना अनुश्रवण के ब्यौरे एवं क्रियान्वयन की प्रास्थिति **अनुलग्नक-III** में उल्लिखित है।

38.0 प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन :

प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन को निदेशकगणों के प्रतिवेदन **(अनुलग्नक-IV)** का भागरूप एक पृथक खण्ड में प्रस्तुत किया जाता है।

39.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(2) के अनुसरण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट **(अनुलग्नक-V)** के एक भाग के रूप में एक अलग अनुभाग में प्रस्तुत की गई है।

40.0 अभिस्वीकृति :

अधिमूल्यन की भावना के साथ आपके निदेशकगण समय-समय पर भारत सरकार मुख्यतः कोयला मंत्रालय, पर्यवारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड राज्य सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, विनिमयकारी व कानूनी निकायों से प्राप्त सहयोग की अभिस्वीकृति करते हैं।

आपके निदेशकगण ग्राहकों के समर्थन, विश्वास एवं प्रतिश्रय की प्रशंसा करते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी के परियोजनाओं एवं खनन परिचालनों के निष्पादन में परामर्शियों, विक्रेताओं, संविदाकर्ताओं इत्यादि के योगदान की भी प्रशंसा करते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, सचिवालयिक लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों, बैंकरों, कंपनियों के रजिस्ट्रार (पश्चिम बंगाल) और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान सुझावों की अभिस्वीकृति करते हैं।

आपके निदेशकगण कंपनी के कार्य-निष्पादन प्रदर्शन में कर्मियों के सम्मिलित प्रयासों एवं श्रमिक संगठनों के उदार समर्थन के लिए आपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे।

41.0 अनुशेष :

प्रतिवेदन में निम्निलिखित कागजात उपाबंधित किए जाते हैं :

i) निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन **(अनुलग्नक – VI)**

ii) 31 मार्च, 2025 के समाप्त वर्ष के लिए निगमित सुशासन पर डीपीई अनुदेश के उपखण्ड 8.2.1 के अनुसरण में निगमित सुशासन के शर्तों के अनुपालन संबंधित व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र **(अनुलग्नक-VII)**

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणी और प्रबंधन प्रत्युत्तर।

iv) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसरण में प्रैक्टिसरत कंपनी सचिव द्वारा दी गई फॉर्म संख्या एमआर-3 में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट **(अनुलग्नक-VIII)**।

vi) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय **(अनुलग्नक-IX)**।

vii) कंपनी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के बारे में विवरण **(अनुलग्नक-X)**।

viii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अंतर्गत कंपनी के अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा **अनुलग्नक-XI** के रूप में संलग्न है।

ix) वर्ष 2024-25 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति **(अनुलग्नक-XII)**।

x) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-92 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल की ओर से

(सतीश झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन -10299809

स्थान: सांकतोड़िया
दिनांक: 30.07.2025

पुरस्कार और प्रशंसा

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उत्कृष्ट कार्य के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार मिला

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को कर्मचारी कल्याण और कॉलोनी की सफाई में उत्कृष्ट कार्य के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार मिला

सीआईएल के 50वें स्थापना दिवस पर पांडवेश्वर, ईसीएल के महाप्रबंधक को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय महाप्रबंधक का पुरस्कार दिया गया

सीआईएल के 50वें स्थापना दिवस पर ईसीएल के पुरस्कार विजेता

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को गुणवत्ता जागरूकता पर कॉर्पोरेट पुरस्कार मिला

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को एमडीओ अनुबंधों के सफल कार्यान्वयन के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार मिला

सीआईएल के 50वें स्थापना दिवस पर ईसीएल के पुरस्कार विजेता

श्री मलय दास, महाप्रबंधक (सीएमसी), ईसीएल को सीआईएल के 50वें स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ एचओडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया

ईसीएल के सीएमडी को भुवनेश्वर में खनन नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को सुरक्षा पर कॉर्पोरेट पुरस्कार मिला

सीआईएल के 50वें स्थापना दिवस पर ईसीएल के पुरस्कार विजेता

उपाबंध – I

31 मार्च, 2025 तक ईसीएल के कमांड क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही सीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्थिति:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
1.	कोयले की खानों में विस्फोट के खतरे की रोकथाम और जोखिम मूल्यांकन और विस्फोटकता निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देशों का विकास, जिसमें जोखिम आधारित आपातकालीन निकास और पुनः प्रवेश प्रोटोकॉल शामिल है। यह विकास भारतीय कोयला खानों में विस्फोट के खतरे को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। **परियोजना कोड:** CIL/R&D/1/60/2016 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईएसएम, धनबाद; सीआईएमएफआर, धनबाद; एस एंड आर डिवीजन, सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता; सिमटार्स, ऑस्ट्रेलिया और एनआईईआर, न्यू कैसल विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया	2413.21 [आईआईटी-आईएसएम, धनबाद-1617.07 सीआईएमएफआर, धनबाद-796.14]	15 अप्रैल, 2016	14 अप्रैल, 2023	2267.76 [आईआईटी-आईएसएम-1510.00; सीआईएमएफआर-757.76]	परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
2.	खदान ढलान स्वास्थ्य निगरानी के लिए वास्तविक समय ऊर्जा कुशल साइबर-भौतिक बुद्धिमान प्रणाली. **परियोजना कोड:** CIL/R&D/01/77/2022 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी-आईएसएम, धनबाद, सीएमपीडीआईएल और ईसीएल	263.75 [आईआईटी-आईएसएम, धनबाद-238.97 सीएमपीडीआईएल-24.78]	1 फरवरी, 2022	31 जनवरी, 2025	262.95 [आईआईटी-आईएसएम - 238.50; सीएमपीडीआईएल-11.33]	परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
3.	हाईवॉल खनन व्यवहार्यता मूल्यांकन और लेआउट डिजाइन. **परियोजना कोड:** CIL/R&D/01/78/2022 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** भूमिगत खनन प्रभाग (यूएमडी), सीएमपीडीआई मुख्यालय, रांची; राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (सीएसआईआरओ), ऑस्ट्रेलिया और सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता।	493.53 [सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया-323.63 (AU$ 588131]); सीएमपीडीआईएल, रांची - 76.06; सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लागू कर - 93.84]	11 जुलाई, 2022	10 जनवरी, 2025	190.67 [सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया- 154.74; सीएमपीडीआईएल, रांची- 35.93]	परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
4.	मुगमा क्षेत्र, ईसीएल के श्यामपुर बी कोलियरी के लिए सतत खनित्र (सीएम) तैनाती द्वारा पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी और निष्कर्षण पद्धति के लिए अग्रानुक्रम दृष्टिकोण का विकास **परियोजना कोड:** CIL/R&D/04/18/2022 **कार्यान्वयन अभिकरणे:** ईसीएल, सांकतोड़िया एवं सीआईएमएफआर, धनबाद	4997.45 [ईसीएल-4822.66 सीआईएमएफआर- 174.79]	15 सितंबर, 2022	31 मार्च, 2025	4920.0 [ईसीएल- 4790.00 सीआईएमएफआर - 130.00]	जारी है.
5.	नरम कवर के तहत खंभों के निष्कर्षण के लिए सुरक्षित पार्टिंग मोटाई और इष्टतम गोफ एज समर्थ आवश्यकता का आकलन। **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर&डी/01/79/2022 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी; ईसीएल, सांकतोड़िया; सीसीएल, राँची एवं एसईसीएल, बिलासपुर	182.29 आईआईटी-बीएचयू: 182.29	2 जनवरी, 2023	1 जनवरी, 2025	171.50 [आईआईटी-बीएचयू- 171.50]	जारी है. संबंधित प्राधिकरण से समय विस्तार मांगा गया है।
6.	भारतीय भू-खनन स्थितियों में प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) पर एक पायलट परियोजना-चरण-1 **परियोजना कोड :** CIL/R&D/04/20/2023 **कार्यान्वयन अभिकरणे** मेसर्स. एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज इंक (ईईटीआई), कनाडा स्वच्छ ऊर्जा विभाग, सीएमपीडीआईएल, रांची और ईसीएल, सैंक्टोरिया	2309.63 [ईईटीआई-1889.51 सीएमपीडीआईएल - 116.23 ईसीएल- 24.78 (विदेशी मुद्रा रूपांतरण शुल्क/ अन्य कर - 279.11]	29 मार्च, 2024	28 फरवरी, 2025	1503.88 [ईईटीआई कनाडा - 1503.88; सीएमपीडीआईएल - 37.45]	जारी है। संबंधित प्राधिकरण से समय विस्तार मांगा गया है।

उपाबंध – II

31 मार्च, 2025 तक ईसीएल के कमांड क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रास्थिति:

क्रम सं.	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की पुनरीक्षित/ अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
1.	सुरक्षा और उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से भूमिगत खानों के खतरे की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में सूक्ष्म भूकंपीयता का उपयोग। **प्रोजेक्ट कोड: मि.टन-178** **कार्यान्वयन अभिकरणे**: आईआईटी, खड़गपुर; सीएमपीडीआईएल, राँची एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	199.78 [आईआईटी, खड़गपुर - 145.50 सीएमपीडीआईएल, रांची -54.28 ईसीएल, सेंक्टोरिया - शून्य]	29 दिसंबर, 2022	28 जून, 2025	164.57 [आईआईटी, खड़गपुर - 128.00; सीएमपीडीआईएल, रांची - 36.57 ईसीएल - शून्य]	परियोजना की अवधि को अनुमोदित परियोजना लागत के भीतर छह (06) महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है और परियोजना की शेष गतिविधियों को विस्तारित समय-सीमा के भीतर पूरा किए जाने की उम्मीद है।
2.	ओपनकास्ट खानों के लिए एआई-सक्षम धूल दमन प्रणाली का डिजाइन और विकास **परियोजना कोड :** मि.टन-181 **कार्यान्वयन अभिकरणे:** केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीएमईआरआई), दुर्गापुर; प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), तिरुवनंतपुरम; यूनिरशापा कॉरपोरेशन लॉर्ड टेक. (यूसीएलटी), रांची और ईसीएल, सेंक्टोरिया।	340.84 [सीएमईआरआई, दुर्गापुर - 139.71; सी-डैक, तिरुवनंतपुरम - 151.57; यूसीएलटी, रांची- 49.56; ईसीएल, सैंक्टोरिया - शून्य]	8 जनवरी, 2024	7 जनवरी, 2026	178.91 [सीएमईआरआई, दुर्गापुर - 91.00; सी-डैक, तिरुवनंतपुरम - 50.91; यूसीएलटी, रांची - 37.00; ईसीएल, सैंक्टोरिया - शून्य]	सेंसर सूट का डिजाइन और विकास पूरा हो चुका है और परियोजना की अन्य गतिविधियां प्रगति पर हैं।
3.	ऑपरेटर के केबिन में लोडिंग उपकरण (हाइड्रोलिक उत्खननकर्ता) की पेलोड निगरानी प्रदर्शित की जाती है **परियोजना कोड:** एमटी-185 **कार्यान्वयन अभिकरणे:** गेनवेल कॉमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड (जीसीपीएल), कोलकाता और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंक्टोरिया	266.34 [जीसीपीएल, कोलकाता - 266.34; ईसीएल, सेंक्टोरिया - शून्य]	1 अगस्त, 2024	31 जुलाई, 2026	239.46 [जीसीपीएल, कोलकाता - 239.46; ईसीएल - शून्य]	परियोजना की सभी गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

उपाबंध – III

चालू परियोजनाओं के परियोजना अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन प्रास्थिति :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूंजी (रु करोड़ में)	अनुमोदन की मूल तिथि	पूरण की अधिसूचित तिथि	पूरण की प्रत्याशित तिथि	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1.	सोनपुर बजारी विस्तारित खुली खदान (12.00 मि.टन प्रति वर्ष)	5365.88	जुलाई, 2021	मार्च, 2029	मार्च, 2029	वर्ष दौरान कोयला उत्पादन प्राप्त हुआ: 2021-22: 9.62 मि.टन 2022-23: 11.999 मि.टन 2023-24: 12.374 मि.टन 2024-25: 12.461 मि.टन
2.	हुर्रा सी खुली खदान (3.00 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश : 859.41 (वर्तमान 289.42 सहित)	अगस्त, 2022	मार्च, 2029	मार्च, 2029	चरण-II वानिकी सहमति प्राप्त किया गया और भूमि पर दखल दियानी प्रक्रियाधीन है। वर्ष दौरान कोयला उत्पादन प्राप्त हुआ: 2022-23: 0.239 मि.टन 2023-24: 2.074 मि.टन 2024-25: 2.901 मि.टन
3.	झांझरा विस्तारित भूमिगत (5.00 मि.टन प्रति वर्ष)	1210.12	अप्रैल, 2020	मार्च, 2029	मार्च, 2029	वर्ष दौरान कोयला उत्पादन प्राप्त हुआ: 2021-22: 3.63 मि.टन 2022-23: 2.917 मि.टन 2023-24: 2.659 मि.टन 2024-25: 1.812 मि.टन
4.	न्यू केन्दा खुली खदान परियोजना (1.20 मि.टन प्रति वर्ष)	127.72	नवंबर, 2014	मार्च, 2019	मार्च, 2026	कोयला उत्पादन 28.12.2018 को शुरू हुआ। वर्ष दौरान कोयला उत्पादन प्राप्त हुआ 2021-22: 0.241 मि.टन 2022-23: 0.014 मि.टन 2023-24: 0.622 मि.टन 2024-25: 1.175 मि.टन
5.	चितरा पूर्वी खुली खदान (आरसीई) (2.50 मि.टन प्रति वर्ष)	513.99	अगस्त, 2018	मार्च, 2026	मार्च, 2026	चरण-II वानिकी सहमति प्राप्त किया गया और भूमि पर दखल दियानी तथा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन का कार्य प्रगति पर है। वर्ष दौरान कोयला उत्पादन प्राप्त हुआ 2021-22: 0.990 मि.टन 2022-23: 1.031 मि.टन 2023-24: 1.755 मि.टन 2024-25: 1.531 मि.टन
6.	मोहनपुर विस्तारित खुली खदान (2.50 मि.टन प्रति वर्ष)	888.99	नवंबर, 2020	मार्च, 2026	मार्च, 2026	भूमि पर दखल दियानी तथा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन का कार्य प्रगति पर है। वर्ष दौरान कोयला उत्पादन प्राप्त हुआ: 2021-22: 0.769 मि.टन 2022-23: 1.082 मि.टन 2023-24: 2.000 मि.टन 2024-25:0.420 मि.टन

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूंजी (रु करोड़ में)	अनुमोदन की मूल तिथि	पूरण की अधिसूचित तिथि	पूरण की प्रत्याशित तिथि	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
7.	खोट्टाडीह सीएम भूमिगत (1.00 मि.टन प्रति वर्ष)	127.17	मई, 2015	मार्च, 2016	मार्च, 2026	वर्ष दौरान कोयला उत्पादन प्राप्त हुआ: 2022-23: 0.539 मि.टन (सीएम से 0.332 मि.टन सहित) 2023-24: 0.521 मि.टन (एसएचसीएम से 0.273 मि.टन और झांझरा के तीसरे एलएचसीएम से 0.014 मि.टन सहित) 2024-25: 0.860 मि.टन (एसएचसीएम से 0.419 मि.टन और झांझरा के तीसरे एलएचसीएम से 0.309 मि.टन सहित)
8.	सिदुली (खुली खदान : 1.20 एवं भूमिगत : 1.63 मि.टन प्रति वर्ष)	535.18	मई, 2018	मार्च, 2027	मार्च, 2027	13.53 लाख क्यूबिक मीटर ओबी को हटाने और परिवहन तथा 4.14 लाख टन कोयले की निकासी और परिवहन के लिए संशोधित सिदुली ओसी पैच के लिए 29.01.2025 को एलओए जारी किया गया। कार्य अभी शुरू होना है।
9.	नकराकोंडा कुमारडीह बी खुली खदान (3.00 मि.टन प्रति वर्ष)	502.68	अगस्त, 2018	मार्च, 2029	मार्च, 2029	18.04.2022 को कोयला उत्पादन आरंभ हुआ। वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादन 2022-23: 0.444 मि.टन 2023-24: 0.218 मि.टन 2024-25: 0.404 मि.टन
10.	तिलाबोनी भूमिगत (1.86 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश: 749.07 (वर्तमान 39.53 सहित)	जनवरी, 2023	मार्च, 2027	मार्च, 2027	मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को 30.03.2023 को एलओए जारी किया गया। 02.06.2023 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पहला एलएचसीएम अप्रैल, 2024 में चालू किया गया और दूसरा एलएचसीएम पैनल के विकास के लिए आर-VIII टॉप सीम में तैनात किया गया है। 2024-25 के दौरान प्राप्त कोयला उत्पादन: 0.185 मि.टन
11.	परासिया-बेलबाद भूमिगत (2.07 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश: 389.10 (वर्तमान 106.52 सहित)	जनवरी, 2023	मार्च, 2028	मार्च, 2028	मेसर्स गेनवेल कॉमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड को 30.03.2023 को LOA जारी किया गया। 25.07.2023 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। शाफ्ट सिंकिंग और इनक्लाइन ड्राइवेज अक्टूबर, 2023 से शुरू होगा। एमडीओ द्वारा शाफ्ट सिंकिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है।
12.	श्यामसुंदरपुर भूमिगत (सर्पी इकाई सहित) (1.59 मि.टन प्रति वर्ष)	483.65	अप्रैल, 2020	मार्च, 2026	मार्च, 2026	वर्ष दौरान कोयला उत्पादन प्राप्त हुआ: 2021-22: 0.645 मि.टन 2022-23: 0.661 मि.टन 2023-24: 0.720 मि.टन 2024-25: 0.548 मि.टन

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूंजी (रु करोड़ में)	अनुमोदन की मूल तिथि	पूरण की अधिसूचित तिथि	पूरण की प्रत्याशित तिथि	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
13.	बोनजेमेहारी विस्तारित खुली खदान परियोजना (1.00 मि.टन प्रति वर्ष)	570.12	अगस्त, 2021	मार्च, 2026	मार्च, 2026	आउटसोर्सिंग द्वारा 44.41 लाख घनमीटन ओबी को हटाने के साथ 11.54 लाख टन कोयले के निष्कर्षण के लिए एक्ससेंट्रिक वाइब्रो रिपर का परिनियोजन के लिए 17.10.2022 को एलओए जारी किया गया। 30.11.2022 को कमीशन किया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादन 2022-23: 0.044 मि.टन 2023-24: 0.321 मि.टन 2024-25: 0.428 मि.टन
14	इटापाड़ा ओसीपी (3.50 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश : 929.09	दिसंबर, 2023	मार्च, 2030	मार्च, 2030	मेसर्स आर. के ट्रांसपोर्ट कंपनी को एमडीओ मोड में 08.05.2023 को एलओए जारी किया गया और 10.06.2023 को करार पर हस्ताक्षर किए गए। खनन परिचालन 10.09.2023 से शुरू हुआ। कोयला उत्पादन 20.12.2023 से शुरू हुआ। कोयला उत्पादन इस दौरान प्राप्त हुआ: 2023-24: 0.172 मि.टन 2024-25: 1.437 मि.टन
15	पैरास्कोल जम्बाड ओसी (1.80 मि.टन प्रति वर्ष)	1193.55	नवंबर, 2024	मार्च, 2037	मार्च,2037	परियोजना रिपोर्ट को सीआईएल बोर्ड द्वारा 29.11.2024 को आयोजित बैठक में किराए पर लेने के विकल्प के रूप में अनुमोदित किया गया है। भूमि पर कब्ज़ा और पुनर्वास का कार्य प्रगति पर है।
16	चुपरभिता-सिमलोंग ओसीपी (6.00 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश : 979.08	दिसंबर, 2023	मार्च,2037	मार्च, 2037	एमडीओ विकल्प में 29.12.2023 को आयोजित सीआईएल बोर्ड की बैठक में परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। वानिकी मंजूरी प्रक्रियाधीन है। एमडीओ विकल्प में 1 जनवरी, 2025 को एलओए जारी किया गया है और 31 मार्च, 2025 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
17	निमचा यूजी (2.76 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश : 45.77	दिसंबर, 2024	मार्च, 2035	मार्च, 2035	परियोजना रिपोर्ट को सीआईएल बोर्ड द्वारा 23.12.2024 को आयोजित बैठक में एमडीओ विकल्प में अनुमोदित किया गया है। सीएमपीडीआईएल से एनआईटी दस्तावेज 20.03.2025 को प्राप्त हुए। एनआईटी दस्तावेजों को 26 मई, 2025 को ईसीएल बोर्ड में अनुमोदित किया गया।

उपाबंध – IV

प्रबंधकीय विवेचना व विश्लेषण प्रतिवेदन

एक आघात-सह अर्थव्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 17.65 ट्रिलियन डॉलर है, जो चीन ($39.44 ट्रिलियन) और यूएसए ($30.51 ट्रिलियन) से पीछे है। बाजार विनिमय दर पर, भारत की 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी इसे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चौथे स्थान पर ले जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष के 8.20% की तुलना में 6.5% की मामूली वृद्धि की है। भारतीय आर्थिक सुधार में उछाल को बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव आदि से बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो अनुमानित विकास दर को नीचे खींच रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) यानी कोर मुद्रास्फीति और गैर-खाद्य मुद्रास्फीति दरें उच्च रहीं। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में संपूर्ण मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर भी दोहरे अंकों में थी, इसलिए, जीडीपी अनुमानों को उच्च अपस्फीति कारकों द्वारा कारक बनाया गया है। इसलिए, अर्थव्यवस्था में लगातार उच्च मुद्रास्फीति नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा, पिछले वर्षों में महामारी के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई थी, और अब भी बहुत नाजुक स्थिति में है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कई देशों के लिए स्थिति और खराब हो गई है, खासकर उन देशों के लिए जो बाहरी ऊर्जा संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

यदि हम ऊर्जा की मांग को हाल की गर्म लहर द्वारा समर्थित आर्थिक विस्तार के बैरोमीटर के रूप में मानते हैं, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीक पावर की मांग पिछले साल के उच्च स्तर को पार कर 250 गीगावाट को पार कर गई है, जो कि अर्थव्यवस्था में लचीलेपन को दिखाने के लिए कोविड-पूर्व स्तर से बहुत अधिक है, जहां कुल ऊर्जा मांग में बिजली की मांग का एक बड़ा हिस्सा है। इस पृष्ठभूमि पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और देश की लगभग 55% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए, भारत में जीविका के लिए कोयले की प्रासंगिकता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान के अनुसार भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।

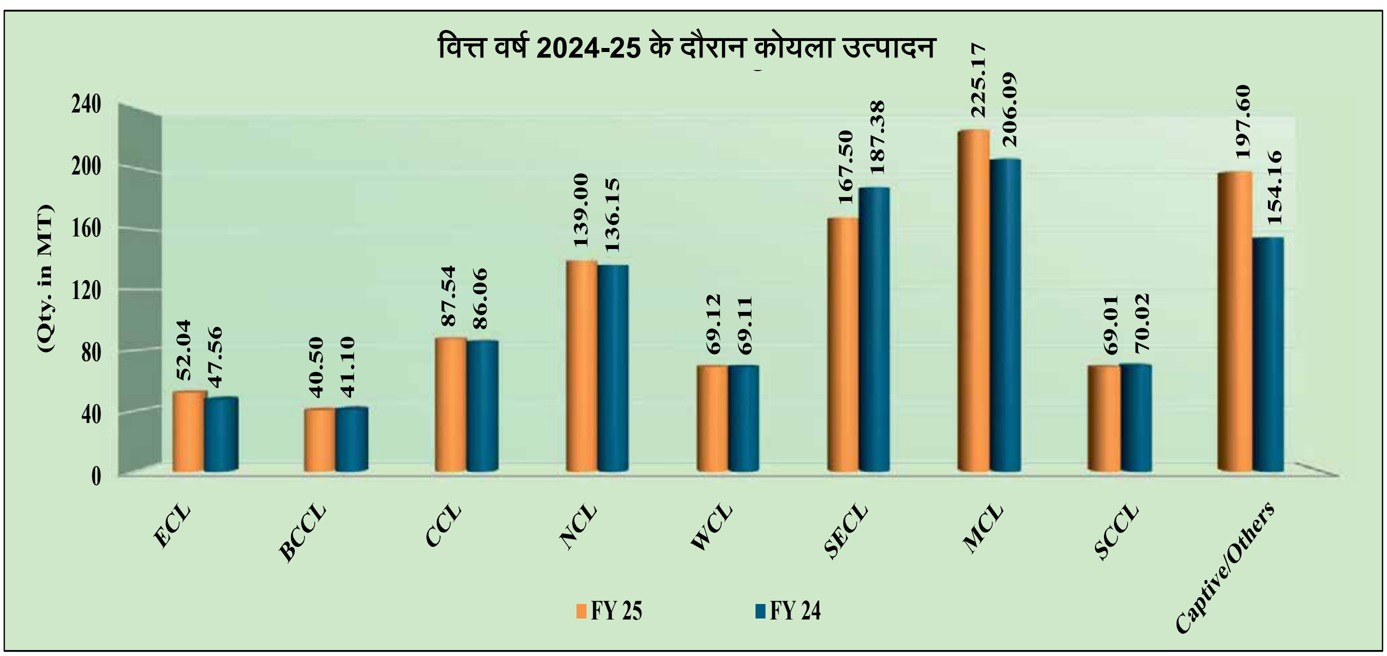

भारत में कोयला निचय

सीएमपीडीआई, एमईसीएल, जीएसआई, एससीसीएल और अन्य द्वारा अनुमानित संसाधनों के आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई 01.04.2024 तक और 1200 मीटर की गहराई तक भारतीय कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधनों की सूची 389.421 बीटी है। ये संसाधन मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। भारत में, कोयला अपनी उपलब्धता और सामर्थ्य के कारण ताप विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख ईंधन है।

01.04.2024 को यथा प्रकार-वार और श्रेणी-वार संसाधन:

(संसाधन मिलियन टन में)

गहराई सीमा (मी.)	मापित	सूच्य	निष्कर्षित	कुल
कोककर:				
0-300	8695.70	3899.63	36.02	12631.35
0-600	9153.94	87.28	0.00	9241.22
300-600	2611.27	5053.06	737.06	8401.39
600-1200	2603.29	2760.96	1174.68	6538.93
0-1200	**23064.20**	**11800.93**	**1947.76**	**36812.89**
अकोककर:				
0-300	131810.33	53840.06	6535.09	192185.48
0-600	6075.22	66.65	29.63	6171.50
300-600	43759.78	62153.77	13118.01	119031.56
600-1200	6897.22	20733.81	5926.60	33557.63
0-1200	**188542.55**	**136794.29**	**25609.33**	**350946.17**
उच्च सल्फर:				
0-300	414.56	105.16	190.64	710.36
300-600	185.85	16.15	Nil	202.00
0-600	**600.41**	**121.31**	**190.64**	**912.36**
कुल	**212207.16**	**148716.53**	**27747.73**	**388671.42**

01.04.2024 तक गहराई-वार और श्रेणी-वार संसाधन

गहराई रेंज (मीटर)	कोककर			अकोककर			उच्च सल्फर	कुल योग
	मुख्य	मध्यम	अर्ध कोककर	सुपीरियर (G1-G6)	निम्न (G7-G17)	बिना ग्रेड वाला		
0-300	2.21	12162.37	466.77	21623.72	164026.67	6535.09	1460.28	206277.11
0-600	4596.55	4644.67	0.00	449.38	5692.49	29.63	0.00	15412.72
300-600	0.34	7552.95	848.10	13913.54	92000.01	13118.01	202.00	127634.95
600-1200	844.31	5212.01	482.61	3885.19	23745.84	5926.60	0.00	40096.56
0-1200	**5443.41**	**29572**	**1797.48**	**39871.83**	**285465.01**	**25609.33**	**1662.28**	**389421.34**

भारत में कोयले के राज्यवार भूवैज्ञानिक संसाधन

01.04.2024 तक:

(मिलियन टन में संसाधन)

राज्य	मापित	सूच्य	निष्कर्षित	संसाधन
ओडिशा	53799.43	39053.01	6351.39	99203.83
झारखंड	59876.88	27135.39	4799.30	91811.57

राज्य	मापित	सूच्य	निष्कर्षित	संसाधन
छत्तीसगढ़	40078.14	41092.78	1495.44	82666.36
पश्चिम बंगाल	18752.19	11432.59	3773.29	33958.07
मध्य प्रदेश	15425.17	12378.97	5010.99	32815.13
तेलंगाना	11256.78	8496.57	3452.17	23205.52
महाराष्ट्र	8163.11	3371.82	1816.70	13351.63
बिहार	2346.36	3014.65	36.66	5397.67
आंध्र प्रदेश	1024.65	2368.94	778.17	4171.76
उत्तर प्रदेश	884.04	177.76	0.00	1061.80
मेघालय	95.64	16.65	470.93	583.22
असम	464.78	57.21	3.02	525.01
नगालैंड	8.76	21.83	447.72	478.31
सिक्किम	0.00	58.25	42.98	101.23
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23
कुल	**212207.16**	**148716.53**	**28497.65**	**389421.34**

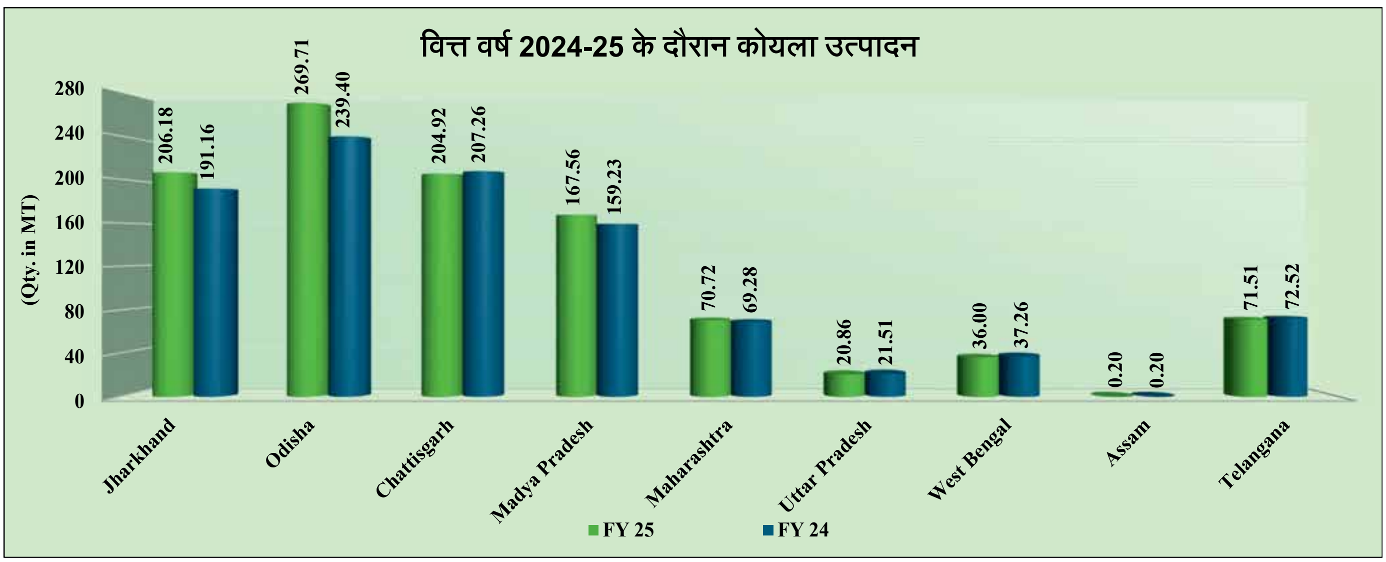

वित्त वर्ष 2024-25 में ओबीआर प्रवृत्ति

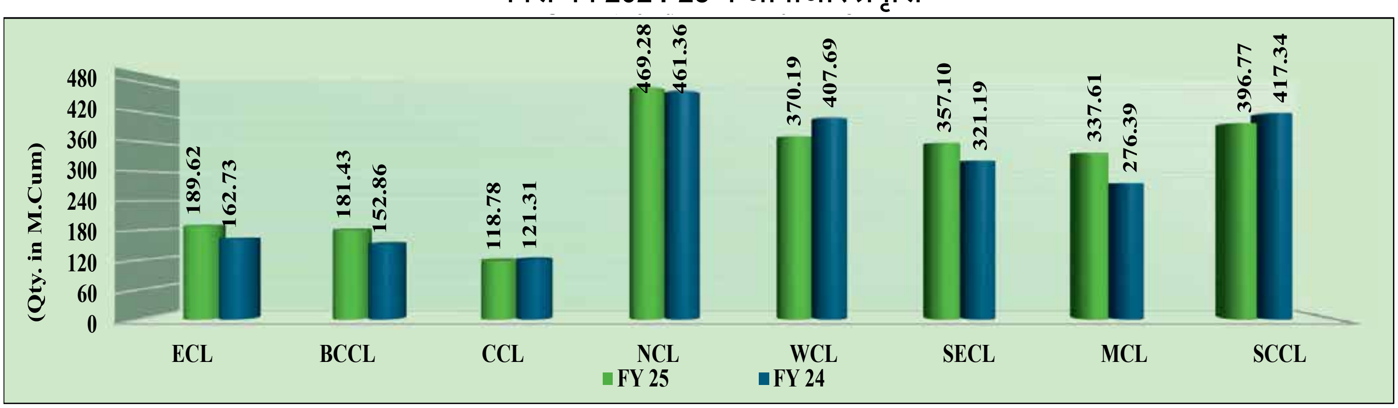

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का अवलोकन:

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) की स्थापना 1 नवंबर, 1975 को कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड (सीएमएएल) के पूर्वी डिवीजन के 414 खदानों को अपने अधीन लेकर की गई थी और कंपनी ने उसी तारीख से अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया था। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में परिचालन करती है। इसके 13 ऑपरेटिंग क्षेत्र हैं, जिनमें 79 कार्यरत खदानें, 47 भूमिगत खदानें, 22 ओपनकास्ट खदानें और 10 मिश्रित खदानें हैं। 01.04.2024 तक, ईसीएल के पास 57.219 बिलियन टन का अनुमानित कोयला भंडार है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कमांड क्षेत्रों में 33.943 बिलियन टन और झारखंड के कमांड क्षेत्रों में 23.275 बिलियन टन शामिल है।

SWOT विश्लेषण:

शक्तियाँ:

क) पश्चिम बंगाल में 33.943 बिलियन टन कोयले का कुल भूवैज्ञानिक निचय, जिसमें से 18.43 बिलियन टन प्रमाणित श्रेणी में है। रानीगंज कोलफील्ड्स में ईसीएल के पास 20% से कम की औसत राख अंश वाले कोयले की उत्तम श्रेणी है। इस कोयले को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्तों को पूरा करने के लिए अन्य अनुषंगी कंपनियों से उच्च राख वाले कोयले के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

ख) झारखंड राज्य में 01.04.2024 को (जीएसआई के अनुसार) 600 मीटर की गहराई तक 23.103 बिलियन टन कोयले का भंडार जिसमें से 12.089 बीटी प्रमाणित भंडार है, जहाँ खुली खदान खनन द्वारा कोयले के तुलनात्मक रूप से आसान निष्कर्षण की गुंजाइश मौजूद है।

ग) कामगार कठिन परिस्थितियों में काम करने में सक्षम हैं।

घ) खदानें राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे कॉरिडोर के साथ स्थित हैं जो आसानी से सुगम्य निष्क्रमण प्रदान करती हैं।

ङ) ईसीएल में जीसीवी की विस्तृत शृंखला अर्थात् 6700 किलो कैलोरी/किग्रा से 3401 किलो कैलोरी/किग्रा (जी3-जी13) का कोयला है, जिससे यह उपभोक्ताओं की विस्तृत शृंखला के लिए सुलभ हो गया है।

च) ब्राह्मणी और अमरकोंडा-मुर्गदंगल कोयला ब्लॉकों ईसीएल को आवंटित किए गए हैं और क्रमशः 1928 मि. टन और 400 मि. टन का विशाल कोयला निचय है। इससे आने वाले वर्षों में ईसीएल की उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और निकट भविष्य में ईसीएल को 100 मि. टन कोयला कंपनी बनाने में मदद मिलेगी।

अशक्तियाँ:

क) यद्यपि रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयला खनन लगभग ढाई सदी पहले शुरू हुआ था, इसलिए विरासत के मुद्दों के कारण विस्तार बाधित हुआ है।

ख) कठिन भू-खननीय दशाएँ।

ग) घनी आबादी भूमि अधिग्रहण में बाधा डालती है।

घ) कोयला धारक क्षेत्रों पर निर्मित वृहद अवसंरचनाएँ खुली खदान खनन में बाधा डालती है।

ङ) अति पम्पन एवं रेत भूगर्त भरण लागत।

च) ऊपरी जल-जमाव वाले संस्तर निचले संस्तरों में पूँजोत्पादन प्रौद्योगिकी के आरंभन में बाधा डालती हैं।

अवसर:

क) ई-विपणन के माध्यम से कोयले के लिए बेहतर मूल्य की प्राप्ति।

ख) अवैध खनन को रोकने के लिए छोटे खुली खदान पैच का अवलंबन करना।

ग) सुरक्षा, उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रीय श्रमिक संघों की सकारात्मक प्रतिक्रिया।

घ) समस्याओं को निपटारित करने में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों से सहयोग में वृद्धि।

ङ) विशेष रूप से खुली खदानों में हाईवॉल खनन प्रौद्योगिकी की शुरूआत जिसे प्रमुख सतही व्यवधानों के कारण आगे विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

च) अनिरंतरित/परित्यक्त खानों को राजस्व साझाकरण मॉडल के माध्यम से और खानों के संचालन के लिए एमडीओ मार्ग के माध्यम से परिचालित करने की पेशकश में सकारात्मक प्रतिक्रिया।

छ) ईसीएल पट्टा क्षेत्र के अंतर्गत कोल बेड मीथेन (सीबीएम) की खोज और संदोहन।

संकट:

क) ग्रामीणों द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध और कंपनी के मानदण्ड से अधिक की माँग रखना।

ख) असुरक्षित भूमिगत खानों को भी बंद करने का विरोध।

ग) ऊपरी क्षितिज के जलभराव और खुली खदान के विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर पूँजोत्पादन प्रौद्योगिकी की शुरूआत में भूमि की कमी।

व्यावसायिक रणनीतियाँ:

क) उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि जारी रखना और भारत में कोयले की महत्वपूर्ण माँग-आपूर्ति अंतर को भुनाएं।

ख) उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की बिक्री और कोयले की ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्ति में सुधार करना।

ग) राजस्व साझाकरण मॉडल के माध्यम से बंद/परित्यक्त खदानों को चालू करने की पेशकश तथा परिचालन के लिए एमडीओ मार्ग के माध्यम से अधिक खदानों की पेशकश करना।

घ) परिचालन और लागत दक्षता में सुधार करके लाभप्रदता बढ़ाना और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना।

ङ) लाभप्रदता बढ़ाएं और परिचालन एवं लागत क्षमता में सुधार करके प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना।

च) विस्तृत गवेषण द्वारा हमारे आरक्षित आधार को बढ़ाना जारी रखना।

छ) कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोल माइन मीथेन (सीएमएम) का अन्वेषण एवं दोहन तथा अतिरिक्त राजस्व सृजन के लिए गैसीकरण.

ज) असुरक्षित खानों का संवरण।

झ) जनशक्ति का यौक्तिकीकरण।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक

उत्पादनः

विशिष्टियाँ	2024-25	2023-24
खुली खदान परियोजना – कोयला (मि.टन)	43.560	38.377
भूमिगत कोयला (मि.टन)	8.475	9.183
कुल (मि.टन)	52.035	47.560
वृद्धि %	9.409	35.815
उपरिभार हटाव – (मि. घनमीटर)	187.167	170.899
वृद्धि %	9.519	28.510

बिक्री प्रापणः

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2024-25	2023-24
बिक्री प्रापण	21298.85	18,999.97

खण्डवार या उत्पादन-वार कार्यनिष्पादनः

(मिलियन टन में)

विशिष्टियाँ	2024-25	%	2023-24	%	विकास (%)
एफएसए/एमओयू के अधीन परदेशिक को प्रेषण	43.030	86.48	37.080	84.76	16.05
ई-नीलामी (बिजली घरों को वायदा नीलामी सहित)	6.586	13.24	6.519	14.90	1.03
अन्य	0.001	Nil	0.001	Nil	66.50
स्वः खपत	0.139	0.28	0.147	0.34	-5.44
कुल कारबार	**49.756**	**100.00**	**43.746**	**100.00**	**13.74**

ग्राहक और संभारतंत्रः

कोयला उत्पादन का बड़ा हिस्सा विनियमित क्षेत्र अर्थात् ताप विद्युत संयंत्रों / जेनको को दिया जा रहा है। अन्य सेक्टरों जैसे इस्पात, सीमेंट, ऐलुमिनियम, लघु उद्योगों इत्यादि के उपभोक्ताएँ भी रानीगंज कोलफील्ड्स से उच्च ग्रेड के कोयले की माँग करते हैं।

खान से कोयला निष्कर्षित होने के पश्चात, इसे वाहित्र प्रणाली के जरिए भूमिगत खदान के मामले में सतह में संग्रह बिंदु तक या खुली खदान के मामले में डंप ट्रक द्वारा ले जाया जाता है। तत्पश्चात्, कोयले को प्रत्यक्षतः सीएचपी/रेलवे पार्श्वस्थल जैसे प्रेषण स्थल तक ले जाया जाता है या भविष्य में प्रेषण की सुविधा के लिए निर्दिष्ट स्कंध स्थल पर रखा जाता है। सड़क बिक्री/स्टॉक ट्रांसफर के लिए सभी परेषणों को खदान परिसर के भीतर कंपनी मार्ग तुलनवेदी और बिक्री के लिए रेलवे पार्श्वस्थल पर इन-मोशन तोलनवेदी पर तोलन किया जाता है। चूंकि बिक्री लोडिंग पॉइंट्स पर की जा रही है, अतः इसे एफओआर आधारित अर्थात् "रेल/सड़क से निर्बाध आधार पर पूर्व-पार्श्वस्थल/स्कंध स्थल, यथास्थिति, की पेशकश की जाती है। खदान से अभिहित प्रेषण स्थलों तक कोयले के परिवहन की लागत को ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है। हमारे खदानों से कच्चे कोयला के प्रेषण के लिए अनुप्रयुक्त नानाविध परिवहन साधनों से संबंधित सूचना निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

प्रेषण का साधन	2024-25	2023-24
रेल	33.84	30.01
सड़क	3.02	3.48
हिंडोला (एमजीआर)	12.76	10.11
कुल	**49.62**	**43.60**

कोयले की कीमत निर्धारण :

अकोककर कोयले का मूल्य निर्धारण वर्तमान में 01.01.2012 से इसके सकल ऊष्मा मान (जीसीवी) पर आधारित है तथा कोककर कोल एवं वाशरी ग्रेड कोयले का मूल्य राख स्तर की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अर्ध-कोककर कोयले के लिए कोयले का मूल्य निर्धारण राख और नमी की मात्रा के स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आयातित कोयले की आदान लागत में वृद्धि, मुद्रास्फीति और लैंडेड लागत को ध्यान में रखते हुए कोयले के मूल्य में संशोधन किया जाता है। प्रभार्य कीमत में आधार मूल्य, परिवहन प्रभार, साइलो प्रभार, आरएलएस प्रभार आदि एवं अन्य सांविधिक उपकर / कर जैसे कि रॉयल्टी, डीएमएफ, एनएमईटी, सेस, जीएसटी, आदि को समाविष्ट करता है। लगभग 85% कोयला उत्पादन संबद्ध ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) के तहत बेचा गया था। इसके अतिरिक्त, ई-नीलामी योजना के तहत कोयले की बिक्री भी की गई।

ईसीएल के निदेशक (तकनीकी) संचालन श्री नीलाद्रि रॉय ईसीएल में नई मशीनरी का उद्घाटन करते हुए

नई नीतिगत पहल

क) **गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के कोयला लिंकेज की नीलामी नीति के तहत नया उप-क्षेत्र:-** कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत 2022 में एक नया उप-क्षेत्र 'कोयला गैसीकरण के लिए संश्लिष्ट-गैस का उत्पादन' बनाया गया है ताकि कोयला गैसीकरण के लिए कोयले की आवश्यकता वाले नए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। यह पर्यावरण पर कोयले के पारंपरिक उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम करेगा।

ख) **कोयले की ई-नीलामी के लिए एकल खिड़की :-** सरकार ने हाल ही में कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की ई-नीलामी के लिए एक नए तंत्र को मंजूरी दी है। पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ई-नीलामी विंडो कोल इंडिया लिमिटेड को समाप्त कर दिया गया है और अब से, कोयला कंपनियों के सभी गैर-लिंकेज कोयले की बिक्री कोल इंडिया लिमिटेड/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की एक ई-नीलामी विंडो के माध्यम से की जाएगी। यह एकल ई-नीलामी खिड़की व्यापारियों सहित

सभी क्षेत्रों अर्थात बिजली और गैर-विनियमित क्षेत्र को पूरा करेगी। इसलिए, किसी भी विशेष ग्रेड का कोयला बाजार में सभी उपभोक्ताओं को एक दर (एक राष्ट्र – एक कोयला ग्रेड, एक रेट) पर बेचा जाएगा। एकल ई-नीलामी खिड़की कोयला कंपनियों को बाजार द्वारा खोजे गए मूल्य तंत्र के माध्यम से कोयला बिक्री में सक्षम बनाएगी और इस प्रकार, इस नीति को लागू करने से बाजार की विकृतियों को दूर किया जा सकेगा। यह परिचालन क्षमता में भी वृद्धि करेगा और घरेलू कोयला बाजार में दक्षता द्वारा घरेलू कोयले की मांग में वृद्धि करेगा।

ग) **एनसीडीपी में संशोधन :** राष्ट्रीय हित में कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), 2007 में संशोधन के माध्यम से सक्षम प्रावधान किए गए हैं, ताकि सीआईएल/एससीसीएल की बंद/परित्यक्त/अनिरंतरित खानों से उत्पादित कोयले को कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बिक्री किया जा सके।

घ) **कोयला कंपनियों के गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोयला लिंकेज :** सीआईएल/एससीसीएल को कोयला कंपनी द्वारा तय किए गए मूल्यों पर अपने स्वयं के गैसीकरण संयंत्रों को कोयले का दीर्घकालिक आवंटन प्रदान करने की अनुमति दी गई है। यह कदम देश में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करेगा और कोयले के इस नए उपयोग की शीघ्र स्थापना में मदद करेगा।

विपणन नीति:

एनसीडीपी मार्गदर्शिका 18 अक्तूबर, 2007 को जारी की गई जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से कोयले की मांग को अल्पावधि और दीर्घकालिक दोनों आधार पर अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुशासन के साथ सुनिश्चित, अविरत, पारदर्शी और कुशल तरीके से पूरा करना है।

क) **ईंधन आपूर्ति करार :** राष्ट्रीय कोयला संवितरण नीति (एनसीडीपी) के निबंधनों के अनुसार, कोयला कंपनी ने प्रत्यक्षतः ग्राहकों के साथ या राज्य द्वारा नामित अभिकरणों के साथ विधिक रूप से प्रवर्तनीय ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) में प्रवेश किया है जो कि परिणामस्वरूप अंतिम ग्राहकों के साथ उचित संवितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए विस्तृत रूप से संवर्गीकृत किया जा सकता है

1. राज्य विद्युत उपयोगिता, निजी विद्युत उपयोगिता ("पीपीयू") एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ("आईपीपी") सहित विनियमित क्षेत्र में ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए);
2. गैर-विनियमित क्षेत्र (कैप्टिव पावर प्लांटों सहित (सीपीपी)) में ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए);
3. राज्य द्वारा नामित अभिकरणों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) और
4. संबद्ध निलामी मार्ग के जरिए उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)।

ख) **ई-नीलामी योजना:** कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों को कोयले तक पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी जो एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपनी कोयला आवश्यकता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की समय-समय पर कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा समीक्षा की जाती है। ई-नीलामी योजना ग्राहकों को अतिरिक्त कोयला खरीद का अवसर प्रदान करती है।

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएँ :

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आयातित कोयले को घरेलू खनन वाले कोयले से बदलकर आत्मनिर्भर भारत का एहसास करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.31 बि.टन कोयला और वित्तीय वर्ष 2029-30 में 1.5 बि.टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। कोयला परिवहन का विकास जो लागत कुशल, तेज और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हो, देश का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

भविष्य में कोयले के निष्क्रमण में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कोयला मंत्रालय कोयला खानों के पास रेलवे साइडिंग के माध्यम से फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी और कोलफील्डों में रेल नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण सहित राष्ट्रीय कोयला संभारतंत्र योजना के विकास पर काम कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने खानों में कोयले के सड़क परिवहन को समाप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक रणनीति तैयार की है और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत यंत्रीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए हैं। त्वरित लदान प्रणालियों वाले कोयला निपटान संयंत्रों (सीएचपी) और दीर्घभीत्ति (साइलो) से कोयले को चूर करने, आकार देने और कम्प्यूटर सहायता प्राप्त लदान में तेजी लाने जैसे लाभ होंगे।

कोयले की 1 बीटीवाई मशीनीकृत हैंडलिंग क्षमता हासिल करने के लिए तीन चरणों में 885 मीट्रिक टन क्षमता वाली कुल 67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं (59-सीआईएल, 5-एससीसीएल और 3-एनएलसीआईएल) शुरू की जा रही हैं। पीएम गतिशक्ति के लक्ष्य के अनुरूप, कोयला मंत्रालय ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए 26,000 करोड़ रुपये की लागत वाली रेलवे परियोजनाएं शुरू की हैं।

इसके अलावा, एफएमसी प्राकृतिक संसाधनों और हरित आवरण के संरक्षण में योगदान देता है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी को अपनाने से, कोयला खनन कार्य लंबे समय में अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाते हैं। प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन से न केवल उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि परिचालन लागत भी कम होती है, जिससे कोयला क्षेत्र की समग्र लाभप्रदता में योगदान होता है। टिकाऊ परिवहन की ओर यह बदलाव जलवायु परिवर्तन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कोयला मंत्रालय कोयला निकासी और वितरण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है। वर्तमान में कोयला वितरण क्षमताओं के विस्तार के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से 13 रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा रहा है, जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

कोयला परिवहन की प्रथम मील कनेक्टिविटी, पर्यावरण के प्रति जागरूक समाजों के निर्माण, परिवहन चुनौतियों से निपटने और देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने में आशा की किरण के रूप में उभर रही है। पर्यावरण पर फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रभाव बहुआयामी और दूरगामी है:

क) **कम कार्बन फुटप्रिंट:** परिवहन प्रणालियों को अनुकूलित करने और जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।

ख) **प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण:** पर्यावरण अनुकूल परिवहन नेटवर्क की स्थापना प्राकृतिक आवासों और जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करती है, तथा भावी पीढ़ियों के लिए नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करती है।

ग) **सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार:** वायु प्रदूषण और यातायात की भीड़भाड़ में कमी से श्वसन संबंधी बीमारियों और तनाव संबंधी बीमारियों की व्यापकता में कमी आने से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कोयला मंत्रालय ने 1040 एमटीपीए क्षमता की 67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं (95-सीआईएल, 5-एससीसीएल और 3-एनएलसीआईएल) शुरू की हैं, जिनमें से 291 एमटीपीए क्षमता की 31 परियोजनाएं (29-सीआईएल और 2-एससीसीएल) चालू हो गई हैं। शेष परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2027-28 तक क्रियान्वित किया जाना है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति के अधीन पहले :

कोयला परिवहन में स्वच्छ वातावरण को देखते हुए कोयला मंत्रालय ने रेल निष्क्रमण में गति दी है और देश में कोयले की सड़क आवाजाही से धीरे-धीरे दूर जाने के लिए नए प्रयास भी शुरू किए हैं। ग्रीनफील्ड कोयला धारक क्षेत्रों में नई ब्रॉड-गेज रेल लाइनों के नियोजित निर्माण, नए लोडिंग स्थल तक रेल लिंक का विस्तार करना और कुछ मामलों में रेल लाइनों को दोगुना और तिगुना करना रेल क्षमता में काफी वृद्धि करेगा।

प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 में अवसंरचनाओं के विकास के लिए गतिशक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाना और अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं के एकीकृत नियोजन और समन्वित कार्यान्वयन के लिए है। यह विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना योजनाओं को सम्मिलित करेगा और स्थानिक योजना उपकरणों सहित बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।

प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल को भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर (बीआईएसएजी) के सहयोग से राष्ट्र मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है। कोयला मंत्रालय ने 100 से अधिक परतों की पहचान की है और विशेषताओं और मेटाडेटा के साथ पोर्टल पर मैप किया है। आवश्यकताओं के आधार पर इन आंकड़ों की निरंतर निगरानी की जा रही है और जब कभी आवश्यकता हो, उनकी विशेषताओं सहित आगे की परतें जोड़ी जा सकती हैं, कोयला मंत्रालय और सीएमपीडीआईएल डेटा स्तरों को अपलोड करने पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए बीआईएसएजी-एन के साथ लगातार संपर्क में है। यह स्तर परियोजनाओं में योजना और निष्पादन चरण के दौरान मंत्रालयों से संबंधित सभी आवश्यकताओं पर विचार करके योजना की प्रक्रिया को गति देगा। कोयला मंत्रालय ने पोर्टल पर विशेषताओं और मेटाडेटा के साथ मैप की गई 100 से अधिक डेटा परतों को ऑन-बोर्ड किया, जिनमें से 51 परतें निर्माणाधीन हैं और 24 परतों को पोर्टल पर जोड़ने का प्रस्ताव है।

सीआईएल की प्रमुख 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं' के तहत, दो चरणों में कार्यान्वयन के लिए 44 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जो मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग प्रणाली को अपग्रेड करेंगी। एफएमसी परियोजनाएँ कोल इंडिया लिमिटेड में मशीनीकृत निष्क्रमण को वर्तमान में 151 मि.टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 622.5 मि.टन प्रति वर्ष करने में मदद करेंगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 3 एफएमसी परियोजनाएँ नामतः सोनपुर बजारी सीएचपी, राजमहल सीएचपी एवं झांझरा सीएचपी है। एफएमसी परियोजनाओं की विस्तृत प्रास्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम चरण-1	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	परियोजना कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1.	सोनपुर-बाजारी सीएचपी: 12.00 मि. टन प्रति वर्ष	195.43	31.12.2021 को कमीशन किया गया।
2.	राजमहल सीएचपी-साइलो: 10.00 मि.टन प्रति वर्ष	230.67	मेसर्स मेकॉन लिमिटेड रांची को दिनांक 28.12.2020 को कार्य आदेश जारी किया गया और 17.02.2021 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साइट 03.06.2021 को सौंप दी गई है। सीएचपी निर्माण की समग्र भौतिक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 79.68% और 69.50% है। पूरा होने की संभावित तिथि 30.11.2025 है।
3.	झांझरा सीएचपी : 5.00 मि.टन प्रति वर्ष	219.07	मेसर्स शापूरजी & पालोनजी एंड कंपनी प्रा. लि. को 28.12.2020 को 24 महीने के पूर्ण होने के समय के साथ कार्य आदेश जारी किया गया। संविदा करार पर 17.02.2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं। 01.01.2021 को कार्यस्थल सुपुर्द किया गया है। समग्र भौतिक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 65.40% और 61.50% है। पूरा होने की संभावित तिथि 28.02.2026 है।
4.	हुरा-सी सीएचपी: 3 मि.टन प्रति वर्ष	119.38	मेसर्स जुबेरी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आदेश जारी किया गया सीएचपी निर्माण की समग्र भौतिक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 93.55% और 94.93% है। पूरा होने की अपेक्षित तिथि 31.12.2026 है।
5.	कुमारडीह सीएचपी: 1 मि.टन प्रति वर्ष	14.45	मेसर्स रिलायबल यूनिसेवन को कार्य आदेश जारी किया गया। सीएचपी निर्माण की समग्र भौतिक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 92% और 70% है। पूरा होने की अपेक्षित तिथि 31.07.2025 है।

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, सोनेपुर बाज़ारी

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता:

आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) का महत्व नियंत्रण और अनुपालन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यवसाय/कार्यों की आवधिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि उद्देश्य, उपयोगकर्ता मैनुअल (एसओपी) और कठोर नियंत्रण इसकी प्रभावशीलता पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समितियों को आश्वासन प्रदान करने के लिए परिचालित हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उचित निगमित सुशासन और लेखापरीक्षा जोखिम नियंत्रण प्रभावी ढंग से और कुशलता से बनाए रखा जाता है।

एक प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य निदेशक मण्डल को अपने सुशासन और नियंत्रण दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता करने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। निर्गत निगमित सुशासन के विभिन्न संहिता ने भी इस तथ्य को दोहराया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य किसी भी संगठन की निगमित सुशासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य को ईसीएल मुख्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग और क्षेत्र/इकाइयों के वित्त विभाग के उचित पर्यवेक्षण/समर्थन के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकारों की स्वतंत्र बाहरी लेखा परीक्षा फर्मों को सौंपा गया है। ईसीएल मुख्यालय सहित कंपनी के चौदह क्षेत्रों/इकाइयों के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसी चौदह (14) बाहरी लेखा परीक्षा फर्मों को संबद्ध किया गया था। चयन प्रक्रिया में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली उपर्युक्त फर्मों में से एक को 'केंद्रीय आंतरिक लेखा परीक्षक' या 'प्रमुख लेखा परीक्षक' का काम सौंपा गया है।

कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों का चयन विधिवत गठित समिति की सिफारिश पर किया जाता है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संरचित चयन प्रक्रिया के अनुपालन/सख्त अनुपालन में अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के माध्यम से सक्षम अनुमोदन होता है। कोल इंडिया ने ऑडिट फर्मों की चयनित सूची और चयन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित किए हैं और उनकी नियुक्ति के लिए सामान्य निबंधन और शर्तों के साथ काम का दायरा भी निर्धारित किया है।

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा चयन के लिए सूचीबद्ध और प्रस्तावित आंतरिक लेखापरीक्षा फर्मों की नियुक्ति मूल्यांकन और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के लिए अग्रेषित की जाती है जिसे अनुमोदन के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाती है।

आंतरिक लेखा परीक्षक अपने संबंधित इकाई/क्षेत्र प्रमुख के साथ-साथ आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, ईसीएल मुख्यालय को मासिक और त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक तिमाही की समेकित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट कोल इंडिया लिमिटेड के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को उनके अवलोकन तथा सीआईएल की समेकित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने के लिए भेजी जाती है।

वे कंपनी में आंतरिक वित्त नियंत्रण (आईएफसी) के अनुप्रयोग और प्रभावशीलता पर संप्रेक्षणों तथा टीका-टिप्पणियों के साथ कंपनी के संचालन पर आंतरिक वित्त नियंत्रण के नियमित मूल्यांकन के साथ एक विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करते हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, भारत सरकार के वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक (जिसे पहले भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या सीएजी के रूप में जाना जाता था) के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अधीन भी है। सरकारी लेखापरीक्षक किसी विशेष पीएसयू के लिए डीजीसीए द्वारा निर्धारित विशिष्ट लेखापरीक्षा कार्यक्रमों और दायरे के अनुसार कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों / इकाइयों में नियमित अंतराल पर नियमित 'निरीक्षण/ परिवहन लेखापरीक्षा' करते हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियों वाली निरीक्षण रिपोर्टें सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय और संबंधित निदेशकों तथा विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत की जाती हैं।

लेन-देन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, सरकारी लेखापरीक्षक कंपनी की वार्षिक प्रतिवेदन एवं खातों की सत्यता और निष्पक्षता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से वार्षिक लेखापरीक्षा भी आयोजित करते हैं।

केंद्रीय आंतरिक लेखा परीक्षक (प्रमुख लेखा परीक्षक) को आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष के परामर्श से तिमाही रिपोर्ट को अंतिम रूप देना होता है, ताकि उसे लेखा परीक्षा समिति के समक्ष उनके मूल्यांकन और निर्देशों, यदि कोई हो, के लिए रखा जा सके। प्रमुख लेखा परीक्षक को संबंधित क्षेत्र/इकाई प्रमुखों के साथ समन्वय और संचार में लेखापरीक्षा समिति की सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों और निर्देशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति/सीआईएल आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और संबंधित प्रक्रियात्मक अनुप्रयोगों पर कड़ी नजर रखती है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण टिप्पणियों को समय-समय पर समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। ऐसी टिप्पणियों पर विचार करने के बाद लेखापरीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए निर्देशों (यदि कोई हो) को आवश्यक अनुपालन के लिए विधिवत नोट किया जाता है और उनके कार्यान्वयन पर एटीआर को उनके मूल्यांकन के लिए अगली लेखापरीक्षा समिति की बैठक के समक्ष रखा जाता है।

लेखापरीक्षा अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत विभिन्न लेखापरीक्षा फर्मों ने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों और इकाइयों में संचालित मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर संतोष व्यक्त किया है।

लेखा परीक्षकों की उपरोक्त संतोषजनक अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जा सकता है कि कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण की एक सुदृढ़ प्रणाली है जो कंपनी के आकार और इसके द्वारा किए गए व्यावसायिक लेनदेन की प्रकृति के अनुरूप है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न आंतरिक लेखापरीक्षा उपाय:

क. निरंतर प्रयास के माध्यम से, अधिकांश महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का उत्तर समय पर C&AG को प्रस्तुत किया गया।

ख. एसईसीएल को उनके कोलकाता डेस्क कार्यालय के उद्देश्य से प्रदान की गई 13, आर. ईसीएल की 13, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता स्थित संपत्ति पर 'किराया और बिजली' के मद में 4.71 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जो एसईसीएल को उनके कोलकाता डेस्क कार्यालय के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई थी।

ग. कंपनी के क्वार्टर पर अनाधिकृत कब्जे के लिए दंडात्मक किराए के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, तथा क्रॉस-फंक्शनल टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के बाद अनाधिकृत कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश भी प्रसारित किए गए हैं।

घ. भूमिगत भत्ता, मकान किराया भत्ता और इसी तरह के अन्य मदों में कर्मचारियों को भुगतान की गई 4.18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मजदूरी मार्च, 2025 तक वसूल कर ली गई है।

ङ. कठोर अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, स्टीम बॉयलरों को इलेक्ट्रिक वाइंडरों में परिवर्तित किया गया है। शीघ्र रूपांतरण के लिए बाईस (22) इकाइयों की पहचान की गई। सात (07) स्टीम बॉयलरों को पहले ही सफलतापूर्वक इलेक्ट्रिक वाइन्डरों से बदला जा चुका है और बाकी प्रक्रियाधीन हैं।

च. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित निगरानी के कारण वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व अग्रिम में 19% की कमी आई है।

छ. नियमित निगरानी के कारण वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चिकित्सा अग्रिम में 33.26% की कमी आई है।

परिचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर विवेचना :

परिचालन के परिणाम:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2024-25	2023-24	वृद्धि (%)
सकल बिक्री	20,183.54	18,999.97	6.23%
न्यून : लेवी	5,836.20	5,108.09	14.25%
निवल बिक्री	**14,347.34**	**13,891.88**	**3.28%**
अन्य परिचालनात्मक राजस्व	743.20	667.26	11.38%
अन्य आय	660.36	639.55	3.25%
कुल आय	**15,750.90**	**15,198.69**	**3.63%**

कोयले की बिक्री से आय:

बिक्री को रॉयल्टी, कोयले पर उपकर, माल और सेवा कर आदि सहित विभिन्न सांविधिक शुल्कों के सकल बिक्री निवल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कोयले की बिक्री से होने वाली आय मुख्य रूप से कोयले के मूल्य निर्धारण और उत्पादन तथा उसके वितरण पर निर्भर करती है।

व्यय:

प्रमुख शीर्षों के विश्लेषित आँकड़े:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2024-25	2023-24	वृद्धि	
			आत्यंतिक	प्रतिशत (%)
स्टॉक में (अभिवृद्धि)/अनभिवृद्धि	-238.95	-497.30	258.35	-51.95
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	1,048.42	1,000.35	48.07	4.81
कर्मी प्रसुविधा व्यय	9,553.84	10,094.02	-540.18	-5.35
संविदात्मक व्यय	3,495.70	2,864.43	631.27	22.04
वित्त लागत	142.32	121.13	21.19	17.49
अन्य व्यय	1,320.07	1,292.67	27.40	2.12
विपट्टन गतिविधि समयोजना	-606.62	-590.27	-16.35	2.77
मूल्यह्रास / परिशोधन / क्षति	734.90	700.17	34.73	4.96
कर पूर्व कुल व्यापक आय	**192.10**	**119.29**	**72.81**	**61.04**
करोपरांत कुल व्यापक आय	**122.83**	**157.39**	**-34.56**	**-21.96**

नकदी प्रवाह:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31.03.2025	31.03.2024
आरंभिक नकदी एवं नकदी समतुल्य	-544.13	532.11
परिचालनात्मक गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	-261.85	-1,808.13
निवेशन गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	-412.47	779.69
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	1,426.18	-47.80
नकदी एवं नकदी समतुल्य में परिवर्तन	751.86	-1,076.24
लेखाबंदी नकदी एवं नकदी समतुल्य	207.73	-544.13

श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार द्वारा सोनपुर बाजारी क्षेत्र में सीएसआर पहल के अंतर्गत ट्राइसाइकिल वितरण

मानव संसाधन विकास:

जनशक्ति:

प्रवर्ग	को यथा जनशक्ति		वृद्धि (+) / कमी (-)
	31.03.2025	31.03.2024	
अधिशासी	2105	2209	-104
पर्यवेक्षक	3168	3349	-181
अनुसचिवीय/लिपिकीय	1465	1546	-81
अत्यधिक कुशल/कुशल	13833	14921	-1088
अर्ध कुशल/अकुशल	24901	25858	-957
प्रशिक्षु (गैर-अधिशासी)	1524	828	696
कुल	**46996**	**48711**	**-1715**

वर्ष के दौरान अंतर के लिए कारण:

विशिष्टियाँ	अधिशासी	गैर-अधिशासी	कुल
वृद्धि			
नई नियुक्ति	67	शून्य	67
चिकित्सीय अनुपयुक्त मामले के प्रतिकूल नियुक्ति	Nil	01	01
मृत्यु मामले के प्रतिकूल नियुक्ति	Nil	1036	1036
पुनःस्थापन / पुनःकार्य पर आना	01	03	04
अन्य कंपनियों से स्थानांतरित होकर आए	62	25	87
भू-वंचितों के प्रतिकूल नियुक्ति	शून्य	250	250
विशेष महिला वीआरएस के प्रतिकूल नियुक्ति	शून्य	शून्य	शून्य
कुल वृद्धि (क)	**130**	**1315**	**1445**
कमी			
सेवानिवृत्ति	113	2320	2433
चिकित्सीय अनुपयुक्त	शून्य	शून्य	शून्य
मृत्यु	03	506	509
त्याग-पत्र	21	09	30
अन्य कंपनियों में स्थानांतरित होकर गए	96	63	159
पदच्युति / पर्यवसान	Nil	13	13
जीएचएस/ईवीआरएस के अधीन वीआरएस	01	15	16
विशेष महिला वीआरएस	शून्य	शून्य	शून्य
कुल कमी (ख)	**234**	**2926**	**3160**
अंतर (क – ख)	**-104**	**-1611**	**-1715**

नई पहल:

क) एक ऑनलाइन केन्द्रीयकृत (इन-हाउस) सूचना भंडार विकसित किया गया है, जिससे क्षेत्रों/प्रतिष्ठानों को निर्बाध प्रक्रिया में डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, साथ ही कर्मचारी संबंधी प्रक्रियाओं जैसे नई नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, एसएलपी, सेवानिवृत्ति, परिवीक्षा पुष्टि आदि के लिए डेटा पुनः प्राप्त किया जा सके।

ख) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) का समय पर सक्रियण केंद्रीय स्तर पर किया गया है और सूचना में हानि/अंतराल को रोकने के लिए अंतिम छोर यानी इकाई कार्मिक प्रबंधकों को तीन (03) चरणों में प्रशिक्षण दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 49250 ऑनलाइन एसीआर सफलतापूर्वक जमा किए गए। ईसीएल, एसईसीएल, सीआईएल मुख्यालय और एनईसी के साथ उन सहायक कंपनियों में से एक थी, जिन्होंने गैर-कार्यकारियों के लिए ऑनलाइन एसीआर 2023-24 भरने का काम समय पर पूरा कर लिया।

औद्योगिक संबंध:

कंपनी में औद्योगिक संबंध सामान्यतः सौहार्दपूर्ण है। कामगार अब बाह्य मामलों का समर्थन नहीं करते हैं। औद्योगिक संबंध एवं विधि-व्यवस्था संबंधित सांख्यिकीय निम्न उद्धृत है :

क्रम	विषय	2024-25	2023-24
1.	हड़ताल की संख्या	शून्य	01 (1 दिन)
2.	श्रमिक दिन में क्षति (लाख में)	शून्य	0.00814
3.	उत्पादन में क्षति (लाख टन में)	शून्य	शून्य

विधि-व्यवस्था:

विषय	2024-25	2023-24
विधि-व्यवस्था (विघ्न)	35	04
उत्पादन में क्षति (लाख टन में)	67025	शून्य

प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता :

प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता कंपनी के भिन्न-भिन्न स्तरों पर पूर्णतः क्रियाशील है। निगमित, क्षेत्रीय एवं परियोजना/इकाई स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) कार्य कर रही हैं। जेसीसी बैठक में पुराने महत्वपूर्ण मामलों यथा उत्पादन, उत्पादकता इत्यादि पर विवेचना किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कंपनी में समिति/बोर्ड यथा द्विपक्षीय खान सुरक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय खान सुरक्षा समिति, कोलियरी खान सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड इत्यादि भी क्रियाशील हैं। श्रम संगठनें ऐसी समितियों में अत्यंत सक्रियता से सहभागिता करती हैं तथा प्रबंधन और कर्मचारी के मध्य विश्वास एवं सदिच्छा को सुदृढ़ करने के अलावा पारदर्शिता, जवाबदेही लाती हैं।

बैठक	2024-25	2023-24
मुख्यालय स्तर पर आयोजित जेसीसी बैठक की संख्या	शून्य	02
मुख्यालय स्तर पर आयोजित संरचित बैठक की संख्या	10	06

एनसीडब्ल्यूए, एलएलएस एवं प्रत्यक्ष भर्ती के अधीन प्रदत्त नियोजन:

के अधीन प्रदत्त नियोजन	2024-25	2023-24
राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए)	1042	462
भू-वंचित योजना (एलएलएस)	236	225
प्रत्यक्ष भर्ती	शून्य	शून्य

भर्ती एवं पदोन्नति में अनूसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण :

अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) की भर्ती के मामले में राष्ट्रपतिक निदेशों को ईसीएल में क्रियान्वयन किया गया है। कुल जनशक्ति में अ.जा. एवं अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के प्रतिनिधित्व यथा निम्नवत है :

को यथा	कुल जनशक्ति	अ.जा. अभ्यर्थी		अ.ज.जा. अभ्यर्थी	
		संख्या	%	संख्या	%
31.03.2025	46996	13158	27.99	6417	13.65
31.03.2024	48711	13629	27.98	6634	13.62

वर्ष 2024-25 के दौरान 2798 पदोन्नतियों में से अनुसूचित जाति समुदाय के 201 उम्मीदवारों और अनुसूचित जनजाति समुदाय के 89 उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया, जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः 141 और 69 उम्मीदवारों को पदोन्नत किया जाएगा। 31.03.2025 तक ओबीसी समुदाय के कर्मचारियों की संख्या 13393 थी, जबकि 31.03.2024 तक 13911 कर्मचारी थे।

श्रम संगठन:

कर्मचारी अत्यधिक संघबद्ध हैं और सभी यूनियनों का समर्थन चाहते हैं। कार्य कर रहे प्रमुख संघों में इंटक, एटक, एचएमएस, बीएमएस, यूटीयूसी, सीटू, आईएनटीटीयूसी आदि शामिल हैं। गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन और सेवा की अन्य शर्तें जेबीसीसीआई द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए), कंपनी के प्रमाणित स्थायी आदेशों और सरकारी निर्देशों द्वारा शासित होती हैं।

प्रशिक्षण और विकास:

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा 1994 में गठित भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) कार्यपालकों को उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, युवा प्रबंधक कार्यक्रम, उन्नत रखरखाव प्रथाएं, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कोचिंग, कनिष्ठ अधिकारियों के लिए कैरियर विकास और संचार कौशल जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा, कंपनी बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है और कर्मचारियों (निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों सहित) को भेजती है। कार्यपालकों सहित कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोल इंडिया ट्रेनिंग मैनेजमेंट कॉलेज (सीआईटीएमसी), डिशेरगढ़ और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), रतिबती नामक दो संस्थान हैं। ईसीएल के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए भी प्रेरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2024-25 को संक्रमण का वर्ष कहा गया है और एचआरडी ने विभिन्न प्रशिक्षणों की पेशकश में आमूल-चूल परिवर्तन देखा है। अतीत में प्रदान किए जा रहे पारंपरिक और अनिवार्य तकनीकी और कार्यात्मक योग्यता प्रशिक्षण से, इस वर्ष एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है और कार्यालय प्रबंधन, नैतिकता, परिचालन और सॉफ्ट कौशल में वृद्धि जैसी अन्य अवधारणाओं पर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। कार्यबल के कौशल को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिकल और खनन पर्यवेक्षी, पैरामेडिकल और कामगार निरीक्षकों जैसी वैधानिक परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण या सलाह भी शुरू की गई है। इस वर्ष दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए विशेष पहल की गई है जो अधिक प्रभावी और सार्थक है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए विभिन्न खानों/कार्यशालाओं में औद्योगिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए। आपकी कंपनी प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न विषयों/ट्रेडों के प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर रही है। इसके अलावा, इस वर्ष कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के तहत पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है। iGoT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म पर सभी कार्यकारी और 34197 गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। 1778 अधिकारियों ने दस अनिवार्य पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदान किए गए विभिन्न प्रशिक्षणों का विवरण:

प्रशिक्षण की प्रकृति	2024-25	2023-24
1.इनहाउस प्रशिक्षण विवरण (आईआईसीएम में प्रशिक्षण सहित)		
लम्बा प्रशिक्षण (5 दिन या अधिक)		
कार्यकारी अधिकारी	730	559
गैर-कार्यकारी अधिकारियों	9047	8334
लघु प्रशिक्षण (5 दिन से कम)		
कार्यकारी अधिकारियों	1115	7616
गैर-कार्यकारी अधिकारियों	1282	3183
2.कंपनी के बाहर प्रशिक्षण (भारत के भीतर)		
लम्बा प्रशिक्षण (5 दिन या अधिक)		
कार्यकारी अधिकारियों	310	62
गैर-कार्यकारी अधिकारियों	0	0
लघु प्रशिक्षण (5 दिन से कम)		

प्रशिक्षण की प्रकृति	2024-25	2023-24
कार्यकारी अधिकारियों	293	375
गैर-कार्यकारी अधिकारियों	0	0
3.विदेश में प्रशिक्षण	**0**	**0**
4.व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटी सेंटर में)	**9420**	**8365**
5. एनएटीएस के माध्यम से नियुक्त संचयी प्रशिक्षु	**794**	**864**
6.एनएपीएस के माध्यम से नियुक्त संचयी प्रशिक्षु	**255**	**395**
7. व्यावसायिक प्रशिक्षण (1 माह)	**928**	**897**

पर्यावरणीय रक्षण एवं संरक्षण:

पर्यावरण विभाग कंपनी के पर्यावरण और वन संबंधी मामलों को देखता है। विभाग पर्यावरण और वन संबंधी कानूनों की सभी विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। विभाग कोयला मंत्रालय के

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) का पर्यावरण विभाग कंपनी में पर्यावरण के अनुकूल खनन प्रथाओं को विकसित करने के लिए अपने दैनिक कार्यों में सतत विकास सिद्धांतों को एकीकृत कर रहा है। कंपनी के पर्यावरण और वन संबंधी मामलों से निपटने के अलावा, विभाग सतत विकास के लक्ष्यों के साथ अपने कार्यों को संरेखित करता है और ईसीएल की निगमित पर्यावरण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इसमें पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सम्मिलित है, जिसमें एकीकृत परियोजना नियोजन और डिजाइन, पर्यावरणीय प्रभावों की निरंतर निगरानी, प्रदूषण की रोकथाम और शमन उपाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता बहाली के प्रयास, जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान प्रथाएं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण समाविष्ट है।

निगमित पर्यावरणीय नीति का अंगीकरण

कंपनी ने अपनी खुद की कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति तैयार की है और उसे लागू किया है जो कोल इंडिया लिमिटेड की पर्यावरण नीति के अनुरूप है। पर्यावरण नीति अभिकथित करती है कि कंपनी विस्तृत कंपनी में क्रियान्वयन के माध्यम से एक मिशन मोड में एकीकृत परियोजना की योजना एवं अभिविन्यास, 10 आर (संक्षेपण, पुनर्चक्रण, पुनःउपयोग, पुनर्रचना, पुनःप्रयोजन, नवीकरण, जीर्णोद्धार, पुनःप्राप्ति, विपरिनियोजन एवं अस्वीकार) परिकल्पना को परिनियोजित करने, प्रदूषण निवारण/ अल्पीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैव-विविधता एवं पारिस्थिकी का पुनरूद्धार, अपशिष्टों का उचित निपटान, जलवायु परिवर्तन परिचयन और समावेशी संवृद्धि के जरिए पर्यावरण के रक्षण द्वारा संधारणीय विकास को प्रवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2024-25 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

क. पर्यावरणीय सहमति:

क. कलस्टर संख्या 12 की पर्यावरण मंजूरी (ईसी) में संशोधन 20.03.2025 को प्रदान किया गया, जिससे सोनपुर बाजारी ओसीपी की उत्पादन क्षमता 12.00 मि.टन प्रति वर्ष से बढ़कर 14.00 मि.टन प्रति वर्ष हो गई।

ख. एमडीओ मोड के तहत संचालित किए जाने वाले तिरत-कुआरडीह यूजी और ओसी खदानों के लिए संदर्भ की अवधि (टीओआर) राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी), पश्चिम बंगाल द्वारा 13.03.2025 को प्रदान की गई है।

ख. वन्यजीव प्रबंधन योजना:

संरक्षण प्रयासों को जारी रखते हुए, ईसीएल रानीगंज कोलफील्ड्स के लिए वन्यजीव संरक्षण योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है। इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विधिवत मंजूरी दे दी गई है और इसे लागू किया जा रहा है।

ग. पौधारोपण एवं पुनरूद्धार:

झारखंड राज्य में आने वाले ईसीएल कमांड क्षेत्रों में वृक्षारोपण नामांकन के आधार पर क्षेत्र के संबंधित डीएफओ के माध्यम से किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल राज्य में यह समझौता ज्ञापन के तहत पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीएफडीसीएल) के माध्यम से किया जा रहा है। वाहनों और

कोयले की हैंडलिंग से होने वाले धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए कोयला परिवहन सड़कों, रेलवे साइडिंग और कोयला स्टॉक यार्डों के साथ हरित पट्टी विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। लगभग 1.27 लाख पौधों के साथ 78.03 हेक्टेयर में वृक्षारोपण पूरा हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वृक्षारोपण का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम	क्षेत्र का नाम	खान का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र हेक्टेयर में	वृक्षारोपण का प्रकार
1.	सोदपुर	सोदपुर	0.90	मिश्रित
2.	सतग्राम-श्रीपुर	घुसिक-मुसलिया यूजी और ओसी	0.80	ऑर्चर्ड
		श्रीपुर सीम इनक्लाइन	0.80	मिश्रित
		चरणपुर ओसीपी	1.60	मिश्रित
		सतग्राम-श्रीपुर	1.00	मिश्रित
3.	कुनुस्तोड़िया	तपोवनम, कुनुस्तोरिया क्षेत्र	0.50	ऑर्चर्ड
		इको-रिलैक्सेशन पॉइंट, बेलबैड	0.60	ऑर्चर्ड
		कुनुस्तोरिया क्षेत्र कार्यालय	0.50	ऑर्चर्ड
		कुनुस्तोरिया	1.00	मिश्रित
4.	सलानपुर	सालनपुर	0.75	मिश्रित
		मोहनपुर ओसीपी	2.00	मिश्रित
5.	काजोड़ा	खास कजोरा	5.00	मिश्रित
		जेके रोपवे	1.50	ऑर्चर्ड
		कजोरा	0.50	मिश्रित
6.	केन्दा	बहुला ओ.सी.पी.	1.60	मिश्रित
		बहुला ओ.सी.पी.	0.80	मिश्रित
		केंडा	0.30	मिश्रित
7.	झांझरा	झांझरा यूजी	15.43	मिश्रित
8.	सोनपुर बजारी	सोनपुर बाजारी ओसीपी	15.20	मिश्रित
9.	बांकोला	बैंकोला	0.45	मिश्रित
		बैंकोला यूजी	1.20	ऑर्चर्ड
10.	पाण्डवेश्वर	मधाईपुर ओ.सी.	3.00	मिश्रित
		खोट्टाडीह ओसीपी	1.00	ऑर्चर्ड
		खोट्टाडीह ओसीपी	1.20	मिश्रित
		खोट्टाडीह ओसीपी	0.50	एवेन्यू
		पांडवेश्वर	0.60	मिश्रित
10.	एस.पी. माइन्स	चित्रा ईस्ट ओसीपी	3.00	मिश्रित
		चित्रा ईस्ट ओसीपी	12.00	घास लगाना
11.	मुगमा	मुग्मा	0.60	घास लगाना
		मुग्मा	0.70	मिश्रित
12.	राजमहल	राजमहल	3.00	मिश्रित
	कुल		**78.03**	

एवेन्यू प्लांटेशन, राजमहल (9 किमी)

ओबी डंप प्लांटेशन, शंकरपुर ओसीपी (8 हेक्टेयर)

बंकोला में बंकोला (10 हेक्टेयर) में बंकोला की निचली भूमि पर वृक्षारोपण

गुंजन पारिस्थितिक पार्क, श्रीपुर (19.5 हेक्टेयर)

सरदार बल्लवभाई पटेल वन उद्यान, सैंकटोरिया (0.5 हेक्टेयर)

झांझरा इको-पार्क, झांझरा (6.5 हेक्टेयर)

पीओसीपी रेलवे साइडिंग, झांजरा (1.5 हेक्टेयर)

पुराने ओसीपी को जल जलाशय, धनदाडीही के रूप में पुनः प्राप्त किया गया

अरण्य वाटिका, सोनपुर बाज़ारी (0.5 हेक्टेयर)

धंदाडीही जल उपचार संयंत्र (2.0 LCuM/वर्ष)

आरओ जल उपचार संयंत्र, सतग्राम (क्षमता 5000 लीटर/घंटा)

प्रेशर फिल्टर प्लांट, झांजरा (क्षमता 32000 जीपीएच)

पुराने ओसीपी को जलाशय के रूप में पुनः प्राप्त किया गया, डालमिया

डालमिया जल उपचार संयंत्र (2.5 लाख घन मीटर/वर्ष)

वर्षा जल संचयन संयंत्र, सोनेपुर बाजारी जलग्रहण क्षेत्र 3000 वर्ग फुट

घ. बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन:

क) माननीय कोयला मंत्री ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए दूरदर्शी अभियान "एक पेड़ माँ के नाम" के हिस्से के रूप में 25.07.2024 को धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) में 'वृक्षारोपण अभियान – 2024' का उद्घाटन किया। ECL में 'वृक्षारोपण अभियान – 2024' दो (02) राज्यों के पाँच (05) जिलों में तैंतालीस (43) स्थानों पर आयोजित किया गया। ईसीएल ने 'वृक्षारोपण अभियान-2024' के दिन 35620 पौधे लगाए और वितरित किए।

ख) स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नीम रोपण अभियान आयोजित किया गया, जिसमें खदान पट्टा क्षेत्रों में 1300 नीम के पौधे लगाए गए तथा कर्मचारियों और आस-पास के ग्रामीणों को 700 नीम के पौधे वितरित किए गए।

ग) स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के दौरान 23.09.2024 को बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया, जिसमें खदान पट्टा क्षेत्रों में 7030 पौधे लगाए गए और कर्मचारियों और आस-पास के ग्रामीणों को 3540 पौधे वितरित किए गए।

ङ. जून 2024 में पर्यावरण सप्ताह का आयोजन:

विश्व पर्यावरण दिवस 2024, 05.06.2024 को मनाया गया। यह कार्यक्रम 31.05.2024 से 05.06.2024 तक एक सप्ताह तक चला, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों को पौधे वितरित किए गए, कर्मचारियों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, बच्चों के बीच चित्रकला और नारा लेखन प्रतियोगिताएँ और आस-पास की बस्तियों में रैली निकाली गई।

च. वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी:

नौ (09) अतिरिक्त सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सीएएक्यूएमएस) की स्थापना के साथ, ईसीएल के सभी क्षेत्र और क्लस्टर अब वास्तविक समय वायु प्रदूषण निगरानी से सुसज्जित हैं। निगरानी प्रणाली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) नेटवर्क के साथ एकीकृत हैं।

छ. भूजल निष्कर्षण की अनुमति:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में ईसीएल की 72 खदानों के लिए भूजल निष्कर्षण की अनुमति राज्य जल जांच विभाग (एसडब्ल्यूआईडी) से प्राप्त कर ली गई है।

ज. कंपनीव्यापी आईएसओ प्रमाणन:

ईसीएल को 10.03.2025 को आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 मानकों के लिए कंपनीव्यापी आईएसओ प्रमाणन के लिए प्रमाणित किया गया है।

झ. इको-पार्कों/पर्यटन स्थलों का विकास:

क) झांझरा इको-टूरिज्म पार्क: पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा झांझरा क्षेत्र में 13.02 हेक्टेयर भूमि पर इको-टूरिज्म पार्क का विकास कार्य पूरा हो चुका है।

ख) मिल्ली गार्डन: बेलबैड रेलवे साइडिंग में 0.6 हेक्टेयर क्षेत्र में एक इको-रिलैक्सेशन पॉइंट और बाग विकसित किया गया है। पार्क की प्रमुख सुविधाओं में बाग, औषधीय पौधों का बगीचा, फूलों की क्यारियाँ, फव्वारा, ग्रीन वॉल, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, सेल्फी पॉइंट, कैनोपी वॉकवे, स्क्रैप-मेटल मूर्तियाँ, ओपन एयर जिम, योगा स्पेस, लाइटिंग आदि शामिल हैं।

ञ. अपशिष्ट से सर्वश्रेष्ठ: प्लास्टिक अपशिष्ट हैंडलिंग इकाई:

"वेस्ट टू बेस्ट" पहल के तहत, सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र में एक और प्लास्टिक अपशिष्ट हैंडलिंग इकाई स्थापित की गई है। यह इकाई निर्माण कार्यों में टिकाऊ उपयोग के लिए प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक में परिवर्तित करती है।

ट. धूल दमन उपाय:

ईसीएल की खदानें और रेलवे साइडिंग जल छिड़काव व्यवस्था से सुसज्जित हैं, जैसे 24 ट्रॉली/फिक्स्ड फॉग कैनन, 28 फिक्स्ड वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम और 75 मोबाइल वाटर टैंकर। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र में 3 फॉग कैनन लगाए गए हैं। इसके अलावा, झांझरा क्षेत्र में एक रोड स्वीपिंग मशीन भी लगाई गई है।

ठ. वैज्ञानिक अध्ययन

क) **पिछले 10 वर्षों में किए गए वृक्षारोपण की सफलता का आकलन:** ईसीएल में वृक्षारोपण की सफलता का आकलन करने के लिए अध्ययन करने हेतु सीआईएमएफआर, धनबाद को कार्य आदेश जारी किया गया है। 50% अग्रिम भुगतान किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। अध्ययन का उद्देश्य उत्तरजीविता दर निर्धारित करना, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों का मूल्यांकन करना और क्षेत्र अध्ययन, ड्रोन सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण के माध्यम से वृक्षारोपण परिणामों में सुधार के लिए रणनीतियों की सिफारिश करना है।

ख) **ईसीएल में सामुदायिक उपयोग के लिए खदान के पानी की खदान-वार उपलब्धता और क्षमता पर अध्ययन:** ईसीएल में सामुदायिक उपयोग के लिए खदान के पानी की उपलब्धता की जांच के लिए वैज्ञानिक अध्ययन आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी और आईआईटी-आईएसएम, धनबाद द्वारा किया जा रहा है और अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अध्ययन में मौसमी डेटा संग्रह, जीआईएस मैपिंग, जल गुणवत्ता मूल्यांकन और शून्य-अपव्यय खदान जल प्रबंधन योजना का विकास शामिल है, जिसका उद्देश्य घरेलू, कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अधिशेष खदान के पानी का उपयोग करना है।

ग) **पर्यावरण मंजूरी (ईसी) शर्तों का तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट:** मेसर्स ईसीएल के क्लस्टर 12 (सोनपुर बाजारी परियोजना को छोड़कर) के अंतर्गत खदानों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) अनुपालन का आकलन करने के लिए कार्य का ठेका सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, धनबाद को 08.03.2025 को दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। यह कार्य पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के अनुपालन के लिए है।

मिस्ट गन, राजमहल

मिस्ट स्प्रेयर, सतग्राम

मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर, मुग्मा

फिक्स्ड वाटर स्प्रिंकलर, सतग्राम

फिक्स्ड वाटर स्प्रिंकलर, बोनजेमेहारी

बंद कन्वेयर सिस्टम, मुग्मा

30 किलोवाट पावर रूफ टॉप सोलर पैनल, बैंकोला

उपाबंध – V

2024-25 में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा :

ईसीएल ने सीआईएल सीएसआर नीति 2024 को अपनाया और लागू किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर संशोधन नियम, 2022 के संशोधन के अनुरूप है। 01.04.2014 से प्रभावी एफ. सं. 15(13)/2013-डीपीई (जीएम) दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 के अनुसार डीपीई दिशानिर्देश का भी पालन किया जाता है। हमारी सीएसआर पहलों ने हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाकर सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ हमारे व्यवसाय को एकीकृत किया है, मुख्य रूप से ईसीएल के परिचालन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले वंचित, हाशिए पर रहने वाले और परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) पर ध्यान केंद्रित किया है। सीआईएल सीएसआर नीति के तहत प्रावधान के अनुसार, फंड का 80% ईसीएल मुख्यालय/क्षेत्र/परियोजना के 25 किलोमीटर के दायरे में उपयोग किया जाना चाहिए और शेष 20% राज्य/परिचालन के राज्य के भीतर खर्च किया जाएगा आवश्यकतानुसार बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर बोर्ड के अनुमोदन से किसी विशेष वर्ष के लिए 80:20 के अनुपात को समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि न्यूनतम 60% व्यय उनके परियोजना स्थलों/खानों/क्षेत्र मुख्यालय/कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में तथा शेष व्यय उन राज्यों में किया जाना है, जहां ईसीएल परिचालन कर रही है।

2. वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में सहभागिता की संख्या
1.	श्री शिव तपस्या पासवान*	अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल	4	4
2.	श्रीमती संतोष**	अध्यक्ष एवं अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, ईसीएल	1	1
3.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल	4	4
4.	मोहम्मद अंजार आलम	निदेशक (वित्त), ईसीएल	5	5
5.	श्रीमती आहुती स्वाई****	निदेशक (कार्मिक), ईसीएल	3	3
6.	श्री निलेन्दु कुमार सिंह *****	निदेशक (तकनीकी) पी एंड पी, ईसीएल	1	1
7.	श्री नीलाद्रि रॉय	निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल	5	5
8.	श्री गुंजन कुमार सिन्हा	निदेशक (मानव संसाधन), ईसीएल	1	1
9.	श्री गिरीश गोपीनाथन नायर	निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, ईसीएल	0	0

*** 31 अक्टूबर, 2024 तक**
**** 14 जनवरी, 2025 से**
***** 31 अक्टूबर, 2024 तक और 28 मार्च, 2025 से पुनः नियुक्त**
****** 31 अगस्त, 2024 तक**
******* 30 अप्रैल 2024 तक**

3. कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक जहाँ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाएँ है प्रकटित किए जाते हैं :

ईसीएल ने एक सीएसआर पोर्टल विकसित किया है जो सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं से संबंधित संसूचनाएँ उपबंधित करता है। अधिक संसूचनाएँ वेब-लिंक - http://secureloginecl.co.in/csr/index.php. में पाई जा सकती है।

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के समाघात मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो:

धारा 135 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों में से कोई भी वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाघात मूल्यांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

5. **(क)** धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: **8.44 करोड़ रुपये**

(ख) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%: **0.17 करोड़ रुपये**

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: **शून्य**

ग्रामीणों के लिए मोबाइल मेडिकल वैन

ग्रामीणों के लिए चिकित्सा जांच

ईसीएल की सीएसआर गतिविधि के तहत ईसीएल सेफाली प्राइवेट आईटीआई

स्कूली छात्रों के लिए ताज़ा पेयजल

देवघर के सारठ और पालाजोरी प्रखंडों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

सामान्य ड्यूटी में कौशल विकास के माध्यम से आजीविका कार्यक्रम

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: **शून्य**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (5बी+5सी-5डी): **रु. 0.17 करोड़ रुपये**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (दोनों चालू परियोजनाएं और चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य) पर खर्च की गई राशि: रु. 4,30,91,246.00 (प्रतिलिपि अनुलग्नक ए और बी के रूप में संलग्न है)।

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: **रु. 9,66,420.00**

(ग) प्रभाव आकलन में खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: **लागू नहीं**

(घ) वित्तीय वर्ष (6ए+6बी+6सी) के लिए कुल खर्च की गई राशि: **रु. 4,40,57,666.00**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए संव्ययित कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाता को अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के तहत अधिसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि		
	राशि (₹)	अंतरण की तिथि	निधि के नाम	राशि (₹)	अंतरण की तिथि
4,40,57,666.00	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ऊ) समंजन के लिए आधिक्य राशि, यदि कुछ हो :

क्रम सं..	विशिष्टियाँ	राशि (₹)
1.	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	17,00,000.00
2.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	4,40,57,666.00
3.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii) – (i)]	4,23,57,666.00
4.	पूर्व वित्तीय वर्षों, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उद्भूत अधिशेष	कुछ नहीं
5.	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii) – (iv)]	कुछ नहीं

7. (अ) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के ब्यौरे :

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाता में अंतरित राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाता में शेष राशि (₹ में)	प्रतिवेदिति वित्तीय वर्ष में संव्ययित राशि (₹ में)	धारा 135 (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो,		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ में)	अंतरण की तिथि		
2.	2021-22	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कोई नहीं
3.	2022-23	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कोई नहीं
3.	2023-24	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कोई नहीं

8. पूँजीगत आस्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में व्ययित निगमित सामाजिक दायित्व राशि के जरिए इस प्रकार निर्मित या अधिगृहीत आस्ति से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करें (आस्तिवार विवरण) क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई निगमित सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत आस्ति निर्मित की गई है या अर्जित की गई है : **नहीं।**

9. कारण(ओं को) विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत संव्यय करने में विफल होती है : **लागू नहीं**

(श्री. गुंजन कुमार सिन्हा)
निदेशक (मानव संसाधन)
डीआईएन- - 10933783

(सुश्री संतोष)
अध्यक्ष सीएसआर उप-समिति
डीआईएन-09519383

दिनांक: 07.06.2025
स्थान: सेंक्टोरिया/नई दिल्ली
उपाबंध : क एवं ख

उपाबंध - क

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चालू परियोजनाओं के विरूद्ध व्ययित सीएसआर राशि के ब्यौरे

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का अवस्थान		परियोजना अवधि	चालू वित्तीय वर्ष में परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला						कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	ईसीएल मुख्यालय और उसके आसपास के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता कार्यक्रम	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	2 वर्ष	405,149	405,148	शून्य	नहीं	सैंक्टोरिया ग्राम समिति	CSR00026873
2	केन्द्र एवं हरिपुर ग्राम पंचायत के नौ गांवों में पानी के टैंकर के माध्यम से घरेलू पानी की आपूर्ति	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 वर्ष	2,409,163	724,896	शून्य	हाँ	प्रत्यक्ष	
3	राजमहल क्षेत्र के सीएसआर योजना के तहत तालझारी गांव के 20 जरूरतमंद व्यक्तियों को 20 टोटो (ई-रिक्शा) उपलब्ध कराया गया।	आजीविका संवर्धन	हाँ	झारखंड	गोड्डा	1 वर्ष	3,075,668	416,820	शून्य	हाँ	प्रत्यक्ष	
4	राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत आईटीआई, सिकटिया, गोड्डा, झारखंड का संचालन, रखरखाव, प्रबंधन और उन्नयन।	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	गोड्डा	10 वर्ष.	16,586,409	16,586,409	शून्य	हाँ	प्रत्यक्ष	
5	केटीबीआई हायर सेकेंडरी स्कूल लौदोहा में पाइपलाइन और अन्य संबंधित कार्यों के साथ वाटर कूलर और ओवरहेड टैंक की स्थापना	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 वर्ष	297,145	144,112	शून्य	हाँ	प्रत्यक्ष	
6	झांझरा क्षेत्र के कुचडीही गांव में मनसा मंदिर बाउरीपारा से पंजा पारा तक सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	ग्रामीण विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 वर्ष	498,365	498,337	शून्य	हाँ	प्रत्यक्ष	
7	सैंक्टोरिया में सीसीटीवी लगाने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को फंड मुहैया कराना	ग्रामीण विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 वर्ष	498,880	399,104	शून्य	नहीं	आसनसोल दुर्गापुर पुलिस	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का अवस्थान		परियोजना अवधि	चालू वित्तीय वर्ष में परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला						कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
8	सीएसआर के तहत सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र में बाराबोनी ब्लॉक के दोमोहानी जीपी के अंतर्गत फरीदपुर गांव में संबंधित सुविधाओं के साथ निःशुल्क प्राथमिक विद्यालय और आईसीडीएस केंद्र का निर्माण	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	6 महीने	2,564,769	2,564,769	शून्य	नहीं	प्रखंड विकास कार्यालय, बाराबनी	
9	ईसीएल मुख्यालय के निकट संक्टोरिया, डिशेरगढ़ और जोसैडीह क्षेत्र में ऑयस्टर मशरूम की खेती के माध्यम से महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम	कौशल विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 वर्ष	249,300	249,300	शून्य	नहीं	सैंक्टोरिया ग्राम समिति	CSR00026873
10	"शीतला: आसनसोल क्षेत्र के 05 सरकारी बालिका विद्यालयों के लिए वाटर कूलर सह प्यूरीफायर	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	6 Months	1,223,237	1,220,236	शून्य	हाँ	आशाकिरण एनजीओ	
11	25 नंबरों का समर्थन। सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र में श्रीमा प्रतिभा कल्याण केंद्र के दिव्यांग बच्चे	स्वास्थ्य एवं पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1 वर्ष	123,000	123,000	शून्य	नहीं	श्रीमा प्रतिभा कल्याण केंद्र (सोसाइटी)	CSR00020624
12	ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र के कमांड क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार सृजन प्रशिक्षण प्रदान करना	कौशल विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	12 महीने	698,856	698,856	शून्य	नहीं	इंदिरा गांधी व्यावसायिक एवं कल्याण ट्रस्ट	CSR00045384
						कुल	**28,629,941**	**24,030,987**				

उपाबंध - ख

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चालू परियोजनाओं से इतर के विरूद्ध व्ययित सीएसआर राशि के ब्यौरे

1	2	3	4	5		6	7	8	9	
क्रम सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का अवस्थान		चालू वित्तीय वर्ष में परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष रीति (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला				कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	राजमहल क्षेत्र में जैव विविधता पार्क, सरकंडा, गोड्डा, झारखंड में 40 पेड़ के आकार की बैठने की कुर्सियों की स्थापना	पर्यावरण एवं संधारणीयता	हाँ	झारखंड	गोड्डा	578,200	462,560	नहीं	प्रमंडलीय वन कार्यालय, गोड्डा	
2	सालनपुर क्षेत्र के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन आश्रम में मां शारदा दाता चिकित्सालय एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण	स्वास्थ्य एवं पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	3,204,523	3,204,523	नहीं	रामकृष्ण मिशन, आसनसोल	CSR00006101
3	अंडाल विकास खंड के कजोरा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए 02 ट्रैक्टरों और 02 पानी के टैंकरों की खरीद	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,981,000	1,970,000	नहीं	ब्लॉक विकास कार्यालय, अंडाल	
4	ईसीएल मुख्यालय में दिशेरगढ़ की हाशिए पर पड़ी आबादी को जल शोधक उपलब्ध कराना	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	488,250	488,250	नहीं	सैंक्टोरिया ग्राम समिति	CSR00026873
5	सालनपुर क्षेत्र के पंचगछिया गांव में एक रिग बोर सबमर्सिबल कुआं की स्थापना	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	484,096	273,223	हाँ	प्रत्यक्ष	
6	सालानपुर क्षेत्र के अंतर्गत बीडीओ बाराबनी के माध्यम से 3 ग्राम पंचायतों में टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	451,200	451,200	नहीं	प्रखंड विकास कार्यालय, बाराबनी	
7	ईसीएल मुख्यालय की सीएसआर गतिविधि के तहत आसनसोल में पोलो ग्राउंड, गर्ल्स कॉलेज और कोर्ट रोड क्षेत्र के पास सड़क के दोनों ओर फुटपाथ का निर्माण और हरियाली से संबंधित कार्य	पर्यावरण एवं स्थिरता	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,755,582	895,783	नहीं	पश्चिम बर्धमान जिला परिषद	CSR00050753
8	राजमहल क्षेत्र में सीएसआर योजना के तहत तलझारी गांव में केंद्रीकृत सौर ऊर्जा ग्रिड के साथ 24 वाट एलईडी सौर स्ट्रीट लाइटिंग की 20 इकाइयों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरण एवं स्थिरता	हाँ	झारखंड	गोड्डा	339,840	339,840	हाँ	प्रत्यक्ष	
9	ईसीएल के राजमहल क्षेत्र के आसपास वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों को मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना (चरण-2)	स्वास्थ्य एवं पोषण	हाँ	झारखंड	गोड्डा	1,927,855	1,927,855	हाँ	प्रत्यक्ष	
10	ईसीएल के कुनुस्तोरिया क्षेत्र के आसपास वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों को मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना (चरण-2)	स्वास्थ्य एवं पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,773,000	1,674,576	हाँ	प्रत्यक्ष	
11	सोनपुर बाजारी के अंतर्गत भटमुरा और मधुडांगा गांव के ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवहन के लिए 4 वाहनों को किराये पर लिया गया।	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,086,224	663,428	हाँ	प्रत्यक्ष	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	
क्रम सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का अवस्थान		चालू वित्तीय वर्ष में परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष रीति (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला				कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
12	बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ा व्यावसायिक प्रशिक्षण - राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एटीडीसी) द्वारा सिलाई मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण।	कौशल विकास	हाँ	झारखंड	गोड्डा	1,757,574	1,615,068	नहीं	एटीडीसी, रांची	CSR00000938
13	ईसीएल-मुख्यालय के आसपास के सैंकटोरिया, दिशेरगढ़ और जोसाईडीह गांवों की हाशिए पर पड़ी आबादी को मानसून की बारिश से उबरने के लिए सहायता	स्वास्थ्य एवं पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	234,500	234,500	नहीं	सैंक्टोरिया ग्राम समिति	CSR00026873
14	ईसीएल के एस.पी. माइंस क्षेत्र के आसपास वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों को मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना (चरण-3)	स्वास्थ्य एवं पोषण	हाँ	झारखंड	देवघर	958,780	958,780	हाँ	प्रत्यक्ष	
15	ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र के आसपास वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों को मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना	स्वास्थ्य एवं पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,438,170	1,438,170	हाँ	प्रत्यक्ष	
16	मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से ईसीएल के पांडवेश्वर क्षेत्र के आसपास वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना	स्वास्थ्य एवं पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,438,170	1,438,170	हाँ	प्रत्यक्ष	
17	राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत गोड्डा जिले में 100 टीबी रोगियों के लिए छह महीने तक भोजन की टोकरी	स्वास्थ्य एवं पोषण	नहीं	झारखंड	गोड्डा	246,645	246,645	हाँ	प्रत्यक्ष	
18	ईसीएल, सालनपुर क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम में चैरिटेबल डिस्पेंसरी के लिए मरीजों के लिए डीजी सेट और फर्नीचर उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य एवं पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	587,000	587,000	नहीं	रामकृष्ण मिशन, आसनसोल	CSR00006101
19	सीएसआर के तहत सालनपुर गांव में हाई मास्ट टावर लाइटिंग सिस्टम की स्थापना	ग्रामीण विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	190,688	190,688	हाँ	प्रत्यक्ष	
20	ईसीएल मुख्यालय की सीएसआर गतिविधि के तहत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत निर्मित/मरम्मत किए गए शौचालयों की जियो टैगिंग के लिए आईआईटी खड़गपुर की सहभागिता	प्रशासनिक	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	1,380,600	966,420	नहीं	आईआईटी खड़गपुर	
					कुल	22,301,897	20,026,679			

उपाबंध – VI

निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन

1. दर्शन:

निगमित सुशासन नैतिक रूप से संचालित कारबार प्रथाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियामकों, कर्मियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों और व्यापक रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक संधारणीय मूल्यों की संवृद्धि के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण है। प्रभावी निगमित सुशासन प्रथाएँ एक मजबूत नींव को स्थापित करती हैं जिसपर सफल वाणिज्यिक उद्यमों को लंबे समय तक चलने के लिए बनाया जा सकता है। यह आवश्यक है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति शृंखला का प्रबंधन करने के लिए कंपनी के मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित किया जाए।

आपकी कंपनी शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करने और वित्तीय, प्रदर्शन और सुशासन के बारे में समय पर, पर्याप्त और सटीक जानकारी का खुलासा करने के लिए इसे एक अंतर्निहित दायित्व मानती है। निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और दायित्व अच्छे निगमित सुशासन के चार स्तंभ हैं।

2. निदेशक मण्डल:

(क) निदेशक मण्डल की संरचना:

यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है और कोल इंडिया लिमिटेड के पास समस्त चुकता शेयर पूँजी है। संगत अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी के संगत अनुच्छेदों के निबंधन में, निदेशक मण्डल की पद संख्या 2 निदेशकों से कम नहीं होगी और 15 निदेशकों से अधिक नहीं होगी जिसमें पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक और अंशकालिक निदेशक सम्मिलित होंगे।

31 मार्च, 2025 तक, निदेशक मण्डल में 8 निदेशकगण सम्मिलित हुए, जिसमें से 5 पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण, 2 अंशकालिक पदीय निदेशकगण और 1 अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण थें।

निदेशकगण निदेशक मण्डल में व्यापक अनुभव और कौशल लाते हैं।.

निदेशक:

वर्ष 2024-25 के दौरान, श्री समीरन दत्ता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (18.12.2024 तक) थे, श्री सतीश झा को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (19.12.2024 से) नियुक्त किया गया था। 2024-25 के दौरान कंपनी के बोर्ड में अन्य निदेशक थे; श्री शिव नारायण पांडे, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (30.10.2024 तक) और फिर से नियुक्त (28.03.2025 से) ; श्री शिव तपस्या पासवान, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (30.10.2024 तक); श्री माणिक चंद्र पंडित, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (31.12.2024 तक); सुश्री संतोष (01.01.2025 से); श्री मुकेश अग्रवाल, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक; मोहम्मद अंजार आलम, कार्यात्मक निदेशक; सुश्री आहुति स्वैन, कार्यात्मक निदेशक (31.08.2024 तक); श्री निलेन्दु कुमार सिंह, कार्यात्मक निदेशक (29.04.2024 तक); श्री नीलाद्रि रॉय, कार्यात्मक निदेशक; श्री गुंजन कुमार सिन्हा, कार्यात्मक निदेशक (15.01.2025 से) और श्री गिरीश गोपीनाथन नायर, कार्यात्मक निदेशक (25.03.2025 से)।

सेवा अनुबंध:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति की गई है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के निबंधन में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशगणों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चित किया जाता है। गैर-पदीय अंशकालिक निदेशकों के निबंधन एवं शर्तें को कोयला मंत्रालय द्वारा अधिकथित किया जाता है।

निदेशकगणों की आयु-सीमाएँ एवं पदावधि :

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है। बोर्ड का कोई भी निदेशक दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद नहीं रखता है। इसके अलावा उनमें से कोई भी दस से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन सभी सार्वजनिक कंपनियों में पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है जिनमें वह निदेशक है। 31 मार्च, 2025 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति पदों के बारे में आवश्यक खुलासे निदेशकों द्वारा किए गए हैं। कोई भी निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं। कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशक,

कोयला मंत्रालय के अधिकारी नहीं रहने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं।

(ख) बोर्ड बैठकें:

निदेशक मंडल की बैठकें आमतौर पर निदेशकों की सुविधा के लिए सेंक्टोरिया/कोलकाता में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आयोजित की जाती हैं। कंपनी ने निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों के लिए सुस्पष्ट प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं ताकि सूचित और कुशल तरीके से निर्णय लेने में सुविधा हो। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, 1 जून, 2024 से डिजिटल बोर्ड सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर अपनाने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की पहली सहायक कंपनी बन गई है। इसने बैठक प्रबंधन, दस्तावेज़ साझाकरण, सहयोग और अनुपालन ट्रैकिंग के लिए मैनुअल, कागज़-आधारित प्रणालियों को उपकरणों से बदल दिया है, जिससे कंपनी अधिक कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से कार्य कर पा रही है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष में 4 बैठकों की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले 20.04.2024, 25.05.2024, 05.07.2024, 20.07.2024, 17.08.2024, 24.09.2024, 17.10.2024, 30.10.2024, 23.12.2024, 14.01.2025 और 06.03.2025 को 11 (ग्यारह) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	निदेशक	निदेशक मण्डलीय बैठकें		अन्य निदेशकों की संख्या
		पदावधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति सापेक्ष	
कार्यात्मक निदेशक:				
01	श्री समीरन दत्ता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (18.12.2024 तक)	8	8	01
02	श्री सतीश झा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (19.12.2024 से प्रभावी)	3	3	शून्य
03	मोहम्मद अंजार आलम निदेशक (वित्त)	11	11	शून्य
04	सुश्री आहुति स्वाई निदेशक (कार्मिक) (31.08.2024 तक)	5	5	शून्य
05	श्री निलेन्दु कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना (29.04.2024 तक)	1	1	शून्य
06	श्री नीलाद्रि रॉय निदेशक (तकनीकी) संचालन	11	11	शून्य
07	श्री गुंजन कुमार सिन्हा निदेशक (मानव संसाधन) (15.01.2025 से प्रभावी)	1	1	शून्य
08	श्री गिरीश गोपीनाथन नायर (25.03.2025 से प्रभावी) निदेशक (तकनीकी), परियोजना एवं योजना	0	0	शून्य
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक:				
09	श्री माणिक चंद्र पंडित निदेशक, कोयला मंत्रालय (एमओसी) (31.12.2024 तक)	9	9	शून्य
10	सुश्री संतोष उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय (एमओसी) (01.01.2025 से प्रभावी)	2	2	01
11	श्री मुकेश अग्रवाल निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	11	11	04

क्रम सं.	निदेशक	निदेशक मण्डलीय बैठकें		अन्य निदेशकों की संख्या
		पदावधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति सापेक्ष	
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक:				
12	श्री शिव नारायण पाण्डेय (31.10.2024 तक तथा 28.03.2025 से प्रभावी)	8	7	शून्य
13	श्री शिव तपस्या पासवान (31.10.2024 तक)	8	6	शून्य

ग) निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी:

निदेशक मण्डल का कंपनी के अंतर्गत किसी भी सूचना तक पूर्ण अभिगमन है। निदेशक मण्डल को आपूर्ति की जाने वाली नियमित सूचनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्निलखित को समाविष्ट करता है :

i. वार्षिक परिचालनात्मक योजनाएँ एवं बजटों और कोई अध्यतन।

ii. पूँजी बजटों और कोई अद्यतना।

iii. कंपनी और उसके परिचालनात्मक प्रभागों या कारबार अनुभागों के लिए तिमाही परिणाम।

iv. निदेशक मण्डल के लेखापरीक्षा समिति एवं अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।

v. निदेशक मण्डल के ठीक नीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव की नियुक्ति या अपसारण सहित वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक की सूचना।

vi. कारण बताओ, माँग, अभियोजन सूचनाएँ तथा शास्ति सूचनाएँ जो तात्त्विक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

vii. घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, संकटपूर्ण घटनाएँ, किसी पदार्थ बहिःस्राव या प्रदूषण समस्याएँ।

viii. कंपनी को और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी तात्त्विक व्यतिक्रम, या कंपनी द्वारा बिक्री मालों के लिए सारभूत असंदाय।

ix. कोई भी मुद्दा, जिसमें किसी भी निर्णय या आदेश सहित सारभूत प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे अंतर्वलित होते हैं, जिससे कंपनी के कार्याकलाप पर अवक्षेपें पारित हो सकता है या किसी अन्य उद्यम विषयक प्रतिकूल दृष्टिकोण परिगृहीत कर सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक विवक्षा हो सकता है।

x. किसी भी संयुक्त उद्यमों या सहयोग करार का ब्यौरा।

xi. महत्वपूर्ण श्रम समस्याएँ और उनके प्रस्तावित समाधाना। मजदूरी करार पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन इत्यादि जैसे अग्रणी मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में कोई महत्वपूर्ण विकास।

xii. किसी भी विनियमकारी एवं कानूनी मामलों का अननुपालन।

घ) निदेशक का पारिश्रमिक:

क. कार्यकारी निदेशकगण:

(राशि रु. में)

क्रम	निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कुल
1.	श्री सतीश झा	8,51,634	4,00,403	12,52,037
2.	मोहम्मद अंजार आलम	52,19,433	2,73,594	54,93,027
3.	श्रीमती आहुती स्वाईं	55,69,620	20,5,275	57,74,895
4.	श्री नीलाद्रि रॉय	84,15,270	4,58,247	88,73,525
5.	श्री गुंजन कुमार सिन्हा	3,70,234	1,64,678	5,34,912

ख. अंशकालिक पदीय निदेशकगण :

कंपनी द्वारा अंशकालिक पदीय निदेशकगणों को कोई भी पारिश्रमिक संदाय नहीं किया गया है।

ग. अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण

अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकों को बैठक शुल्क के सिवाय कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। निदेशक मण्डल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रदत्त बैठक शुल्क का ब्यौरे निम्नवत है :

(राशि रु. में)

क्रम	निदेशक का नाम	निदेशक मण्डलीय बैठक के लिए बैठक शुल्क	समिति बैठकों के लिए बैठक शुल्क	कुल
1.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	1,05,000	1,95,000	3,00,000
2.	श्री शिव तपस्या पासवान	90,000	1,80,000	2,70,000

3. निदेशक मण्डलीय समिति :

निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित मण्डलीय समितियों का गठन किया है :

क. लेखापरीक्षा समिति;

ख. "परियोजनाओँ का मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन" के लिए उप-समिति;

ग. "सीएसआर" पर समिति;

घ. जोखिम प्रबंधन समिति;

[क] लेखापरीक्षा समिति :

आपकी कंपनी के पास स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति की संरचना, प्रक्रियाएँ, शक्तियाँ और भूमिकाएँ / प्रकार्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं का अनुपालन करना है।

लेखापरीक्षा समिति का विस्तार :

लेखापरीक्षा समिति के विस्तार यथा निम्नवत हैं :

क) कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदित प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना और उसके वित्तीय सूचना के प्रकटन को सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरणी सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

ख) निदेशक मण्डल को लेखापरीक्षा शुल्कों के नियतन की सिफारिश करना।

ग) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को शुल्क नियतन के लिए निदेशक मण्डल को सिफारिश।

घ) वार्षिक वित्तीय विवरणियों को अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व अनुप्रयुक्त विधियों के साथ अनुपालन में हैं के प्रति निर्देश से प्रबंधन के साथ पुनर्विलोकन करना और यह सुनिश्चित करना कि :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशक मण्डलीय प्रतिवेदनों में समाविष्ट किए गए आवश्यक मामले हैं;

ii) लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में, यदि कोई हो, परिवर्तन हैं;

iii) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास पर आधारित प्राक्कलनों के अंतर्गत लेखांकन प्रविष्टियाँ किए गए हैं;

iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उद्भूत वित्तीय विवरणियों में कृत महत्त्वपूर्ण समायोजन किए गए हैं;

v) वित्तीय विवरणी संबंधित विधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन में हैं;

vi) किसी भी संबंध पक्षकार लेनदेनों का प्रकटन किया गया है;

vii) लेखापरीक्षक प्रतिवेदन प्रारूप में अर्हताओं में हैं और

viii) वित्तीय दशाओं एवं परिचालनात्मक परिणामों की प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण किया गया हैं।

ङ) अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणियों, प्रबंधन क साथ, पुनर्विलोकन।

च) आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों पर प्रबंधन के साथ पुनर्विलोकन करना।

छ) आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग प्रधान की कार्मिक व्यवस्था और वरीयता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति और आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और / या हटाने के बारे में जानकारी सम्मिलित है।

ज) आंतरिक लेखापरीक्षक और / या लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्षों या उसके अनुवर्ती कार्रवाई पर परिचर्चा।

झ) मामलें जहाँ तात्त्विक प्रकृति के संदिग्ध कपट या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और निदेशक मण्डल को मामलात की रिपोर्टिंग प्रतिवेदित किया जा रहा है को आंतरिक लेखापरीक्षकों / लेखापरीक्षकों / अभिकरणों द्वारा किसी भी आंतरिक अन्वेषणों के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन करना।

ञ) लेखापरीक्षा आरंभ करने के पूर्व, लेखापरीक्षा की प्रकृति और विस्तार के साथ-साथ किसी भी समुत्थान क्षेत्र को अभिनिश्चित करने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा परिचर्चा के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ परिचर्चा।

ट) जमाकर्ता, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) एवं ऋणदाताओं के संदाय में सारभूत व्यतिक्रम के लिए कारकों की जाँच-पड़ताल करना।

ठ) सूचना प्रदाता तंत्र के कार्य पद्धति का पुनर्विलोकन करना।

ड) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन करना।

ढ) गतिविधियों के विस्तार या आवश्यक सूचना तक पहुँच में किसी भी निर्बंधनों सहित लेखापरीक्षा के दौरान समागमित कोई भी कठिनाइयाँ।

ण) संसद के सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के संस्तुतियों को परिगृहीत अनुवर्ती कार्रवाई को पुनर्विलोकन करना।

संरचना

31 मार्च, 2025 तक, लेखा परीक्षा समिति में दो (02) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक अर्थात सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय और श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीआईएल और दो (02) कार्यात्मक निदेशक अर्थात श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन और श्री गुंजन कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) शामिल थे।

श्री शिव नारायण पांडे, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, 31.10.2024 तक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे और उसके बाद, ईसीएल की अंशकालिक, आधिकारिक निदेशक सुश्री संतोष, वर्ष के दौरान समिति की अध्यक्ष थीं।

निदेशक (वित्त) और विभागाध्यक्ष (आंतरिक लेखापरीक्षा) लेखापरीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की आठ (08) बैठकें 20.04.2024, 24.05.2024, 20.07.2024, 17.08.2024, 24.09.2024, 17.10.2024, 14.01.2025 और 06.03.2025 को आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	सदस्यों	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	6	6
2.	श्री माणिक चंद्र पंडित	6	6
3.	श्रीमती संतोष	2	2
4.	श्री मुकेश अग्रवाल	8	8
5.	श्री शिव तपस्या पासवान	6	5
6.	श्रीमती आहुति स्वैन	4	4
7.	श्री निलेन्दु कुमार सिंह	1	1
8.	श्री नीलाद्रि रॉय	8	8
9.	श्री गुंजन कुमार सिन्हा	1	1

[ख] परियोजनाओं का मूल्यांकन, मूल्य निरूपण एवं अनुमोदन के लिए समिति :

बोर्ड की 246वीं बैठक में परियोजनाओं के मूल्यांकन, आकलन और अनुमोदन के लिए एक समिति गठित की गई। 31 मार्च, 2025 तक, परियोजनाओं के मूल्यांकन, आकलन और अनुमोदन के लिए समिति में दो (02) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक शामिल थे, अर्थात सुश्री संतोष, उप महानिदेशक,

कोयला मंत्रालय और श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीआईएल; और तीन (03) कार्यात्मक निदेशक अर्थात मोहम्मद अंजार आलम, निदेशक (वित्त); श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन और श्री गुंजन कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन)।

एमओसी के निदेशक और ईसीएल के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक श्री माणिक चंद्र पंडित 31.12.2024 तक परियोजनाओं के मूल्यांकन, आकलन और अनुमोदन के लिए समिति के अध्यक्ष थे और उसके बाद, सुश्री संतोष वर्ष के दौरान समिति की अध्यक्ष थीं।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं तथा महाप्रबंधक (पी एंड पी) इस समिति के नोडल अधिकारी हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परियोजनाओं के मूल्यांकन, आकलन और अनुमोदन की चार (04) बैठकें 10.07.2024, 17.08.2024, 23.12.2024 और 06.03.2025 को आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई परियोजनाओं के मूल्यांकन, आकलन और अनुमोदन बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	सदस्यों	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्रीमती संतोष	1	1
2.	श्री माणिक चंद्र पंडित	3	3
3.	श्री मुकेश अग्रवाल	4	3
4.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	2	2
5.	श्री शिव तपस्या पासवान	2	2
6.	मोहम्मद अंजार आलम	4	4
7.	श्रीमती आहुति स्वैन	2	2
8.	श्री नीलाद्रि रॉय	4	4
9.	श्री गुंजन कुमार सिन्हा	1	1

[ग] सीएसआर पर समिति

ईसीएल बोर्ड की 261वीं बैठक में सीएसआर उप-समिति का गठन किया गया। 31 मार्च, 2025 तक समिति में एक (01) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय और तीन (03) कार्यात्मक निदेशक शामिल थे, अर्थात मोहम्मद अंजार आलम, निदेशक (वित्त); श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन और श्री गुंजन कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन)।

श्री शिव तपस्या पासवान, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, 31.10.2024 तक सीएसआर उप-समिति के अध्यक्ष थे और उसके बाद, सुश्री संतोष की नियुक्ति के बाद, वर्ष के दौरान समिति के अध्यक्ष थे।

कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (सीएसआर एवं कल्याण) है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सी.एस.आर. समिति की पांच (05) बैठकें आयोजित की गईं, अर्थात 20.04.2024, 10.07.2024, 17.08.2024, 23.09.2024 और 06.03.2025 को। सदस्यों का विवरण और बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे दी गई है:

क्रम	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्रीमती संतोष	1	1
2.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	4	4
3.	श्री शिव तपस्या पासवान	4	4
4.	मोहम्मद अंजार आलम	5	5
5.	श्रीमती आहुति स्वैन	3	3
6.	श्री निलेन्दु कुमार सिंह	1	1

क्रम	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
7.	श्री नीलाद्रि रॉय	5	5
8.	श्री गुंजन सिन्हा	1	1

[घ] जोखिम प्रबंधन समिति :

ईसीएल बोर्ड की 291वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया। 31 मार्च, 2025 तक समिति में एक (01) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक अर्थात सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय और तीन (03) कार्यात्मक निदेशक अर्थात मोहम्मद अंजार आलम, निदेशक (वित्त) शामिल थे; श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन और श्री गुंजन कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) शामिल थे।

श्री शिव नारायण पांडे, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, 31.12.2024 तक जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे और उसके बाद, सुश्री संतोष वर्ष के दौरान समिति की अध्यक्ष थीं।

कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (योजना व परियोजना) है।

वर्ष 2024-25 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक (01) बैठक अर्थात् 19.07.2024 को आयोजित की गई। सदस्यों का विवरण तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	1	1
2.	श्री शिव तपस्या पासवान	1	1
3.	मोहम्मद अंजार आलम	1	0
4.	सुश्री आहुति स्वैन	1	1
5.	श्री नीलाद्रि रॉय	1	1

[ङ] सांविधिक लेखापरीक्षक:

वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का वित्तीय खातों का लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अधीन निम्नलिखित सनदी लेखाकार फर्मों नियुक्त किया गया था

सांविधिक लेखा परीक्षक:

1. मेसर्स के ए एस जी एंड कंपनी, द्वितीय तल, श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, धनबाद, झारखंड-826001

शाखा लेखा परीक्षक:

2. मेसर्स. एस गुहा एंड एसोसिएट्स, 16/1 गिरीश विद्या रत्न लेन, कोलकाता-700009, पश्चिम बंगाल
3. मेसर्स सुदीप्त घोष एंड कंपनी, 135/न्यू नंबर 38/ टाउन हॉल पारा, बर्दवान- 713101, पश्चिम बंगाल
4. मेसर्स आइच रे दास और चट्टोपाध्याय, कमरा नंबर- I, तृतीय तल, आईसीआईसीआई बैंक बिल्डिंग, 399, जी.टी. रोड, बर्दवान-713101, पश्चिम बंगाल।
5. मेसर्स पीएनपी एंड कंपनी, कमालपुर प्लॉट पुराने बिजली कार्यालय के पास, बेनाचिटी, दुर्गापुर-713213, पश्चिम बंगाल
6. मेसर्स एस के नरेडी एंड कंपनी, पार्क मेंशन्स ब्लॉक 1, कमरा नंबर 5, तृतीय तल, 57ए पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल।

[च] वार्षिक आम बैठक:

विगत 3 वर्षों के दौरान आयोजित कंपनी क शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठकों की विशिष्टियाँ यथा निम्नवत थे :

वर्ष	तिथि, समय व स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2021-22 (*) (टिप्पणी -1)	29.07.2022 प्रातः 09.45 बजे सांकतोड़िया	श्री ए.पी. पांडा- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल; श्री बी. वीरा रेड्डी- निदेशक (तकनीकी), सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री एम. विश्वनाथन- कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री शिव नारायण पांडे- अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल, ईसीएल की लेखा परीक्षा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री जयप्रकाश गुप्ता- निदेशक (तकनीकी) परियोजनाएं और योजना, ईसीएल; श्री एस.के. सोमानी- सीएफओ और जीएम (वित्त), ईसीएल; श्री डी.के. नायक- टीएस टू सीएमडी, ईसीएल; श्री सुदीप दासगुप्ता- मुख्य प्रबंधक (वित्त), ईसीएल; मेसर्स जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी- सांविधिक लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी- लागत लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स जे.के. दास एंड एसोसिएट्स- सचिवीय लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)	-
2022-23	11.07.2023 प्रातः 11.00 बजे सांकतोड़िया	श्री ए.पी. पांडा- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल; श्री पी.एम. प्रसाद- अध्यक्ष, सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री बी. वीरा रेड्डी- निदेशक (तकनीकी), सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री बी.पी. दुबे- कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री शिव नारायण पांडे- अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्रीमती धर्मशीला गुप्ता - अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल, ईसीएल की जोखिम प्रबंधन समिति की अध्यक्ष (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री शिव तपस्या पासवान- अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल, ईसीएल के सीएसआर के अध्यक्ष (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री अंजार आलम- निदेशक (वित्त) और सीएफओ, ईसीएल; श्री निलेन्दु कुमार सिंह- निदेशक (तकनीकी) परियोजनाएं एवं योजना, ईसीएल; श्री नीलाद्रि रॉय निदेशक (तकनीकी) परिचालन, ईसीएल; श्री मदन मोहन कुमार- सीएमडी के टीएस; श्री आनंद प्रताप सिंह- जीएम (वित्त), ईसीएल; मेसर्स एनसी बनर्जी एंड कंपनी- सांविधिक लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स आरजे गोयल एंड कंपनी- लागत लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स मेहता एंड मेहता- सचिवीय लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)	-
2023-24	01.08.2024 प्रातः 11.00 बजे सांकतोड़िया	श्री समीरन दत्ता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री पी.एम. प्रसाद, अध्यक्ष, सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री बी.पी. दुबे, कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री माणिक चंद्र पंडित, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, ईसीएल, ईएएपी समिति के अध्यक्ष (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री शिव नारायण पांडे, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल, लेखा परीक्षा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री शिव तपस्या पासवान, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, ईसीएल, ईसीएल की सीएसआर उप-समिति के अध्यक्ष (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री अंजार आलम, निदेशक (वित्त) आहुति स्वैन, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल; श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन और निदेशक (तकनीकी) परियोजनाएं और योजना (अतिरिक्त प्रभार), ईसीएल; मेसर्स रॉय घोष एंड एसोसिएट्स, सांविधिक लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, लागत लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स मेहता एंड मेहता, सचिवीय लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)	

* **टिप्पणी-1:** राष्ट्र में विद्यमान कोविड-19 से उत्पन्न सर्वव्यापी रोग के कारण असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम-18 तथा भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा क्रमशः निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, दिनांकित 08 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020 एवं सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 05 मई 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों (किसी भी सांविधिक उपांतर या तत्समय प्रवृत्त पुनःअधिनियमिति सहित) और अन्य अनुप्रयुक्त कानूनों एवं विनियमों के अनुसार, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की सचिवीय लेखापरीक्षक सहित शेयरधारकों, निदेशकगणों एवं लेखापरीक्षकों को बैठक में सम्मिलित होने और/या मतदान करने के हकदार थे, companysecretary.ecl@coalindia.in को ई-मेल प्रेषण के द्वारा बैठक में विचारित मदों पर केवल उसी स्तर में अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए, विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं। सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की प्रसुविधा अनुपलब्ध थीं। तदापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए सहभागिता और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए बैठक में उपस्थित होने के लिए, अग्रिम रूप से कंपनी के प्राधिकृत मेल आईडी से लिंक उपलब्ध कराया गया था और बैठक में सम्मिलित होने की प्रसुविधा बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खुली रखी गई और बैठक के निर्धारित समय के 15 मिनट के पश्चात बंद कर दी गई।

उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान आयोजित सदस्यों की किसी भी आम बैठक में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था।

4. प्रकटन:

(क) संबद्ध पक्षकार अंतरण:

कंपनी के निदेशकगणों द्वारा प्रदत्त प्रकटन के अनुसार कोई भी संबद्ध पक्षकार अंतरण नहीं हुआ था जो कि स्वच्छंद कंपनी के हितों के साथ संभावी संघर्ष हो।

(ख) निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों के लिए आचार संहिता:

कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 2007 को आयोजित अपने 214वें बैठक में निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों के लिए आचार संहिता अनुमोदित किया गया था। इसे निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों को परिचालित किया गया था और उनकी अभिपुष्टि प्राप्त की गई थी। इसे कंपनी के वेबसाइट www.easterncoal.nic.in पर अपलोड किया गया था।

(ग) लेखांकन निर्धारण:

वित्तीय विवरणी को अनुप्रयुक्त आज्ञापक लेखांकन मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रस्तुतिमूलक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किया जाता है।

(घ) जोखिम प्रबंधन, कपट निवारण एवं शनाख्त :

ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.11.2012 को आयोजित अपने 257वें बैठक में जोखिम निर्धारण और शमन नीति को अनुमोदित किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति दिनांक 13.03.2019 को कोलकाता में आयोजित अपने दूसरी बैठक में कंपनी के लिए 'जोखिम जो वजह हैं' का पुनर्विलोकन किया और विभागीय प्रधान (योजना व परियोजना), ईसीएल को यथा मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया। वर्ष 2024-25 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति के एक (01) बैठकें की गई और भिन्न-भिन्न विभागों और खानों से संबद्ध जोखिम को निर्मित की गई एवं विश्लेषण किया गया। कारबार से सहयुक्त जोखिमों का नियमित अनुश्रवण किया जाता है।

(ङ) सीईओ/सीएफओ प्रमाणन:

ईसीएल के निदेशक (वित्त) मोहम्मद अंजार आलम और ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सतीश झा द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र 383वीं बोर्ड बैठक में रखा गया, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक- ग** के रूप में संलग्न है।

(च) अनुप्रयुक्त विधियों का अनुपालन :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, ईसीएल के विभागीय प्रधान (कार्मिक/विधि) द्वारा प्रदत्त घोषणा के अनुसार, कंपनी को अनुप्रयुक्त सभी विधियों का अनुपालन किया गया है।

5. संचार के साधन:

कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन, परिचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन, को कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वार्षिक लेखों से अलग, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखों के तिमाही पुनर्विलोकन भी संचालित किया गया है।

6. डिजिटल बोर्ड समाधान सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन:

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 1 जून, 2024 से डिजिटल बोर्ड सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर अपनाने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की पहली सहायक कंपनी बन गई है। डिजिटल बोर्ड सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव है, जो इसे बोर्ड संचालन को सुव्यवस्थित करने, अनुपालन सुनिश्चित करने और सुरक्षित, कुशल तरीके से सहयोग बढ़ाने में सक्षम बनाता है। प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित करके, पारदर्शिता बढ़ाकर और जोखिमों को कम करके, डिजिटल बोर्ड सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर ने कंपनी को रणनीतिक शासन जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया। सॉफ्टवेयर ने संगठनात्मक आवश्यकताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए संतुलित कार्यक्षमता, सुरक्षा, प्रयोज्यता और लागत प्रभावशीलता भी सुनिश्चित की। इसने मीटिंग प्रबंधन, दस्तावेज़ साझाकरण, सहयोग और अनुपालन ट्रैकिंग के लिए उपकरणों के साथ मैनुअल, पेपर-आधारित सिस्टम को बदल दिया, जिससे कंपनी अधिक कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से प्रदर्शन करने में सक्षम हुई। जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, डिजिटल-फर्स्ट दुनिया में मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन को बनाए रखने के लिए इन समाधानों को अपनाना तेजी से महत्वपूर्ण होता जाएगा।.

7. लेखापरीक्षा योग्यताएं:

कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वह एक अयोग्य वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर वैधानिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी दी गई हैं।

8. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण:

कार्यात्मक निदेशक अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव रखने के कारण संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के व्यवसाय मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल से भी अवगत होते हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के व्यवसाय मॉडल से पूरी तरह अवगत होते हैं।

9. कंपनी की शेयरधारिता प्रतिरूप

कंपनी के 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के पास है।

10. विसलब्लोअर नीति:

आपकी कंपनी अपने समस्त कारबार गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को संप्रवर्तन करती है। निदेशक मण्डल ने अवैध व अनैतिक व्यवहार की रिपोर्टिंग करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कर्मीगण सक्षम प्राधिकारी को विधियों, नियमों के उल्लंघन, कपट या अनैतिक आचरण की सूचना देने के लिए स्वतंत्र है। किसी कर्मी से प्राप्त सूचनाओं को अनुवीक्षण समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा। प्रबंध-कार्मिक ऐसे सूचनाओं की गोपनीयता के अनुरक्षण करने के लिए प्रतिबद्धित किया गया है और सुनिश्चित करता है कि मुखबिरों को किसी विभेदकारी प्रवृत्तियों के अध्यधीन नहीं रखा गया है।

सत्यनिष्ठा समझौता के क्रियान्वयन के लिए सीआईएल द्वारा किए गए एमओयू के समान आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने 27 मार्च, 2008 को आयोजित अपने 218वीं बैठक में मेसर्स ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया था और उसे कार्यान्वित किया था।

11. अंतरंगी व्यापार नीति:

कोल इंडिया द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2020 को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की संशोधित अंतरंगी व्यापार नीति को संसूचित किया था। इस नीति के अनुसार, कोई भी अंतरंगी कंपनी या अन्य अंतरंगी सहित किसी व्यष्टि को सूचिबद्ध प्रतिभूतियों से संबंधित किसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) की संसूचना या कोई अभिगम की अनुमित नहीं देगा सिवाय जहाँ ऐसी संसूचना की विधिसंगत प्रयोजनों, कर्तव्यों का पालन या विधिक बाध्यताओं के निर्वहन, को अग्रसर करने में है। इसके अलावा, वित्तीय परिणामों की घोषणा के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत से वित्तीय परिणाम घोषित होने

के 48 घंटे बाद तक ट्रेडिंग विंडो को बंद किया जाना है। अतएव, वित्तीय परिणाम घोषित होने के 48 घंटे बाद तक प्रत्येक तिमाही के अंतिम सोमवार से ट्रेडिंग विंडो बंद है। यदि सोमवार को अवकाश होता है, तो यह अगले कार्य दिवस से बंद रहता है। यह कंपनी सचिव द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाता है जिसका सभी पदाभिहित कर्मियों को पालन करना होता है।

सीआईएल ने भी निर्देशित किया कि पदाभिहित व्यक्तियों को वार्षिक आधार पर और जब कभी सूचना परिवर्तित होती है अपने नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन) या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य शनाख्त और पदाभिहित व्यष्टि(यों) के साक्षात् संबंधियों एवं किसी अन्य व्यष्टि(यों) जिनके साथ ऐसे पदाभिहित व्यष्टि(याँ) कंपनी के वित्तीय संबंधी तत्त्वों को सांझा करता(ते) है(हैं) के ब्यौरों को प्रकटित करना आवश्यक हैं। कंपनी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और समय मुहर एवं लेखा सत्यापन की जाँच के साथ सुनियोजित डिजिटल डाटाबेस का अनुरक्षण कर रही है। तदनुसार, कंपनी के सभी पदाभिहित व्यष्टियों ने सीआईएल द्वारा यथा निर्देशित सुसंगत ब्यौरे के साथ-साथ अंतरंगी व्यापार प्लेटफार्म के सीआईएल निवारण में स्वःघोषणा प्रक्रिया को पूर्ण किया है।

12. वर्ष 2024-25 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक प्रत्यक्ष अभिगम से निवारित नहीं किया गया है।

13. पीई सर्वेक्षण के लिए पूर्ण आँकड़ा पत्रक डीपीई को प्रस्तुत करने की तिथि 30.07.2024 थी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को 12 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 15वें भारत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी विजन शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

ECL

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Eastern Coalfields Limited
(कोल इंडिया की एक अनुषंगी)
(A Subsidiary of Coal India Limited)
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)

उपाबंध – ग

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मण्डल
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणी को निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारणा एवं अंगीकरण के लिए एतदद्वारा प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उनके समीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में संबंधित क्षेत्रों/इकाइयों के महाप्रबंधकों और क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों द्वारा दिए गए प्रमाणन के आधार पर, हम, सतीश झा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सीईओ, ईसीएल और मोहम्मद अंजार आलम, निदेशक (वित्त) और सीएफओ, ईसीएल, जो वित्त कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, प्रमाणित करते हैं कि:

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणी का पुनर्विलोकन किया है और हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह है कि :

i. इन विवरणी में कोई तात्त्विक रूप से असत्य विवरण अंतर्विष्ट या किसी तात्त्विक तथ्य का लोप या विवरण जो भ्रामक हो सके अंतर्विष्ट नहीं है;

ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्याकलापों का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

हमारे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार का लेनदेन नहीं की गई जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन हो।

हम वित्तीय रिपोर्ट देने के निमित्त आंतरिक नियंत्रणों को सिद्ध करने एवं बनाए रखने के दायित्व का प्रतिग्रहण करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमलोगों ने संपरीक्षकों और संपरीक्षा समिति के समक्ष ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की परिकल्पना एवं परिचालन में कमियों, यदि कोई हो, को प्रकटित किया है, जिसके लिए वे सजग हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव किया है।

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
सांकतोड़िया, पो०-डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 • Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-713333
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975GO1030295, वेबसाइट/Website : www.easterncoal.nic.in

हमलोगों ने संपरीक्षकों और संपरीक्षा समिति को उपदर्शित किया है कि :

i. वर्ष के दौरान प्रसंगाधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;

ii. वर्षों के दौरान भौतिक लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;

iii. हमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारीवृंद या प्रबंधन की सहभागिता से सार्थक कपट की किसी अवस्था की सूचना नहीं है।

निदेशक (वित्त) व सीएफओ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
डीआईएन -09743117

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
डीआईएन -10299809

दिनांक: 15 अप्रैल, 2025
स्थान: कोलकाता

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
साकतोड़िया, पो०-डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 • Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-713333
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975GO1030295, वेबसाइट/Website : www.easterncoal.nic.in

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO 105 STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5,
BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091
Tel +91 9867771580 • Email raveena@mehta-mehta.com • Visit Us www.mehta-mehta.com

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्य

1. हम मेसर्स मेहता एंड मेहता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि 14.05.2010 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है (जिसे आगे "डीपीई दिशानिर्देश" कहा जाएगा)।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी में डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

4. हमने कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है।

5. हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सीएसएएस-1-ऑडिटिंग मानक ऑन ऑडिट एंग्जमेंट के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की है।

राय

6. प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित के अधीन है:

i. 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और निदेशक मंडल के कुल सदस्यों की संख्या क्रमशः पाँच और आठ थी। कार्यात्मक निदेशकों की संख्या बोर्ड की **वास्तविक क्षमता के 50%** से अधिक थी और डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के पैरा 3.1.2 के अनुसार "कार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या बोर्ड की वास्तविक क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor 49/A Dr Annie Besant Road Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel. +91-22-6611 9696 • E-mail info@mehta-mehta.com • Visit us www.mehta-mehta.com

Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5, BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091

Tel: +91 9867771580 • Email: raveena@mehta-mehta.com • Visit Us: www.mehta-mehta.com

ii. 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के कुल सदस्यों की संख्या क्रमशः एक और आठ थी। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों की एक-तिहाई नहीं थी और कंपनी पर लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के पैरा 3.1.4 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों की कम से कम एक-तिहाई यानी 3 (8 का 1/3) होनी चाहिए।

iii. 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में कुल छह सदस्यों में से एक स्वतंत्र निदेशक है, जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 के पैरा 4.1.1 के अनुसार, "लेखा परीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक सदस्य होंगे। लेखा परीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।"

iv. 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था, जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 5 के पैरा 5.1 के अनुसार, "प्रत्येक सीपीएसई को कम से कम तीन निदेशकों वाली एक पारिश्रमिक समिति का गठन करना होगा, जिनमें से सभी अंशकालिक निदेशक (अर्थात नामित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होने चाहिए।" समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा किया जाना चाहिए।

7. *प्रकटीकरण:*

हम कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

मेहता और मेहता के लिए,
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई विशिष्ट कोड P1996MH007500)

रवीना दुगर अग्रवाल
साथी
एसीएस संख्या: 51836
सीपी संख्या: 26055

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 27.06.2025

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel.: +91-22-6611 9696 • E-mail: info@mehta-mehta.com • Visit us: www.mehta-mehta.com

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5, BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091
Tel: +91 9867771580 • Email: raveena@mehta-mehta.com • Visit Us: www.mehta-mehta.com

फॉर्म एमआर-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार}

सेवा में,

सदस्यगण,

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय,

सांकतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़,

सांकतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़,

पिन – 713333, पश्चिम बंगाल

हमने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस प्रकार किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुकों, दाखिल किए गए फॉर्मों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5, BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091
Tel: +91 9867771580 • Email: raveena@mehta-mehta.com • Visit Us: www.mehta-mehta.com

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(घ) (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel.: +91-22-6611 9696 • E-mail: info@mehta-mehta.com • Visit us: www.mehta-mehta.com

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO 105 STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5,
BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091
Tel +91 9867771580 • Email raveena@mehta-mehta.com • Visit Us www.mehta-mehta.com

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2019, जैसा कि भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी और संशोधित किया गया है ('डीपीई दिशानिर्देश');

(iv) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून अर्थात्:

क) कोयला खान अधिनियम, 1952

ख) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

ग) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004

घ) कोयला खान विनियम, 2017

ङ) मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1956

च) कोयला खान पेंशन योजना, 1998

छ) कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम, 1974

ज) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966

झ) खान क्रेच नियम, 1961

ञ) खान बचाव नियम, 1985

ट) कोयला खदान पिटहेड बाथ नियम, 1946

ठ) मातृत्व लाभ (खान और सर्कस) नियम, 1963

ड) विस्फोटक नियम, 2008

ढ) खनिज रियायत नियम, 2021

ण) कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948

त) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

थ) असंवितरित मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1989

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor 49/A Dr Annie Besant Road Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel. +91-22-6611 9696 • E-mail info@mehta-mehta.com • Visit us www.mehta-mehta.com

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5, BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091
Tel: +91 9867771580 • Email: raveena@mehta-mehta.com • Visit Us: www.mehta-mehta.com

द) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956

ध) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986

न) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016

प) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम

फ) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

ब) सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और उसके अधीन नियम।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय नीचे उल्लिखित सीमा के:

1) ***कंपनी के पास नवंबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी, जैसा कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 149(4) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के तहत आवश्यक है।***

2) ***समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और खंड 4.4 के तहत आवश्यक नवंबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए लेखा परीक्षा समिति के पास स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।***

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में सभी परिवर्तन, उपर्युक्त को छोड़कर, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यक्रम के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत का निर्णय लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवाही के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel.: +91-22-6611 9696 • E-mail: info@mehta-mehta.com • Visit us: www.mehta-mehta.com

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO 105 STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5,
BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091
Tel +91 9867771580 • Email raveena@mehta-mehta.com • Visit Us www.mehta-mehta.com

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में कोई विशेष घटना नहीं हुई, जिसका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा हो।

मेहता एंड मेहता, के लिए
कंपनी सचिवों
(आईसीएसआई विशिष्ट कोड P1996MH007500)

रवीना दुगर अग्रवाल

साझेदार

एसीएस संख्या: 51836

सीपी संख्या: 26055

यूडीआईएन:

पीआर संख्या: 3686/2023

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 27.06.2025

नोट: यह रिपोर्ट हमारे सम संख्या दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जो 'अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor 49/A Dr Annie Besant Road Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel. +91-22-6611 9696 • E-mail info@mehta-mehta.com • Visit us www.mehta-mehta.com

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5,
BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091
Tel. +91 9867771580 • Email : raveena@mehta-mehta.com • Visit Us : www.mehta-mehta.com

उपाबंध - क

सेवा में,

सदस्यगण,

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,

सीएमडी कार्यालय, सैंक्टोरिया,

पोस्ट – दिशेरगढ़,

जिला – पश्चिम बर्धमान,

पिन-713333, पश्चिम बंगाल

समतिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाना चाहिए।

1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2) हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3) हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4) जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5) कॉर्पोरेट कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच केवल परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6) फॉर्म एमआर-3 में हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दायर की गई पुस्तकों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में, उक्त विनियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, उक्त विनियमों के अंतर्गत कंपनी द्वारा

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel. : +91-22-6611 9696 • E-mail : info@mehta-mehta.com • Visit us : www.mehta-mehta.com

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO 105 STREET NO 25, GP BLOCK, SECTOR-5,
BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091
Tel +91 9867771580 • Email raveena@mehta-mehta.com • Visit Us www.mehta-mehta.com

विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष दाखिल किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों के निष्पादन और समयबद्धता की जाँच तक सीमित थी। हमने ऐसे प्रपत्रों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों की विषय-वस्तु की सत्यता और व्यापकता का सत्यापन नहीं किया है।

7) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

मेहता एंड मेहता, के लिए

कंपनी सचिवों

(आईसीएसआई विशिष्ट कोड P1996MH007500)

रवीना दुगर अग्रवाल

साझेदार

एसीएस संख्या: 51836

सीपी संख्या: 26055

यूडीआईएन:

पीआर संख्या: 3686/2023

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 27.06.2025

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor 49/A Dr Annie Besant Road Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel. +91-22-6611 9696 • E-mail info@mehta-mehta.com • Visit us www.mehta-mehta.com

ECL

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Eastern Coalfields Limited
(कोल इंडिया की एक अनुषंगी)
(A Subsidiary of Coal India Limited)
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)

ईसीएल की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट – 2024-25 पर प्रबंधन का उत्तर

क्रम सं.	अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी के पास नवंबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी, जैसा कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 149(4) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के तहत आवश्यक है।	यह एक तथ्यात्मक कथन है। ईसीएल में निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।
2.	समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और खंड 4.4 के तहत आवश्यक नवंबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए लेखा परीक्षा समिति के पास स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।	यह एक तथ्यात्मक कथन है। ईसीएल में निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।

पंजीकृत कार्यालय / Regd. Office
सांकतोड़िया, पो : डिसेरगढ़, जिला : पश्चिम बर्द्धमान (प०बं०), पिन-713333 Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.), PIN-7133
दूरभाष / Phone : 0341-2520545, फैक्स / Fax : 0341-2523574, ई-मेल/E-mail : cmd.ecl.cil@coalindia.in
सीआईएन/CIN : U10101WB1975G01030295, वेबसाइट /Website: www.easterncoal.nic.in

उपाबंध – IX

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(i) उत्पादनों, सेवाओं एवं निर्यात योजनाओं के लिए निर्यात संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात संवृद्धि के लिए परिगृहीत पहलों, नए निर्यात बाजारों का विकास। : कंपनी निर्यात गतिविधियों में लगा हुआ नहीं है।

(ii) प्रयुक्त व अर्जित कुल विदेशी मुद्रा:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिवर्णन	2024-25	2023-24
(क)	**प्रयुक्त विदेशी मुद्रा :**		
	1. आयात का सीआईएफ मूल्य:		
	(a) कच्चा माल	शून्य	शून्य
	(b) संघटक, भण्डार एवं उपकरण	0.09	1.67
	(c) पूँजीगत माल	शून्य	शून्य
	2. यात्रा/प्रशिक्षण व्यय	0.14	0.18
	3. तकनीकी जानकारी पर व्यय और विदेशी सलाहकारी संस्था	शून्य	शून्य
	4. विदेशियों को पेंशन	शून्य	शून्य
	5. अन्य	8.04	7.79
	कुल	**8.27**	**9.64**
(B)	**अर्जित विदेशी मुद्रा**	**शून्य**	**शून्य**

उपाबंध -X

प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

अनुसंधान एवं विकास (आ&डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा आर&डी की गई	:	कंपनी का स्वयं का अनुसंधान व विकास संघटन नहीं है। सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषंगी कोल इंडिया लिमिटेड की समस्त अनुषंगियों के लिए अनुसंधान और विकास कार्य करता है।
2.	उपर्युक्त आर&डी के फलस्वरूप उद्भूत प्रसुविधाएँ	:	लागू नहीं
3.	भविष्यत् कार्ययोजना	:	लागू नहीं
4.	आर&डी पर व्यय	:	लागू नहीं
	(a) पूँजीगत		-
	(b) आवर्ती		-
	(c) कुल		-
	कुल आर&डी व्यय यथा कुल कारबार का प्रतिशत	:	लागू नहीं

तकनीक आमेलन, अनुकूलन एवं नवाचार

1.	तकनीक आमेलन, अनुकूलन एवं नवाचार की दिशा में कृत, संक्षेप में, प्रयास	:	शून्य
2.	उपर्युक्त प्रयासों अर्थात् उत्पादन सुधार, लागत घटत, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन, आदि के फलस्वरूप उद्भूत प्रसुविधाएँ	:	शून्य
3.	आयातित तकनीक (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से संगणित अंतिम 5 वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में, निम्नलिखित संसूचना प्रस्तुत किया जा सकता है :	:	शून्य
	(i) आयातित तकनीक	:	शून्य
	(ii) आयात का वर्ष	:	शून्य
	(iii) क्या तकनीक पूर्णतः आमेलित हो चुकी है?	:	शून्य
	(iv) यदि पूर्णतः आमेलित नहीं हुई है, क्षेत्र जहाँ यह परिगृहीत नहीं हुई है, इसके कारण और भविष्यत् कार्ययोजना	:	शून्य

उपाबंध -XI

स्वतंत्रता की घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान,
पश्चिम बंगाल 713333

विषय: **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के अधीन स्वतंत्रता की घोषणा।**

मैं, शिव नारायण पाण्डेय, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल का एक स्वतंत्र निदेशक हूँ और कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक के समस्त मानदंडों का अनुपालन करता हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि

1. कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव धारण करता हूँ;
2. (i) मैं कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक नहीं हूँ / था;

   (ii) मैं कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक नहीं हूँ / था;

   (iii) ऐसे निदेशक के रूप में पारिश्रमिक या कंपनी, इसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी, या उनके प्रमोटरों, या निदेशकों के साथ पिछले दो वित्तीय वर्षों या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक का लेन-देन होने के अलावा मेरा कोई आर्थिक संबंध नहीं है।
3. ना तो मैं ना ही मेरा कोई रिश्तेदार —

   (i) कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी में पचास लाख रुपए या कंपनी की चुकता पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक अंकित मूल्य की कोई प्रतिभूति या हित धारण किए हुए है, जो तत्काल दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान है;

   (ii) कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों या निदेशकों के प्रति तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 50 लाख रुपये से अधिक का ऋणी है;

   (iii) कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों, या ऐसी होल्डिंग कंपनी के निदेशकों को किसी तीसरे व्यक्ति की ऋणग्रस्तता के संबंध में दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 50 लाख रुपये से अधिक की गारंटी दी है या कोई सुरक्षा प्रदान की है; या

   (iv) कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी के साथ कोई अन्य वित्तीय लेनदेन या संबंध है, जो बिंदु (i), (ii) या (iii) में निर्दिष्ट लेनदेन के साथ अकेले या संयोजन में उसके सकल कारोबार या कुल आय का दो प्रतिशत या उससे अधिक है;]
4. (i) न तो मैं और न ही मेरा कोई रिश्तेदार किसी प्रमुख प्रबंधकीय पद पर है या रहा है, या वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी या इसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी का कर्मचारी है या रहा है।

   (ii) निम्नलिखित वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में कर्मचारी या स्वामी या भागीदार है या रहा है-—

क. कंपनी या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के प्रैक्टिस करने वाले लेखा परीक्षकों या कंपनी सचिवों या लागत लेखा परीक्षकों की एक फर्म; या

ख. कोई भी कानूनी या परामर्शदात्री फर्म जिसका कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के साथ कोई लेनदेन है या था, जो ऐसी फर्म के सकल कारोबार का 10% या उससे अधिक है;

(iii) अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कंपनी की कुल मतदान शक्ति का 2% या उससे अधिक हिस्सा रखता है;

या

(iv) किसी भी गैर-लाभकारी संगठन का मुख्य कार्यकारी या निदेशक, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो कंपनी, उसके किसी प्रमोटर, निदेशक या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी से अपनी प्राप्तियों का 25% या उससे अधिक प्राप्त करता है या जो कंपनी के कुल मतदान या शक्ति का 2% या उससे अधिक रखता है;

5. मेरे पास कोयला उद्योग से संबंधित वित्त, कानून, प्रबंधन, बिक्री और विपणन, प्रशासन, कॉर्पोरेट प्रशासन, तकनीकी संचालन आदि में उपयुक्त कौशल, अनुभव और ज्ञान है।

घोषणा

मैं वचन देता हूँ कि यदि और जहाँ तक मेरा कोई ऐसा संबंध/संव्यवहार, चाहे तात्त्विक हो या अतात्त्विक, मैं बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहूँगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल होता हूँ, मैं ऐसे संबंध/ संव्यवहारों में प्रवेश करने की तिथि से एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए स्थगन करूँगा। इसके अतिरिक्त, मैं एतदद्वारा घोषणा और पुष्ट करता हूँ कि यथा स्वतंत्रता की घोषणा की तिथि पर उपर्युक्त संसूचनाएँ सत्य हैं और मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं इसकी शुद्धता का उत्तरदायित्व लेता हूँ और यदि भविष्य में वही दोषपूर्ण या गलत पाया जाता है कंपनी, इसके निदेशकों पर यदि कोई अधिरोपित जुर्माना के लिए दायी होऊंगा। मैं आगे उसे अद्यतन करने के लिए कंपनी को परिवर्तनों, यदि कोई हो, की तत्काल सूचना देने का भी वचन देता हूँ।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासी,

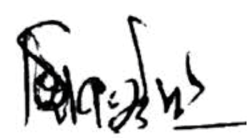

नामः श्री शिव नारायण पांडे

डीआईएनः 09413672

दिनांकः 08.04.2025

स्थानः जगदलपुर

उपाबंध -XII

वर्ष 2024-25 के लिए सहमति ज्ञापन लक्ष्य की प्राप्ति की प्रास्थिति

क्रम सं.	निष्पादन मानदण्ड	मापन की इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	प्राप्ति
1.	परिचालन से राजस्व	₹ करोड़	18,600.00	15,090.54
2.	कोयले का उत्पादन	मि.टन	58.00	52.03
3.	पूँजीगत व्यय	₹ करोड़	1,250.00	1,646.16
4.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	11%	7.48
5.	निवल मालियत पर प्रतिलाभ	%	25%	6.05
6.	आस्ति आवर्त अनुपात	%	99%	83.44
7.	अनुमोदित अधिप्राप्ति योजना के अनुसार GeM से अधिप्राप्ति	%	100%	100%
8.	परिचालन से राजस्व दिवसों की संख्या के रूप में व्यवसाय प्राप्य	दिवस की संख्या	25	25.74
9.	सौर ऊर्जा संयंत्र की कमीशनिंग	मेगावाट	25	0.85
10.	विनिर्दिष्ट समय के भीतर TReDS पोर्टल के माध्यम से माल और सेवाओं के चालान की स्वीकृति / अस्वीकृति	%	100%	100%
11.	अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)	₹.	180.00	47.90

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को

एकल वित्तीय विवरणी पर प्रतिवेदन

राय

हमने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") (इसके पश्चात "ईसीएल") के एकल वित्तीय विवरणी का लेखपरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), तब समाप्त वर्ष के लिए साम्या में परिवर्तनों का विवरणी एवं नकदी प्रवाह विवरणी, और तात्त्विक लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक संसूचना (इसके पश्चात् यथा "एकल वित्तीय विवरणी" संदर्भित) का सारांश सहित समाविष्ट हैं जो (1) उखड़ा क्षेत्रीय कर्मशाला; (2) झांझरा क्षेत्र; (3) केन्दा क्षेत्र; (4) बांकोला क्षेत्र; (5) सोनपुर बजारी क्षेत्र; (6) बराकर इंजीनियरिंग और फाउंड्री वर्क्स; (7) मुगमा क्षेत्रीय कर्मशाला; (8) मुगमा क्षेत्र; (9) सोदपुर केन्द्रीय कर्मशाला; (10) रतिबाटी कर्मशाला; (11) सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र; (12) सोदपुर क्षेत्र; (13) पोनियाटी कर्मशाला; (14) कजोड़ा क्षेत्र; (15) कुनुस्तोड़िया क्षेत्र; (16) एस.पी. माइन्स क्षेत्र; (17) राजमहल क्षेत्र; और (18) पांडवेश्वर क्षेत्र के वित्तीय विवरणियों से समाविष्ट, घटक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए 18 घटकों की विवरणियाँ समाविष्ट हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम संसूचना के अनुसार तथा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के तहत, संलग्न वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अभीष्ट संसूचना अपेक्षित रीति से 31 मार्च, 2025 को यथा कंपनी के कार्यकलाप की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, साम्या में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह सहित उसके लाभ का विवरण प्रदान करता है तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, ("भा.ले.मा.") और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करता है।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों (एसए) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षा किया। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारे प्रतिवेदन के एकल वित्तीय विवरणी अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

विषयों का प्रबलन

विषयों का प्रबलन

1. हम आपका ध्यान वित्तीय विवरण के नोट 6.2.3 की ओर आकर्षित करते हैं, जहां झारखंड राज्य में इनपुट टैक्स क्रेडिट के महत्वपूर्ण संचय के कारण इनपुट सामग्रियों/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित 655.08 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य है, जिसका उपयोग आउटपुट पर जीएसटी के विरुद्ध किया जाएगा।

2. हम आपका ध्यान वित्तीय विवरण के नोट 10.2.1 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार सीईएसएस समकारी खाते के अंतर्गत 2373.41 करोड़ रुपए देयता के रूप में पड़े हैं, क्योंकि कोयला युक्त भूमि पर सीईएसएस का भुगतान पिछले दो वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर किया जाता है, जिसका मूल्यांकन पिछले वर्ष की 31 मार्च को प्रचलित दर पर किया जाता है तथा ग्राहकों से की गई वसूली, पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को कोयले पर प्रचलित बिक्री मूल्य को ध्यान में रखते हुए, कोयले के प्रेषण के मूल्य पर आधारित है।

   इन मामले के संबंध में हमारी राय में कोई उपांतर नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उस पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ
1	**ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व**	
	राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेन-देन मूल्य का निर्धारण, वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए प्रयुक्त आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल होते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में राजस्व मान्यता की सटीकता और कोयला गुणवत्ता भिन्नताओं के लिए समायोजन के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं। किसी विशेष अनुबंध में कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्व संबंधित ग्राहक के लिए ई-नीलामी में बिक्री समझौते / आवंटन पर निर्भर है। हस्तांतरित कोयले के ग्रेड बेमेल / फिसलन के कारण लेनदेन मूल्य में बाद में समायोजन किया जाता है। अनुबंध मूल्य में भिन्नता अगर अनुबंध के पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से तय नहीं की जाती है तो उसे तीसरे पक्ष / रेफरी परीक्षण के लिए भेजा जाता है और कंपनी ऐसे विवाद के निपटान के लंबित राजस्व मान्यता के लिए आवश्यक समायोजन का अनुमान लगाती है। राजस्व में इस तरह के समायोजन ऐतिहासिक प्रवृत्ति के बाद अनुमानित आधार पर किए जाते हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम ग्राहकों से अनुबंधों से प्राप्त राजस्व की मान्यता के बारे में तर्कसंगतता के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. हमने कंपनी की राजस्व मान्यता और प्रक्रिया में अनुमानित समायोजन की उपयुक्तता के संबंध में IND AS 115 के प्रावधानों के अनुप्रयोग का मूल्यांकन किया है। 2. हमने नमूना आधार पर लेनदेन का चयन किया है और अनुबंध की शर्तों के संबंध में ग्रेड बेमेल/फिसलन से संबंधित विवादों वाले अनुबंधों की पहचान, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का मूल्यांकन, लेनदेन मूल्य में भिन्नता के कारण राजस्व में समायोजन की जांच के लिए परीक्षण किया है। 3. हमने प्रतिफल के आकलन का आधार स्थापित करने के लिए परीक्षण किए हैं तथा यह भी पता लगाया है कि क्या ऐसे अनुमान कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं। 4. हमने प्रासंगिक एफएसए और इस संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुमानित प्रदर्शन प्रोत्साहन और मुआवजे की गणना की जांच की है। *नमूना जाँच के आधार पर की गई उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि बिल रहित राजस्व की पहचान के लिए लागू प्रबंधन का अनुमान और निर्णय सीआईएल के निर्देशों और एफएसए के अनुरूप है, जिसे प्रबंधन द्वारा परिस्थितियों के लिए उपयुक्त माना गया है और उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। बिल रहित राजस्व की अनुमानित राशि बदली हुई परिस्थितियों में भिन्न हो सकती है।*
2	**कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ दायित्व का मूल्यांकन**	
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए लेखांकन एक्चुरियल मान्यताओं पर आधारित है, जिसके लिए दायित्व को मापना, नियोजित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना और संबंधित एक्चुरियल लाभ या हानि की गणना करना आवश्यक है। दायित्व पर पहुंचने के लिए सभी भावी नकदी प्रवाह को वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन के बारे में तर्कसंगतता के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं: a) लागू मार्गदर्शन नोट के अनुसार लागू प्रमुख मान्यताओं (छूट दरें, मुद्रास्फीति दर, मृत्यु दर) का मूल्यांकन किया गया।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ
	कंपनी के परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन करने में छूट दरों, मुद्रास्फीति दरों, वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सहित महत्वपूर्ण अनुमान लगाए जाते हैं। कंपनी उचित मान्यताओं का चयन करने और दायित्वों की गणना करने में उनकी सहायता के लिए बाहरी एक्चुरियल विशेषज्ञ को नियुक्त करती है। इन मामलों का प्रभाव जोखिम मूल्यांकन का एक हिस्सा है और परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन उच्च स्तर का अनुमान है क्योंकि यह मान्यताओं पर आधारित है। [वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स के नोट 16 (3) को देखें]	1. कंपनी के एक्चुरियल विशेषज्ञ की क्षमता, स्वतंत्रता और ईमानदारी का मूल्यांकन किया गया। 2. एक्चुरियल मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन पर नियंत्रण, बाहरी एक्चुअरी को प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता, और विशेषज्ञ की गणना में उपयोग किए गए डेटा के सामंजस्य का परीक्षण किया गया। 3. परिभाषित लाभ योजना के कारण उपार्जित देयता के बारे में प्रबंधन के साथ चर्चा की गई तथा व्यवसाय को समझा गया तथा यह मूल्यांकन किया गया कि क्या मान्यताओं में कोई असंगति थी। 4. नोटों में IND AS 19 के अनुसार कंपनी प्रकटीकरण की पर्याप्तता सत्यापित की गई है। शामिल ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाएँ उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा समर्थित थीं। *उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन के बारे में अनुमान पर्याप्त और उचित माना गया है।*
3	**प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन**	
	कंपनी विभिन्न मंचों पर विवादित कराधान, खनन, स्थानीय, राज्य शुल्क से संबंधित मामलों में अनिश्चित स्थिति में है, जिसमें समाधान के लिए शामिल समय अवधि और वित्तीय विवरणों पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के खुलासे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स के नोट संख्या 16 (4) में प्रस्तुत किए गए हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का आकलन जटिल मान्यताओं पर आधारित है। इसमें प्रावधान के स्तर को स्थापित करने के लिए प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है, जिससे यह जोखिम बढ़ जाता है कि प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों के लिए उचित रूप से प्रावधान नहीं किया जा सकता है या उनका पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, इस मामले को एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामला माना जाता है।	मुकदमेबाजी और आकस्मिक देनदारियों की पर्याप्त समझ प्राप्त करने के लिए, हमने कंपनी के कानूनी और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से ऐसे प्रावधानों के लिए प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित की गई पहचान की प्रक्रिया पर चर्चा की है। हमने कंपनी की कानूनी और वित्त टीम द्वारा प्रदान किए गए मुकदमेबाजी मामलों का सारांश पढ़ा। हमने, जहां लागू हो, कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी या नियामक सलाह पढ़ी। हमने कंपनी की कानूनी और वित्त टीम के साथ रिपोर्ट में उल्लेखित कुछ महत्वपूर्ण मामलों के बारे में चर्चा की ताकि किसी भी देयता की संभावना, परिमाण और लेखांकन के बारे में कंपनी का आकलन निर्धारित किया जा सके। उपरोक्त के आलोक में, हमने आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गई राशि की समीक्षा की और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया। *उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों के मूल्यांकन के बारे में अनुमान पर्याप्त और उचित रहा है।*

वित्तीय विवरणी से भिन्न संसूचना एवं उसपर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य संसूचनाओं की निर्मिति के लिए उत्तरदायी है। अन्य संसूचनाओं में निदेशकगण का प्रतिवेदन, निगमित सामाजित दायित्व प्रतिवेदन, अनुसंधान व विकास और निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन तथा प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन के प्रतिवेदन के उपाबंधों सहित निदेशकगणों

के प्रतिवदेन में सम्मिलित संसूचनाएँ समाविष्ट होती है। जब हमें निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन के साथ उपाबंधों, सीएसआर प्रतिवेदन, अनुसंधान व विकास और निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन तथा प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन सहति निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाती है और हम इसे पढ़ते हैं, यदि हम यह निश्चित करते हैं कि इसमें कोई तत्व अयथार्थ कथन है, तो हमें इस विषय को सुशासन के भारितों तक संसूचित करना आवश्यक है और प्रवृत्त विधियों एवं विनियमों में लागू कार्रवाइयों का वर्णन करना होगा।

वित्तीय विवरणी पर हमारी राय में अन्य संसूचना समाविष्ट नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे। वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संसंग में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर पहचानी गई अन्य संसूचना को पढ़ने की है जब यह उपलब्ध हो जाती है और, ऐसा करने में, इस बात पर विचार करतें हैं कि क्या अन्य संसूचना वित्तीय विवरणी के साथ तत्वतः असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी संसूचना या अन्यथा तत्वतः मिथ्या कथन करती प्रतीत होती है।

प्रबंधन के दायित्वों और एकल वित्तीय विवरणियों के लिए सुशासन के साथ प्रभारित

कंपनी का निदेशक मण्डल इन एकल वित्तीय विवरणियों की निर्मिति से संबंधित कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 134(5) में विवरणित विषयों के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (भा.ले.मा.) सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय निष्पादन, वित्तीय स्थिति का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों की संरक्षा के लिए और कपट एवं अन्य विसंगतियों की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए तथा समुचित लेखांकन नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग; निर्णयों या अनुमानों जो युक्तियुक्त और प्रज्ञायुक्त हो लेने या लगाने; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखांकन अभिलेखों की निश्चितता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशीलता से परिचालित किया जा रहा था, वित्तीय विवरणियों जो सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करता है और तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त है, चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के निर्मिति एवं प्रस्तुतिकरण को सुसंगत करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण भी समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणी निर्मिति में, प्रबंधन यथा चालू समुत्थान रखने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, चालू समुत्थान, यथा लागू हो, संबंधित विषयों को प्रकटन करने और लेखांकन के चालू समुत्थान आधारित उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि निदेशक मंडल या तो कंपनी को परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा के लिए लेखपरीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणी तात्त्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन जिसमें हमारी राय समाविष्ट है निर्गत करना है। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह प्रत्याभूत नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा सदैव तात्त्विक अयथार्थ कथन जब वह विद्यमान हो का पता लगाएगा। अयथार्थ कथन कपट या त्रुटि से उद्भूत हो सकते हैं और उन्हें तात्त्विक प्रतिफलित किया जाता है यदि, व्यष्टि रूप से या समग्र रूप से, इन एकल वित्तीय विवरणियों के आधार पर परिगृहीत उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है।

अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग रूप में, हम वृत्तिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम :

1. एकल वित्तीय विवरणी के तात्त्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों को भी परिलक्षित और उनका मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे कपट या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित और निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले एक तात्त्विक अयथार्थ कथन को परिलक्षित नहीं करने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि कपट में दुस्संधि, कूटरचना, साशय चूक, दुर्व्यपदेशन, या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोही समाविष्ट हो सकता है।

2. उन परिस्थितियों में संगत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ भी प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

3. प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा कृत लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्क संगति का भी मूल्यांकन करते हैं।

4. लेखांकन के चालू समुत्थान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई तात्त्विक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक तात्त्विक अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में एकल वित्तीय विवरणी में या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को उपांतरित करने के लिए संबंधित प्रकटन पर ध्यानाकर्षित किया जाना अपेक्षित है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तदापि, भविष्यत् घटनाएँ या दशाएँ कंपनी को यथा चालू समुत्थान जारी रखने में अवरोध का कारण बन सकती है।

5. प्रकटनें सहित एकल वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन भी करते हैं, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

एकल वित्तीय विवरणी में तात्त्विकता अयथार्थ कथनों का परिमाण है, जो व्यष्टि रूप से या संकलित में, यह अधिसंभाव्य है कि एकल वित्तीय विवरणी के युक्तियुक्त रूप से सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य की परिधि की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) एकल वित्तीय विवरणी में किसी भी परिलक्षित अयथार्थ कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक तात्त्विकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित परिधि और समय-सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियाँ जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान परिलक्षित करते हैं सहित, के बारे में सुशासन के भारितों को संसूचित करते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर सुशासन भारिता है कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन समस्त संबंधों और अन्य विषयों जो हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त विचार कर सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबद्ध संरक्षा पर उनके साथ संवाद करना है।

सुशासन से भारित लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के कंपनी के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारे प्रतिवेदन में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हितलाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य विषय

1. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 18 घटकों के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया, जिनके वार्षिक वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2025 तक 10110.32 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति और 14048.78 करोड़ रुपये की कुल आय और उस वर्ष के लिए 899.35 करोड़ रुपये का कर से पहले शुद्ध घाटा दर्शाया गया है, जैसा कि साथ के वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें दी गई है और जहां तक इन घटकों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर आधारित है। शाखा लेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

2. ग्राहकों, विक्रेताओं से शेष राशि की पुष्टि और तुलन-पत्र की तिथि में दर्शाई गई शेष राशि के लिए कुछ अग्रिम प्रक्रियाधीन हैं।

3. नियंत्रक कंपनी (कोल इंडिया लिमिटेड) द्वारा एचईएमएम उपस्करों के उपयोगी जीवन काल का तकनीकी मूल्यांकन आवधिक आधार पर किया जाता है।

4. कंपनी एमएसएमई लेनदारों को बकाया राशि की पहचान करने के लिए लेनदारों की एमएसएमई स्थिति को जानने के लिए एसएपी का उपयोग करती है, जो 31.03.2025 तक 4.83 करोड़ रुपये थी।

5. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 77 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक सावधि जमा के विरुद्ध प्राप्त ओवरड्राफ्ट ऋण स्वीकृति के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के साथ प्रभार नहीं बनाया है।

6. कंपनी ने 385.27 करोड़ रुपये का विवादित ग्राहक शेष पहचाना है, जिसमें से वित्तीय विवरण में 286.44 करोड़ रुपये की ऋण हानि क्षति दर्शाई गई है।

7. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट कंपनी के पिछले वैधानिक ऑडिटर रॉय घोष एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था, जिन्होंने 20 अप्रैल 2024 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।

उपर्युक्त “अन्य विषय” के संबंध में हमारी राय में कोई उपांतर नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. यथा अधिनियम की धारा 143(11) के निबंधनों में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा निर्गत कंपनी (लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 (“आदेश”) द्वारा अपेक्षित है, हम “उपाबंध क” में, आदेश के पैरा 3 एवं 4 में, विनिर्दिष्टि विषयों पर लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के लिए लागू सीमा तक एक विवरणी प्रदान करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यक रूप से, हम "अनुलग्नक बी" में, लेखापरीक्षा की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/अतिरिक्त निर्देशों पर एक विवरण देते हैं।

3. यथा अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

   अ. हमने सभी संसूचना और स्पष्टीकरण की ईप्सा किए हैं और उसे प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए उपर्युक्त पैराग्राफ “विषयों का प्रबलन” के साथ पठित उपरिकथित एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

   आ. हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणियों की निर्मिति से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित बहिखातें कंपनी द्वारा अब तक रखी गई हैं, जहाँ तक उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रकट होता है।

   इ. शाखा / क्षेत्र लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अधीन लेखापरीक्षित कंपनी की शाखा कार्यालयों के लेखा पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित की गई है और इस प्रतिवेदन को निर्मिति करने में हमारे द्वारा समुचित बरता गया है।

   ई. तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ-हानि विवरणी, नकदी प्रवाह विवरणी तथा इस प्रतिवेदन द्वारा निपटारित साम्या में परिवर्तन विवरणी, जिसमें शाखाओं / क्षेत्र लाखपरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित क्षेत्रों के विवरण सम्मिलित है, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   उ. हमारी राय में, हमारे पास कोई संप्रेक्षण नहीं है जिससे कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

   ऊ. हमारी जांच और प्रबंधन से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ जारी प्रासंगिक नियम का अनुपालन करते हैं.

ऋ. कारपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकगणों की निरर्हता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2), सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

ऌ. हमारे पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ऍ. कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ग" में हमारे पृथक प्रतिवेदन का संदर्भ लें। हमारा प्रतिवेदन कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अनुपांतरित राय अभिव्यक्त करती है।

ऐ. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया जाता है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ए. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समाविष्ट किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम संसूचना के अनुसार और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार :

अ) कंपनी ने एकल वित्तीय विवरणी के अतिरिक्त टिप्पणी 16(4) ए1 के अंतर्गत अपने लंबित मुकदमों का प्रकटन किया है। इन मुकदमों का प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित किए जाने/निपटाए जाने पर प्रभावी होगा।

आ) कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं, यदि कोई हो, तो दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानीय हानियों के लिए और कंपनी के पास कोई व्युत्पन्नी संविदा नहीं था।

इ) प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

ई) i) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, यह सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के रूप में है, कोई भी निधियों को अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या किसी अन्य स्रोत या निधियों के किसी प्रकार से) कंपनी को या किसी अन्य व्यष्टि या संस्था(ओं) में, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यवर्ती") समाविष्ट है, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यवर्ती, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

ii) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, यह सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के रूप में है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("निधियन पक्षकारों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था(ओं) से कोई निधि (जो व्यष्टि रूप से या कुल मिलाकर तात्त्विक है) प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधियन पक्षकारों ("अंतिम लाभार्थी") या की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

iii) ऐसे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में युक्तियुक्त और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (इ) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, यथा उपर्युक्त (अ) और (आ) के अधीन उपबंधित, इसमें कोई भी तात्त्विक अयथार्थ कथन है।

उ) कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के अनुपालन में लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जैसा कि संशोधित किया गया है और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और नमूना आधार पर हमारी परीक्षा के आधार पर, यह देखा गया था कि सॉफ्टवेयर में दर्ज महत्वपूर्ण और प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष इसका संचालन किया गया है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा सत्यापन में छेड़छाड़ की कोई घटना सूचित नहीं की गई थी।

के ए एस जी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 002228C

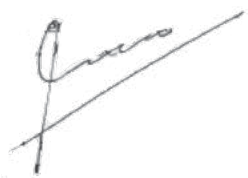

सीए. केशव कुमार हरोदिया
साझेदार
सदस्यता सं. 034751
यूडीआईएन: 25034751BMLZPX3446

दिनांक: 15 अप्रैल 2025
स्थान: कोलकाता

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणी पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का उपाबंध 'क'

[हमारे प्रतिवेदन के "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकता पर प्रतिवेदन" के अधीन के पैरा 1 में संदर्भित]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के संदर्भ में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरणी

1. क) (A) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। हालाँकि, कुछ परिसंपत्तियों की स्थिति/स्थान उपलब्ध नहीं है।

   (B) कंपनी अमूर्त आस्तियों के पूर्ण विशिष्टयों को दर्शित करते हुए उचित अभिलेखें अनुरक्षित रख रही है;

   ख) वर्ष के दौरान, संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों को सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई तात्त्विक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

   ग) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और एकल वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, वही कंपनी के नाम पर तुलन-पत्र की तिथि को आयोजित किए जाते हैं, निम्नलिखित को छोड़कर जहाँ शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

संपत्ति का अभिवर्णन	सकल वहनीय मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर	या तो संप्रवर्तक, निदेशक या उनके संबंधी या कर्मी	आयोजित अवधि - जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	अभ्युक्ति
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	नहीं	अनुपलब्ध	जैसा कि हमें बताया गया है, भूमि का अधिग्रहण कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में किया गया था, इसलिए इसे संबंधित भूमि के लिए अलग से स्वामित्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। 720.00 हेक्टेयर भूमि के संबंध में दस्तावेजों/विलेखों के संकलन एवं पुनःमिलान का कार्य अभी भी प्रक्रियाधीन है।

ईसीएल से संबंधित भूमि की नामांतरण स्थिति इस प्रकार है:

कंपनी का नाम	नामांतरण के लिए उपयुक्त कुल भूमि (हेक्टेयर में)	31.03.2025 को नामांतरण पहले ही किया जा चुका है।	31.03.2025 को नामांतरण प्रक्रियाधीन है
ईसीएल	22819.43	9729.37	13090.06

   घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(i)(d) के तहत प्रतिवेदित कंपनी पर लागू नहीं होती है; और

   ङ) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के खिलाफ लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (i) (उ) के तहत प्रतिवेदित कंपनी पर लागू नहीं होती है।

2. क) कंपनी की वस्तुसूचियों को उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसकी सूची की प्रकृति के संबंध में उपयुक्त है। वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां वस्तुसूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक नहीं थीं और खाते की बहियों में ठीक से निपटाया गया है; और

ख) कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों यानी सावधि जमा की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से 1500.00 करोड़ रुपये का असुरक्षित कार्यशील पूंजी ऋण और 854.52 करोड़ रुपये की ओवरड्राफ्ट सीमा मंजूर की गई है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, स्टॉक स्टेटमेंट, बुक डेट स्टेटमेंट, देनदारों के एजिंग एनालिसिस पर स्टेटमेंट और अन्य निर्धारित वित्तीय जानकारी वाले तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा के रूप में पेश किए गए सावधि जमा का विवरण स्वीकृति पत्र के मुखपृष्ठ पर उल्लिखित किया गया था।

3. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को किसी भी सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, गारंटी या सुरक्षा के बिना कोई निवेश नहीं किया गया है या ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया गया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (iii) (a) से 3 (iii) (f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार अन्य कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में कोई ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी नहीं दी है, या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) लागू नहीं होता है।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आने वाली जनता से कोई जमा या जमा मानी जाने वाली कोई राशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

6. हमने कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खाता बही की व्यापक समीक्षा की है, जिस पर उक्त नियम लागू होते हैं और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित रिकॉर्ड बनाए गए हैं। हालाँकि, हमने उक्त रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है।

7. हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की पुस्तकों की हमारी परीक्षा के आधार पर:

क) वर्ष के दौरान, कंपनी आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें माल और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य कोई भी वैधानिक बकाया शामिल है, सिवाय जीएसटी आरसीएम देयता 29,54,693 रुपये को छोड़कर, जैसा कि जीएसटीआर 2बी में दिखाया गया है, जिसका भुगतान आज तक नहीं किया गया क्योंकि कंपनी द्वारा देयता की वास्तविकता अभी तक स्थापित नहीं की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इनके संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है जो 31 मार्च, 2025 तक बकाया थी, जो कि देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए है।

ख) उपर्युक्त उपखंड 7 (क) में निर्दिष्ट सांविधिक देयताओं का विवरण, जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, **उपबंध I** में दिया गया है।

8. हमारी राय में और हमें प्रदत्त संसूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, हमें न तो ऐसे लेनदेन के बारे में सूचित किया गया है जो पहले लेखा की बहियों में दर्ज नहीं किए गए थे और जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकटन किया गया है, 1961 और तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 (viii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

9. हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर,

    क. कंपनी ने बैंकों को ऋण की अदायगी में कोई चूक नहीं की है।

    ख. कंपनी ने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया है।

    ग. ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

    घ. कंपनी ने दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक आधार के लिए जुटाई गई निधियों का उपयोग नहीं किया है।

    ङ. कंपनी ने अपने सहयोगियों, सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के खाते के लिए या दायित्वों का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई पैसा नहीं उठाया है।

    च. कंपनी ने अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं उठाया है।

10. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के खाते की पुस्तकों की हमारी परीक्षा के आधार पर:

    क) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है; और

    ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (आंशिक रूप से, पूरी तरह से, या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

11. क) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षण प्रथाओं के अनुसार किए गए कंपनी की लेखा-बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें न तो कंपनी द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी का कोई उदाहरण मिला है या कंपनी ने वर्ष के दौरान ध्यान दिया या रिपोर्ट किया है, न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है। तथापि, प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष के दौरान 5633 कोयला चोरी के मामलों में 26754.68 टन कोयले की बरामदगी की सूचना दी है।

    ख) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई प्रतिवेदन कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक दायर नहीं की गई है; और

    ग) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की लेखा बहियों की जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई सूचना प्रदाता शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (xi) (c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

12. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और तदनुसार निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3(xii) (ए, बी और सी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

13. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन, जहां भी लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के अनुपालन में हैं और ऐसे लेन-देनों का विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

14. कंपनी ने कंपनी के आंतरिक ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को नियुक्त किया है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आंतरिक ऑडिट प्रणाली इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है। हमने अपने ऑडिट के दौरान, कंपनी को वर्ष के दौरान और आज तक जारी किए गए ऑडिट की अवधि के लिए आंतरिक ऑडिटर की रिपोर्टों पर विचार किया है ताकि SA 610 "आंतरिक ऑडिटर के काम का उपयोग करना" में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया जा सके।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xv) लागू नहीं होता।

16. क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

    ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत आवश्यक पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

    ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)c के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है; और

    घ) हमारी राय में और प्रबंधन से हमें प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

17. लेखा पुस्तकों की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष के साथ-साथ तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भी कोई नकद हानि नहीं हुई है।

18. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

19. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा नोट 16 (2) [बी] में प्रबंधन द्वारा प्रकट किए गए वित्तीय अनुपात, तरलता जोखिम की सीमा, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियां, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान देनदारियों को बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

20. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अधिनियम की धारा 135 के तहत परिकल्पित चल रही परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के कारण कोई भी राशि खर्च नहीं हुई थी और इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 (xx) (a) और (b) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

21. आदेश के पैराग्राफ 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है।

K A S G एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002228C

सीए. केशव कुमार हरोदिया
साझेदार
सदस्यता सं. 034751
यूडीआईएन: 25034751BMLZPX3446

दिनांक: 15 अप्रैल 2025
स्थान: कोलकाता

क्रम संख्या	क्षेत्र	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	न्यायालय/श्रम आयुक्त/ मध्यस्थता पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध राशि करोड़ में
1	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 1993-94	CIT(A), Asansol	3.91	3.69
2	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2010-11	CIT(A), Asansol	0.18	-
3	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2010-11	AO, Asansol	0.61	-
4	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2011-12	CIT(A), Asansol	0.07	0.08
5	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2011-12	AO, Asansol	1.01	-
6	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2011-12	CIT(A), Asansol	54.50	-
7	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2012-13	CIT(A), Asansol	0.05	0.03
8	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2012-13	CIT(A), Asansol	1.48	-
9	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2014-15	CIT(A), Asansol	221.63	220.36
10	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2013-14	CIT(A), Asansol	221.92	226.90
11	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2015-16	CIT(A), Asansol	171.62	2.92
12	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2017-18	CIT(A), Asansol	218.23	218.23
13	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2016-17	CIT(A), Asansol	32.65	-
14	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2018-19	CIT(A), Asansol	120.16	84.36
15	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2020-21	AO, Asansol	0.11	-
16	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2021-22	CIT(A), Asansol	62.81	62.81
17	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2022-23	CIT(A), Asansol	8.94	-
18	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2024-25	CIT(A)	122.76	
19	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2020-21	CIT(A)	0.07	
20	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	ए.वाई. 2023-24	CIT(A)	53.80	

क्रम संख्या	क्षेत्र	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	न्यायालय/श्रम आयुक्त/ मध्यस्थता पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध राशि करोड़ में
21	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	AY 2018-19	Appeal yet to be filed	13.23	
22	मुख्यालय	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर टीडीएस	ए.वाई.2008-09 से ए.वाई. 2025-26	टीडीएस सीपीसी	0.03	
23	मुख्यालय	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	अप्रैल 2014 से मार्च 2016 तक	सीसीई, बोलपुर	0.58	0.02
24	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 1997-98	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	142.03	
25	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष1998-99	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	51.61	
26	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 1999-00	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	18.36	
27	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष2000-01	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	79.81	
28	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2001-02	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	14.34	
29	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष2002-03	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	13.39	
30	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2003-04	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	13.30	
31	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष2004-05	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	6.60	
32	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2005-06	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	10.22	
33	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2007-08	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	13.93	
34	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2008-09	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	14.33	
35	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2009-10	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	13.73	

क्रम संख्या	क्षेत्र	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	न्यायालय/श्रम आयुक्त/ मध्यस्थता पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध राशि करोड़ में
36	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2010-11	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	15.39	
37	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2011-12	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	25.75	
38	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2012-13	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	17.28	
39	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 1997-98	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	27.04	
40	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 1998-99	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	53.10	
41	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 1999-00	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	26.27	
42	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2000-01	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	3.56	
43	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2001-02	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	3.59	
44	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2002-03	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	3.35	
45	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2003-04	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	3.33	
46	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2004-05	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	1.65	
47	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2005-06	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	2.56	
48	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2007-08	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	3.48	
49	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2008-09	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	3.58	

क्रम संख्या	क्षेत्र	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	न्यायालय/श्रम आयुक्त/ मध्यस्थता पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध राशि करोड़ में
50	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2009-10	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	3.43	
51	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2010-11	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	3.85	
52	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2011-12	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	6.44	
53	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2012-13	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	4.32	
54	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2013-14	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	23.06	
55	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2013-14	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	5.76	
56	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2014-15	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	18.67	
57	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2014-15	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	4.67	
58	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2015-16	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	17.07	
59	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2015-16	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	4.27	
60	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2016-17	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	15.48	
61	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2016-17	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	3.87	
62	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2017-18	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	12.45	
63	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2017-18	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	3.11	

क्रम संख्या	क्षेत्र	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	न्यायालय/श्रम आयुक्त/ मध्यस्थता पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध राशि करोड़ में
64	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2018-19	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	11.57	
65	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2018-19	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	2.89	
66	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2019-20	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	10.89	
67	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2019-20	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	2.72	
68	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	डब्ल्यूबी वैट	वित्तीय वर्ष 2012-13	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण	8.17	
69	मुख्यालय	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2012-13	उच्च न्यायालय, कोलकाता	4.49	
70	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	डब्ल्यूबी वैट	वित्तीय वर्ष 2013-14	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण	7.20	
71	मुख्यालय	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2013-14	उच्च न्यायालय, कोलकाता	3.27	1.52
72	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	डब्ल्यूबी वैट	वित्तीय वर्ष 2016-17	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपीलीय और पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	0.53	-
73	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	डब्ल्यूबी वैट	वित्तीय वर्ष 2017-18	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपीलीय और पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	0.57	0.09
74	मुख्यालय	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2017-18	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपीलीय और पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	0.61	0.20
75	मुख्यालय	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएसटी	2018-19	अपील आयुक्त, सिलीगुड़ी	16.63	0.83
76	मुख्यालय	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएसटी	2017-18 से 2021-22	अपील आयुक्त, सिलीगुड़ी	93.34	4.67
77	मुख्यालय	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएसटी	2017-18 से 2020-21	अपील अभी दायर की जानी है	0.01	-
78	मुख्यालय	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएसटी	2017-18	अपील अभी दायर की जानी है	116.25	-
79	मुख्यालय	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएसटी	2017-18 से 2020-21	अपील अभी दायर की जानी है	6.26	0.20
80	मुख्यालय	जीएसटी अधिनियम 2017	जीएसटी	2017-18 से 2020-21	अपील अभी दायर की जानी है	0.46	0.01
81	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2020-21	वाणिज्यिक कर, आसनसोल सर्कल, आसनसोल	8.49	-

क्रम संख्या	क्षेत्र	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	न्यायालय/श्रम आयुक्त/ मध्यस्थता पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध राशि करोड़ में
82	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2020-21	वाणिज्यिक कर, आसनसोल सर्कल, आसनसोल	2.12	-
83	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2021-22	वाणिज्यिक कर, आसनसोल सर्कल, आसनसोल	3.00	-
84	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2021-22	वाणिज्यिक कर, आसनसोल सर्कल, आसनसोल	0.75	-
85	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	वित्तीय वर्ष 2022-23	वाणिज्यिक कर, आसनसोल सर्कल, आसनसोल	18.77	-
86	मुख्यालय	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	वित्तीय वर्ष 2022-23	वाणिज्यिक कर, आसनसोल सर्कल, आसनसोल	4.69	-
87	मग-ए	झारखंड वैट अधिनियम	वीएटी	2011-12	जे.सी.सी.टी. (अपील) धनबाद	0.07	0.01
88	मग-ए	झारखंड वैट अधिनियम	वीएटी	2011-12	जे.सी.सी.टी. (अपील) धनबाद	0.53	0.22
89	मग-ए	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2011-12	जे.सी.सी.टी. (अपील) धनबाद	0.05	0.01
90	मग-ए	झारखंड वैट अधिनियम	वीएटी	2012-13	जे.सी.सी.टी. (अपील) धनबाद	1.30	0.41
91	मग-ए	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2012-13	जे.सी.सी.टी. (अपील) धनबाद	1.85	0.49
92	मग-ए	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2013-14	जे.सी.सी.टी. (अपील) धनबाद	0.27	0.05
93	मग-ए	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2014-15	डीसीसीटी, चिरकुंडा सर्कल	0.80	0.16
94	मग-ए	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2016-17	जे.सी.सी.टी. (अपील) धनबाद	1.94	0.39
95	मग-ए	झारखंड वैट अधिनियम	वीएटी	2017-18	जे.सी.सी.टी. (अपील) धनबाद	0.86	0.09
96	मग-ए	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2017-18	जे.सी.सी.टी. (अपील) धनबाद	0.08	0.01
97	एसपीएम	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	अप्रैल'86	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	0.08	
98	एसपीएम	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	फ़रवरी'91	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	0.14	
99	एसपीएम	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	अप्रैल'94	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	1.66	

क्रम संख्या	क्षेत्र	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	न्यायालय/श्रम आयुक्त/ मध्यस्थता पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध राशि करोड़ में
100	एसपीएम	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	मार्च'96	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	3.95	
101	एसपीएम	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	सितम्बर'03	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	0.09	
102	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	1989-90	1) ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया 2) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	0.17	
103	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	1989-90	1) ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया 2) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	1.74	
104	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	1990-91	1) ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया 2) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	0.2	
105	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	1990-91	1) ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया 2) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	2.89	2.13
106	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	1991-92	1) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	0.03	
107	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	1991-92	1) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	1.55	1.55
108	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	1992-93	1) ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया 2) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	0.02	
109	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	1992-93	1) ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया 2) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	1.8	
110	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	1992-93	कोलकाता उच्च न्यायालय	1.79	1.79

क्रम संख्या	क्षेत्र	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	न्यायालय/श्रम आयुक्त/ मध्यस्थता पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध राशि करोड़ में
111	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	1993-94	1) ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया 2) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	0.62	
112	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	1993-94	1) ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया 2) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	2.42	
113	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	1993-94	कोलकाता उच्च न्यायालय	1.86	1.86
114	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	1994-95	1) ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया 2) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	0.06	
115	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	1994-95	1) ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया 2) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता से स्थगन प्राप्त किया	2.61	
116	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	1994-95	कोलकाता उच्च न्यायालय	1.68	1.68
117	एसपीएम	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	24.09.03 से 31.12.05 तक	माननीय उच्च न्यायालय, रांची - स्थगन के अधीन	0.17	
118	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	1997-98	एसीसीटी, देवघर	0.39	
119	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	1998-99	एसीसीटी, देवघर	0.13	
120	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	1999-00	एसीसीटी, देवघर	0.12	
121	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	1999-00	एसीसीटी, देवघर	0.04	
122	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2000-01	जे.सी.सी.टी., दुमका द्वारा स्थगन प्रदान किया गया	0.13	
123	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	2000-01	जे.सी.सी.टी., दुमका द्वारा स्थगन प्रदान किया गया	0.01	
124	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	2001-02	एसीसीटी, देवघर	0.03	
125	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2001-02	एसीसीटी, देवघर	0.19	

क्रम संख्या	क्षेत्र	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	न्यायालय/श्रम आयुक्त/ मध्यस्थता पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध राशि करोड़ में
126	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	2002-03	ट्रिब्यूनल कोर्ट, रांची	0.23	
127	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2002-03	ट्रिब्यूनल कोर्ट, रांची	1.39	
128	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	2003-04	जेसीसीटी (अपील), दुमका द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए रिमांड पर लिया गया	1.31	
129	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2003-04	जेसीसीटी (अपील), दुमका द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए रिमांड पर लिया गया	5.76	
130	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	2004-05	वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची	0.44	
131	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2004-05	वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची	0.77	
132	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	2006-07	वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची	0.09	
133	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2006-07	वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची	4.33	
134	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2007-08	वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची	3.02	
135	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	2007-08	वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची	0.39	
136	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2011-12	डीसीसीटी, देवघर	2.76	
137	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2012-13	डीसीसीटी, देवघर	0.59	
138	एसपीएम	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	जेवीएटी	2012-13	डीसीसीटी, देवघर	0.32	
139	एसपीएम	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	सितम्बर'03	डीसी, देवघर	0.75	
140	एसपीएम	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	2005-06	डीसी, देवघर	0.01	
141	एसपीएम	झारखंड वनोपज (अभिवहन एवं विनियमन) नियम, 2020	वन उपज पारगमन शुल्क	01.10.2020 से	उच्च न्यायालय, रांची	1.14	
142	एसपीएम	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2017-18	डीसीसीटी, देवघर	0.27	
143	राजमहल	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क और सेवा कर	2013-14 से 2015-16	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील), रांची	0.61	0.02
144	राजमहल	एमएमडीआर अधिनियम	रॉयल्टी	1998-98	माननीय उच्च न्यायालय, रांची	41.86	

क्रम संख्या	क्षेत्र	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	न्यायालय/श्रम आयुक्त/ मध्यस्थता पैनल का नाम और पता	विचाराधीन राशि (करोड़ रुपये में)	विरोध राशि करोड़ में
145	राजमहल	एमएमडीआर अधिनियम	रॉयल्टी	1998-98	माननीय उच्च न्यायालय, रांची	1.75	
146	राजमहल	एमएमडीआर अधिनियम	रॉयल्टी	2011-12	जिला कलेक्टर (डी.सी.), गोड्डा	15.21	3.37
147	राजमहल	एमएमडीआर अधिनियम	रॉयल्टी	1994-95	प्रमाणपत्र अधिकारी, दुमका	1.32	0.52
148	राजमहल	एमएमडीआर अधिनियम	रॉयल्टी	2008-09 और 2009-10	जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा	0.09	
149	राजमहल	एमएमडीआर अधिनियम	सतह का किराया	2014-15 से 2017-18	जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा	1.79	
150	राजमहल	एमएमडीआर अधिनियम	सतह का किराया	2007 से 2018	जिला खनन अधिकारी, पाकुड़	0.06	
151	राजमहल	एमएमडीआर अधिनियम	मृत किराया	दिसंबर 2015 तक	गंधर्व कोलियरी (डीएमओ, दुमका)	0.05	
152	राजमहल	विद्युत अधिनियम	बिजली शुल्क	अगस्त 2011 से मार्च 19 तक	जेबीवीएनएल	1.40	
153	राजमहल	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2001-02	सीसीटी, रांची	1.96	
154	राजमहल	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	अप्रैल 2006 से अगस्त 2013 तक	वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, रांची	3.35	3.35
155	राजमहल	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2006-07	डीसीसीटी, गोड्डा	0.27	0.27
156	राजमहल	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	वीएटी	2008-09	सीसीटी, रांची	0.23	0.23
157	राजमहल	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2008-09	सीसीटी, रांची	0.74	0.74
158	राजमहल	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2013-14	वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, रांची	3.25	0.35
159	राजमहल	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	वीएटी	2014-15	जेसीसीटी (अपील), दुमका	0.13	
160	राजमहल	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2014-15	जेसीसीटी (अपील), दुमका	4.14	0.91
161	राजमहल	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	वीएटी	2015-16	जेसीसीटी (अपील), दुमका	9.10	2.79
162	राजमहल	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2015-16	जेसीसीटी (अपील), दुमका	4.74	
163	राजमहल	विद्युत अधिनियम	बिजली शुल्क	2011-12	डीसीसीटी, गोड्डा	0.24	0.01
164	राजमहल	विद्युत अधिनियम	बिजली शुल्क	2012-13	डीसीसीटी, गोड्डा	0.42	
165	राजमहल	विद्युत अधिनियम	बिजली शुल्क	2013-14	डीसीसीटी, गोड्डा	0.25	
166	राजमहल	झारखंड वनोपज अभिवहन नियम 2020	वन उपज पारगमन शुल्क	2020	माननीय उच्च न्यायालय, रांची	13.36	
						2,506.27	**850.33**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणी पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का उपाबंध "ख"

(हमारी रिपोर्ट के अंश अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अधीन पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

वर्ष 2024-25 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निदेशों पर प्रतिवेदन

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	संप्रेक्षण
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हाँ, कंपनी ने 1 अगस्त, 2021 से अपने सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए अपनी विरासत प्रणाली कोल-नेट से एसएपी, एक ईआरपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित कर दिया है। प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह एप्लिकेशन कंपनी की गहन आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवसाय प्रक्रिया को सुचारू रूप से और कुशलता से चलाने के लिए ज्यादातर सभी कार्यक्षमताओं को कवर करता है।
2.	चाहे किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हो या ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले हों। ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा बनाया गया? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव कहा जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब रखा जाता है? (यदि, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)	वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का कोई मामला या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले कंपनी को नहीं देखे गए।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/राजसहायता आदि) का इसके निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2024-25 के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्त होने योग्य नहीं है।

के ए एस जी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002228C

सीए. केशव कुमार हरोदिया,
साझेदार
सदस्यता सं. 034751
यूडीआईएन: 25034751BMLZPX3446

दिनांक: 15 अप्रैल 2025
स्थान: कोलकाता

वर्ष 2024-25 के लिए मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निदेशों पर प्रतिवेदन

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	संप्रेक्षण
1.	क्या कोयले के स्टॉक का मापन येलो बुक के आधार पर किया गया था? क्या वास्तविक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्र के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान सृजित नए ढेर, यदि कोई हों, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोयला स्टॉक की माप पीली पुस्तक और वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेरों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की गई थी।
2.	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनर्गठन के समय आस्त्तियों और संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन अभ्यास किया था। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी क्षेत्र का विलय/विभाजन/पुनर्गठन नहीं किया है।
3.	क्या ईसीएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग-अलग निलंब खाते रखे गए हैं। साथ ही खाते की निधि के उपयोग की जांच करें।	हां, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक खदान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते बनाए गए हैं। जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 4.6.3 में बताया गया है, वर्ष 2024-25 के दौरान इन एस्क्रो खातों से 4.92 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।
4.	क्या माननीय उच्चतम न्यायालय/ राष्ट्रीय हरित अधिकरण/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और उसका हिसाब रखा गया है?	वित्तीय विवरण के अतिरिक्त नोटों के नोट संख्या: 16(4)ए I में संदर्भित अवैध खनन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए जुर्माने के प्रभाव का प्रबंधन द्वारा विधिवत मूल्यांकन और खुलासा किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत पिछले वर्षों में कथित अवैध या गैरकानूनी खनन खनिज के लिए 2178.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें विवाद के कारण हिसाब नहीं किए गए 11 मांग नोटिस शामिल हैं। हालांकि, माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 29.06.2022 के तहत झारखंड राज्य की मांग को खारिज कर दिया है। माननीय पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने 14.02.2025 को कंपनी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया
5.	क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी में डेटा की स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / प्रमाणन किया गया है।	कोलनेट सॉफ्टवेयर से SAP तक डेटा माइग्रेशन प्रक्रिया के संबंध में स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है। 7 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार FICO, MM, SD और PM मॉड्यूल 100% समेटे हुए हैं। हालाँकि HCM मॉड्यूल पूरी तरह से समेटा नहीं गया है।

के ए एस जी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन:002228C

सीए. केशव कुमार हरोदिया
साझेदार
सदस्यता संख्या. 034751
यूडीआईएन: 25034751BMLZPX3446

दिनांक: 15 अप्रैल 2025
स्थान: कोलकाता

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणी पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का उपाबंध "ग"

[हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अंश 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के पैरा 3(जी) में संदर्भित]

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अधीन वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2025 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षा के साथ किया है जिसमें कंपनी की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सम्मिलित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधकीय उत्तरदायित्व

कपंनी के निदेशक मण्डल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में कथित आंतरिक नियंत्रण के मर्मभूत घटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा अधिस्थापित वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक नियंत्रण मानदण्डों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अधिस्थापन एवं अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के पर्याप्त अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण समाविष्ट हैं जो कंपनी की अनुषक्ति, आस्तियों का अभिरक्षण, कपट एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की सटिकता एवं पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय संसूचना का ससमय निर्मिति, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन यथा आवश्यक, सहित, अपने कारबार के व्यवस्थित एवं कुशल कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशीलता से परिचालित कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करना है। हमने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू दोनों, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत दोनों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के विस्तार तक लागू, आईसीएआई द्वारा निर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित समझे गए वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी ("मार्गदर्शी टिप्पणी") और लेखांकन मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा संचालित की। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएँ और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदिति पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक विषयों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता की बाबत लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ समाविष्ट हैं। वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक तात्त्विक कमजोरी विद्यमान है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना समाविष्ट है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णयों पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के तात्त्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों का आकलन समाविष्ट है, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य, और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे पैरा "अन्य मामला" में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, प्राप्त किए हैं वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदिति के उपर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदिति पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदिति की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए एकल वित्तीय विवरणी निर्मिति करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ समाविष्ट हैं जो : (1) अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तियुक्त ब्यौरे में, कंपनी की आस्तियों के लेनदेन और व्ययन को सटीक और निष्पक्ष रूप से परावर्तित करते हैं; (2) युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेनों को

सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों अनुसार वित्तीय विवरणी निर्मिति करने की अनुमति देने के लिए यथा आवश्यक अभिलिखित किया गया है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार बनाई जा रही है; और (3) कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या व्ययन की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसकी वित्तीय विवरणी पर तात्त्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्निहित परिसीमाएँ

वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, जिसमें दुरभिसंधि की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अध्यारोही समाविष्ट हैं, त्रुटि या कपट के कारण तात्त्विक अयथार्थ कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रक्षेपकें जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री क्षय हो सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदिति के उपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में विवरणित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा अधिस्थापित वित्तीय प्रतिवेदिति मानदण्ड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित, वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी, समस्त तात्त्विक पहलुओं में, के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदिति पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2025 को यथा प्रभावी परिचालित थी।

अन्य विषय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जहाँ तक यह अठारह (18) इकाइयों/शाखाओं से संबंधित है, यूनिट/शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय को उपांतरित नहीं किया गया है।

के ए एस जी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002228C

सी.ए. केशव कुमार हरोदिया
साझेदार
सदस्यता संख्या 034751
यूडीआईएन: 25034751BMLZPX3446

दिनांक: 15 अप्रैल 2025
स्थान: कोलकाता

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निदेशों और अतिरिक्त निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित किया है कि हमने हमें निर्गत सभी निदेशों और अतिरिक्त निदेशों का अनुपालन किया है।

के ए एस जी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002228C

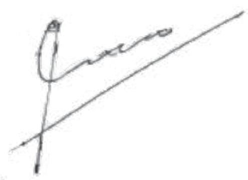

सी.ए. केशव कुमार हरोदिया
साझेदार
सदस्यता संख्या 034751
यूडीआईएन: 25034751BMLZPX3446

दिनांक: 15 अप्रैल 2025
स्थान: कोलकाता

संख्या: 231/डीजीए(सी)/ कोलकाता/एलए-I/लेखा लेखापरीक्षा /ईसीएल//2024-25/2025-26

कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (कोयला),
पुराना निज़ाम महल, प्रथम तल,
234/4, ए.जे.सी. बोस रोड,
कोलकाता-700020

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

OFFICE OF THE PRINCIPAL
DIRECTOR OF AUDIT
(COAI OLD NIZAM PALACE,
234/4, A.J.C. BOSE ROAD,
KOLKATA - 700020

:

गोपनीय

सेवा में

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

सांकतोड़िया, पोस्ट – डिसेरगढ़,

बर्धमान जिला,

पश्चिम बंगाल - 713333

विषय: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को अग्रेषित करता हूं।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

संलग्न: जैसा कि कहा गया है

आपका आभारी,

(यशोधरा राय चौधरी)
महानिदेशक एवं एडीएआई
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11जुलाई 2025

Phone: +033-2287-7165 Fax: +91-033-22800062 E-mail: dgacoalkol@cag.gov.in

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा गया है कि यह कार्य उन्होंने 15 अप्रैल 2025 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ज्ञान में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक उत्पन्न हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से

(यशोधरा राय चौधरी)
महानिदेशक एवं एडीएआई
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 जुलाई 2025

वार्षिक लेखा

2024-25

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

www.easterncoal.nic.in

तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
परिसम्पति			
अप्रचलित परिसम्पति			
अ. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3.1	6,509.58	5,973.43
आ. पूँजीगत चालू कार्य	3.2	1,065.36	798.56
इ. अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसम्पति	3.3	822.19	764.03
ई. अमूर्त परिसम्पति	3.4	9.44	12.40
उ. विकास के अधीन अमूर्त परिसम्पति	3.5	-	-
ऊ. वित्तीय परिसम्पति			
i. निवेश	4.1	0.08	0.08
ii. ऋण	4.2	-	0.02
iii. अन्य वित्तीय परिसम्पति	4.6	1,235.63	1,104.72
ए. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	11.2	779.12	848.38
ऐ. गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11.1	-	71.14
ओ. अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	6.1	1,508.42	1,269.68
कुल अप्रचलित परिसम्पति (क)		**11,929.82**	**10,842.44**
चालू परिसम्पति			
अ. वस्तुसूची	5.1	1,395.59	1,121.05
आ. वित्तीय परिसम्पति			
i. निवेश	4.1	-	-
ii. व्यवसाय प्राप्य	4.3	2,059.08	1,892.15
iii. नकदी एवं नकदी समतुल्य	4.4	208.15	119.12
iv. अन्य बैंक अतिशेष	4.5	1,079.15	1,798.65
v. ऋण	4.2	-	-
vi. अन्य वित्तीय परिसम्पति	4.6	99.02	145.03
इ. चालू कर परिसम्पति (निवल)	11.1	27.04	-
ई. अन्य चालू परिसम्पति	6.2	2,078.69	2,017.49
कुल चालू परिसम्पति (ख)		**6,946.72**	**7,093.49**
कुल परिसम्पति (क+ख)		**18,876.54**	**17,935.93**

(रामबाबू पाठक)	**(श्याम सुंदर)**	**(एमडी अंजार आलम)**	**(सतीश झा)**
कंपनी सचिव	जीएम (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन-09743117	डीआईएन-10299809

तुलन-पत्र (जारी..)

	टिप्पणी सं.	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
साम्या एवं देयताएँ			
साम्या			
अ. साम्या शेयर पूँजी	7.1	4,269.42	4,269.42
आ. अन्य साम्या	7.2	(1,168.95)	(1,291.78)
कंपनी के साम्याधारकों को रोप्य साम्या		3,100.47	2,977.64
कुल साम्या (क)		**3,100.47**	**2,977.64**
देयताएँ			
अप्रचलित देयताएँ			
अ. वित्तीय देयताएँ			
i. उगाही	8.1	146.34	150.09
ii. अन्य वित्तीय देयताएँ	8.3	233.73	214.33
आ. प्रावधान	9.1	4,352.16	4,657.56
इ. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	11.2	-	-
ई. अन्य अप्रचलित देयताएँ	10.1	153.21	176.09
कुल अप्रचलित देयताएँ (ख)		**4,885.44**	**5,198.07**
चालू देयताएँ			
अ. वित्तीय देयताएँ			
i. उगाही	8.1	1,517.12	671.15
ii. व्यवसाय देय	8.2		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया देनदारियाँ		4.83	1.70
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देनदारियाँ		1,369.80	1,327.64
iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	8.3	2,060.16	2,070.24
आ. अन्य चालू देयताएँ	10.2	4,918.53	4,636.27
इ. प्रावधान	9.1	1,020.19	1,053.22
ई. चालू कर देयताएं (निवल)	11.1	-	-
कुल चालू देयताएँ (ग)		**10,890.63**	**9,760.22**
कुल साम्या एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**18,876.54**	**17,935.93**
निगमित सूचना	1		
तात्विक लेखांकन नीतियाँ	2		
वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	16		
सहटिप्पणियाँ सं. 1 से 16 तक वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग है।			

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
जीएम (वित्त)

(एमडी अंजार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(सतीश झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-10299809

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
केएएसजी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर. नं. 002228सी
सीए केशव कुमार हरोदिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या 034751
यूडीआईएन-25034751BML28X3446

दिनांक: 15-04-2025
स्थान: कोलकाता

लाभ और हानि का विवरणी

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
	परिचालन से राजस्व (उगाहियों का निवल)			
क	विक्रय	12.1	14,347.34	13,891.88
ख	अन्य परिचालनात्मक राजस्व	12.1	743.20	667.26
(I)	**परिचालन से राजस्व (क + ख) (उगाहियों का निवल)**		**15,090.54**	**14,559.14**
(II)	अन्य आय	12.2	660.36	639.55
(III)	**कुल आय (I + II)**		**15,750.90**	**15,198.69**
	व्यय			
	सामग्री खपत की लागत	13.1	1,048.42	1,000.35
	तैयार माल, चालू कार्य एवं विक्रेय माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन	13.2	(238.95)	(497.30)
	कर्मी प्रसुविधा व्यय	13.3	9,553.84	10,094.02
	वित्त लागत	13.4	142.32	121.13
	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति व्यय	13.5	734.90	700.17
	विपट्टन गतिविधि समायोजन	13.6	(606.62)	(590.27)
	संविदात्मक व्यय	13.7	3,495.70	2,864.43
	अन्यय व्यय	13.8	1,320.07	1,292.67
(IV)	**कुल व्यय**		**15,449.68**	**14,985.20**
(V)	**अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III+IV)**		**301.22**	**213.49**
(VI)	अपवादात्मक मदे		-	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (V-VI)**		**301.22**	**213.49**
(VIII)	**कर व्यय**	14.1		
	चालू कर		-	17.11
	आस्थगित कर		96.73	(55.21)
	कुल कर व्यय (VIII)		**96.73**	**(38.10)**
(IX)	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**204.49**	**251.59**

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
जीएम (वित्त)

(एमडी अंजार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(सतीश झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-10299809

लाभ और हानि का विवरणी (जारी..)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
अन्य व्यापक आय	15.1		
क. i. आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(109.12)	(94.20)
कम: (ii). उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(27.46)	-
ख. (i). आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कम: (ii). उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(X) कुल अन्य व्यापक आय		**(81.66)**	**(94.20)**
(XI) वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (वर्ष के लिए समाविष्ट लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय		**122.83**	**157.39**
प्रति साम्या शेयर अर्जन (₹ में)			
(शेयर का अंकित मूल्य ₹1000/- प्रति)			
1. मूल		**47.90**	**58.93**
2. तनुकृत		**47.90**	**58.93**
ईपीएस के संगणन के लिए टिप्पणी 16(5)(क) संदर्भित			
निगमित सूचना	1		
तात्विक लेखांकन नीतियाँ	2		
वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	16		
सहटिप्पणियाँ सं. 1 से 16 तक वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग है।			

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
जीएम (वित्त)

(एमडी अंजार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(सतीश झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-10299809

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
केएएसजी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर. नं. 002228सी
सीए केशव कुमार हरोदिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या 034751
यूडीआईएन-25034751BML28X3446

दिनांक: 15-04-2025
स्थान: कोलकाता

नकदी प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025		समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	
क. परिचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**301.22**		**213.49**
के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय	734.90		700.17	
निवेश से ब्याज आय एवं अन्य आय	(189.48)		(308.45)	
वित्त लागत	126.99		86.62	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के विक्रय पर (लाभ) / हानि	(0.85)		(12.10)	
देयता एवं प्रावधान प्रतिलेखन (निवल)	(358.56)		(162.14)	
व्यवसाय प्राप्य के लिए छूट	8.56		132.28	
अन्य भत्ता एवं बट्टा खाता डालना	5.60		7.81	
विपट्टन गतिविधि समायोजन	(606.62)		(590.27)	
विनियम दर अंतर पर हानि / (अभिलाभ)	-	(279.46)	-	(146.08)
निम्न आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन के पूर्व परिचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**21.76**		**67.41**
के लिए समायोजन :				
व्यवसाय प्राप्य (प्रावधान का निवल)	(166.93)		(327.65)	
वस्तु-सूची	(274.54)		(558.18)	
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसम्पति	(295.27)		(427.37)	
वित्तीय एवं अन्य देयताएँ	363.74		(785.10)	
व्यवसाय देय	45.29	(327.71)	335.79	(1,762.51)
परिचालन से उत्पन्न नकदी		**(305.95)**		**(1,695.10)**
आयकर (प्रदत्त)/वापसी		44.10		(113.03)
परिचालनात्मक गतिविधियों (में प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (I)		**(261.85)**		**(1,808.13)**
ख. निवेशित गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों के प्रति भुगतान	(1,194.57)		(975.02)	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर से बिक्री आगम (निवल)	0.85		12.10	
अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियों में परिवर्धन	(39.92)		(41.64)	
सावधि जमा से आगम/(निवेश)	584.95		1,484.28	
निवेशों से ब्याज	236.22	(412.47)	299.97	779.69
निवेशित गतिविधियों (मे प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (II)		**(412.47)**		**779.69**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
अप्रचलित उगाही राशियों से आगम / (की चुकौती)	(8.04)		(7.79)	
चालू उगाही राशियों से आगम / (की चुकौती)	1,500.00		-	
ब्याज प्रदत्त	(65.78)	1,426.18	(40.01)	(47.80)
वित्तीय गतिविधियों (में प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (III)		**1,426.18**		**(47.80)**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (I+II+III)		**751.86**		**(1,076.24)**
वर्ष के प्रारंभ में यथा नकदी एवं नकदी समतुल्य (IV)	(544.13)		532.11	
वर्ष के अंत में यथा नकदी एवं नकदी समतुल्य (V)	207.73	**751.86**	(544.13)	**(1,076.24)**
(कोष्ठक में सभी आँकड़े बहिर्गमन को व्यपदेशित करते हैं)				

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
जीएम (वित्त)

(एमडी अंजार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(सतीश झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-10299809

नकदी प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक		
(क) बैंक के पास शेष		
- जमा खाता में	8.41	8.25
- चालू खाता में	114.31	77.02
(ख) भारत के बाहर बैंक में जमाराशि		
(घ) हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं ड्राफ्ट		
(ङ) हाथ में नकदी		
(च) भारत के बाह्य हाथ पर नकदी		
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	(0.42)	(663.25)
(ज) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/GeM खाता/अग्रदाय शेष	85.43	33.85
कुल (नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटकों के लिए टिप्पणी 4.4 एवं टिप्पणी 8.1 संदर्भित)	**207.73**	**(544.13)**

1. वित्तीय गतिविधियों से उद्भूत देयताओं के लिए तुलन-पत्र में आरंभिक एवं अंतिम शेष की बीच समाधान

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विशिष्टियाँ	अप्रचलित उधार*	वित्त पट्टा देयताएँ	चालू उधार
01 अप्रैल 2024 को यथा आरंभिक शेष	157.99		0.00
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-8.04		1500.00
के कारण से परिवर्तित नकदीतर :			
वित्त पट्टा के अधीन अधिग्रहण			
उधार पर उपचित ब्याज			8.57
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	4.52		
उधारियों पर लेन-देन लागत			
31 मार्च 2025 को यथा अंतिम शेष	**154.47**	**0.00**	**1508.57**

31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विशिष्टियाँ	अप्रचलित उधार*	वित्त पट्टा देयताएँ	चालू उधार
01 अप्रैल 2023 को यथा आरंभिक शेष	163.73		0.00
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-7.79		
के कारण से परिवर्तित नकदीतर :			
वित्त पट्टा के अधीन अधिग्रहण			
उधार पर उपचित ब्याज			
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव	2.05		
उधारियों पर लेन-देन लागत			
31 मार्च 2023 को यथा अंतिम शेष	**157.99**	**0.00**	**0.00**

*टिप्पणी 8.1 में संदर्भित, एतदद्वारा उपचित अप्रचलित उधारियों एवं ब्याज के चालू परिपक्वता सहित

2. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 - 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

3. कंपनी ने 31-03-2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए ₹ 4.41 करोड़ (नोट संख्या 13.8 देखें) खर्च किए हैं (₹ 7.33 करोड़)।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
जीएम (वित्त)

(एमडी अंजार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(सतीश झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-10299809

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
केएएसजी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर. नं. 002228सी
सीए केशव कुमार हरोदिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या 034751
यूडीआईएन-25034751BML28X3446

दिनांक: 15-04-2025
स्थान: कोलकाता

31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए साम्या में परिवर्तनों की विवरणी

क. साम्या शेयर पूँजी

31-03-2025 को यथा (₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	01-04-2024 को यथा शेष	चालू वर्ष के दौरान साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	31-03-2025 को यथा शेष
₹1000/- के 10390000 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूरी तरह से नकद में भुगतान	1,039.00	-	1,039.00
₹1000/- के 32304200 इक्विटी शेयर प्रत्येक को नकद के अलावा प्राप्त प्रतिफल के लिए पूर्ण भुगतान के रूप में आवंटित किया गया	3,230.42	-	3,230.42
कुल	**4,269.42**	-	**4,269.42**

31-03-2024 को यथा (₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	01-04-2023 को यथा शेष	चालू वर्ष के दौरान साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	31-03-2024 को यथा शेष
₹1000/- के 10390000 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूरी तरह से नकद में भुगतान	1,039.00	-	1,039.00
₹1000/- के 32304200 इक्विटी शेयर प्रत्येक को नकद के अलावा प्राप्त प्रतिफल के लिए पूर्ण भुगतान के रूप में आवंटित किया गया	3,230.42	-	3,230.42
कुल	**4,269.42**	**-**	**4,269.42**

ख. अन्य साम्या

31-03-2025 को यथा (₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	आरक्षित निधि एवं अधिशेष					कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित निधि	आरक्षित पूँजी	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुन:माप (कर का निवल) - (ओ.आई.सी.)	
01-04-2024 को यथा शेष	-	-	832.71	(1,825.16)	(299.33)	**(1,291.78)**
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	**-**
पुनर्निर्दिष्ट 01-04-2024 को यथा शेष	**-**	**-**	**832.71**	**(1,825.16)**	**(299.33)**	**(1,291.78)**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	-	-	-	204.49	-	**204.49**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	(81.66)	**(81.66)**
वर्ष के दौरान समायोजित	-	-	-	-	-	**-**
सामान्य आरक्षित निधि में/से अंतरण	-	-	-	-	-	**-**
शेयरों का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	**-**
वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-	**-**
बोनस शेयरों के मद	-	-	-	-	-	**-**
31-03-2025 को यथा शेष	**-**	**-**	**832.71**	**(1,620.67)**	**(380.99)**	**(1,168.95)**

31-03-2024 को यथा (₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	आरक्षित निधि एवं अधिशेष					कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित निधि	आरक्षित पूँजी	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुनःमाप (कर का निवल) - (ओ.आई.सी.)	
01-04-2023 को यथा शेष	-	-	832.71	(2,353.13)	(205.13)	**(1,725.55)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	276.38	-	**276.38**
01-04-2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	**-**	**-**	**832.71**	**(2,076.75)**	**(205.13)**	**(1,449.17)**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (पुनः घोषित)	-	-	-	251.59	-	**251.59**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	(94.20)	**(94.20)**
वर्ष के दौरान समायोजित	-	-	-	-	-	**-**
सामान्य आरक्षित निधि में/से अंतरण	-	-	-	-	-	**-**
शेयरों का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	**-**
वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-	**-**
बोनस शेयरों के मद	-	-	-	-	-	**-**
31-03-2024 तक शेष राशि (पुनः घोषित)	**-**	**-**	**832.71**	**(1,825.16)**	**(299.33)**	**(1,291.78)**

सहटिप्पणियाँ सं. 1 से 16 तक वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग है।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
जीएम (वित्त)

(एमडी अंजार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(सतीश झा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-10299809

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
केएएसजी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर. नं. 002228सी
सीए केशव कुमार हरोदिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या 034751
यूडीआईएन-25034751BML28X3446

दिनांक: 15-04-2025
स्थान: कोलकाता

वित्तीय विवरणियों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 1

A. निगमित सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) को ईस्टर्न डिविजन ऑफ कोयला माइन्स प्राधिकरण लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पूर्व नाम) के साथ निहित आस्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण करते हुए 01 नवंबर, 1975 को यथा कोल इंडिया लिमिटेड की 100% अनुषंगी यथा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निगमित की गई थी। कंपनी प्रधानतः कोयला के उत्पादन एवं विक्रय के कारबार में संलग्न है।

कंपनी भारत में अधिवसित है और इसका पंजीकृत कार्यालय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, पोस्ट- डिसेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्दमान, पिन - 713333 में है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 15 अप्रैल, 2025 को जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए।

B. अनुपालन विवरण और हालिया लेखा घोषणा

i) अनुपालन की विवरणी

ये वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इसके पश्चात यथा "भा.ले.मा." संदर्भित) के अनुसार निर्मित किए गए हैं। भारतीय लेखांकन मानक (भा.ले.मा.) जारी, अधिसूचित और प्रभावी बनाए गए जब तक कि वित्तीय विवरणी अधिकृत नहीं होते हैं और इन वित्तीय विवरणियों के निर्मिति के उद्देश्य से अवधारित किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक आद्यतः अपनाया जाता है या विद्यमान लेखांकन मानक में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है।

ii) नये एवं संशोधित मानकों का अनुप्रयोग:

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। एमसीए ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाले किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

नोट 2: सामग्री लेखांकन नीति जानकारी

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के अनुसार मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत परंपरा सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह काम करती है। समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव अंकों तक 'करोड़ रुपये' में पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब:

(a) उसे अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति की प्राप्ति की उम्मीद है, या उसे बेचने या उपभोग करने का इरादा है;

(b) वह परिसंपत्ति को मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखती है;

(c) उसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति की प्राप्ति की उम्मीद है; या

(d) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य (जैसा कि भारतीय लेखा मानक 7 में परिभाषित है) है, जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किसी देयता को चालू माना जाता है जब:

(a) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की उम्मीद करता है;

(b) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से देयता रखता है;

(c) देयता का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना है; या

(d) इसके पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी उपकरणों के निर्गम द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

राजस्व मुख्य रूप से कोयले, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से राजस्व तब पहचाना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उत्पाद ग्राहक को वितरित किए जाते हैं। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, जैसा भी मामला हो, और नुकसान के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है और राजस्व को केवल उस सीमा तक पहचाना जाता है, जब यह अत्यधिक संभावित हो कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। विचाराधीन राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है, क्योंकि बिक्री अनुबंध के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम हैं।

कंपनी के पास भविष्य की अवधि में ग्राहकों को उत्पाद आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। सामान्यतः, राजस्व की पहचान चालान के आधार पर की जाती है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से प्रतिफल पाने का अधिकार सीधे हमारे आज तक पूरे किए गए निष्पादन से मेल खाता है।

ब्याज

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय तब पहचानी जाती है जब यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के दौरान अनुमानित भविष्य की नकदी प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर छूट देती है।

लाभांश

लाभांश को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो आमतौर पर तब होता है जब शेयरधारक लाभांश को मंजूरी देते हैं।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) के संबंध में राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब अंतिम वसूली के संबंध में उचित निश्चितता हो और राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न मिल जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी तथा यह उचित निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित व्ययों या लागतों को मान्यता देती है जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदानों का इरादा होता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता, जो पहले से किए गए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या कंपनी को बिना किसी भविष्य संबंधी लागत के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होती है, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें वह प्राप्त होती है।

प्रवर्तक के योगदान के रूप में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे "पूंजी रिजर्व" में मान्यता दी जाती है जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा बनती है।

2.5 पट्टों

एक अनुबंध पट्टा कहलाता है, या पट्टा में निहित होता है, यदि अनुबंध, प्रतिफल के बदले में, एक निश्चित अवधि के लिए किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी, अनुबंध के आरंभ में ही यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ वस्तुतः प्राप्त हैं और (iii) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

आरंभ तिथि पर, पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और उस तिथि पर न चुकाए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को सभी पट्टों के लिए मान्यता देगा, जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज दर्शाने के लिए वहन राशि बढ़ाकर, किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि घटाकर और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनों को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनः मापकर मापा जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं, तो पट्टा देयताओं को संबंधित उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पूर्व-मापा जाता है। पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है और पट्टा भुगतानों को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताएँ" शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्तीय शुल्कों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल न किया गया हो।

उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के दौरान किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया जाता है या यदि उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत यह दर्शाती है कि पट्टाधारक क्रय विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास आरंभ तिथि से लेकर उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल की समाप्ति या पट्टा अवधि की समाप्ति में से जो भी पहले हो, तक करेगा।

2.5.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिसंपत्तियों को या तो वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है।

वित्त पट्टा: यदि कोई पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करता है, तो उसे वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय आय को पट्टे की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है।

परिचालन पट्टा: वह पट्टा जिसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, परिचालन पट्टा कहलाता है। कंपनी ऑपरेटिंग लीज़ पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में लीज़ भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.6 बिक्री हेतु रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उनकी अग्रणीत राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी। बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से यह संकेत मिलना चाहिए कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की संभावना नहीं है या बिक्री का निर्णय वापस लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री पूरी होने की उम्मीद के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ आदान-प्रदान शामिल है, जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है। बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकरण के मानदंड को तभी पूरा माना जाता है जब परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हों, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं, इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है; और इसे वास्तव में बेचा जाएगा, त्यागा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- ➢ प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- ➢ खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है
- ➢ परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है, जो इसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है,
- ➢ वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री को पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता देने की उम्मीद है, और
- ➢ योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्ति या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास/परिशोधन

पीपीई की एक वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें जहां भी आवश्यक हो, डीकमीशनिंग या बहाली लागत शामिल है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्स्थापन लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में शामिल हैं:

(a) व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद करों सहित इसकी खरीद मूल्य।

(b) परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत।

(c) वस्तु को नष्ट करने और हटाने तथा उस स्थान को बहाल करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिसके लिए कंपनी या तो वस्तु के अधिग्रहण के समय या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग इन्वेंट्री तैयार करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन करती है।

(d) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के प्रत्येक भाग की लागत, जो वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है। हालाँकि, पीपीई की एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों) को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने में एक साथ समूहीकृत किया जाता है, जिसका उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधि समान होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवाओं की लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की बाद की लागत को वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए गए भागों की वहन राशि को नीचे उल्लिखित मान्यता समाप्ति नीति के अनुसार मान्यता समाप्ति कर दी जाती है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की कोई भी शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) को मान्यता नहीं दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु को निपटान के समय या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की ऐसी मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

<u>संपत्तियां</u>	<u>उपयोगी जीवन</u>
अन्य भूमि	
(पट्टाधृति भूमि)	: परियोजना के सक्रियता काल या पट्टा अवधि जो भी कम हो
भवन (सड़क सहित)	: 3-60 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे पार्श्वस्थल	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपस्कर	: 1-30 वर्ष
(रेलवे कॉरिडोर, अन्य सहित)	
कंप्यूटर एवं लैप्टॉप	: 3 वर्ष
कार्यालयीन उपस्कर	: 3-5 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपरि वर्णित उपभोगजन्य काल उस अवधि का सबसे अच्छा प्रस्तुतीकरण करता है जिसपर प्रबंधन आस्ति के उपभोग की प्रत्याशा करता है। अतएव आस्तियों का उपभोगजन्य काल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग-ग के अधीन यथा विहित उपभोगजन्य काल से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्तियों का प्राक्कलित उपभोगजन्य काल को पुनर्विलोकित किया जाता है।

आस्ति के कुछ मदों जैसे अन्य भूमि, स्थल प्रत्यवार्तन आस्ति, अन्य खनन अवसंरचना, सर्वेयड ऑफ अस्तियों के सिवाय संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अवशिष्ट मूल्य को यथा आस्ति के मूल लागत के 5% प्रतिफलित किया जाता है। तकनीकी रूप से उपभोगजन्य काल को एक वर्ष होना प्राक्कलित किया गया है जिसमें कोयला टब, कुंडलन रज्जु, हाउलेज रज्जु, भराटि पाइप और सुरक्षा बत्ती आदि जैसी मदों के लिए शून्य अवशिष्ट मूल्य है।

वर्ष के दौरान परिवर्धित/निपटारित आस्तियों का मूल्यह्रास को परिवर्धन/निपटान के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर उपबंधित किया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013, सरकारी भूमि का दीर्घावधि हस्तांतरण आदि को समाविष्ट करता है जो परियोजना के शेष कार्यकाल के आधार पर परिशोधित किया जाता है; और पट्टाधृति भूमि के मामलों में ऐसे परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष कार्यकाल जो भी कम हो पर आधारित होते है।

पूर्णतः अवक्षयित आस्तियों, सक्रिय उपभोग से निवृत्त संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के अधीन इसके अवशिष्ट मूल्य पर यथा सर्वेयड ऑफ आस्तियों को पृथकतः प्रकटन किए जाते है और क्षति के लिए जाँच किए जाते हैं।

भारतीय लेखांकन मानकों में संक्रमण

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानकों की तिथि को यथा वित्तीय विवरणी में यथा निर्धारित अपने समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए, पूर्व सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार मापन किए गए, लागत प्रतिरूप के अनुसार वहनीय मूल्य के साथ जारी रखने का चयन किया।

2.8 खान संवरण, स्थल पुनरूद्धार एवं अप्रवर्तन दायित्व

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार भूमि उद्धार एवं निर्मित्ति के अप्रवर्तन के लिए सतही और भूमिगत दोनों खदानों के व्यय पर कंपनी का दायित्व गठित होता है। कंपनी आवश्यक कार्य की विस्तृत संगणना, की राशि का तकनीकी मूल्यांकन एवं के निष्पादन में भविष्यत व्यय होने वाली नकदी का कालमापन के आधार पर खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार और अप्रवर्तन के लिए अपने दायित्व का प्राक्कलन करती है। अनुमोदित खान संवरण योजना के अनुसार खान संवरण व्यय उपबंधित किया जाता है। मुद्रास्फीति से व्ययों के प्राक्कलन में वृद्धि होती है, और तब बट्टा दर पर भुनाई की जाती है जो धन का सामयिक मूल्य और जोखिमों के चालू बाजार मूल्यांकन को परावर्तित करता है, जैसे कि उपबंधित राशि दायित्व को निपटान के लिए आवश्यक प्रत्याशित के व्यय के वर्तमान मूल्य को परावर्तित करती है। कंपनी अंतिम पुनःउद्धार एवं खान संवरण के लिए देयता के साथ सहयुक्त तत्संबंधी आस्ति को अभिलेखित करती है। दायित्व और तत्संबंधी आस्तियों को उस अवधि जिसमें देयता उपगत होती है में निर्धारण किया जाता है। खान संवरण योजना के अनुसार आस्ति जो कुल स्थल पुनरुद्धार लागत (सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा यथा प्राक्कलित) को प्रस्तुत कर रही है को पीपीई में यथा पृथक मद निर्धारित किया जाता है और परियोजना/खान के शेष कार्यकाल के ऊपर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ प्रावधान का मूल्य यथा अकुंडलन भुनाई के प्रभाव से उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है जो वित्तीय व्यय के रूप में एक निर्धारित व्यय का सृजन कर रही है।

आगे, अनुमोदित खान संवरण योजना के अनुसार इस प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट निलंब निधि खाता अनुरक्षित की जाती है।

संपूर्ण खदान संवरण दायित्व का भाग होने के आधार पर वर्ष प्रति वर्ष उपगत प्रगामी खान संवरण व्यय प्रारम्भ में निलम्ब खाता से यथा प्राप्य निर्धारित किया जाता हैं और तत्पश्चात उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि को प्रमाणकर्ता अभिकरणों की सहमति के उपरांत आहरित किया गया है।

2.9 गवेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पति

गवेषण और मूल्यांकन परिसम्पति लागतों को समाविष्ट करता है जो कोयला एवं संबंधित संपदाओं की खोज के फलस्वरूप किए गए माने जाते हैं, परिलक्षित संपदा की तकनीकी साध्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के

- गवेषण करने के अधिकारों का अर्जन;
- ऐतिहासिक गवेषण आँकड़ों का अनुसंधान और विश्लेषण करना;
- स्थलाकृतिक, भू-रसायन एवं भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से गवेषण आँकड़ों का एकत्रीकरण;
- गवेषक प्रवेधन, खंदकन और प्रतिचयन;
- संपदा के परिमाण और श्रेणी का अवधारण और परीक्षण करना;
- परिवहन और अवसंरचना आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार एवं वित्त अध्ययनों का संचालन करना।

उपर्युक्त कर्मी पारिश्रमिक, सामग्रियों की लागत और खपत हुए ईंधन, संविदाकारों को संदाय आदि को समाविष्ट करता है।

यथा अमूर्त घटक उपगत हुए समग्र प्रत्याशित मूर्त लागतों के उपेक्षणीय/ अविभेद्य अंश को व्यपदिष्ट करता है और भविष्यत् संदोहन से प्रतिपूर्ति किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूँजीकृत गवेषण लागतों के साथ यथा गवेषण एवं मूल्यांकन आस्ति अभिलेखित किए जाते हैं।

गवेषण एवं मूल्यांकन लागतों को परियोजना की तकनीकी साध्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अवधारित होने तक परियोजन दर परियोजना के आधार पर पूँजीकृत किए जाते हैं और अप्रचलित आस्तियों के अधीन यथा पृथक सीमा मद प्रकटन किए जाते हैं।

एक बार प्रमाणित निचय अवधारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना का विकास स्वीकृत हो जाते हैं तब गवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को प्रगतिशील पूँजीगत कार्य के अधीन "विकास" में स्थानांतरित किए जाते हैं। तदापि, यदि प्रमाणित निचय अवधारित नहीं किए जाते हैं तब गवेषण और मूल्यांकन आस्ति का अनिर्धारण किया जाता है।

2.10 विकास व्यय

जब प्रमाणित निचय अवधारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना का विकास स्वीकृत हो जाते हैं तब पूँजीकृत गवेषण एवं मूल्यांकन लागत सन्निर्माण के अधीन यथा परिसम्पति निर्धारित किया जाता है और "विकास" शीर्ष के अधीन यथा पूँजी चालू कार्य घटक प्रकटन किया जाता है। समस्त पश्चातवर्ती विकास व्यय भी पूंजीकृत किए जाते हैं। विकास प्रावस्था के दौरान निष्कर्षित कोयले के विक्रय से आगमों का निवल पूँजीकृत विकास व्यय है।

<u>वाणिज्यिक परिचालन</u>

परियोजना/खानों को राजस्व में लाए जाते हैं; जब किसी परियोजना/खान की वाणिज्यिक तैयारी संधारणीय आधार पर उत्पादन प्राप्ति के लिए या तो परियोजना प्रतिवेदन में विनिर्दिष्टतः विवरणित दशाओं के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं :

(क) वर्ष के ठीक पश्चात् वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना निर्धारित क्षमता का 25% के वास्तविक उत्पादन को प्राप्त करती है, या

(ख) कोयले मिलने/कसौटी के 2 वर्ष तक, या

(ग) वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो।

जो भी घटना पहले घटित हो;

राजस्व में लाये जाने पर, पूँजी चालू कार्य के अधीन परिसम्पति "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के अधीन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के यथा घटक पुनःवर्गीकृत किए जाते हैं। अन्य खनन अवसंरचना उस वर्ष से, जब खान को 20 वर्षों या परियोजना कार्यकाल जो भी कम हो में राजस्व के अधीन लाया जाता है परिशोधित किए जाते हैं।

2.11 अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

पृथकतः अर्जित अमूर्त आस्तियों को लागत के प्रारम्भिक निर्धारण पर मापित किए जाते हैं। लागत में आस्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्षतः रोप्य व्यय सम्मिलित है। प्रारम्भिक निर्धारण के पश्चात्, अमूर्त आस्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों को न्यून करके उस लागत पर ले जाए जाते हैं।

पाश्विक व्यय को आस्ति की वहन राशि में यथा वृद्धि निर्धारित की जाती है जब यह संभव होता है कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और मद की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है।

अमूर्त आस्ति के मद को निपटान पर अनिर्धारित कर दिया जाता है या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक प्रसुविधाएँ की प्रत्याशा नहीं होती है। एक अमूर्त आस्ति के अनिर्धारण से उद्भूत अभिलाभ या हानि को निवल निपटान आय और आस्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और आस्ति को अनिर्धारण होने पर लाभ और हानि विवरणी में निर्धारण होता है।

अंतःजनित अमूर्तें, पूँजीकृत विकास लागतें रहित, पूँजीकृत नहीं किए जाते हैं। इसके स्थान पर, संबंधित व्यय उस अवधि में जिसमें व्यय उपगत होता है को लाभ-हानि विवरणी और अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं।

अमूर्त आस्ति के उपभोगजन्य काल का मूल्यांकन या तो अपरिमित या अनिश्चित के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। अपरिमित काल के साथ अमूर्त परिसम्पति उनके उपभोगजन्य आर्थिक काल के ऊपर परिशोधित किए जाते हैं और जब कभी उपदर्शन होता है कि अमूर्त आस्ति की क्षति हो सकती है तो क्षति के लिए मूल्यांकित किये जाते हैं। एक अपरिमित उपभोगजन्य काल के साथ अमूर्त आस्तियों के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति न्यूनातिन्यून प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में पुनर्विलोकन किए जाते हैं। प्रत्याशित उपभोगजन्य काल या आस्ति में सन्निहित भविष्यत् आर्थिक प्रसुविधाओं के उपभोग का

प्रत्याशित स्वरूप में परिवर्तनें, यथोचित, परिशोधन अवधि या पद्धति के उपांतरण को प्रतिफलित किए जाते हैं और लेखांकन प्राक्कलन में यथा परिवर्तन व्यवहृत होते हैं। अपरिमित काल के साथ अमूर्त आस्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन अमूर्त परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अमूर्त संपत्ति	**उपयोगी जीवन**
एसएपी/ईआरपी	: 6 वर्ष
अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	: लाइसेंस अवधि
रेल कॉरिडोर	: समझौता ज्ञापन अनुबंध अवधि के अनुसार जीवन

एक अनिश्चितार्थ उपभोगजन्य काल के साथ अमूर्त आस्ति को परिशोधित नहीं किया जाता हैं लेकिन प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर क्षति के लिए जाँच किया जाता है।

यद्यपि, बाह्य अभिकरणों (सीआईएल के लिए निश्चित नहीं किए गए खण्डों के लिए) को विक्रय के लिए या बिक्री किए जाने के लिए परिलक्षित खण्डों के लिए रोप्य गवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को यथा अमूर्त परिसम्पति वगीकृत किए जाते हैं और क्षति के लिए जाँच किए जाते हैं।

अनुसंधान पर व्यय को जब कभी किया जाता है, व्यय पर प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय को पूँजीकृत किया जाता है यदि व्यय को मज़बूती से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी आशयित है कि विकास को पूर्ण करने और आस्ति का उपयोग करने या बिक्री के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

2.12 आस्तियों की क्षति (वित्तीय आस्तियों के बिना)

कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में यदि कोई उपदर्शन है कि आस्ति को क्षति हो सकती है मूल्यांकित करती है। यदि ऐसे उपदर्शन विद्यमान होते हैं, कंपनी आस्ति के प्रत्युद्धरणीय राशि का प्राक्कलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो तो कंपनी आस्ति के प्रत्युद्धरणीय राशि को अनुमानित करती है। एक आस्ति की प्रत्युद्धरणीय राशि प्रयुक्त में आस्ति या नकदी जनन इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यष्टि आस्ति के लिए अवधारित किया जाता है, जब तक कि आस्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि आस्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है, इस मामले में प्रत्युद्धरणीय राशि नकदी जनन इकाई जिससे आस्ति संबंधित है के लिए निर्धारित की जाती है। कंपनी क्षति के जाँच के प्रयोजनार्थ व्यष्टि खानों को यथा पृथक नकदी जनन इकाइयाँ प्रतिफलित करती है।

यदि आस्ति का प्राक्कलित प्रत्युद्धरणीय राशि इसके वहनीय राशि से कम है तो इसके प्रत्युद्धरणीय राशि के लिए आस्ति के वहनीय राशि घटाए जाते हैं और लाभ हानि विवरणी में क्षति हानि निर्धारित किया जाता है।

2.13 निवेशित संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) भाटक अर्जित करने के लिए या पूँजी अधिमूल्यन या दोनों के लिए धारण किया जाता है, उत्पादन या माल या सेवा की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजन के लिए; या कारबारों के सामान्य अनुक्रम के विक्रय में प्रयुक्त करने के बजाय, को यथा निवेशित संपत्ति वर्गीकृत किए जाते हैं।

निवेशित संपत्ति प्रारंभतः संबंधित लेनदेन लागतें और जहाँ उधारी लागतें लागू है अपने लागत पर मापन की जाती है।

निवेशित संपत्तियाँ अपने प्राक्कलित प्रयोज्य सक्रियता के ऊपर सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यह्रासित किए जाते हैं।

2.14 वित्तीय लिखत

एक वित्तीय लिखत कोई भी एक संविदा है जो एक निकाय की वित्तीय आस्ति और अन्य निकाय की वित्तीय देयता या साम्या लिखत को उत्पन्न करती है।

2.14.1 वित्तीय परिसम्पति

2.14.1.1 आरंभिक निर्धारण एवं मापन

समस्त वित्तीय आस्तियों को प्रारंभतः उचित मूल्य पर, लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर अनभिलेखित वित्तीय आस्तियों के मामले में लेनदेन लागतों जो वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण से रोप्य है के जोड़ से निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आतियों के क्रय या विक्रय जिसके लिए बाजार स्थल (नियमित तरीके से व्यवसाय) में विनिमय या अभिसमय द्वारा अधिस्थापित समय-सीमा के भीतर आस्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता होती है को व्यवसाय तिथि अर्थात् जिस तिथि पर कंपनी आस्ति के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्ध है पर निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, व्यवसाय प्राप्य जिसमें एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, लेनदेन मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

2.14.1.2 पाश्चिक मापन

पाश्चिक मापन के प्रयोजन से, वित्तीय आस्तियों को चार प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता हैं :

- परिशोधित लागत पर कर्ज लिखतें
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर कर्ज लिखतें
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर कर्ज लिखतें, व्युत्पन्नी और साम्या लिखतें
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर साम्या लिखतों को मापन किए गए।

2.14.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

एक 'कर्ज लिखत' को परिशोधित लागत पर मापन किया जाता हैं यदि निम्नलिखित दोनों दशाएँ पूर्ण होती हैं:

a) आस्ति को एक कारबार प्रतिरूप में धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए आस्तियों को धारण करना है, और

b) आस्ति के संविदात्मक निबंधनें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न करती है जिसके मूलधन और ब्याज का संदाय (एसपीपीआई) केवल बकाया मूलधन पर होता है।

प्रारम्भिक मापन के पश्चात्, ऐसे वित्तीय परिसम्पति तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापन किया जाता हैं। अधिग्रहण पर किसी तरह के बट्टे या प्रीमियम और शुल्कें या लागतें जो प्रभावी ब्याज दर का अनिवार्य भाग होता है को ध्यान में रखते हुए परिशोधित लागत को संगणित किया जाता है। लाभ या हानि में वित्त आय में प्रभावी ब्याज दर परिशोधन समाविष्ट किया जाता है। क्षति से उद्भूत हानियों को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.1.2.2 एफवीटीओसीआई पर कर्ज लिखत

एफवीटीओसीआई पर यथा एक 'कर्ज लिखत' वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं :

a) कारबार प्रतिरूप का उद्देश्य दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह को संगृहीत करने और वित्तीय आस्तियों को विक्रेय के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

b) आस्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई को व्यपदिष्ट करता है।

एफवीटीओसीआई प्रवर्ग में समाविष्ट कर्ज लिखतें प्रारंभतः के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिवेदित पर उचित मूल्य पर मापन किए जाते है। उचित मूल्य संचलन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि, कंपनी लाभ व हानि विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानि व उत्क्रमण और विदेशी विनिमय अभिलाभ या हानि को निर्धारित करती है। आस्ति के अनिर्धारण पर, ओसीआई में पूर्व निर्धारित संचयी अभिलाभ या हानि को साम्या से लाभ व हानि विवरणी में पुनःवर्गीकृत किए जाते हैं। एफवीटीओसीआई कर्ज लिखत धारण करने के दौरान अर्जित ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए यथा ब्याज आय ज्ञापित किया जाता है।

2.14.1.2.3 एफवीटीपीएल पर कर्ज लिखत

एफवीटीपीएल कर्ज लिखतों के लिए एक अवशिष्ट प्रवर्ग है। किसी कर्ज लिखत, जो यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर यथा प्रवर्गीकरण के लिए मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है, को यथा एफवीटीपीएल वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एफवीटीपीएल पर यथा कर्ज लिखत, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड पूर्ण करती है को अभिहित करने का चयन कर सकती है। तथापि ऐसे चयन केवल तभी अनुज्ञात किए जाते हैं जब ऐसा करने से मापन या अवधारण असंगति (लेखांकन असंतुलन के रूप में संदर्भित) कम होता है या दूर होता है। कंपनी ने किसी कर्ज लिखतों को यथा एफवीटीपीएल अभिहित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल प्रवर्ग में समाविष्ट कर्ज लिखतों को लाभ-हानि में निर्धारित समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किए जाते हैं।

2.14.1.2.4 अनुषंगियों, सह एवं संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार (भारतीय लेखांकन मानक का प्रथमतः अंगीकरण), पूर्व जीएएपी (सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत) के अनुसार इन निवेशों के वहनीय राशि यथा पारगमन की तिथि पर समझी गई लागत माना जाता है। तत्पश्चात अनुषंगियों, सह-सदस्यों और संयुक्त उद्यमों में निवेश लागत पर मापन किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणी के मामले में, भारतीय लेखांकन मानक 28 के 10वें पारा में यथा विहित साम्या विधि के अनुसार सह-सदस्यों और संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश लेखांकित किए जाते हैं।

2.14.1.2.5 अन्य साम्या निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 की व्याप्ति में समस्त अन्य साम्या निवेश लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं।

कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में पश्चात्वर्ती परिवर्तनों के लिए एक अप्रतिसंहरणीय चयन कर सकती है। कंपनी इस तरह के चयन लिखत दर लिखत के आधार पर करती है। प्रारम्भिक निर्धारण पर वर्गीकरण किया जाता है और अप्रतिसंहरनीय है।

लाभ और हानि विवरणी में उचित मूल्य अभिलाभ एवं हानि का कोई पश्चात्वर्ती पुनर्वर्गीकरण नहीं है। तदापि, कंपनी साम्या के अंदर संचयी अभिलाभ या हानि को अंतरित कर सकती है। इस तरह के निवेश से लाभांश को लाभ और हानि विवरणी में "अन्य आय" के रूप में निर्धारित किया जाता है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार अधिस्थापित होता है।

एफवीटीपीएल प्रवर्ग के अंतर्गत समाविष्ट साम्या लिखतें लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं।

2.14.1.3 अनिर्धारण

एक वित्तीय आस्ति (या, जहाँ प्रयोज्य है, वित्तीय आस्ति का एक भाग या समरूप वित्तीय आस्तियों का एक समूह) को प्रधानतः अनिर्धारित किए जाते हैं (अर्थात तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब :

- आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो चुका हो, या
- कंपनी ने आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के अधीन किसी तीसरे पक्षकार को तात्त्विक विलम्ब के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूर्णतः संदाय करने का दायित्व ग्रहण किया हो; और या तो (क) कंपनी ने आस्ति के समस्त जोखिमों और पारिश्रमिकों का सारतः हस्तांतरण किया हो, या (ख) कंपनी ने आस्ति के समस्त जोखिमों और पारिश्रमिकों का सारतः न तो हस्तांतरित किया हो न ही प्रतिधारित किया हो, बल्कि आस्ति के नियंत्रण को हस्तांतरित किया हो।

जब कंपनी किसी आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस विस्तार तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पारिश्रमिकों को प्रतिधारित किया है। जब इसने आस्ति के जोखिमों और पारिश्रमिकों को सारतः न तो हस्तांतरित किया है और न ही प्रतिधारित किया है, न ही आस्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है कंपनी कंपनी की सतत सहभागिता के विस्तार तक हस्तांतरित आस्ति को निर्धारण करना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी संबद्ध देयता का भी निर्धारण करती है। हस्तांतरित आस्ति और संबंधित देयता उस आधार पर मापित किए जाते हैं जो अधिकारों और दायित्वों जिसे कंपनी ने प्रतिधारित किया है को परावर्तित करता है। सतत सहभागिता जो हस्तांतरित आस्ति के ऊपर प्रत्याभूति का रूप लेती है आस्ति के मूल वहनीय राशि के निम्नतर पर मापन किया जाता है और प्रतिफल की अधिकतम राशि जिसे कंपनी को संदाय करने की आवश्यकता हो सकती है।

2.14.1.4 वित्तीय आस्तियों की क्षति (उचित मूल्य के बिना)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों और साख जोखिम एक्सपोजर पर क्षति हानि के मापन और निर्धारण के लिए प्रत्याशित साख हानि (ईसीएल) प्रतिरूप को लागू करती है :

a) वित्तीय परिसम्पति जो कर्ज लिखतें हैं, और परिशोधित लागत अर्थात ऋणें, कर्ज प्रतिभूतियों, जमाराशियों, व्यवसाय प्राप्तियों और बैंक में अतिशेष पर मापन किए जाते हैं

b) वित्तीय परिसम्पति जो कर्ज लिखतें हैं और एफवीटीओसीआई पर मापन किए जाते हैं

c) लेखांकन मानक 116 के अधीन पट्टा प्राप्तियाँ

d) व्यवसाय प्राप्तियाँ या नकदी या अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार जो लेनदेनों के परिणाम है और भारतीय लेखांकन मानक 115 की व्याप्ति के अंतर्गत है

कंपनी क्षति हानि भत्ता के निर्धारण के लिए अधोलिखित पर 'सरलीकृत उपागम' का अनुसरण करती है :

- व्यवसाय प्राप्तियाँ या संविदा राजस्व प्राप्तियाँ; और
- भारतीय लेखांकन मानक 116 के विस्तार के अंतर्गत लेनदेनों के परिणामतः समस्त पट्टा प्राप्तियाँ।

सरलीकृत उपागम का अभ्यावेदन के लिए कंपनी को साख जोखिम में परिवर्तनों पर नजर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर, इसकी प्रारंभिक निर्धारण से ही, आजीवन प्रत्याशित साख हानियों (ईसीएल) के आधार पर क्षति हानि भत्ता को निर्धारित करती है।

2.14.2 वित्तीय देयताएँ

2.14.2.1 आरंभिक निर्धारण एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताएँ बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यवसाय एवं अन्य देय राशियों, ऋणों और उधारों को समाविष्ट करती हैं।

समस्त वित्तीय देयताएँ प्रारंभतः उचित मूल्य पर और ऋणों एवं उधारों तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्षतः रोप्य लेनदेन लागतों पर निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.2.2 पाश्चिक मापन

वित्तीय देयताओं का मापन उनके वर्गीकरण, यथा निम्न व्याख्यायित, पर निर्भर करता है :

2.14.2.2.1 लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यवसाय के लिए धारित वित्तीय देयताओं और लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर यथा प्रारम्भिक निर्धारण के ऊपर अभिहित वित्तीय देयताओं को समाविष्ट करती है। वित्तीय देयताओं को यथा व्यवसाय के लिए धारित वर्गीकृत किए जाते हैं यदि वे निकट अवधि में पुनःक्रय के प्रयोजनार्थ उपगत किए जाते हैं। इस प्रवर्ग में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्नि वित्तीय लिखतें भी सम्मिलित हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा यथा परिभाषित बचाव संबंधों में बचाव लिखतों के रूप में अभिहित नहीं किया गया है। पृथक-पृथक अंतःस्थापित व्युत्पन्नि को भी यथा व्यवसाय के लिए धारित वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें यथा प्रभावी बचाव लिखतें अभिहित नहीं किया जाता है।

व्यवसाय के लिए धारित देयताओं पर अभिलाभ या हानियाँ को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.2.2.2 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयातएँ

प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात्, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर प्रणाली का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापन किए जाते हैं। अभिलाभ और हानियाँ लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं जब देयताओं को अनिर्धारण करने के साथ-साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रणाली के जरिए किए जाते हैं। परिशोधित लागत की गणना अर्जन पर किसी भी बट्टा या प्रीमियम और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं को ध्यान में रखकर की जाती है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ-हानि विवरणी में यथा वित्त लागत समाविष्ट किया जाता है।

2.14.2.3 अनिर्धारण

एक वित्तीय देयता को अनिर्धारित किया जाता है जब देयता के अधीन दायित्व का उन्मोचन या रद्द किया जाता है या पर्यवसित हो जाता है। जब उसी ऋणदाता से सारतः भिन्न निबंधनों पर एक विद्यमान वित्तीय देयता को अन्य से प्रस्थापित किया जाता है या विद्यमान देयता के निबंधन सारतः उपांतरित किए जाते हैं, ऐसे विनिमय या उपांतरण वास्तविक देयता के अनिर्धारण और नई देयता के निर्धारण की तरह व्यवहृत होते हैं। किसी अन्य पक्षकार को निर्वापित या अंतरित वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के भाग) की वहनीय राशि और कोई अंतरित गैर-नकदी आस्तियों या अवधारित देयताओं को समाविष्ट करते हुए संदत्त प्रतिफल के मध्य के अंतर को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाएंगे।

2.14.2.4 वित्तीय आस्तियों का पुनःवर्गीकरण

कंपनी प्रारम्भिक निर्धारण पर वित्तीय आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारम्भिक निर्धारण के पश्चात्, वित्तीय परिसम्पति जो साम्या लिखतें और वित्तीय देयताएँ हैं के लिए पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय आस्तियों के लिए जो ऋण लिखतें हैं, उन आस्तियों के प्रबंधन के लिए कारबार प्रतिरूप में यदि कोई परिवर्तन है तो पुनःवर्गीकरण किया जाता है। कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन यदा-कदा होना प्रत्याशित माना जाता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन यथा बाह्य और आंतरिक परिवर्तन के परिणाम जो कंपनी के परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं निर्धारित करती है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षकारों के लिए सुव्यक्त होते हैं। कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन पाया जाता है जब कंपनी कोई गतिविधि जो इसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है के कार्य-निष्पादन को या तो प्रारम्भ करती है या प्रविरत हो जाती है। यदि कंपनी वित्तीय आस्तियों को पुनःवर्गीकृत करती है, यह पुनःवर्गीकरण तिथि जो कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन का अनुगामी तत्काल अगले प्रतिवेदित अवधि का प्रथम दिवस है से भविष्यलक्षी रूप से पुनःवर्गीकरण लागू करती है। कंपनी किसी पूर्व निर्धारित अभिलाभों, हानियों (क्षति अतिलाभ या हानियाँ सहित) या ब्याज का पुनःकथन नहीं करती है।

निम्न तालिका नानाविध पुनःवर्गीकरण और उनका हिसाब कैसे लगाया जाता है को दर्शाती है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन सुविधा
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य पर मापन किया जाता हैं। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के मध्य का अंतर लाभ-हानि में निर्धारित किया जाता हैं।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहनीय राशि बन जाती है। नई वहनीय राशि के आधार पर प्रभावी ब्याज दर की संगणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य मापन किया जाता है। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के मध्य का अंतर अन्य व्यापक आय में निर्धारित किया जाता है। पुनःवर्गीकरण के कारण ईआईआर में में कोई परिवर्तन नहीं है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य पर इसकी नई परिशोधित लागत वहनीय राशि बन जाता है। तदापि, अन्य व्यापक आय में संचित अभिलाभ या हानि उचित मूल्य के प्रतिकूल समायोजित किया जाता है। तत्पश्चात, आस्ति को मापित किया जाता है जहाँ तक, यह सदैव परिशोधित लागत पर मापित किया गया हो।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहनीय राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	आस्तियों को उचित मूल्य पर मापन किया जाना जारी है। अन्य व्यापक आय में निर्धारित पूर्व संचयी अभिलाभ या हानि को पुनःवर्गीकरण तिथि पर लाभ-हानि विवरणी में पुनःवर्गीकृत किया जाता है।

2.14.2.5 वित्तीय लिखत का प्रतितुलन

आस्तियों की प्राप्ति के साथ-साथ देयताओं के निपटान के लिए, वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय देयताओं को समंजन/प्रतितुलन किया जाता है और निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है यदि निर्धारित राशियों को समंजन/प्रतितुलन करने के लिए वर्तमान में प्रवर्तनीय विधिक अधिकार हो और निवल आधार पर निपटान करने का आशय हो।

2.14.2.6 वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी आस्ति को बिक्री के लिए प्राप्त होगा या वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियों एवं देयताओं को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जो इस तरह के मापन के लिए नियोजित प्रविष्टियों का निरीक्षण करने की क्षमता पर निर्भर करती है:

(a) स्तर 1: प्रविष्टियाँ समान आस्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं।

(b) स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य प्रविष्टियों जो आस्ति यादेयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य हैं।

(c) स्तर 3: आस्ति या देयता के लिए प्रविष्टियाँ जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अदृश्य प्रविष्टियाँ) पर आधारित नहीं हैं।

कंपनी के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक अधिस्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापनों की देखरेख करने की समग्र दायित्व है जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य निविष्टियों, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करते हैं जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.14.3 नकद और नकदी के समतुल्य

बैलेंस शीट में नकदी और नकदी समकक्षों में बैंकों में और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समकक्ष में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।nt.

2.15 उधार लागत

उधार लागत को जैसे ही और जब उपगत होती है व्यय किया जाता है, सिवाय इसके कि जहाँ वे प्रत्यक्षतः अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए रोप्य होते हैं, अर्थात वे परिसम्पति जो इसके आशयित उपभोग के लिए तैयार रहने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समयावधि लेती है, इस मामले में उस तिथि तक जब अर्हक आस्ति इसके आशयित उपभोग के लिए तैयार हो उन आस्तियों के लागत के भाग के रूप में वे पूँजीकृत किए जाते हैं।

2.16 कराधान

आयकर व्यय वर्ष के लिए देय कर और आस्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर-योग्य लाभ (कर हानि) की बाबत देय (अप्रतिसंहरणीय) आयकरों की राशि है। करयोग्य लाभ लाभ और हानि विवरणी तथा अन्य व्यापक आय में यथा ज्ञापित "आयकर पूर्व लाभ" से भिन्न होता है क्योंकि यह आय या व्यय के मदों को जो अन्य वर्षों में करयोग्य या कटौतीयोग्य है को अपवर्जित करता है और यह आगे के मदों जो कभी भी करयोग्य या कटौतीयोग्य नहीं है को अपवर्जित करता है। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता कर को दरों जो प्रतिवेदित अवधि के अंत में अधिनियमित या विशेष्यतः अधिनियमित किया गया है का उपयोग करते हुए संगणित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताएँ प्रायः समस्त कर-योग्य अस्थायी अंतर के लिए निर्धारित किए जाते हैं। आस्थगित कर परिसम्पति प्रायः समस्त कटौती-योग्य अस्थायी अंतर उस विस्तार तक निर्धारित किए जाते हैं कि यह संभाव्य है कि कर-यो लाभ उपलब्ध होगा जिसके सहारे वे कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किए जा सकते हैं। ऐसी परिसम्पति और देयताएँ निर्धारित नहीं किए जाते हैं यदि लेन-देन में सदिच्छा से या अन्य आस्तियों और देयताओं के प्रारम्भिक निर्धारण (कारबार संयोजन से भिन्न में) से अस्थायी असमानताएँ उद्भूत होती हैं जो ना तो कर-योग्य लाभ को ना ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करती है।

आस्थगित कर देयताएँ अनुषंगियों और एसोसिएटों में निवेशों के साथ सहयुक्त कर-योग्य अस्थायी असमानताओं के लिए निर्धारित किए जाते हैं, सिवाय जहाँ कंपनी अस्थायी असमानताओं के उलटाव को नियंत्रित करने के लिए समर्थ है और यह संभाव्य है कि अस्थायी असमानता पूर्वाभासी भविष्य में फिर से उलटाव नहीं होगा। ऐसे निवेशों और ब्याजों से सहयुक्त कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों से उद्भूत हो रहे आस्थगित कर परिसम्पति केवल उस विस्तार तक निर्धारित किए जाते हैं कि यह संभाव्य है कि पर्याप्त कर-योग्य लाभ होंगे जिसके सहारे अस्थायी अंतरों की प्रसुविधाएँ उपयोग किए जाएँगे।

आस्थगित कर आस्तियों के वहनीय राशि प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में पुनर्विलोकित किए जाते हैं और उस विस्तार तक अवनत किए जाते हैं कि यह अधिक संभावी नहीं हो कि समस्त या आस्ति के भाग का प्रत्युद्धरण किया जाना है को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में उस विस्तार तक अनिर्धारित आस्थगित कर परिसम्पति पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं कि यह संभाव्य हो चुका है कि समस्त या आस्थगित कर आस्ति के भाग का प्रत्युद्धरण किया जाना है को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसम्पति और देयताएँ कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि जिसमें देयता निपटारित या आस्ति प्राप्त किए जाते हैं में संप्रयोजित करने के लिए प्रत्याशित होते हैं, कर दर (और कर विधियों) पर आधारित जो प्रतिवेदित अवधि के अंत तक अधिनियमित या विशेष्यतः अधिनियमित किये गए हैं।

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन कर परिणामों को परावर्तित करते हैं जो उस रीति से अनुसारित होते हैं जिसमें कंपनी प्रतिवेदित अवधि के अंत में, इसके आस्तियों और देयताओं के वहनीय राशि के प्रत्युद्धरण या निपटान करने की प्रत्याशा करती है।

चालू और आस्थगित कर लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं, सिवाय जब वे मदों से संबंधित होते हैं जो केवल अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्षतः साम्या में निर्धारित किए जाते हैं, जिन मामलों में, वर्तमान और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष साम्या में भी निर्धारित किए जाते हैं। जहाँ एक कारबार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर और आस्थगित कर उद्भूत होता है, कारबार संयोजन के लिए लेखांकन में कर प्रभाव समाविष्ट किया जाता है।

आस्थगित आयकर आस्तियों एवं देयताओं को प्रतितुलन किया जाता है जब चालू कर देयताओं के विरूद्ध चालू कर आस्तियों को प्रतितुलन करने के लिए विधिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर परिसम्पति एवं देयताएँ एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होती हैं या तो कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाएं जहाँ निवल आधार पर शेष राशि का निपटान करने का आशयित होता है।

2.17 कर्मी प्रसुविधाएँ

2.17.1 अल्पावधि प्रसुविधाएँ

अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ कर्मी प्रसुविधाएँ हैं (पर्यवासन से भिन्न) है जो वार्षिक प्रतिवेदित अवधि जिसमें कर्मीगण संबद्ध सेवा प्रदान करते हैं की समाप्ति के पश्चात के 12 माह पूर्व पूर्णतः निपटारित किए जाने की प्रत्याशा हैं।

अवधि जिसमें कर्मियों द्वारा सेवाएँ दी जाती हैं में समस्त अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.2 नियोजनोपरांत प्रसुविधाएँ एवं अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक पश्च-नियोजन प्रसुविधा योजना है जिसके अधीन कंपनी एक पृथक निकाय द्वारा अनुरक्षित निधि में नियत अंशदान का संदाय करती है और अगली राशि के संदाय के लिए कंपनी की कोई विधिक या आन्वयिक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के लिए दायित्व अवधि जिसके दौरान कर्मीगण द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं में लाभ और हानि विवरणी में यथा कर्मी प्रसुविधा व्यय निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.2.2 परिभाषित प्रसुविधाएँ योजना

परिभाषित प्रसुविधा योजना परिभाषित अंशदान योजना से भिन्न एक पश्च-नियोजन प्रसुविधा योजना है। परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं की बावत कंपनी का निवल दायित्व आगत प्रसुविधा की राशि के प्राक्कलन द्वारा संगणना की जाती है जिसे कर्मी ने वर्तमान और पूर्वीक अवधि में अपनी सेवा के बदले उपार्जित किया है। प्रसुविधा, यदि कोई हो, इसके वर्तमान मूल्य को अवधारित करने के लिए बट्टाकृत किया जाता है और योजना आस्तियों के उचित मूल्य द्वारा अवनत किया जाता है। बट्टा दर प्रतिवेदित तिथि को यथा भारत के सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होते हैं जिसकी कंपनी के दायित्वों के निबंधनों सन्निकटक परिपक्वता तिथि होती है और जिसे उसी मुद्रा में जिसमें प्रसुविधाएँ संदत्त किया जाना प्रत्याशित है मूल्यवर्गित किए जाते हैं।

बीमांकिक मूल्यांकन का आवेदन बट्टा दर, आस्तियों पर प्रतिलाभ का प्रत्याशित दर, आगत वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के विषय में अवधारणाएँ निर्माण को अंतर्ग्रस्त करता है। इन योजनाओं के दीर्घावधि प्रकृति के कारण, ऐसे प्राक्कलन अनिश्चितताओं के अध्यधीन होते हैं। पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा प्रत्येक तुलन पत्र में संगणना संपादित किए जाते हैं। जब संगणना से कंपनी के प्रसुविधा को परिणाम आता है, निर्धारित आस्ति योजना से या योजना के लिए आगत अंशदान में कमी से किसी आगत प्रतिदायों के रूप में उपलब्ध आर्थिक प्रसुविधाओं के वर्तमान मूल्य के लिए सीमित की जाती है। कंपनी के लिए आर्थिक प्रसुविधा उपलब्ध होता है यदि यह योजना के कार्यकाल, या योजना देयताओं के निपटारण के दौरान वसूलीयोग्य होता है।

निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता का पुनर्मापण, जो योजना आस्तियों पर प्रत्यागम (ब्याज रहित) और आस्ति सीमा (ब्याज रहित, यदि कोई हो) के प्रभावों को विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानियों को समाविष्ट करता है तत्काल अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी अवधि के दौरान निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) में किसी भी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यथा अंशदान और प्रसुविधा संदायों के परिणामस्वरूप, उस निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) को वार्षिक अवधि के प्रारंभ में परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) को मापन करने के लिए प्रयुक्त बट्टा दर के संप्रयोजन द्वारा उस अवधि के लिए निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता पर निवल ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ और हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

जब योजना की सुविधाएँ संवर्धित की जाती हैं, कर्मियों द्वारा पूर्व सेवा से संबंधित वृद्धि हुई प्रसुविधाओं के भाग लाभ और हानि विवरणी में तत्काल यथा व्यय निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.3 अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ

अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाओं, पश्च-नियोजन प्रसुविधाओं एवं पर्यवसान प्रसुविधाओं से भिन्न समस्त कर्मी प्रसुविधाएँ अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ हैं।

अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ उन मदों को समाविष्ट करती है जिसकी वार्षिक प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति के पश्चात जिसमें कर्मीगण संबंधित सेवाएँ देते हैं के बारह माह पूर्व निपटारित न होने की प्रत्याशा की जाती है।

अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाओं के लिए, लाभ या हानि विवरणी में निम्नलिखित राशियों का निवल कुल निर्धारित किया गया है :

अ. सेवा लागत

आ. निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) पर निवल ब्याज

इ. निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) का पुनःमापन

2.18 विदेशी मुद्रा

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर परादेय विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर यथा प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरणियों में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं के निपटान से या उस दर से भिन्न दरों जिसपर आरंभिक

निर्धारण पर परावर्तित की गई थी पर मौद्रिक आस्तियों और देयताओं के परावर्तित होने से उद्भूत विनिमय अंतरों को अवधि जिसमें वे उद्भूत हुए है में लाभ और हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों को मूल्यांकित किए जाते हैं।

2.19 विपट्टन गतिविधि

खुली खदान में खनन के मामले में, कोयले तक पहुंच और उसके निष्कर्षण के लिए खदान अपशिष्ट पदार्थ ("ओवरबर्डन") जिसमें कोयला परत के शीर्ष पर मिट्टी और चट्टान शामिल हैं, को हटाना आवश्यक है। कोयले तक पहुँचने के लिए ओवरबर्डन को हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कोयले तक पहुँच प्राप्त करने के लिए स्ट्रिपिंग आवश्यक है और ओपनकास्ट खदान के पूरे जीवनकाल में होती है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वर्गीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग लागत को अलग-अलग खदानों के लिए अलग-अलग हिसाब में लिया जाता है।

कंपनी निम्नानुसार विपट्टन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है :

विकास चरण के दौरान विपट्टन लागत :

ये कोयले तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किए गए प्रारंभिक ओवरबर्डन हटाने की लागतें हैं। इन लागतों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना होती है कि भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। एक बार उत्पादन चरण शुरू होने के बाद, पूंजीकृत विकास स्ट्रिपिंग लागतों को खदान के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है।

उत्पादन के दौरान विपट्टन लागत :

ये ओवरबर्डन हटाने की लागतें हैं जो कंपनी की नीति के अनुसार खदान को राजस्व में लाने के बाद आती हैं। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत दो लाभों को जन्म दे सकती है, वर्तमान अवधि में कोयले की निकासी और कोयले तक बेहतर पहुँच जो भविष्य की अवधि में निकाली जाएगी। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागतों को उत्पादित इन्वेंट्री और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के बीच एक मानक स्ट्रिप अनुपात (ओवरबर्डन-टू-कोल) का उपयोग करके आवंटित किया जाता है। मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के जीवनकाल में निकाले जाने वाले कुल कोयले के मुकाबले खदान के जीवनकाल में हटाए जाने वाले ओवरबर्डन की कुल मात्रा है। जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन मानक स्ट्रिप अनुपात पर प्रभाव डाल सकते हैं। अनुपात में परिवर्तन को भावी रूप से ध्यान में रखा जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत अलग से दिखाया जाता है।

उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को उन खदानों में मान्यता दी जाती है जिनकी निर्धारित क्षमता एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक है।

2.20 वस्तुसूचियाँ

2.20.1 कोयला स्टॉक

कोयला/कोककारी की वस्तुसूचियाँ कम लागत और निवल वसूलयोग्य मूल्य पर अभिकथित की जाती है। भारित औसत पद्धति का उपयोग करके वस्तुसूचियों के लागतों की संगणना की जाती है। निवल वसूलयोग्य मूल्य वस्तुसूचियों के अनुमानित विक्रय कीमत से सभी अनुमानित पूरण लागतों और विक्रय करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाकर व्यपदेशन करता है।

बहीगत कोयला स्टॉक को खाता में विचार किया जाता है जहाँ बहीगत स्टॉक एवं मापित स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक है और जहाँ अंतर +/- 5% से अधिक है के मामले में मापित स्टॉक पर विचार किया जाता है। ऐसे स्टॉक निवल वसूलयोग्य मूल्य या लागत जो कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है।

कोयला और कोककारी-सूक्ष्मक लागत या निवल वसूलीयोग्य मूल्य के कमतर पर मूल्यांकित और कोयला स्टॉक के अंश के रूप में प्रतिफलित किए जाते हैं।

कर्दम (कोककर/अकोककर), वाशारियों का मिडलिंग और उपोत्पादों का निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और कोयला स्टॉक के अंश के रूप में विचार किया जाता है।

2.20.2 भण्डार, उपकरणें एवं अन्य वस्तुसूचियाँ

अन्य वस्तुसूचियाँ सहित भण्डारों एवं उपकरणों (जिसमें खुदरा औजारें भी सम्मिलित है) के स्टॉक को भारित औसत विधि के आधार पर संगणित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोरों और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से अहस्तांतरित स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान बनाए गए हैं।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसम्पति

प्रावधानों को निर्धारित किया जाता है जब कंपनी के पास विगत घटना के फलस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) होता है, और यह अधिसंभाव्य है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक प्रसुविधाओं के निर्गमन की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ धन का सामयिक मूल्य भौतिक है तब दायित्व के निपटान के लिए प्रत्याशित व्यय के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को अभिकथित किया जाता है।

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों का पुनर्विलोकन किए जाते हैं और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शित करने के लिए समायोजित किए जाते हैं।

जहाँ यह अधिसंभाव्य नहीं होता है कि आर्थिक प्रसुविधाओं को निर्गमन की आवश्यकता होगी, या राशि को अनुमान स्थिरता से नहीं लगाया जा सकता है तब दायित्व को यथा आकस्मिक देयता प्रकटन किया जाता है, जबतक कि आर्थिक प्रसुविधाओं के निर्गमन की अधिसंभाव्यता दूरस्थ न हो। अधिसंभाव्य दायित्वों, जिसका अस्तित्व एक या अधिक भविष्यत् अनिश्चित घटनाओं जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न हो के घटित या अघटित होने के द्वारा केवल सुनिश्चित किया जाएगा, उसे यथा आकस्मिक देयताएँ भी प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक प्रसुविधाओं का निर्गमन की अधिसंभाव्यता दूरस्थ न हो।

आकस्मिक परिसम्पति संभावित परिसम्पति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से की जाएगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक आस्तियों का प्रकटन वित्तीय विवरणियों में तब किया जाता है जब प्रबन्ध के निर्णय के आधार पर आर्थिक प्रसुविधाओं की आमद संभाव्य हो। इनका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणियों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित हो।

2.22 अर्जन प्रति शेयर

प्रति शेयर मूल अर्जन अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयर के भारित औसत संख्या को करोपरांत निवल लाभ से विभाजित कर संगणना की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत अर्जन को मूल अर्जन प्रति शेयर को व्युत्पन्नित करने और भी साम्या शेय्ररों की भारित औसत संख्या जो समस्त तनुकृत रूपक संभाव्य साम्या शेयरों के रूपांतरण के लिए निर्गत किए गए हैं से प्रतिफलित साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या को करोपरांत लाभ से विभाजित कर संगणना की जाती है।

2.23 स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान (अनुपात भिन्नता)

पहले मान्यता प्राप्त स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान सीआईएल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से लगातार अपनाई गई नीति पर आधारित है। खदान के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (मानक अनुपात) की तुलना में ओबी से कोयले के वर्तमान अनुपात के आधार पर स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान को मान्यता दी गई या उलट दिया गया। इस लेखांकन पद्धति को आयकर प्राधिकारियों सहित अनेक आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी अपेक्षित मात्रा से अधिक ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा निकालने पर उलटफेर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाता है। ऐसा उलटफेर खदानों के लिए विशिष्ट है जिस दर पर उक्त प्रावधान को मान्यता दी गई है।

2.24 निर्णय, प्राक्कलन एवं ग्रहण

भारतीय लेखांकन मानक के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरणी की निर्मिति में प्रबंधन को प्राक्कलनों, निर्णयों और ग्रहणों जो आस्तियों एवं देयताओं के लेखांकन नीतियों एवं प्रतिवेदित राशियों के अनुप्रयोग, वित्तीय विवरणी की तिथि पर आकस्मिक आस्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण तथा प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करती है के निर्माण करने की आवश्यकता होती है। जटिल और विषयपरक निर्णयों वाले लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में ग्रहणों के उपयोग का प्रकटन किया गया है। लेखांकन प्राक्कलनें समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों और अंतर्निहित ग्रहणों का पुनर्विलोकन सतत आधार पर किया जाता है। अवधि जिसमें प्राक्कलन परिशोधित किए जाते है में लेखांकन प्राक्कलनों के लिए परिशोधनों को निर्धारित किए जाते हैं और, यदि तात्विक हो, इनके प्रभावों को वित्तीय विवरणियों के टिप्पणियों में प्रकटन किए जाते हैं।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखांकन नीतियों के संप्रयोजन की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए है जिनका वित्तीय विवरणी में निर्धारित राशियों पर अति विशिष्ट प्रभाव है।

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निरूपण

लेखांकन नीतियाँ इस तरीके से विनिर्मित की जाती है कि, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेनों, अन्य घटनाओं और दशाओं के बारे में सुसंगत और विश्वसनीय संसूचना से युक्त वित्तीय विवरणी में परिणाम होता है जिन पर वे संप्रयोजित होते हैं। उन नीतियों को संप्रयोजित करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें संप्रयोजन करने का प्रभाव महत्वहीन हो।

भारतीय लेखांकन नीति की अनुपस्थिति में जो विनिर्दिष्टतः किसी लेनदेनों, अन्य घटनाओं या दशाओं के लिए संप्रयोजित होती है, प्रबंधन ने लेखांकन नीति के विकास और संप्रयोजन में अपना निर्णय प्रयोग किया है जो संसूचनाओं में यथा परिणाम देता है :

a) प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय-निर्माण जरूरतों के लिए सुसंगत

b) उस वित्तीय विवरणी में विश्वसनीय होता है: और

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं; (ii) लेन-देन, अन्य घटनाओं और स्थितियों के आर्थिक सार को दर्शाते हैं, न कि केवल कानूनी रूप को; (iii) तटस्थ हैं, यानी पक्षपात से मुक्त हैं; (iv) विवेकपूर्ण हैं; और (v) सभी महत्वपूर्ण मामलों में सुसंगत आधार पर पूर्ण हैं

निर्णय निर्माण में, प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों की संप्रयोज्यताओं को निदिर्ष्ट और विचार करती है :

(a) एक समान और संबंधित विवाद्यकों की कार्यवाही में भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताएँ।

(b) रूपरेखा में आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय के लिए परिभाषाएँ, निर्धारण मानदंड और मापन संकल्पना।

निर्णय निर्माण में, प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की हाल की घोषणा को प्रतिफलित करती है और इसके अनुपस्थिति में उन अन्य मानक-समायोजक निकायों के जो उस विस्तार तक लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्यम प्रथाओं को विकसित करने के लिए समरूप संकल्पित रूपरेखा का प्रयोग करते हैं जो उपर्युक्त पैरा में यथा उद्धृत भारतीय लेखांकन मानक और लेखांकन नीतियों तथा प्रथाओं के साथ संघर्ष नहीं करते हो।

कंपनी खनन सेक्टर में संचालन करती है (जहाँ गवेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरणें दशकों से चालू अवधि वाले पट्टा में विस्तृत विविधि स्थलाकृति और भूखननीय भूभाग पर आधारित हैं), विगत कई दशकों से इसके अविरुद्ध अनुप्रयोगों के ऋणी होते हुए अनुसंधान समितियों द्वारा आलंबित एवं विभिन्न विनियामकों द्वारा अनुमोदित लेखांकन नीतियों जिसका विशिष्ट उद्दयम प्रथाओं पर आधारित होता है को विकसित किया गया है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन, और मानकों की अनुपस्थिति में जो उत्क्रमण की प्रक्रिया में हैं, कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के क्रम में लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और उसमें किसी भी विकास को विशेष रूप से भारतीय लेखांकन मानक 8 में ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव से हिसाब लगाया जाएगा।

2.24.1.2 तात्त्विक्ता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो तात्त्विक्ता हैं। प्रबंधन यह निर्णय लेने में विवेक का उपयोग करता है कि वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत मदें या मदों के समूह महत्वपूर्ण हैं या नहीं। महत्वपूर्णता का निर्धारण मदों की प्रकृति या परिमाण या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या किसी सूचना को छोड़ना, गलत बताना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के साथ मिलकर उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकता निर्धारित करने के लिए तात्त्विक्ता के निर्णय का भी उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा अपेक्षित होने पर अलग से महत्वहीन मदों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से पूर्व अवधियों से संबंधित वर्ष के दौरान खोजी गई त्रुटियों/चूक को महत्वहीन माना जाएगा और वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, यदि कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक शुल्कों के शुद्ध) के 1% से अधिक नहीं है।

2.24.1.3 परिचालनगत पट्टा

कंपनी ने पट्टा करार कर लिया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के निबंधनों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है और संपत्ति का उचित मूल्य, कि यह सभी महत्वपूर्ण जोखिमों को बरकरार रखता है और इन संपत्तियों के स्वामित्व के प्रतिफल और परिचालनगत पट्टों के रूप में संविदाओं के लिए जिम्मेदार हैं।

2.24.2 प्राक्कलन एवं ग्रहण

प्रतिवेदित तिथि पर प्राक्कलन अनिश्चितता के आगत और अन्य प्रमुख स्रोतों के मद्धे प्रमुख ग्रहणों, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं के वहनीय राशि के वास्तविक समायोजन के कारण एक विशिष्ट जोखिम है, नीचे वर्णित है। जब वित्तीय विवरणियों की विनिर्मिति किए जाते थे तब कंपनी ने उपलब्ध मापदण्डों पर अपने ग्रहणों और प्राक्कलनों को आधारित किया। आगत विकास को लेकर विद्यमान परिस्थितियों और ग्रहणों, यद्यपि बाजार परिवर्तनों या उद्भूत परिस्थितियों, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर होते हैं, के कारण परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब वे घटित होते हैं ग्रहणों में परावर्तित होते हैं।

प्राक्कलन, निर्णय और संबद्ध ग्रहणे पारम्परिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं।

प्राक्कलनों और अंतर्निहित ग्रहणों की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन प्राक्कलनों में संशोधन को उस अवधि में निर्धारण की जाती है जिसमें प्राक्कलन संशोधित होता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों के आवेदन के लिए जटिल और आत्मनिष्ठ निर्णयों और इन एकल वित्तीय विवरणियों में ग्रहणों के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और लेखांकन प्राक्कलनों की आवश्यकता होती है, जिनका प्रकटन यहाँ नीचे किया गया है :

2.24.2.1 गैर-वित्तीय आस्तियों की क्षति

हानि का एक उपदर्शन है यदि, किसी आस्ति या नकदी जनन इकाई का वहनीय मूल्य उसकी प्रत्युद्धरणीय राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य से अधिक है, निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के प्रयोजन के लिए व्यष्टि खानों को यथा पृथक नकदी जनन इकाइयाँ प्रतिफलित करती है। संगणना में प्रयुक्त मूल्य एक डीसीएफ प्रतिरूप पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से लिया गया है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू के आस्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। प्रत्युद्धरणीय राशि डीसीएफ मॉडल के लिए प्रयुक्त बट्टा दर के साथ-साथ बहिर्वेशन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त प्रत्याशित भावी नकदी-अंतर्वाह और वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचना के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। भिन्न-भिन्न सीजीयू के लिए प्रत्युद्धरणीय राशि अवधारित करने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ग्रहणों का प्रकटन किया गया है और आगे संबंधित टिप्पणियों में व्याख्या किया गया है।

2.24.2.2 आयकर

आस्थगित कर आस्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस विस्तार तक निर्धारित की जाती है कि यह अधिसंभाव्य है कि कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध हानियों की उपयोगिता सिद्धि की जा सकती है। संभावित समय और भविष्य के कर-योग्य लाभ के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर योजना रणनीतियों के आधार पर, आस्थगित कर आस्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.24.2.3 परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ

परिभाषित प्रसुविधा योजना और अन्य पश्च-नियोजन चिकित्सा प्रसुविधाओं की लागत और दायित्वों का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न ग्रहणों को सृजित करना सम्मिलित है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें बट्टा दर, भविष्यत् वेतन वृद्धि और मृत्यु दर के निर्धारण सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में सम्मिलित जटिलताओं के कारण, एक परिभाषित प्रसुविधा दायित्व इन ग्रहणों में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर सभी ग्रहणों की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अध्यधीन मापदंड बट्टा दर है। भारत में परिचालित परियोजनाओं के लिए उचित बट्टा दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन पश्च-नियोजन प्रसुविधा दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बॉडों की ब्याज दरों को प्रतिफलित करती है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में अंतराल पर ही उन मृत्यु दर तालिकाओं में परिवर्तन होता है।

2.24.2.4 विकास के अधीन अमूर्त आस्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार परियोजना के लिए विकास के अधीन अमूर्त आस्ति को पूँजीकृत करती है। लागतों का प्रारम्भिक पूँजीकरण प्रबंधन के निर्णयों पर आधारित होता है जिसका तकनीकी और आर्थिक साध्यता पुष्ट किया जाता है, प्रायः तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन विनिर्मित और अनुमोदित की जाती है।

2.24.2.5 खान संवरण, स्थल पुनरूद्धार एवं अप्रवर्तन दायित्व के लिए प्रावधान

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार परियोजना के लिए विकास के अधीन अमूर्त आस्ति को पूँजीकृत करती है। लागतों का प्रारम्भिक पूँजीकरण प्रबंधन के निर्णयों पर आधारित होता है जिसका तकनीकी और आर्थिक साध्यता पुष्ट किया जाता है, प्रायः तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन विनिर्मित और अनुमोदित की जाती है।

- भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर प्राक्कलित लागत
- बट्टा दर (पूर्व कर दर) जो मुद्रा का सामयिक मूल्य और देयता के विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को परावर्तित करता है।

2.25 प्रयुक्त संक्षेपाक्षर :

a.	सीजीयू	नकदी जनन इकाई	l.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
b.	डीसीएफ	बट्टागत नकदी प्रवाह	m.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
c.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य	n.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
d.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य	o.	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
e.	जीएएपी	सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत	p.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
f.	भा. ले. मा.	भारतीय लेखांकन मानक	q.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
g.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	r.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
h.	पी&एल	लाभ और हानि	s.	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
i.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	t.	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
j.	एसपीपीआई	मूल और ब्याज	u.	आईआईसीएम	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान
k.	इआईआर	प्रभावी ब्याज दर	v.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 3.1 : संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ स्थल प्रत्यावर्तन लागत	भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	संयंत्र एवं उपस्कर	संयंत्र एवं उपस्कर	वाहन	कार्यालयीन उपस्कर	दूरसंचार	रेलवे पार्श्वस्थल	अन्य खनन अवसंरचना	विपट्टन गतिविधि परिसम्पति	सर्वे-ऑफ परिसम्पति	सौर एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	कुल
सकल वहनीय राशि :															
01-04-2023 को यथा	501.56	1,708.92	438.13	792.12	3,017.42	104.77	6.71	24.00	27.49	190.79	1,219.38	853.82	13.69	1.24	**8,900.04**
परिवर्धन	195.50	159.73	11.71	94.45	204.50	2.08	2.69	14.88	14.57	19.10	106.15	366.39	7.55	-	**1,199.30**
अपमार्जन / समायोजन	-	(12.14)	(15.46)	(1.02)	(85.98)	(14.53)	-	13.30	(3.53)	0.21	(10.03)	-	0.08	(1.18)	**(130.28)**
31-03-2024 को यथा	**697.06**	**1,856.51**	**434.38**	**885.55**	**3,135.94**	**92.32**	**9.40**	**52.18**	**38.53**	**210.10**	**1,315.50**	**1,220.21**	**21.32**	**0.06**	**9,969.06**
01-04-2024 को यथा	697.06	1,856.51	434.38	885.55	3,135.94	92.32	9.40	52.18	38.53	210.10	1,315.50	1,220.21	21.32	0.06	**9,969.06**
परिवर्धन	196.45	100.14	133.07	47.20	304.03	1.15	4.63	10.35	7.24	11.53	122.84	365.83	8.66	-	**1,313.12**
अपमार्जन / समायोजन	(14.55)	0.06	(9.49)	(1.57)	(119.50)	(0.91)	0.27	1.26	(0.04)	(1.20)	1.07	-	(1.15)	(0.06)	**(145.81)**
31-03-2025 को यथा	**878.96**	**1,956.71**	**557.96**	**931.18**	**3,320.47**	**92.56**	**14.30**	**63.79**	**45.73**	**220.43**	**1,439.41**	**1,586.04**	**28.83**	**0.00**	**11,136.37**
संचित मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति[3.1.7]															
01-04-2023 को यथा	-	570.17	266.67	255.25	1,474.19	92.83	2.15	13.46	18.57	35.54	632.61	19.08	7.48	-	**3,388.00**
वर्ष के लिए प्रभार	-	140.61	20.02	46.29	256.64	2.39	0.55	7.77	2.18	13.43	134.41	67.89	2.88	-	**695.06**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	0.01	(0.75)	(86.19)	(12.77)	-	10.19	(0.03)	-	1.98	-	0.13	-	**(87.43)**
31-03-2024 को यथा	**-**	**710.78**	**286.70**	**300.79**	**1,644.64**	**82.45**	**2.70**	**31.42**	**20.72**	**48.97**	**769.00**	**86.97**	**10.49**	**-**	**3,995.63**
01-04-2024 को यथा	-	710.78	286.70	300.79	1,644.64	82.45	2.70	31.42	20.72	48.97	769.00	86.97	10.49	-	**3,995.63**
वर्ष के लिए प्रभार	-	151.85	16.00	53.21	222.02	1.76	1.05	10.14	3.92	13.40	106.61	147.16	(2.18)	-	**724.94**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	0.03	1.43	(93.57)	(0.82)	-	(2.75)	0.20	-	1.84	-	(0.14)	-	**(93.78)**
31-03-2025 को यथा	**-**	**862.63**	**302.73**	**355.43**	**1,773.09**	**83.39**	**3.75**	**38.81**	**24.84**	**62.37**	**877.45**	**234.13**	**8.17**	**-**	**4,626.79**
निवल वहनीय राशि															
31-03-2025 को यथा	**878.96**	**1,094.08**	**255.23**	**575.75**	**1,547.38**	**9.17**	**10.55**	**24.98**	**20.89**	**158.06**	**561.96**	**1,351.91**	**20.66**	**0.00**	**6,509.58**
31-03-2024 को यथा	**697.06**	**1,145.73**	**147.68**	**584.76**	**1,491.30**	**9.87**	**6.70**	**20.76**	**17.81**	**161.13**	**546.50**	**1,133.24**	**10.83**	**0.06**	**5,973.43**

टिप्पणी :

3.1.1. स्थावर संपत्तियों का हक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है।

तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद्द	तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद्द	सकल वहनीय मूल्य	के नाम पर हक विलेख	क्या हक विलेख धारक एक संप्रवर्तक, निदेशक या संप्रवर्तक*/ निदेशक का सगे-संबंधी# या संप्रवर्तक/निदेशक का कर्मी है?	संपत्ति किस तारीख से धारित है	संपत्ति किस तारीख से धारित है
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	समाधान के अधीन	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण में अधिगृहीत भूमि, संबंधित भूमि के लिए पृथकतः हक विलेख की आवश्यकता नहीं है। अधिगृहीत भूमि के लिए सभी अन्य हक विलेखें दखल में हैं और कंपनी के पक्ष में नामांतरित किया गया है सिवाय पूर्णस्वामित्व वाली भूमियों के कतिपय मामलें जहाँ विधिक औपचारिकताएँ लंबित होने के कारण वैसा ही प्रक्रियाधीन है। 720.00 हेक्टेयर भूमि की बाबत दस्तावेजों/हक विलेखों का संकलन एवं समाधान प्रगति पर है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

3.1.2. भूमि – अन्य में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन अधिगृहीत भूमि भी समाविष्ट है।

3.1.3. भूमि उद्धार/स्थल प्रत्यावर्तन लागत में मुद्रास्फीति (5% प्रति वर्ष) के लिए विधिवत वृद्धि हुए और तब 8% बट्टा दर में भुनाए गए जो उचित मूल्य पर चालू बाजार दर एवं जोखिम को प्रतिबिम्बित करता है खान समाप्ति के चरण में उपगत अनुमानित लागत समाविष्ट है।

3.1.4. कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन एवं कोयला खान बचाव संगठन से ग्रहण कर लिए गए आस्तियों एवं देयताओं, जिसके लिए कोई परिमाणात्मक ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, को उनके मूल्य के अवधारण के लंबित खातों में सम्मिलित नहीं किया गया है। कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन, कल्ला एवं केन्द्रीय अस्पताल के साथ-साथ 4 अन्य अस्पताल/औषधालयों, खान बचाव केन्द्र, बराकर इंजीनियरिंग एण्ड फाउंड्री वर्क्स की बाबत कंपनी द्वारा हस्तांतरित एवं ग्रहण की गई आस्तियों एवं देयताओं के लिए औपचारिक हस्तातंरण विलेखों/करार अभी अंतिम रूप दिया जाना है और कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना है।

3.1.5. भवन में आवासीय/कार्यालय/खनन क्षेत्रों में अवस्थित सड़क और नाला सम्मिलित है।

3.1.6. टिप्पणी-2 (2.7) में यथा उल्लिखित प्रयोज्य सक्रियता के आधार पर मूल्यह्रास को उपबंधित किया गया है।

3.1.7. स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों में भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिशिष्ट बी के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के माध्यम से व्यय का प्रतिवर्तन शामिल है। सामग्री लेखांकन नीति नोट 2.19 देखें।

3.1.8. संचित क्षति में संचलन

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ स्थल प्रत्यावर्तन लागत	भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	संयंत्र एवं उपस्कर	फर्नीचर एवं जुड़नार	वाहन	कार्यालयीन उपस्कर	दूरसंचार	रेलवे पार्श्वस्थल	अन्य खनन अवसंरचना	विपट्टन गतिविधि परिसम्पत्ति	सर्वे-ऑफ परिसम्पत्ति	सौर एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	कुल
01-04-2023 को यथा	-	-	-	-	22.55	-	-	-	-	-	264.70	-	7.48	-	**294.73**
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.27	-	2.88	-	**54.15**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	-	0.13	-	**1.01**
31-03-2024 को यथा	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**316.85**	**-**	**10.49**	**-**	**349.89**
01-04-2024 को यथा	-	-	-	-	22.55	-	-	-	-	-	316.85	-	10.49	-	**349.89**
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	0.03	0.61	0.01	-	0.01	-	-	37.14	-	(2.18)	-	**35.62**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	-	0.44	-	-	-	-	-	-	1.69	-	(0.14)	-	**1.99**
31-03-2025 को यथा	**-**	**-**	**-**	**0.47**	**23.16**	**0.01**	**-**	**0.01**	**-**	**-**	**355.68**	**-**	**8.17**	**-**	**387.50**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

नोट 3.2: पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ करोड़ में)

	भवन (जल आपूर्ति, सड़कें और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन अवसंरचना/विकास	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:							
01-04-2023 तक	82.46	223.63	169.60	98.37	-	1.12	**575.18**
परिवर्धन	72.20	315.22	77.32	114.84	18.24	18.36	**616.18**
कैपिटलाइज़ेशन/ विलोपन	(90.04)	(151.26)	(26.83)	(91.91)	-	(14.78)	**(374.82)**
31-03-2024 तक	**64.62**	**387.59**	**220.09**	**121.30**	**18.24**	**4.70**	**816.54**
01-04-2024 तक	64.62	387.59	220.09	121.30	18.24	4.70	**816.54**
परिवर्धन	30.13	343.74	53.98	144.58	128.82	6.56	**707.81**
कैपिटलाइज़ेशन/ विलोपन	(48.23)	(228.80)	(11.51)	(148.68)	-	(3.08)	**(440.30)**
31-03-2025 तक	**46.52**	**502.53**	**262.56**	**117.20**	**147.06**	**8.18**	**1,084.05**
संचित हानि							
01-04-2023 तक	0.52	2.86	-	15.14	-	0.08	**18.60**
वर्ष के लिए शुल्क	0.44	-	-	0.83	-	-	**1.27**
विलोपन/समायोजन	-	0.13	-	(2.02)	-	-	**(1.89)**
31-03-2024 तक	**0.96**	**2.99**	**-**	**13.95**	**-**	**0.08**	**17.98**
01-04-2024 तक	0.96	2.99	-	13.95	-	0.08	**17.98**
वर्ष के लिए शुल्क	0.88	0.16	0.28	5.56	-	-	**6.88**
विलोपन/समायोजन	(0.48)	0.03	-	(5.76)	-	0.04	**(6.17)**
31-03-2025 तक	**1.36**	**3.18**	**0.28**	**13.75**	**-**	**0.12**	**18.69**
शुद्ध वहन राशि							
31-03-2025 तक	**45.16**	**499.35**	**262.28**	**103.45**	**147.06**	**8.06**	**1,065.36**
31-03-2024 तक	**63.66**	**384.60**	**220.09**	**107.35**	**18.24**	**4.62**	**798.56**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणियाँ: 3.2.1 पूंजीगत कार्य-प्रगति की आयु निर्धारण अनुसूची (सकल)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025 को यथा पूँजीगत चालू कार्य में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला सहित)	20.79	17.53	0.53	7.57	**46.42**
संयंत्र एवं उपस्कर	50.78	100.15	177.23	174.37	**502.53**
रेलवे पार्श्वस्थल	99.90	99.06	41.01	22.59	**262.56**
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास	59.84	25.95	17.33	14.08	**117.20**
सौर परियोजना	128.82	18.24	-	-	**147.06**
अन्य	7.88	-	0.17	0.13	**8.18**
कुल (क)	**368.01**	**260.93**	**236.27**	**218.74**	**1,083.95**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)					
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अधीन डालुरबांध में पहुँच आरसीसी सड़क का निर्माण	-	-	-	0.10	**0.10**
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास					
संयंत्र और उपकरण					**-**
रेलवे साइडिंग					**-**
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					**-**
सौर परियोजना					
अन्य					
कुल (ख)	**-**	**-**	**-**	**0.10**	**0.10**
कुल जोड़ (क + ख)	**368.01**	**260.93**	**236.27**	**218.84**	**1084.05**

	31-03-2024 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
भवन निर्माण (जल आपूर्ति, सड़कें और पुलिया सहित)	39.64	3.44	11.78	9.10	**63.96**
संयंत्र और उपकरण	134.38	130.70	115.44	7.07	**387.59**
रेलवे साइडिंग	115.86	59.81	25.04	19.38	**220.09**
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	59.36	21.17	14.67	23.97	**119.17**
सौर परियोजना	18.24				**18.24**
अन्य	4.24	0.17	-	0.29	**4.70**
कुल (ए)	**371.72**	**215.29**	**166.93**	**59.81**	**813.75**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
निर्माण कार्य (जल आपूर्ति, सडकें और पुलिया सहित)					
मंडेरबोनी कोलियरी में फुटबॉल मैदान के चारों ओर चारदीवारी			0.11		**0.11**
पांडवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत दलुरबांध में पहुँच आरसीसी सड़क का निर्माण				0.10	**0.10**
सलानपुर परिसर में चारदीवारी का निर्माण				0.45	**0.45**

	31-03-2024 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					
पांडवेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत पांडवेश्वर भूमिगत जलमार्ग में वापसी मार्ग के किनारे छत बोल्टिंग				0.02	**0.02**
खोट्टाडीह भूमिगत जलमार्ग में सेक्शनल स्टॉपिंग का कार्य जारी				0.01	**0.01**
बनबहाल गाँव के निकट 25 एमवीए सब-स्टेशन के पास स्थित 5 6.6 केवी फीडरों को खदान सीमा के साथ परित्यक्त 4 एमवीए सब-स्टेशन और शंकरपुर डंप के माध्यम से तथा 25 एमवीए सब-स्टेशन से सेक्टर 3 तक 1 फीडर को सोनपुर बाजारी परियोजना में डायवर्ट एनएच-60 के साथ स्थानांतरित किया जाएगा।				2.10	**2.10**
कुल (बी)	**-**	**-**	**0.11**	**2.68**	**2.79**
कुल योग (ए + बी)	**371.72**	**215.29**	**167.04**	**62.49**	**816.54**

3.2.2 31-03-2025 तक भौतिक पूंजी-कार्य-प्रगति पर (सकल) के लिए अतिदेय:

	में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
निर्माण (जल आपूर्ति, सड़कें और पुलिया सहित):					
जेपीसी में सबस्टेशन का निर्माण	3.65				**3.65**
संयंत्र और उपकरण:					
झांझरा परियोजना में सीएचपी का निर्माण	116.08				**116.08**
आरओसीपी 10 एमटीपी में सीएचपी का निर्माण	170.98				**170.98**
हुरा सीओ ओसीपी 3 एमटीपी में सीएचपी का निर्माण	118.18				**118.18**
रेलवे साइडिंग:					
झांझरा में नई रेलवे साइडिंग का निर्माण	128.99				**128.99**
अन्य खनन अवसंरचना:					
एमआईसी में 3 और 5 इनक्लाइन का निर्माण	6.59				**6.59**
कुल (ए)	**544.47**	**-**	**-**	**-**	**544.47**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
भवन निर्माण (जल आपूर्ति, सड़कें और पुलिया सहित)					
अन्य					
कुल (बी)	-	-	-	-	-
कुल योग (ए)+(बी)	**544.47**	**-**	**-**	**-**	**544.47**

31-03-2024 तक भौतिक पूंजी-कार्य-प्रगति पर (सकल) के लिए अतिदेय:

	में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
निर्माण (जल आपूर्ति, सड़कें और पुलिया सहित):					
झांझरा परियोजना में लॉन्गवॉल वर्कशॉप का निर्माण	5.35				**5.35**
संयंत्र और उपकरण:					
झांझरा परियोजना में सीएचपी का निर्माण	107.38				**107.38**
रेलवे साइडिंग:					
बांसरा में रेलवे साइडिंग का निर्माण कुनुस्तोरिया क्षेत्र में रेलवे साइडिंग का निर्माण					**-**
झांझरा में नई रेलवे साइडिंग का निर्माण	108.19				**108.19**
अन्य खनन अवसंरचना:					
3 और 5 इनक्लाइन का निर्माण	3.58				**3.58**
कुल (ए)	**224.50**	**-**	**-**	**-**	**224.50**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
भवन निर्माण (जल आपूर्ति, सड़कें और पुलिया सहित)					
अन्य					
कुल (बी)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल योग (ए)+(बी)	**224.50**	**-**	**-**	**-**	**224.50**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 3.3 : अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसम्पति

	अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहनीय राशि :	
01-04-2023 को यथा	713.71
परिवर्धन	41.64
पूँजीगत चालू कार्य में अंतरण/ अपमार्जन / समायोजन	8.68
31-03-2024 को यथा	**764.03**
01-04-2024 को यथा	764.03
परिवर्धन	39.92
पूँजीगत चालू कार्य में अंतरण/ अपमार्जन / समायोजन	18.24
31-03-2025 को यथा	**822.19**
संचित क्षति	
01-04-2023 को यथा	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
अपमार्जन / समायोजन	-
31-03-2024 को यथा	**-**
01-04-2024 को यथा	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
अपमार्जन / समायोजन	-
31-03-2025 को यथा	**-**
निवल वहनीय राशि	
31-03-2025 को यथा	**822.19**
31-03-2024 को यथा	**764.03**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसम्पत्ति

3.3.1 अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियों (सकल) के लिए काल-प्रभावन अधिसूची

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025 को यथा अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर हैं	89.82	38.30	36.29	657.78	**822.19**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
	-	-	-	-	**-**
कुल	**89.82**	**38.30**	**36.29**	**657.78**	**822.19**

	31-03-2024 को यथा अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर हैं	67.13	39.62	5.83	651.45	**764.03**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
	-	-	-	-	**-**
कुल	**67.13**	**39.62**	**5.83**	**651.45**	**764.03**

3.3.2 31-03-2025 को यथा तात्विक अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसम्पति (सकल) बकाया:

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर हैं:					
	-	-	-	-	**-**
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

31-03-2024 को यथा तात्विक अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसम्पति (सकल) बकाया:

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर हैं:					
	-	-	-	-	**-**
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 3.4 : अमूर्त परिसम्पति

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
सकल वहनीय राशि :			
01-04-2023 को यथा	20.73	-	**20.73**
परिवर्धन	0.93	-	**0.93**
अपमार्जन / समायोजन	(0.05)	-	**(0.05)**
31-03-2024 को यथा	**21.61**	**-**	**21.61**
01-04-2024 को यथा	21.61	-	**21.61**
परिवर्धन	0.12	-	**0.12**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2025 को यथा	**21.73**	**-**	**21.73**
संचित परिशोधन एवं क्षति[3.4.1]			
01-04-2023 को यथा	5.37	-	**5.37**
वर्ष के लिए प्रभार	3.84	-	**3.84**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2024 को यथा	**9.21**	**-**	**9.21**
01-04-2024 को यथा	9.21	-	**9.21**
वर्ष के लिए प्रभार	3.08	-	**3.08**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2025 को यथा	**12.29**	**-**	**12.29**
निवल वहनीय राशि			
31-03-2025 को यथा	9.44	-	9.44
31-03-2024 को यथा	12.40	-	12.40
3.4.1. संचित क्षति में संचलन			
01-04-2023 को यथा	-	-	**-**
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	**-**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2024 को यथा	**-**	**-**	**-**
01-04-2024 को यथा	-	-	**-**
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	**-**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2025 को यथा	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 3.5 : विकासाधीन अमूर्त परिसम्पति

(₹ करोड़ में)

	विकासाधीन सॉफ्टवेयर
सकल वहनीय राशि:	
को यथा 01-04-2023	-
परिवर्धन	-
पूँजीकरण / अपमार्जन	-
31-03-2024 को यथा	**-**
01-04-2024 को यथा	-
परिवर्धन	-
पूँजीकरण / अपमार्जन	-
31-03-2025 को यथा	**-**
संचित हानि	
01-04-2023 को यथा	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
अपमार्जन / समायोजन	-
31-03-2024 को यथा	**-**
01-04-2024 को यथा	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
अपमार्जन / समायोजन	-
31-03-2025 को यथा	**-**
निवल वहनीय राशि	
31-03-2025 को यथा	-
31-03-2024 को यथा	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

3.5.1 विकासाधीन अमूर्त आस्तियों के लिए काल-प्रभावन अधिसूची (₹ करोड़ में)

	31-03-2025 को यथा विकासाधीन अमूर्त आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

	31-03-2024 को यथा विकासाधीन अमूर्त आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

3.5.2 31-03-2025 को यथा विकासाधीन तात्त्विक अमूर्त परिसम्पति बकाया (सकल):

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर					
	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

31-03-2024 को यथा विकासाधीन तात्त्विक अमूर्त परिसम्पति बकाया (सकल):

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर					
	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 4.1 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष/(पूर्व वर्ष) शेयरों की संख्या	₹ में अंकित मूल्य प्रति शेयर चालू वर्ष/ (पूर्व वर्ष)	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
अप्रचलित				
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)				
i) कोल माइन्स ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" वर्गीय शेयर	500 (500)	1000 (1000)	0.05	0.05
ii) डिसेरगढ़ कोलियरी वर्क्स सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि. में 1000 "डी" वर्गीय शेयर	1000 (1000)	100 (100)	0.01	0.01
iii) मुगमा कोलफील्ड्स कोलियरी वर्क्स सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि. में 4000 शेयर	4000 (4000)	25 (25)	0.01	0.01
iv) सोदपुर कोलियरी इंप्लॉईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" वर्गीय शेयर	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
v) धेमोमेन कोलियरी इंप्लॉईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" वर्गीय शेयर	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
कुल			**0.08**	**0.08**
चालू				
पारस्परिक निधि निवेश				
यूटीआई पारस्परिक निधि			-	-
एलआईसी पारस्परिक निधि			-	-
एसबीआई पारस्परिक निधि			-	-
केनरा रोबेको पारस्परिक निधि			-	-
यूनियन केबीसी पारस्परिक निधि			-	-
बीओआई एक्सा पारस्परिक निधि			-	-
कुल			**-**	**-**

4.1.1 उद्धृत / अउद्धृत निवेश का बाजार मूल्य का ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

	अप्रचलित		चालू	
	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
अउद्धृत निवेशों का सकल राशि			-	-
उद्धृत निवेशों का सकल राशि	0.08	0.08	-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य			-	-
निवेशों के मूल्य में क्षति का सकल राशि			-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 4.2 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025		को यथा 31-03-2024	
अप्रचलित				
संबद्ध पक्षकारों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	-		-	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट[4.2.1]	-	-	-	-
संबद्ध पक्षकारों से भिन्न को ऋण				
निगमित निकाय एवं कर्मियों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-		0.02	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	-		0.02	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट[4.2.1]	-	-	-	0.02
कुल		**-**		**0.02**

	को यथा 31-03-2025		को यथा 31-03-2024	
चालू				
संबद्ध पक्षकारों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	-		-	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट[4.2.1]	-	-	-	-
संबद्ध पक्षकारों से भिन्न को ऋण				
निगमित निकाय एवं कर्मियों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	-		-	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट[4.2.1]	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025		को यथा 31-03-2024	
कुल		-		-
4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष के लिए छूट में संचलन के ब्यौरे (चालू एवं अप्रचलित):				
वर्ष के आरंभ में शेष		-		-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त		-		-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-		-
वर्ष के अंत में शेष राशि		-		-
4.2.2 संबंद्ध पक्षकारों को ऋण हेतु - टिप्पणी 16(5)(ग)(vi) में संदर्भित				
4.2.3 निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 16(5)(ग)(v)				

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 4.3 : व्यवसाय प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025		को यथा 31-03-2024	
चालू				
व्यवसाय प्राप्य				
प्रतिभूत, समझे गए माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझे गए माल	2,059.08		1,892.15	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	286.44		496.07	
	2,345.52		2,388.22	
न्यून : प्रत्याशित साख हानियों के लिए छूट[4.3.1]	286.44	2,059.08	496.07	1,892.15
कुल		**2,059.08**		**1,892.15**

टिप्पणियाँ :	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024

4.3.1 कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के साख हानि के लिए छूट निर्धारित करने में प्रावधान आव्यूह के आधार पर प्रत्याशित साख हानि छूट की संगणना करके व्यावहारिक समीचीन का उपयोग किया है। प्रावधान आव्यूह ऐतिहासिक साख हानि अनुभव और दूरंदेशी जानकारी को ध्यान में रखता है। प्रत्याशित साख हानि छूट देय प्राप्तियों का काल-प्रभावन बढ़ने और प्रावधान आव्यूह में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

प्रत्याशित साख हानि के लिए छूट में संचलन के ब्यौरे : -		
वर्ष के आरंभ में शेष	496.07	365.84
वर्ष के दौरान निर्धारित	8.56	132.28
वर्ष के दौरान प्रतिलेखन	218.19	2.05
वर्ष के अंत में शेष	286.44	496.07
4.3.2 निदेशकों से देयों के लिए -टिप्पणी 16(5)(ग)(v) में संदर्भित		

4.3.3 व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची 31-03-2025 को यथा:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	बिल-अनिर्दिष्ट देय	लेनदेन तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षो सं अधिक	
i. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	994.91	780.81	-	-	11.85	172.68	1,960.25
ii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	-	-
iii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	-	-	-	-	-
iv. विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	-	-	-	8.96	89.87	-	98.83
v. विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	-	-
vi. विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	-	-	7.85	278.59	286.44
कुल	**994.91**	**780.81**	**-**	**8.96**	**109.57**	**451.27**	**2,345.52**
प्रत्याशित साख हानियों के लिए छूट	-	-	-	-	7.85	278.59	286.44
प्रत्याशित साख हानियाँ (हानि छूट प्रावधान) - %					7.16%	61.73%	12.21%

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची 31-03-2024 को यथा:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	बिल-अनिर्दिष्ट देय	लेनदेन तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षो सं अधिक	
i. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	747.75	680.41	-	5.68	36.23	364.08	**1,834.15**
ii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	-	**-**
iii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	-	-	-	1.52	**1.52**
iv. विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	-	-	-	5.97	28.70	23.32	**57.99**
v. विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	-	**-**
vi. विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	-	0.30	0.07	494.19	**494.56**
कुल	**747.75**	**680.41**	**-**	**11.95**	**65.00**	**883.11**	**2,388.22**
प्रत्याशित साख हानियों के लिए छूट		-	-	0.30	0.07	495.70	**496.07**
प्रत्याशित साख हानियाँ (हानि छूट प्रावधान) - %		-		2.51%	0.11%	56.13%	20.77%

4.3.4 उपर्युक्त व्यवसाय प्राप्य कोयला गुणवत्ता अंतर का निवल है। ब्यौरे यथा निम्नवत है :

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
कोयला गुणवत्ता अंतर का आरंभिक शेष	(123.58)	(110.71)
वर्ष के दौरान परिवर्धन	379.59	91.21
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण	15.64	104.08
कोयला गुणवत्ता अंतर का अंतिम शेष	**240.37**	**(123.58)**
कोष्ठक में के आँकड़े व्यवसाय में वृद्धि के परिणामस्वरूप अंतर का ध्योतक है।		
4.3.5 प्रत्याशित साख हानि मॉडल पर व्यवसाय प्राप्य के लिए छूट किया गया है।		

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 4.4 : नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
बैंकों के पास शेषराशियाँ		
i. जमा खाता में	8.41	8.25
ii. चालू खाता में	114.31	77.02
भारत के बाहर बैंक अतिशेष	-	-
हाथ में चेक, ड्रॉफ्ट एवं स्टॉम्प	-	-
नकदी रुपया	-	-
भारत के बाहर नकदी रुपया	-	-
अन्य[4.4.1]	85.43	33.85
कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य	**208.15**	**119.12**

4.4.1 अन्य में ई-अधिप्राप्ति खाता, GeM खाता, अग्रदाय शेषराशियाँ सम्मिलित हैं।

4.4.2 नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ और बैंक में नकदी, स्वीप खाते और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले बैंकों के पास सावधि जमा समाविष्ट हैं।

टिप्पणी - 4.5 : अन्य बैंक अतिशेष

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
बैंकों के पास शेषराशियाँ:		
जमा खाता[4.5.1]	1,050.61	1,755.61
जमा खाता (विशिष्ट प्रयोजनार्थ[4.5.2])	28.54	43.04
खान संवरण योजना	-	-
चालू परियोजनाओं के लिए सीएसआर निधि	-	
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधि योजना	-	-
शेयरों की चुकौती के लिए निलंब खाता	-	-
अप्रदत्त लाभांश खाता	-	-
लाभांश खाता	-	-
कुल	**1,079.15**	**1,798.65**

टिप्पणी :

4.5.1 इसमें ₹ 899.50 करोड़ (₹ 1536.25 करोड़) की राशि के ग्रहणाधिकार के अंतर्गत बैंक जमा शामिल है, जिसके विरुद्ध ₹ 854.52 करोड़ (₹ 1469.94 करोड़) की स्वीकृति सीमा के साथ विभिन्न बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया गया था।

4.5.2 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/निर्धारित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं।

4.5.3 अन्य बैंक शेष में जमाराशियां शामिल हैं - विशिष्ट प्रयोजनों के लिए तथा बैंक जमाराशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसम्पति

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025		को यथा 31-03-2024	
अप्रचलित				
प्रतिभूति जमाराशियाँ[4.6.2]	22.45		26.18	
न्यून : संदिग्ध प्रतिभूति जमाराशियों के लिए छूट[4.6.1]	21.11	1.34	21.20	4.98
12 माह से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक जमाराशियाँ[4.6.4]		57.61		76.61
खान संवरण योजना के अधीन बैंक में जमाराशियाँ[4.6.3]		1,176.68		1,023.13
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधि योजना के अधीन बैंक में जमाराशियाँ		-		-
अन्य जमाराशियाँ एवं प्राप्य	-		-	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए छूट[4.6.1]	-	-	-	-
कुल		**1,235.63**		**1,104.72**
चालू				
प्रतिभूति जमाराशियाँ	2.06		-	
न्यून : संदिग्ध प्रतिभूति जमाराशियों के लिए छूट[4.6.1]	0.07	1.99	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ चालू खाता शेष		-		-
आईआईसीएम के पास शेष		-		
उपचित ब्याज		84.75		131.49
अन्य जमाराशियाँ एवं प्राप्य	21.33		21.69	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए छूट[4.6.1]	9.05	12.28	8.15	13.54
कुल		**99.02**		**145.03**

4.6.1 संदिग्ध जमाराशियों एवं प्राप्यों (चालू एवं अप्रचलित) के लिए छूट में संचलन के ब्यौरे

वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ	29.35	27.17
वर्ष के दौरान निर्धारित	2.81	2.18
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	1.93	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	30.23	29.35

4.6.2. सुरक्षा जमा में पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त होने वाले विद्युत शुल्क की वापसी के रूप में ₹ 20.86 करोड़ (₹ 20.86 करोड़) शामिल हैं।

4.6.3. खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा राशि

खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। 31.01.2025 के एमसीपी दिशा-निर्देशों के अनुसार एस्क्रो खाते में जमा कुल राशि का 50% ब्याज को छोड़कर खदान बंद करने की दिशा में किए गए कार्य के आधार पर हर साल जारी किया जा सकता है और हर पाँच साल के बाद एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित कुल जमा राशि का 50% दिशानिर्देशों के अनुसार बंद करने की योजना की आवधिक जांच के अनुरूप जारी किया जा सकता है। हालाँकि जिस वर्ष 5 वार्षिक प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है, उस वर्ष वार्षिक प्रतिपूर्ति लागू नहीं होगी (साइट बहाली/खदान बंद करने के प्रावधान के लिए नोट 9.1 देखें)।

	31-03-2025 को यथा	31-03-2024 को यथा
आरंभिक तिथि पर निलंब खाता में शेष	1,023.13	870.59
जोड़ : चालू वर्ष के दौरान जमाशेष	76.13	85.44
जोड़ : वर्ष के दौरान जमा ब्याज	82.34	67.10
न्यून : वर्ष के दौरान निकासी राशि	4.92	-
लेखाबंदी तिथि पर निलंब खाता में शेष	**1,176.68**	**1,023.13**

4.6.4 न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई/निर्धारित बैंक जमाराशियों और अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दर्शाई गई जमाराशियां।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 5.1 : वस्तुसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025		को यथा 31-03-2024	
कोयला (तैयार माल)	1,051.74		809.69	
विकास परियोजनाओं में कोयला	-		-	
न्यून : मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान[5.1.1]	1.31		1.60	
		1,050.43		808.09
भण्डारों, पुर्जे एवं अन्य वस्तुसूचियाँ [5.1.3]	395.56		360.89	
न्यून : कलापेक्षी, अचल और बेकार वस्तुसूचियों के लिए प्रावधान [5.1.2]	50.40		47.93	
		345.16		312.96
कुल		**1,395.59**		**1,121.05**
5.1.1 मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान के संचलन के ब्यौरे				
वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ		1.60		1.43
वर्ष के दौरान निर्धारित		0.02		0.17
वर्ष के दौरान अनिर्धारित		0.31		-
वर्ष के अंतिम में शेष राशियाँ		1.31		1.60

5.1.2 भण्डारों एवं पुर्जों की वस्तुसूची में ऐसे आइटम सम्मिलित हैं जो कलाक्षेपी, अचल एवं बेकार की श्रेणियों में आते हैं। कंपनी की नीति के अनुसार इन वस्तुओं के लिए क्षत छूटे निर्धारित की जाती है।

कलाक्षेपी, अचल एवं बेकार भण्डारों, पुर्जों एवं अन्य वस्तुसूचियों के लिए क्षत छूटों में संचलन के ब्यौरे :

वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ	47.93	44.25
वर्ष के दौरान निर्धारित	2.67	3.73
वर्ष के दौरान अनिर्धारित	0.20	0.05
वर्ष के अंतिम में शेष राशियाँ	50.40	47.93

5.1.3 उपर्युक्त अन्य वस्तुसूचियों में कर्मशाला जाब्स, स्टेशनरी, औषधि, प्रेस जाब्स आदि के स्टॉक सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 5.1 को उपाबंध

(₹ करोड़ में)

31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए खातों में अपनाए गए कोयले के अंतिम स्टॉक का बुक स्टॉक के साथ मिलान

	समग्र सॉक		(लाख टन में परिमाण) (मूल्य ₹ करोड़ में)			
			अविक्रेय स्टॉक		विक्रेय स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. 01.04.2024 को यथा आरंभिक स्टॉक	59.62	809.69	-	-	59.62	809.69
जोड़/(न्यून) : आरंभिक स्टॉक में समायोजन	-	-	-	-	-	-
01.04.2024 को यथा समायोजित आरंभिक स्टॉक	**59.62**	**809.69**	**-**	**-**	**59.62**	**809.69**
2. वर्ष के लिए उत्पादन	520.35		-		520.35	
3. अंशसमष्टि (1 + 2)	**579.97**	**809.69**	**-**	**-**	**579.97**	**809.69**
4. वर्ष के लिए कुल कारबार						
क. बाह्य प्रेषण	496.18	14,347.34	-	-	496.18	14,347.34
ख. वासरी को कोयला संभरण	-	-	-	-	-	-
ग. स्व खपत	1.39	44.68	-	-	1.39	44.68
कुल	**497.57**	**14,392.02**	**-**	**-**	**497.57**	**14,392.02**
5. व्युत्पन्न स्टॉक	82.40	1,051.74	-	-	82.40	1,051.74
6. मापित स्टॉक	80.81	1,028.87	-	-	80.81	1,028.87
7. भिन्नता (5-6)	1.59	22.87	-	-	1.59	22.87
8. भिन्नता का विश्लेषित आँकड़े						
अ. 5% के अंदर अतिरिक्त	0.17	1.48	-	-	0.17	1.48
आ. 5% के अंदर कमी	1.76	24.35	-	-	1.76	24.35
इ. 5% से अधिक अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-
ई. 5% से अधिक कमी	-	-	-	-	-	-
9. लेखा में अंगीकृत लेखाबंदी स्टॉक [6 – 8अ + 8आ]	**82.40**	**1,051.74**	**-**	**-**	**82.40**	**1,051.74**

कोयले का लेखाबंदी स्टॉक की सार

	कच्चा कोयला				प्रक्षाल कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोककर		अकोककर		कोककर		अकोककर					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (लेखापरीक्षित)	-	-	59.62	809.69	-	-	-	-	-	-	59.62	809.69
न्यून : अविक्रेय कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजित आरंभिक स्टॉक (विक्रेय)	-	-	59.62	809.69	-	-	-	-	-	-	59.62	809.69
उत्पादन	**-**	**-**	**520.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**520.35**	**-**
कुल कारबार												
अ. बाह्य प्रेषण	-	-	496.18	14,347.34	-	-	-	-	-	-	496.18	14,347.34
आ. वासरी को कोयला संभारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इ. स्व खपत	-	-	1.39	44.68	-	-	-	-	-	-	1.39	44.68
लेखाबंदी स्टॉक	-	-	82.40	1,051.74	-	-	-	-	-	-	82.40	1,051.74
न्यून : कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2025 तक समापन स्टॉक	**-**	**-**	**82.40**	**1,051.74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.40**	**1,051.74**
न्यून : कोयले का लेखाबंदी सटॉक के विरूद्ध प्रावधान	**-**	**-**	**-**	1.31	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	1.31
31-03-2025 तक समापन स्टॉक	**-**	**-**	**82.40**	**1,050.43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.40**	**1,050.43**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 6.1 : अन्य अप्रचलित परिसम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025		को यथा 31-03-2024	
i. पूँजीगत अग्रिम	267.52		251.61	
न्यून : संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट[6.1.1]	1.48	266.04	1.48	250.13
ii. पूँजीगत अग्रिमों से भिन्न अग्रिम				
अ. अन्य जमाराशियाँ एवं अग्रिम[6.1.3]	41.41		43.25	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों के लिए छूट[6.1.1]	-	41.41	1.52	41.73
iii. उपगत प्रगामी खान संवरण व्यय[6.1.2]		1,200.97		977.82
iv. संबद्ध पक्षकारों को अग्रिम				
कुल		**1,508.42**		**1,269.68**

6.1.1 अशोध्य और संदिग्ध जमाराशियों व अग्रिमों के लिए छूटों में संचलन के ब्यौरे :

वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ	3.00	3.00
वर्ष के दौरान निर्धारित	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग/समायोजित	1.52	-
वर्ष के अंत में शेष राशियाँ	1.48	3.00

6.1.2 उपरोक्त कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय को दर्शाता है।

6.1.3 अन्य जमा और अग्रिम में सीआईएसएफ विंग की ताकत बढ़ाने के लिए सुरक्षा जमा के रूप में आंतरिक मामलों के मंत्रालय को जमा किए गए ₹ 2.21 करोड़ (₹ 2.21 करोड़) शामिल हैं।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी -6.2 : अन्य चालू परिसम्पति

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025		को यथा 31-03-2024	
पूँजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिमे				
सांविधिक देय का अग्रिम संदाय	176.52		175.47	
न्यून : संदिग्ध सांविधिक देयों के लिए छूट[6.2.1]	0.04	176.48	0.04	175.43
अन्य जमाराशियों एवं अग्रिम[6.2.2]	1,220.20		1,276.78	
न्यून : संदिग्ध अन्य जमाराशियों एवं अग्रिम के लिए छूट[6.2.1]	5.24	1,214.96	3.62	1,273.16
उपगत प्रगामी खान संवरण व्यय[6.1.2]		32.17		42.76
आगत कर साख प्राप्य[6.2.3]		655.08		526.14
कुल		**2,078.69**		**2,017.49**

6.2.1 संदिग्ध सांविधिक देयों एवं जमाराशियों व अग्रिमों के लिए छूट में संचलन के ब्यौरे

वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ	3.66	1.93
वर्ष के दौरान निर्धारित	0.10	1.73
वर्ष के दौरान उपयोग/समायोजित	(1.52)	-
वर्ष के अंत में शेष राशियाँ	5.28	3.66

6.2.2 इसमें विरोध के तहत जमा और आयकर के लिए अभी तक प्राप्त नहीं होने वाली रिफंड राशि ₹ 824.91 करोड़, बिक्री कर ₹ 26.47 करोड़, उत्पाद शुल्क ₹ 51.67 करोड़, सीमा शुल्क ₹ 37.29 करोड़, जीएसटी ₹ 5.51 करोड़, रॉयल्टी और अन्य ₹ 12.52 करोड़ शामिल हैं।

6.2.3 उपयोग के लिए उपलब्ध इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) आउटपुट पर जीएसटी के विरुद्ध ₹ 655.08 करोड़ (₹ 526.14 करोड़) तक संचित हुआ है। इसमें काफी हद तक झारखंड राज्य में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत खनन कार्यों के विरुद्ध रॉयल्टी पर जीएसटी शामिल है, जो 18% की दर से भुगतान किया जाता है, जिसके विरुद्ध कोयले पर देय शुल्क की दर 5% तक सीमित है। उल्टे कर ढांचे के कारण संचित होने वाली राशि का भले ही वर्तमान में उपयोग नहीं किया गया हो, क्योंकि इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार आईटीसी वापसी योग्य नहीं है, इसे भविष्य में संभावित उपयोग के लिए चालू परिसंपत्तियों के रूप में आगे बढ़ाया जाता है, यह देखते हुए कि इसके उपयोग के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 7.1 : साम्या शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
प्राधिकृत		
460000000 साम्या शेयर (460000000 साम्या शेयर) प्रत्येक ₹ 1000/-	4,600.00	4,600.00
	4,600.00	**4,600.00**
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹1000/- के 10390000 साम्या शेयर (10390000 साम्या शेयर) प्रत्येक का पूरी तरह से नकद भुगतान	1,039.00	1,039.00
₹1000/- के 32304200 साम्या शेयर (32304200 साम्या शेयर) प्रत्येक को नकद के अतिरिक्त प्राप्त प्रतिफल के लिए पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित किया गया है	3,230.42	3,230.42
	4,269.42	**4,269.42**

7.1.1 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी के शेयर

शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या (₹1000 प्रति के उचित मूल्य)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड – नियंत्रक कंपनी (साम्या शेयर)	4,26,94,200 (4,26,94,200)	100% (100%)	0.00%

7.1.2 संप्रवर्तकों की शेयरधारिता :

क्रम	संप्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1.	कोल इंडिया लिमिटेड	4,26,94,200 (4,26,94,200)	100% (100%)	0.00%

7.1.3 31-03-2025 को यथा बकाया साम्या शेयरों का समाधान

	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
01-04-2024 को यथा आरंभिक शेष	42,694,200	4,269.42
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
31-03-2025 को यथा लेखाबंदी शेष	42,694,200	4,269.42

31-03-2024 को यथा बकाया साम्या शेयरों का समाधान

	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
01-04-2023 को यथा आरंभिक शेष	42,694,200	4,269.42
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
31-03-2024 को यथा लेखाबंदी शेष	42,694,200	4,269.42

7.1.4 कंपनी के पास केवल एक वर्ग का शेयर अर्थात् साम्या शेयर है

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 7.2 : अन्य साम्या

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
पूँजी मोचन आरक्षित निधि	-	-
पूँजी आरक्षित निधि	-	-
सामान्य आरक्षित निधियाँ	832.71	832.71
प्रतिधारित उपार्जन	(2,001.66)	(2,124.49)
अन्य व्यापक आय जो लाभ और हानि विवरणी में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**(1,168.95)**	**(1,291.78)**
(अ) पूँजी मोचन आरक्षित निधि		
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशियाँ	**-**	**-**
(आ) पूँजी आरक्षित निधि		
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशियाँ	**-**	**-**
(ग) सामान्य आरक्षित निधियाँ		
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	832.71	832.71
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
सामान्य आरक्षित निधियों को/ से अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशियाँ	**832.71**	**832.71**

सामान्य आरक्षित एक मुक्त आरक्षित निधि है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोग प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ अंतरित करने के लिए किया जाता है।

(घ) (i) प्रतिधारित उपार्जन

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	(1,825.16)	(2,076.75)
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	204.49	251.59
अंतरिम लाभांश	-	-
अंतिम लाभांश	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
सामान्य आरक्षित निधियों को/ से अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशियाँ	**(1,620.67)**	**(1,825.16)**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
(घ) (ii) न्य व्यापक आय जो लाभ और हानि विवरणी में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	(299.33)	(205.13)
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	(81.66)	(94.20)
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशियाँ	**(380.99)**	**(299.33)**
कुल (d(i) + (ii))	**(2,001.66)**	**(2,124.49)**

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) शामिल है (कर के बाद शुद्ध)

(ii) प्रतिधारित आय समूह द्वारा आज तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजन को घटाकर प्राप्त की गई है।

(ई) अन्य व्यापक आय की मदें

(अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
(i) किसी विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		
कुल चालू वर्ष के लिए समग्र आय		
वर्ष के दौरान समायोजन		
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 8.1: उधार

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
अप्रचलित		
सावधि ऋण		
बैंकों से		
प्रतिभूत	-	-
प्रतिभूत रहित	-	-
अन्य से		
प्रतिभूत	-	-
प्रतिभूत रहित[8.1.1]	146.34	150.09
कुल	**146.34**	**150.09**
चालू		
बैंकों से		
प्रतिभूत		
बैंक ओवरड्राफ्ट[8.1.3]	0.42	663.25
बैंकों से असुरक्षित-अन्य ऋण[8.1.4]	1,508.57	-
अन्य से		
प्रतिभूत	-	-
प्रतिभूत रहित	-	-
दीर्घावधि उधार की चालू परिपक्कवताएँ[8.1.1]	8.13	7.90
कुल	**1,517.12**	**671.15**

8.1.1 ऋण विशिष्टियाँ	**राशि (₹ करोड़ में)**	**गारंटी की प्रकृति**
निर्यात विकास निगम, कनाडा	146.34	भारत सरकार

₹ 8.13 करोड़ (₹ 7.90 करोड़) के दीर्घकालिक उधार की चालू परिपक्वता अवधि निर्यात विकास निगम, कनाडा से लिए गए ऋण के संबंध में है, तथा इसकी गारंटी भी ऊपर दी गई है। पुनर्भुगतान अनुसूची- ईडीसी कनाडा से ऋण की किस्त का पुनर्भुगतान अर्धवार्षिक रूप से अर्थात 31 जनवरी और 31 जुलाई को किया जाता है।

8.1.2 निर्यात विकास निगम, कनाडा से असुरक्षित ऋण के संबंध में ₹ 4.52 करोड़ (₹ 2.05 करोड़) के विदेशी मुद्रा लेनदेन पर हानि को असुरक्षित ऋण के मूल्य में समायोजित किया गया है।

8.1.3 विभिन्न बैंकों से ₹ 854.52 करोड़ (₹ 1469.94 करोड़) की स्वीकृत सीमा के विरुद्ध सावधि जमा के विरुद्ध बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया गया है।

8.1.4 कंपनी ने 25.07.2023 को आयोजित अपनी 365वीं बोर्ड बैठक और 14.01.2025 को आयोजित 381वीं बोर्ड बैठक में सीआईएल द्वारा आवंटित निधि-आधारित सीमा के विरुद्ध क्रमशः ₹ 1000.00 करोड़ और ₹ 500.00 करोड़ के असुरक्षित कार्यशील पूंजी मांग ऋण को मंजूरी दी है। ₹ 1508.57 करोड़ की राशि में ₹ 8.57 करोड़ का उपार्जित ब्याज शामिल है।

8.1.5 कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के कार्यशील पूंजी उधारदाताओं से कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट अकाउंट्स ग्रुप ब्रांच, कोलकाता ऐसे संघ का अग्रणी बैंक है और उक्त कार्यशील पूंजी उधारदाताओं द्वारा दी गई कुल ₹ 430.00 करोड़ (₹ 430.00 करोड़) की कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए प्रथम प्रभार के रूप में संपूर्ण परिचालन परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षा के सृजन / व्यवस्था की।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 8.2 : व्यवसाय देय

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
चालू		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया देय	4.83	1.70
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से इतर ऋणदाताओं का कुल बकाया देय	1,369.80	1,327.64
कुल	**1,374.63**	**1,329.34**

टिप्पणियाँ :

8.2.1 व्यवसाय देय – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया देय

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
अ. अप्रदत्त शेष मूल और ब्याज राशि लेकिन वर्ष की समाप्ति पर यथा असंदेय हो	4.83	1.70
आ. वर्ष के दौरान नियत तिथि के उपरांत आपूर्तिकर्ता को संदाय किए गए राशि के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के धारा 16 के निबंधनों के अनुसार कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज	-	-
इ. संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए देय है और देय ब्याज (जिसे वर्ष के दौरान संदाय किया गया है लेकिन नियत तिथि के उपरांत) लेकिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
ई. वर्ष की समाप्ति पर यथा उपगत ब्याज एवं अप्रदत्त शेष	-	-
उ. उत्तरवर्ती वर्ष में भी शोध्य एवं संदेय शेष आगामी ब्याज उस तिथि तक जब तक कि ब्याज देय यथा उक्त वस्तुतः लघु उद्यम को संदाय नहीं किया जाता है	-	-

8.2.2 31-03-2025 को यथा व्यवसाय संदेय काल प्रभावन अनुसूची:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	लेन-देन तिथि से निम्न अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	4.83	-	-	-	**4.83**
ii. अन्य	1,281.44	45.79	14.62	27.95	**1,369.80**
iii. विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
iv. विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	**-**
v. बिल-अनिर्दिष्ट देय	-	-	-	-	-
कुल	**1,286.27**	**45.79**	**14.62**	**27.95**	**1,374.63**

31-03-2024 को यथा व्यवसाय संदेय काल प्रभावन अनुसूची:

विशिष्टियाँ	लेन-देन तिथि से निम्न अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	1.70	-	-	-	**1.70**
ii. अन्य	1,155.21	102.36	60.21	1.62	**1,319.40**
iii. विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
iv. विवादित देय - अन्य	-	-	-	8.24	**8.24**
v. बिल-अनिर्दिष्ट देय	-	-	-	-	-
कुल	**1,156.91**	**102.36**	**60.21**	**9.86**	**1,329.34**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 8.3 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
अप्रचलित		
प्रतिभूति जमाराशियाँ	233.73	214.33
अन्य	-	-
कुल	**233.73**	**214.33**
चालू		
चालू खाता के साथ		
कोल इंडिया लिमिटेड	250.37	206.27
आईआईसीएम	-	-
अदत्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमाराशियाँ	328.57	270.61
अग्रिम धन	294.21	285.57
पूँजीगत व्यय के लिए संदेय	1,110.56	1,236.80
कर्मी प्रसुविधाओं के लिए देयताएँ	76.45	70.99
अन्य8.3.1	**2,060.16**	**2,070.24**

8.3.1 इसमें वेतन पत्रक कटौती देयताएँ, सीआईएसपीए देयता आदि सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
अप्रचलित		
कर्मी प्रसुविधाएँ		
उपदान [9.1.5]	-	-
अवकाश नकदीकरण [9.1.6]	278.50	488.85
पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाएँ [9.1.7]	346.92	371.04
अन्य कर्मी प्रसुविधाएँ [9.1.1]	59.16	55.05
अन्य प्रावधान		
स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान [9.1.3]	1,041.35	875.60
विपट्टन गतिविधि समायोजन [9.1.2]	2,626.23	2,867.02
अन्य [9.1.1]	-	-
कुल	**4,352.16**	**4,657.56**
चालू		
कर्मी प्रसुविधाएँ		
उपदान	202.70	243.65
अवकाश नकदीकरण	108.33	104.03
पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाएँ	37.25	31.31
अन्य कर्मी प्रसुविधाएँ [9.1.1]	671.91	674.23
अन्य प्रावधान		
स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	-	-
अन्य [9.1.1]	-	-
कुल	**1,020.19**	**1,053.22**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

9.1.1 प्रावधान (चालू एवं अप्रचलित) में संचलन के ब्यौरे :

उपदान, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा प्रसुविधा के संबंध में कर्मी प्रसुविधाओं से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की अवस्थिति और संचलन जो बीमांकिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं

	वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ	वर्ष के दौरान प्रभारित	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	वर्ष के अंत में शेष निधियाँ
अन्य कर्मी प्रसुविधाएँ	729.28	541.80	540.01	731.07
अन्य				

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान (अनुपात भिन्नता): पहले मान्यता प्राप्त स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान सीआईएल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से लगातार अपनाई गई नीति पर आधारित है। स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान (शुद्ध) को खदान के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (मानक अनुपात) की तुलना में कोयले के लिए ओबी के परिचालन अनुपात के आधार पर मान्यता दी गई या उलट दिया गया। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी अपेक्षित मात्रा से अधिक ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा के निष्कर्षण पर उलटने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान की वहन राशि व्यवस्थित रूप से उलट दी जाती है। ऐसा उलटना उन खदानों के लिए विशिष्ट है जिस दर पर उक्त प्रावधान को मान्यता दी गई है।

खदान के मामले में, जहां स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान के परिणामस्वरूप स्ट्रिपिंग गतिविधि की प्रारंभिक औसत दर से गुणा की गई अपेक्षित ओवरबर्डन मात्रा से अधिक निकाले गए ओवरबर्डन की मात्रा हुई है, उसे शुद्ध स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान में संगत डेबिट के साथ लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

हालाँकि, वर्तमान में अपनाई जा रही स्ट्रिपिंग गतिविधि के संबंध में नीति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है (नोट 2.19) और 31.03.2022 तक बनाई गई राशि ₹ 3168.08 करोड़ को व्यवस्थित तरीके से समायोजित किया जा रहा है जैसा कि ऊपर बताया गया है। तदनुसार, ₹ 240.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 223.88 करोड़) को लाभ और हानि के विवरण के अनुरूप प्रभाव के साथ शुद्ध स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान से समायोजित किया गया है (नोट 13.6 देखें)।

स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान में आंदोलन का विवरण:

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
(i) स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान		
वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ	2,867.02	3,090.90
वर्ष के दौरान उलट दिया गया - स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान के लिए	(240.79)	(223.88)
वर्ष के दौरान उलट - अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन के लिए		
वर्ष के अंत में शेष राशियाँ	2,626.23	2,867.02

9.1.3 साइट बहाली के लिए प्रावधान

भूमि सुधार और संरचनाओं को बंद करने के लिए कंपनी का दायित्व भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सतही और भूमिगत दोनों खदानों पर खर्च करना शामिल है। आवश्यक कार्य करने के लिए भविष्य के नकद खर्च की मात्रा और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी आकलन के आधार पर खदान बंद करने, साइट की बहाली और बंद करने के दायित्व का अनुमान। अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार खदान बंद करने का व्यय प्रदान किया जाता है। खर्चों के अनुमानों को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर (@ 8%) पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है। प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट का प्रभाव कम होता जाता

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

(₹ करोड़ में)

भूमि पुनर्ग्रहण/स्थल पुनरुद्धार/खदान बंद करने का समाधान :

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
आरंभिक तिथि को यथा स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	875.60	856.20
जोड़ : वर्ष के लिए परिवर्धन	135.01	11.71
जोड़ : वर्ष के लिए परिवर्धन	48.12	46.61
न्यून : वर्ष के दौरान निकासी	17.38	38.92
अंतिम तिथि को यथा स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	1,041.35	875.60

9.1.4 कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और अवकाश यात्रा रियायत तथा निपटान भत्ते जैसे लाभों की वर्ष के अंत में देयता का मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है।

9.1.5 अप्रचलित- कर्मचारी लाभ- ग्रेच्युटी एलआईसी के पास ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड शेष ₹ 4404.84 करोड़ (₹ 4424.48 करोड़) के समायोजन के बाद है।

9.1.6. अप्रचलित- कर्मचारी लाभ- अवकाश नकदीकरण, एलआईसी के पास अवकाश नकदीकरण निधि शेष ₹ 906.23 करोड़ (₹ 672.61 करोड़) के समायोजन के बाद है।

9.1.7. अप्रचलित- कर्मचारी लाभ- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ सीपीआरएमएस-ई ट्रस्ट फंड शेष ₹ 180.09 करोड़ (₹ 161.07 करोड़) और सीपीआरएमएस-एनई ट्रस्ट फंड ₹ 343.28 करोड़ (₹ 256.45 करोड़) के समायोजन के बाद है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 10.1 : अन्य अप्रचलित देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधि	-	-
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)[10.1.1]	0.26	0.38
अन्य[10.1.2]	152.95	175.71
कुल	**153.21**	**176.09**

10.1.1 आस्थगित आय में सड़क और रेल अवसंरचना तथा वैज्ञानिक विकास कार्यों के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से कोयला मंत्रालय से प्राप्त सहायता शामिल है।

10.1.2 अन्य में उपकर समकारी खाते का गैर-चालू हिस्सा शामिल है, जिसकी राशि ₹ 152.07 करोड़ (₹ 175.06 करोड़) है, जैसा कि नोट-10.2 के 10.2.1 में उल्लिखित है: अन्य चालू लेन-देन।

टिप्पणी - 10.2 : अन्य चालू देयताएँ

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
सांविधिक देय	969.15	965.03
आयातित कोयले के लिए अग्रिम	-	-
उपभोक्ताओं/ अन्य से अग्रिम	1,471.38	1,221.26
उपकर समानीकरण खाता[10.2.1]	2,221.34	2,156.36
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	0.25	0.38
अन्य देयताएँ	256.41	293.24
कुल	**4,918.53**	**4,636.27**

10.2.1 प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को प्रचलित दर पर पिछले दो वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर कोयला धारक भूमि के वार्षिक मूल्य पर उपकर का भुगतान करने की प्रक्रिया में और पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को प्रचलित बिक्री मूल्य पर विचार करते हुए कोयले के प्रेषण के मूल्य पर ग्राहकों से की गई वसूली में, ₹ 2373.41 करोड़ (₹ 2331.42 करोड़) की देय राशि शेष है, जिसमें से ₹ 2221.34 करोड़ (₹ 2156.36 करोड़) को अन्य चालू देनदारियाँ- उपकर समतुल्यता खाता के तहत और ₹ 152.07 करोड़ (₹ 175.06 करोड़) को नोट-10.1: अन्य अप्रचलित देनदारियाँ - अन्य में दिखाया गया है।

10.2.2 प्रबंधन यह अनुमान लगाता है कि वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई राशि के अतिरिक्त ब्याज सहित कोई भी अतिरिक्त भविष्य की राशि उत्पन्न नहीं होगी।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 11.1 : कर परिसम्पति / देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
आयकर संपत्ति		
वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ	71.14	-
वर्ष के दौरान निर्धारित		71.14
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण / वापसी	44.10	-
वर्षांत में शेषराशियाँ	27.04	71.14
आयकर देयताएँ		
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	-	24.78
वर्ष के दौरान निर्धारित		
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण / वापसी		24.78
वर्षांत में शेषराशियाँ	-	-
अंत में निवल आयकर आस्ति / (देयताएँ)	**27.04**	**71.14**
यथा प्रकट :		
अप्रचलित		
आयकर परिसम्पति (निवल)		71.14
आयकर देयताएँ (निवल)	-	-
चालू		
आयकर परिसम्पति (निवल)	27.04	-
आयकर देयताएँ (निवल)	-	-
	27.04	**71.14**

टिप्पणी - 11.2 : आस्थगित कर परिसम्पति / देयताएँ

	01.04.2024 को यथा शेष	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में निर्धारित / (व्युत्क्रमित)	वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय में निर्धारित	31.03.2025 को यथा शेष
आस्थगित कर परिसम्पति :				
संदिग्ध आग्रिमों, दावे और कर्जों के लिए प्रावधान	133.91	(52.51)		81.40
कर्मी प्रसुविधाएँ	506.62	18.05		524.67
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसम्पति से संबंधित	-	-		-
अन्य	508.71	61.04		569.75
(क) का कुल	**1,149.24**	**26.58**	**-**	**1,175.82**
आस्थगित कर देयता :				
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसम्पति से संबंधित	300.86	68.38		369.24
अन्य	-			-
(ख) का कुल	**300.86**	**68.38**	**-**	**369.24**
निवल आस्थगित कर आस्ति / (आस्थगित कर देयता) (ग=क-ख)	**848.38**	**(41.80)**	**-**	**806.58**
घ. परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुनर्मापन DTL(+)/DTA(-)			(27.46)	(27.46)
निवल आस्थगित कर आस्ति (ङ=ग+घ)	**848.38**	**(41.80)**	**(27.46)**	**779.12**

	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
यथा प्रकट :		
आस्थगित कर परिसम्पति	**779.12**	**848.38**
आस्थगित कर देयता		
	779.12	**848.38**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 12.1 : परिचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
I. बिक्री	20,183.54	18,999.97
न्यून : सांविधिक कर	5,836.20	5,108.09
बिक्री (निवल) (I)[12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5]	**14,347.34**	**13,891.88**
II. अन्य परिचालनात्मक राजस्व		
रेत भूगर्त भरण एवं संरक्षी कार्य के लिए सब्सिडी [i]	-	2.03
लदान एवं अतिरिक्त परिवरहन प्रभार	467.79	423.83
न्यून : सांविधिक कर	22.29	20.19
लदान एवं अतिरिक्त परिवरहन प्रभार (निवल) [ii]	445.50	403.64
निष्क्रमण सुकरजन्य प्रभार	312.60	274.67
न्यून : सांविधिक कर	14.90	13.08
निष्क्रमण सुकरजन्य प्रभार (निवल) [iii]	297.70	261.59
अन्य परिचालनात्मक राजस्व (निवल) (II = i + ii + iii)	**743.20**	**667.26**
परिचालन से राजस्व (I + II)	**15,090.54**	**14,559.14**

टिप्पणियाँ :

12.1.1. बिक्री वास्तविक उन्नयन(+)/ग्रेड स्लिपेज(-) (शुल्कों को छोड़कर) के समायोजन के बाद शुद्ध है, जो उन्नयन/ग्रेड स्लिपेज के लिए पार्टियों को जारी किए गए/जारी किए जा रहे डेबिट/क्रेडिट नोट के कारण -214.58 करोड़ रुपये (210.24 करोड़ रुपये) है।

12.1.2. उपरोक्त बिक्री अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता (रिवर्सल के बाद शुद्ध) ग्रेड अपग्रेडेशन (+)/ग्रेड स्लिपेज (-) के कारण ₹ -155.96 करोड़ (₹ 12.87 करोड़) और अतिरिक्त सतही नमी के कारण ₹ -214.52 करोड़ (₹ 0.00 करोड़) बढ़ी(+)/कमी(-) हुई है।

12.1.3. बिक्री में 65.87 LT (65.19 LT) की ई-नीलामी मात्रा और ₹ 1107.72 करोड़ (₹ 1501.6 करोड़) का ई-नीलामी लाभ शामिल है।

12.1.4. बिक्री में 18.53 LT (6.92 LT) की लिंकेज नीलामी मात्रा और ₹ 50.42 करोड़ (₹ 63.38 करोड़) का लिंकेज नीलामी लाभ शामिल है।

12.1.5. बिक्री में ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत मान्यता प्राप्त प्रदर्शन प्रोत्साहन के रूप में ₹ 1244.76 करोड़ (₹ 624.01 करोड़) शामिल हैं।

12.1.6. खदान के संबंध में पहले के मामलों में कोयला गुणवत्ता विश्लेषण के बारे में की गई रिपोर्टों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर, कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए प्रावधान का अनुमान लगाया गया है और निम्नलिखित तरीके से मान्यता दी गई है:

i. जहां पारस्परिक रूप से सहमत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से नमूनाकरण परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है, वहां सीक्यूवी के लिए समायोजन को नवीनतम उपलब्ध परिणाम के महीने से पिछले छह महीनों के लिए पारस्परिक रूप से सहमत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से उपलब्ध परिणामों की प्रवृत्ति के आधार पर मान्यता दी गई है।

ii. जहां पारस्परिक रूप से सहमत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से नमूनाकरण परिणाम प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन्हें रेफरी गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला को संदर्भित किया गया है, वहां सीक्यूवी के लिए समायोजन को नवीनतम उपलब्ध परिणाम के महीने से पिछले छह महीनों के लिए रेफरी गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से उपलब्ध परिणामों की प्रवृत्ति के आधार पर मान्यता दी गई है।

iii. ईंधन आपूर्ति समझौते के प्रावधानों के आधार पर बिना नमूना मात्रा पर सीक्यूवी के लिए समायोजन को मान्यता दी गई है।

कोयला गुणवत्ता भिन्नता के प्रावधान पर पहुंचने के लिए उपरोक्त प्रवृत्तियों के अपेक्षित परिणामों को प्रतीक्षित परिणाम मात्रा पर लागू किया जाता है।

12.1.7. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार पृथक राजस्व जानकारी नोट 16 में दी गई है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 12.2 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
ब्याज आय[12.2.1]	192.24	309.34
पारस्परिक निधि से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालनात्मक आय (ऐसी आय के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदार व्यय का निवल)		
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	0.96	12.10
विदेश विनिमय लेनदेनों से अभिलाभ	-	-
पारस्परिक निधि से अभिलाभ	-	-
पट्टा किराया	-	-
प्रावधान प्रतिलेखन[12.2.2]	220.63	2.10
देयता प्रतिलेखन	137.93	160.04
उचित मूल्य प्रभार (निवल)	-	-
प्रकीर्ण आय	108.60	155.97
कुल	**660.36**	**639.55**
12.2.1. आयकर रिफ़ंड पर ब्याज शामिल है ₹ 2.76 करोड़ (₹ 0.89 करोड़)		
12.2.2 प्रावधान प्रतिलेखन के ब्यौरे		
कॉर्पोरेट निकाय एवं कर्मियों को ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यवसाय प्राप्य के लिए (4.3.1)	218.19	2.05
वित्तीय जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए (4.6.1)	1.93	-
कोयला (5.1.1) तथा भण्डार वस्तुसूचियों (5.1.2) के लिए	0.51	0.05
अन्य अप्रचलित जमाराशियों एवं अग्रिमों के लिए (6.1.1)	1.52	-
अन्य चालू जमाराशियों एवं अग्रिमों के लिए (6.2.1)	(1.52)	-
घटाएँ: बट्टे खाते में डालने से संबंधित प्रावधान वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	**220.63**	**2.10**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 13.1 : उपभुक्त सामग्रियों की लागत

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
विस्फोटक	378.69	368.98
इमारती लकड़ी	4.21	4.21
तेल एवं स्नेहक	308.75	324.06
एचईएमएम उपकरणें	101.42	80.95
अन्य उपभोग्य भण्डारों एवं उपकरणें	255.35	222.15
कुल	**1,048.42**	**1,000.35**

टिप्पणी 13.2 : तैयार माल, चालू कार्य एवं व्यापार स्टॉक की वस्तुसूचियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
कोयले की वस्तुसूची में परिवर्तन (क)		
वर्ष के आरंभ में स्टॉक	809.69	315.19
राजस्व में लाया गया आरंभिक स्टॉक	-	-
वर्ष के अंत में स्टॉक	1,051.74	809.69
	(242.05)	(494.50)
कर्मशाला एवं प्रेस जाब्स की वस्तुसूची में परिवर्तन (ख)		
वर्ष के आरंभ में स्टॉक	10.00	7.20
वर्ष के अंत में स्टॉक	6.90	10.00
	3.10	(2.80)
कुल (क+ख)	**(238.95)**	**(497.30)**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 13.3 : कर्मी प्रसुविधाएँ व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
वेतन एवं मजदूरी [13.3.1]	7,531.30	7,838.18
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान [13.3.4]	1,628.12	1,943.23
कर्मचारी कल्याण व्यय	394.42	312.61
कुल	**9,553.84**	**10,094.02**

13.3.1 जिसमें भत्ते, बोनस, प्रोत्साहन, प्रदर्शन से संबंधित वेतन, समयोपरि वेतन, स्वतंत्र निदेशकों को बैठक हेतु शुल्क आदि शामिल हैं।

13.3.2 ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाले लाभों को छोड़कर विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण नोट 9.1.1 में दिए गए हैं।

13.3.3 भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के संबंध में प्रकटीकरण, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, नोट 16 (3) में प्रकट किए गए हैं।

13.3.4. इसमें 414वीं सीआईएल बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सीएमपीएस 1998 के कोष के लिए वर्ष के दौरान प्रति टन प्रेषण पर ₹ 10.00 की दर से वसूली के विरुद्ध ₹ 49.62 करोड़ (₹ 43.60 करोड़) की राशि शामिल है।

13.3.5 भविष्य निधि के लिए वर्ष के दौरान निर्धारित व्यय ₹ 721.19 करोड़ (₹ 706.88 करोड़), पेंशन फंड ₹ 374.62 करोड़ (₹ 368.11 करोड़) और सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस) ₹ 26.48 करोड़ (₹ 24.33 करोड़)

टिप्पणी 13.4 : वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
ब्याज व्यय		
बट्टों का अकुण्डलन	48.12	46.61
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	-
अन्य उधार लागत [13.4.1]	94.20	74.52
कुल	**142.32**	**121.13**

13.4.1 इसमें (₹2.71 करोड़) (₹8.99 करोड़) उधार पर उपचित ब्याज सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 13.5 : मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
मूल्यह्रास / परिशोधन / क्षति		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (टिप्पणी 3.1)	724.94	695.06
प्रगति में पूँजीगत कार्य (टिप्पणी 3.2)	6.88	1.27
अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसम्पति (टिप्पणी 3.3)	-	-
अमूर्त परिसम्पति (टिप्पणी 3.4)	3.08	3.84
विकासाधीन अमूर्त परिसम्पति (टिप्पणी 3.5)	-	-
	734.90	700.17
न्यून :		
कोयला खान के विकास के दौरान व्यय को अंतरित	-	
कुल	**734.90**	700.17

टिप्पणी - 13.6 : विपट्टन गतिविधि समायोजन

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
एडवांस स्ट्रिपिंग समायोजन	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान [13.6.1]	(240.79)	(223.88)
कोयले तक बेहतर पहुंच [13.6.2]	(365.83)	(366.39)
	(606.62)	**(590.27)**

13.6.1: स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान: समूह की भौतिक लेखांकन नीति के अनुसार, जब भी उलटफेर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुपात भिन्नता रिजर्व की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाता है।

13.6.2. कोयले तक बेहतर पहुंच: जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने से अधिक हटाए गए ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है।

टिप्पणी 13.7 : संविदात्मक व्यय

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
परिवहन प्रभार	150.45	145.97
वेगन लदान	16.44	17.68
संयंत्र और उपस्करों के भाड़े	3,185.13	2,582.04
अन्य संविदात्मक कार्य	143.68	118.74
	3,495.70	**2,864.43**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 13.8 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
विद्युत व्यय	436.30	433.63
मरम्मति और अनुरक्षण		
- भवन	210.90	114.95
- संयंत्र और उपस्कर	92.94	78.07
- अन्य	1.01	1.25
यातायात व्यय	12.72	12.44
प्रशिक्षण व्यय	5.78	5.86
टेलिफोन एवं इंटरनेट	1.25	5.06
विज्ञापन एवं प्रचार	1.75	1.27
मालभाड़ा प्रभार	-	-
विलंब-शुल्क	0.97	0.23
लदान प्रभारों के अधीन	53.26	35.32
कोयला प्रतिचयन प्रभार	9.98	12.54
प्रतिभूति व्यय	115.93	111.77
सीआईएल के सेवा प्रभार	52.04	47.56
विधिक व्यय	4.24	3.44
परामर्शी प्रभार	0.14	2.15
सेवा प्रभार (सीएमपीडीआईएल)	53.83	32.78
आस्तियों के विक्रय/त्यक्त/सर्वेयड ऑफ पर हानि	0.11	-
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अ. लेखापरीक्षण शुल्क	0.26	0.26
आ. कराधान मामलों के लिए	0.02	0.02
इ. अन्य सेवाओं के लिए	0.22	0.19
ई. व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.16	0.12
आंतरिक लेखापरीक्षण शुल्क	3.01	2.57
पुनर्वासन प्रभार	29.72	26.24
पट्टा किराया एवं भाड़ा प्रभार	86.11	82.54
दर एवं कर	5.59	11.72
बीमा	0.16	0.28
विनिमय दर अंतर पर हानि	-	-
अन्य खान बचाव/सुरक्षा व्यय	1.63	1.65
पार्श्वस्थल अनुरक्षण प्रभार	17.34	23.33
पर्यावरणीय एवं वृक्षारोपण व्यय	11.13	13.05
शेयरों की वापसी खरीद पर व्यय	-	-
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	4.41	7.33
दान, पारितोषिक एवं अनुदान	-	-
प्रावधान [13.8.1]	14.16	140.09
बट्टा खाता डालना (पश्च प्रावधान का निवल)		
- सकल बट्टा खाता डालना	-	-
- बट्टा डालने पर पूर्व निर्धारित, प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
बट्टा खाता डालन (पूर्व निर्धारित प्रावधानों के प्रतिलेखन का निवल)	-	-
प्रकीर्ण व्यय	93.00	84.96
कुल	**1,320.07**	**1,292.67**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

13.8.1 प्रावधान के ब्यौरे जारी है :

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
13.8.1 प्रावधान के ब्यौरे		
कॉर्पोरेट निकाय एवं कर्मियों को ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यवसाय प्राप्य के लिए (4.3.1)	8.56	132.28
वित्तीय जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए (4.6.1)	2.81	2.18
कोयला (5.1.1) तथा भण्डार वस्तुसूचियों (5.1.2) के लिए	2.69	3.90
अन्य अप्रचलित जमाराशियों एवं अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमाराशियों एवं अग्रिमों के लिए (6.2.1)	0.10	1.73
वर्ष के दौरान किया गया कुल प्रावधान	**14.16**	**140.09**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

13.8.2 सीएसआर व्यय का उपाबंध

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
क. सीएसआर व्यय के गतिविधिवार विश्लेषित आँकड़े (अतिरिक्त व्ययित सहित)		
भूख, निर्धनता एवं कुपोषण उन्मूलन	1.72	3.25
विशिष्ट शिक्षा सहित शिक्षा तथा व्यवसाय दक्षता वर्धित कर नियोजन को प्रोत्साहित करना	2.27	2.92
लैंगिक समानता तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से अक्षम समूहों द्वारा सामना किए गए असमानता को कम करने के लिए अध्युपाय	-	0.07
पर्यावरणीय संधारणीयता	0.21	0.58
राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति को संरक्षण	-	-
सशस्त्र बल सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के पत्नियों एवं उनके आश्रितों को प्रसुविधा	-	-
ग्रामीण खेलकूल, राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त खेलकूलों, परा-ओलिंपिक खेलकूदों एवं ओलिंपिक खेलकूदों को प्रोन्नत करने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित निधि में अंशदान	-	-
इन्क्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को अंशदान	-	-
विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों को अंशदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	0.11	0.36
गंदी-बस्तीक्षेत्र विकास	-	-
राहत, पुनर्वासन एवं पुनर्संरचनात्मक गतिविधियाँ सहित आपदा प्रबंधन	-	-
प्रशासनिक ओवर्हेड	0.10	0.15
कुल	**4.41**	**7.33**
ख. आवश्यक व्ययित सीएसआर एवं सीएसआर व्यय विश्लेषित		
(अ) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए नियंत्री और सहायक कंपनियों के औसत निवल लाभ का 2%)	0.17	-
(आ) वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित व्ययित राशि	9.51	7.04
(इ) वर्ष के दौरान व्ययित राशि :		
(i) किसी आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण	1.37	1.46
(ii) उक्त (i) से भिन्न प्रयोजन के लिए	3.04	5.87
कुल	**4.41**	**7.33**
ग. निर्धारित सीएसआर व्यय एवं व्ययित सीएसआर व्यय का समाधान	**31-03-2025**	**31-03-2024**
व्ययित सीएसआर व्यय	4.41	7.33
न्यून : वर्ष के दौरान अग्रनीत / (प्रयुक्त) अतिरिक्त	-	-
जोड़ : चालू परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर व्यय	-	-
जोड़ : चालू से इतर अव्ययित सीएसआर व्यय	-	-
लाभ और हानि में निर्धारित राशि	4.41	7.33
घ. चालू परियोजना से भिन्न अव्ययित राशि [धारा 135(5)]	**31-03-2025**	**31-03-2024**
आरंभिक शेष	-	-
06 माह के भीतर अधिसूची VII के विशेष निधि में जमा की गई राशियाँ	-	-
वर्ष के दौरान व्यय योग राशि	-	-
वर्ष के दौरान व्ययित राशि	-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

13.8.2 सीएसआर व्यय का अनुलग्नक (जारी.....)

(₹ करोड़ में)

ङ. व्ययित अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

वर्षवार ब्यौरे	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय योग राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	अंतिम शेष
2022-23	-	-	-	-
2023-24	-	-	-	-
2024-25	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अन्य चालू आस्तियों के अधीन अन्य अग्रिमों एवं जमाराशियों के लिए पाद-टिप्पणी संदर्भित है।

च. अव्ययित चालू परियोजनाएँ [धारा 135(6)] (वर्षवार)

		31-03-2025	31-03-2024
आरंभिक शेष	कंपनी के पास	-	-
	पृथक सीएसआर खाता में	-	-
वर्ष के दौरान व्यय योग राशि		-	-
वर्ष के दौरान व्ययित राशि	कंपनी के बैंक खाता से	-	-
	पृथक सीएसआर खाता में	-	-
अंतिम शेष	कंपनी के पास	-	-
	पृथक सीएसआर खाता में	-	-

छ. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान

	31-03-2025
आरंभिक शेष	2.75
अवधि के दौरान परिवर्धन	4.41
वर्ष के दौरान समायोजन	5.77
अंतिम शेष	1.39

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 14.1 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
चालू वर्ष	-	-
पूर्व वर्ष	-	17.11
कुल चालू कर	**-**	**17.11**
आस्थगित कर	96.73	(55.21)
न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) साख हकदारी	-	-
कुल	**96.73**	**(38.10)**
14.1.1. कर व्यय का समाधान	**31-03-2025**	**31-03-2024**
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**301.22**	**213.49**
25.168% के आयकर दर पर	75.81	53.73
न्यून : छूट प्राप्त आयकर पर कर	-	-
जोड़ : कर के प्रयोजनार्थ गैर-कटौतीयोग्य व्यय	239.93	158.35
न्यून : कर के प्रयोजनार्थ कटौतीयोग्य व्यय	219.01	267.29
पूर्व वर्ष के लिए समायोजन	-	17.11
न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) प्रावधानों के अधीन कर के लिए समायोजन	-	-
आस्थगित कर के लिए समायोजन		-
लाभ और हानि विवरणी में प्रतिवेदित आयकर व्यय	96.73	(38.10)
प्रभावी आयकर दर	**32.11%**	**-17.85%**

14.1.2. कंपनी को उम्मीद है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों के उपयोग से भविष्य में कर योग्य लाभ होगा।

14.1.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों के घटक के लिए नोट 11.2 देखें/(देयताएँ)s

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 15.1 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
i. मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं का पुनःमापन [15.1.1]	(109.12)	(94.20)
अंशसमष्टि (क)	**(109.12)**	**(94.20)**
कम: ii. मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं का पुनःमापन	(27.46)	-
अंशसमष्टि (ख)	**(27.46)**	**-**
कुल (ग = क – ख)	**(81.66)**	**(94.20)**
कम: i. मदें जिन्हें लाभ-हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा।		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई के शेयर	-	-
एक वैश्विक परिचालन के वित्तीय विवरणियों के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	
अंशसमष्टि (घ)	**-**	**-**
ii. मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा।		
संयुक्त उद्यमों में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के शेयर	-	-
अंशसमष्टि (ङ)	**-**	**-**
कुल (च = घ – ङ)	**-**	**-**
कुल जोड़ (ग + च)	**(81.66)**	**(94.20)**

15.1.1. परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु अन्य व्यापक आय में ग्रेच्युटी के लिए ₹ -106.84 करोड़ (₹ -133.92 करोड़) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए ₹ -2.28 करोड़ (₹ 39.72 करोड़) शामिल हैं।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 16 : वित्तीय विवरणी की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. उचित मूल्य माप

1. [क] श्रेणी अनुसार वित्तीय लिखित

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025		31-03-2024	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पति				
निवेश				
सहकारी शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	-	-	0.02
व्यवसाय प्राप्य	-	2,059.08	-	1,892.15
नकदी व नकदी समतुल्य	-	208.15	-	119.12
अन्य बैंक अतिशेष	-	1,079.15	-	1,798.65
अन्य वित्तीय परिसम्पति	-	1,334.65	-	1,249.75
कुल	-	**4,681.11**	**-**	**5,059.77**
वित्तीय देयताएँ				
उधार :				
ईडीसी ऋण	-	154.47	-	157.99
बैंक ओवरड्रॉफ्ट एवं बैंक से अन्य ऋण	-	1,508.99	-	663.25
व्यवसाय देय	-	1,374.63	-	1,329.34
ठेकेदारों और अन्य लोगों से जमा राशि	-	562.30	-	484.94
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	-	1,731.59	-	1,799.63
कुल	-	**5,331.98**	**-**	**4,435.15**

1. [ख] उचित मूल्य उत्क्रम

नीचे दी गई सारणी वित्तीय लिखत के उचित मूल्यों के निर्धारण में निर्मिति निर्णयों एवं प्राक्कलनों को दर्शाती है जो (अ) उचित मूल्य पर निर्धारित एवं मापित और (आ) परिशोधित लागत पर मापित किया जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों को प्रकटन किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण करने में प्रयुक्त निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानकों के अधीन उपबंधित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसम्पति एवं देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025		31-03-2024	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसम्पति				
निवेश :				
पारस्परिक निधि/आईसीडी	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसम्पत्ति एवं देयताएँ जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है (₹ करोड़ में)

	31-03-2025		31-03-2024	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
वित्तीय परिसम्पत्ति				
निवेश :				
सहकारी शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	-	-	0.02
व्यवसाय प्राप्य	-	2,059.08	-	1,892.15
नकदी व नकदी समतुल्य	-	208.15	-	119.12
अन्य बैंक अतिशेष	-	1,079.15	-	1,798.65
अन्य वित्तीय परिसम्पति	-	1,334.65	-	1,249.75
कुल	**-**	**4,681.11**	**-**	**5,059.77**
वित्तीय देयताएँ				
उधार :				
ईडीसी ऋण	-	154.47	-	157.99
बैंक ओवरड्रॉफ्ट एवं बैंक से अन्य ऋण	-	1,508.99	-	663.25
व्यवसाय देय	-	1,374.63	-	1,329.34
ठेकेदारों और अन्य लोगों से जमा राशि	-	562.30	-	484.94
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	-	1,731.59	-	1,799.63
कुल	**-**	**5,331.98**	**-**	**4,435.15**

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

स्तर I : वित्तीय लिखतों सहित सोपन क्रम को उद्धृत कीमतों का उपयोग करते हुए मापन करता है।

स्तर II : वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारबार नहीं किया जाता है को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो पालनीय बाजार आँकड़ा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और संस्था-विशेष प्राक्कलनों पर जितना संभव हो उतना कम निर्भर करते हैं। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्त्वपूर्ण निविष्टियाँ पालनीय है तो लिखत को स्तर II में समाविष्ट किया जाता है।

स्तर III : यदि एक या अधिक महत्त्वपूर्ण निविष्टियाँ पालनीय बाजार आँकड़ा पर आधारित नहीं है तो लिखत को स्तर III में समाविष्ट किया गया है। यह असूचीबद्ध साम्या प्रतिभूतियों, अधिमान शेयर उधारों, प्रतिभूति जमाराशियों एवं स्तर III में समाविष्ट अन्य देयताओं के मामलात में है।

1. [ग] अवधारित उचित मूल्य में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय लिखतों का मूल्य आंकने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में लिखतों के उद्धृत बाजार कीमतों का उपयोग समाविष्ट है।

1. [घ] महत्त्वपूर्ण अलक्ष्य निविष्टियों का व्यवहार करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अपालनीय निविष्टियों का उपयोग करके कोई उचित मूल्य मापन नहीं है।

1. [ङ] परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य

- व्यवसाय प्राप्य, अल्पावधि जमाराशियों, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यवसाय देय को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- कंपनी विचार करती है कि प्रतिभूति जमाराशियाँ महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण घटक को समाहित नहीं करती हैं। प्रतिभूति जमाराशियाँ कंपनी के कार्य-निष्पादन के अनुरूप होती है और संविदा के लिए वित्त प्रावधानों के इतर कारणों के निमित्त राशियों को प्रतिधारित रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मील पत्थर भुगतान के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत का विधारण कंपनी के हितों की संरक्षा करने के लिए किया जाता है क्योंकि संविदाकर्ता संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहता है।

महत्वपूर्ण प्राक्कलन : वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य जो सक्रिय बाजार में व्यवसाय नहीं किया जाता है को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। कंपनी पद्धतियों के चयन में अपने निर्णयों का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उपयुक्त ग्रहणों को बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के वस्तुनिष्ठ एवं नीतियाँ

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यवसाय और अन्य देय समाहित हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य प्रयोजन कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यवसाय और अन्य प्राप्य, और नकदी व नकदी समतुल्य समाहित हैं जो प्रत्यक्षतः इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम एवं चलनिधि जोखिम के लिए उच्छन्न होता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन का पर्यवेक्षण करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा आलंबित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम सुशासन संरचना पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं तथा वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह टिप्पणी जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्थान को अवगत कराया जाता है और संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम और रक्षित लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	से उद्भूत उच्छन्न	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	परिशोधित लागत पर मापित नकदी एवं नकदी समतुल्य, व्यवसाय प्राप्य वित्तीय आस्ति	काल-प्रभावन विश्लेषण / साख निर्धारण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण; व्यापार प्राप्तियों के प्रतिपक्ष डिफ़ॉल्ट जोखिम को सुरक्षा जमा, अग्रिम, बैंक गारंटी आदि जैसे वित्तीय आश्वासनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
चलनिधि जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएँ	आवधिक नकदी प्रवाह	सुपुर्द ऋण व्यवस्था एवं उधार प्रसुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भारतीय रूपये में न मूल्यवर्गित भावी वाणिज्यिक अंतरण, निर्धारित वित्तीय परिसम्पति एवं देयताएँ	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ट प्रबंधन और संपरीक्षक समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं पुनर्विलोकन
बाजार जोखिम - ब्याज दर	नकदी एवं नकदी समतुल्य, बैंक जमाराशियाँ एवं पारस्परिक निधियाँ	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लोक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देशों), वरिष्ट प्रबंधन और संपरीक्षक समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं पुनर्विलोकन

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। निदेशक मंडल समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त चलनिधि के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

2. [क] ऋण जोखिम :

2. [क] (अ) ऋण जोखिम प्रबंधन :

प्राप्य मुख्यतः कोयले के विक्रय से उद्भूत होता है। कोयले का विक्रय को विस्तीर्णता से ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) एवं ई-नीलामी के जरिए यथा विक्रय रूपक वर्गीकृत किया जाता है।

2. [क] (आ) ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों यथा अनुध्यात में और उसके अनुसार ही, कंपनी उपभोक्ताओं के साथ या राज्य नामित अभिकरणों के साथ विधिक रूपक प्रवर्तनीय एफएसए में प्रवेश करती है जो परिणामस्वरूप अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए को विस्तीर्णता से इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:

• भारत में पारदर्शी रूप से कोयला (कोयला) का दोहन और आवंटन करने की योजना (शक्ति) के विभिन्न खंडों के अंतर्गत राज्य विद्युत उपयोगिताओं, निजी विद्युत उपयोगिताओं ("पीपीयू") और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ("आईपीपी") सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्र के ग्राहकों के साथ एफएसए;
• गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीति के अनुसार गैर-विद्युत उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("सीपीपी") सहित) में ग्राहकों के साथ एफएसए; तथा
• राज्य नामित अभिकरणों के साथ एफएसए

2. [क] (इ) ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन उपभोक्ताओं के लिए कोयले तक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रवर्तन की गई है जो नानाविध कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरणस्वरूप, एनसीडीपी के अधीन उनके नियामक आवश्यकता के पूर्ण आवंटन से कम, उनकी कोयले की आवश्यकता की मौसमी-तत्व और कोयले की सीमित आवश्यकता के कारण जिसे दीर्घावधि सहबद्धता की वारंटी नहीं देती है। कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर ई-नीलामी के तहत प्रस्थापित कोयले के परिमाण की समीक्षा की जाती है।

व्यापार प्राप्य के प्रतिपक्ष डिफ़ॉल्ट जोखिम को सुरक्षा जमा, अग्रिम, बैंक गारंटी आदि जैसे वित्तीय आश्वासनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

2. [क] (ई) प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान :

कंपनी आजीवन प्रत्याशित ऋण हानि (सरलीकृत उपागम) द्वारा संदिग्ध/ऋण ह्रासित आस्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण जोखिम हानि प्रदान करती है [टिप्पणी- 4.3, व्यवसाय प्राप्य देखें]।

वित्तीय आस्तियों के ह्रास के लिए महत्त्वपूर्ण प्राक्कलन एवं निर्णय

उपरि प्रकट वित्तीय आस्तियों के लिए ह्रास प्रावधान चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के विषय में ग्रहणों पर आधारित हैं। कंपनी इन ग्रहणों को बनाने और कंपनी के पूर्व इतिहास, विद्यमान बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रगतिशील प्राक्कलनों के आधार पर, ह्रास परिकलन के लिए निविष्टियों का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

2. [ख] चलनिधि जोखिम

प्रज्ञायुक्त चलनिधि जोखिम प्रबंधन में पर्याप्त नकदी एवं विपणनयोग्य प्रतिभूतियों को अनुरक्षित करने तथा दायित्वों जब देय को पूरा करने में प्रतिबद्ध ऋण प्रसुविधाओं की यथेष्ट राशियों के जरिए निधियन की उपलब्धता अंतर्हित होता है। अंतर्निहित कारबारों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोषागार प्रतिबद्ध ऋण व्यवस्था के अधीन उपलब्धता अनुरक्षित करते हुए निधियन में सुनम्यता बनाए रखता है।

प्रबंधन कंपनी के चलनिधि स्थिति (अनाहरित ऋण प्रसुविधाओं को समाविष्ट करके) के पूर्वानुमानों और प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी व नकदी समतुल्य का अनुश्रवण करता है। यह सामान्यतः कंपनी द्वारा निर्मित परिपाटी एवं सीमाओं के अनुसार कंपनी के परिचालनात्मक कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2025			31-03-2024		
	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्षों के मध्य	5 वर्ष से अधिक	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्षों के मध्य	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
ब्याज दायित्व सहित उधार	1,517.12	32.52	113.82	671.15	31.60	118.49
व्यवसाय देय	1,374.63	-	-	1,329.34	-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	2,060.16	233.73	-	2,070.24	214.33	-

2. [ग] बाजार जोखिम

अ. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम मुद्रा में मूल्यवर्गित भावी वाणिज्यिक लेन-देनों एवं निर्धारित आस्तियों या देयताओं से उद्भूत होता है जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रूपया) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देन से उद्भूत विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए उच्छन्न होता है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को अमहत्त्वपूर्ण माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति होती है जिसे तब अमल में लाया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

आ. नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उद्भूत होता है जो ब्याज दर में परिवर्तन के साथ कंपनी नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम को उच्छन्न करती है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को नियत दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों (डीपीई), बैंक जमाराशियाँ ऋण सीमाओं के विशाखीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों को प्रयुक्त कर प्रबंधित करता है।

पूँजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते अपनी पूँजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशोंनुसार करती है।

कंपनी का पूँजी विन्यास निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2025	31-03-2024
i. साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	4,269.42
ii. दीर्घावधि ऋण :		
ईडीसी ऋण - अप्रचलित	146.34	150.09
ईडीसी ऋण - चालू	8.13	7.90

3. कर्मी प्रसुविधाएँ : निर्धारण एवं मापन (इंड एएस-19)

परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ :

अ. उपदान

" कंपनी पात्र कर्मियों को समाविष्ट करते हुए उपदान के लिए एक पश्च-नियोजन परिभाषित प्रसुविधा योजना ("उपदान स्कीम") प्रदान करती है। उपदान भुगतान अधिनियम 1972 यथा संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी से पार्थक्य के समय उपदान का भुगतान ₹20 लाख की अधिकतम राशि के अध्यधीन कंपनी नियमानुसार किया जाता है। उपदान स्कीम की बाबत तुलन-पत्र में निर्धारित देयता या आस्ति योजनागत आस्तियों के अंकित मूल्य से कम रिपोर्टिंग वर्ष की समाप्ति पर परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित प्रसुविधा दायित्व बीमांककों द्वारा पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिकलित किया जाता है। बीमांकिक ग्रहण में अनुभवजन्य समयोजन एवं परिवर्तन से उद्भूत पुनर्मापित लाभ एवं हानियों को उस अवधि में जिसमें वे होते हैं प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में निर्धारित की जाती हैं। उपदान योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एलआईसी सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में एक बीमा कवरेज (लाइफ कवर सम एश्योर्ड- ""एलसीएसए"") भी प्रदान करता है, ताकि अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनुमानित देय से उपदान राशि में कमी की भरपाई की जा सके, जो अधिकतम ₹20 लाख की सीमा के अधीन हो।"

आ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास अधिवर्षिता की उम्र प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति या अस्वस्थता के आधार पर कंपनी से पृथक या सामान्य कोयला संवर्ग के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या समय-समय पर निश्चित किए और बनाए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त के मद्धे, अधिकतम सीमा के अध्यधीन कंपनी अस्पताल/पैनलकृत अस्पताल या बाह्यरोगी/केवल भारत में अधिवासित में अधिशासियों, उनके पति या पत्नी एवं पूर्णतः वित्तीय रूप से निर्भर दिव्यांग बच्चे (बच्चों) जो किसी भी विकलांगता के 40% से कम नहीं पीड़ित हो को चिकित्सा देख-भाल प्रदान करने के लिए, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा प्रसुविधा योजना नामशः सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा देख-भाल योजना (सीपीआरएमएसई) है। सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों की सेवाओं से पद त्याग करने वाले अधिशासियों को सदस्यता का विस्तारण नहीं दिया जाता है। बिना किसी ऊपरी सीमा के विनिर्दिष्ट रोगों के सिवाय, संयुक्तत: और पृथकत: सेवानिवृत्त अधिशासियों, पति या पत्नी एवं आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹25 लाख है। इस योजना को समूह निहितार्थ न्यास जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अनुरक्षित किया जाता है के जरिए वित्त पोषित किया जाता है।योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कृत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - कर्मचारी (सीपीआरएमएस-एनई)

यथा वेतन करार के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में, अधिवर्षिता की उम्र प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति या अस्वस्थता के आधार पर कंपनी से पृथक या सामान्य कोयला संवर्ग के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या समय-समय पर निश्चित किए और बनाए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त या 57 वर्ष की उम्र या अधिक में कंपनी से पद त्याग करता है या पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चा(चों) की मृत्यु पर के मद्धे, अधिकतम सीमा के अध्यधीन कंपनी अस्पताल/पैनलकृत अस्पताल या बाह्यरोगी/केवल भारत में अधिवासित में गैर-अधिशासियों एवं उनके पति या पत्नी एवं दिव्यांग बच्चा/चों को चिकित्सा देख-भाल प्रदान करने के लिए, कंपनी गैर-अधिशासियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय देख-भाल योजना प्रदान कर रही है। बिना किसी ऊपरी सीमा के विनिर्दिष्ट रोगों के सिवाय, संयुक्तत: और पृथकत: सेवानिवृत्त गैर-अधिशासियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹ 8 लाख है। दिव्यांग बच्चे के पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹ 2.5 लाख होगी। इस योजना का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अनुरक्षित समूह के लिए न्यास के माध्यम से किया जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कृत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

अ. भविष्य निधि एवं पेंशन

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से अर्हक कर्मियों के वेतन का नियत प्रतिशत अर्थात् भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ता का क्रमशः 12% एवं 7% पर आधारित भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में सावधि अंशदान का भुगतान करती है। इन निधियों को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक पृथक सांविधिक निकाय नामतः कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) द्वारा शासित किया जाता है। सावधि निधि अंशदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

आ. सीआईएल अधिशाषी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिशासियों को एक पश्च-नियोजन अंशदायी पेंशन योजना नामशः "सीआईएल अधिशासी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना - 2007" (यथा न्यू पेंशन स्कीम "एनपीएस" संदर्भित है) प्रदान करती है। एनपीएस को केवल इस प्रयोजनार्थ गठित समूह स्तर पर पृथक न्यास के जरिए प्रबंधित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व न्यास को भविष्य-निधि, उपदान, पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाओं – अधिशासी अर्थात् सीपीआरएमएसई या अन्य कोई सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं में नियोक्ता अंशदान से कम मूल वेतन और मँहगाई-भत्ता का 30% से अनधिक राशि के उस परिमाण तक अंशदान करना है। मूल वेतन एवं मँहगाई-भत्ता का 6.99% का सामयिक नियोक्ता अंशदान लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जा रहा है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी प्रसुविधाएँ

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी प्रसुविधाएँ

कंपनी अपने अधिशासियों को कुल 30 दिवसों का अर्जित अवकाश (ईएल) और 20 दिवसों का अर्ध समादत्त अवकाश (एचपीएल) की प्रसुविधा प्रदान करती है जो प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिवस को अर्धवार्षिक रूप से उपचित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, अधिकतम 60 दिवस के अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एकबारगी 75% जमा शेष अर्जित अवकाश नकदीकरण योग्य है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। अधिवर्षिता पर, संयुक्तः अर्जित अवकाश (ईएल) एवं अर्ध समादत्त अवकाश (एचपीएल) को बिना एचपीएल न्यूनीकरण के 300 दिवसों की समग्र सीमा के अध्यधीन नकदीकरण करने के लिए प्रतिफल किया जाता है। गैर-अधिशासियों के मामले में, अवकाश नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित किया जाता है और वर्तमान में कर्मकार 15 दिवस प्रतिवर्ष की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है तथा मृत्यु, सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण सेवा से विरति पर शेष अवकाश या 150 दिवस जो भी कम हो, को नकदीकरण के लिए अनुज्ञात किया जाता है। फलतः अर्जित अवकाश के लिए देयताओं को कर्मी की सेवा के दौरान के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के उपरांत निपटारित किया जाना प्रत्याशित है। पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कर्मियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में यथा प्रत्याशित भावी भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापित किया जाता है। प्रसुविधाएँ रिपोर्टिंग अवधि जिसमें सबंद्ध दायित्व निबंधनों के सन्निकट निबंधन हैं की समाप्ति पर बाजार प्रतिफल का उपयोग करके भुनाया जाता है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार धारित किया जाता है।

आ. जीवन बीमा योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह की एक जीवन बीमा योजना है जिसे कोल इंडिया लिमिटेड (एलसीएस) की जीवन बीमा योजना के रूप में जाना जाता है जिसमें सभी अधिशासी एवं गैर-अधिशासी संवर्ग के कर्मी सम्मिलित हैं। सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। प्रसुविधाओं की प्रत्याशित लागत तब निर्धारित होती है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के अधीन प्रसुविधा देय का कारण बनती है।

इ. व्यवस्थापन भत्ता

यथा वेतन करार के रूप में, 31.10.2010 से या उपरांत एनसीडब्ल्यूए के अधीन शासित समस्त गैर-अधिशासी संवर्गीय कर्मचारियों को उनके अधिवर्षिता पर ₹12,000.00 की एकमुश्त राशि यथा व्यवस्थापन भत्ता प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार धारित किया जाता है।

ई. समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने व्यक्तिगत दुर्घटना के विरूद्ध कंपनी के अधिशासियों को समाविष्ट करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. से समूह बीमा योजना नामशः "कोल इंडिया अधिशासी सामूहिक कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना" (जीपीएआईएस) परिगृहीत किया है। जीपीएआईएस 24 घंटे के आधार पर विश्वव्यापी सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को समाविष्ट करता है। योजना का प्रीमियम सीआईएल द्वारा धारित किया जाता है।

उ. अवकाश यात्रा रियायत

यथा वेतन करार के रूप में, गैर-अधिशासी कर्मी 4 वर्षों के ब्लॉक में एक बार अपने गृहनगर आने और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृहनगर और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः ₹10000/- और ₹15000/- की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

ऊ. खान दुर्घटना के कारण से कामगार मुआवजा प्रसुविधाएँ

यथा वेतन करार के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में, कंपनी कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन अनुज्ञेय प्रसुविधाएँ प्रदान करती है। दिनांक 07.11.2019 से घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को ₹15 लाख की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, 01.06.2023 से मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में ₹ 90,000/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। प्रसुविधाओं की प्रत्याशित लागत तब निर्धारित होती है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के अधीन प्रसुविधा देय का कारण बनती है।

परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं एवं अन्य दीर्घावधि कर्मचारी प्रसुविधा योजनाओं का निधियन विवरण यथा निम्नवत हैं :

(i) निधिक

- उपदान
- अवकाश निधियन
- सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)
- सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - कर्मचारी (सीपीआरएमएस-कर्मचारी)

(ii) अनिधिक

- जीवन बीमा योजना
- व्यवस्थापन भत्ता
- समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा
- अवकाश यात्रा रियायत
- खान दुर्घटना प्रसुविधाओं पर आश्रित को मुआवजा

31-03-2025 को कुल देयता बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर ₹6897.92 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

मदे	01-04-2024 को यथा प्रारंभिक बीमांकिक देयताएँ	वर्ष के दौरान समायोजन	31-03-2025 को यथा अंतिम बीमांकिक देयताएँ
उपदान योजना	4,668.13	(60.59)	4,607.54
अवकाश योजना	1,265.49	27.57	1,293.06
एलटीसी - अधिशासी	-	-	-
एलटीसी - गैर-अधिशासी	54.71	4.33	59.04
व्यवस्थापन भत्ता अधिशासी	9.40	0.28	9.68
व्यवस्थापन भत्ता गैर-अधिशासी	21.33	(0.27)	21.06
अधिशासी के लिए पीआरएमबी	181.06	0.65	181.71
गैर-अधिशासी के लिए पीआरएमबी	638.81	87.02	725.83
कुल	**6,838.93**	**58.99**	**6,897.92**

बीमांकक प्रमाणन के अनुसार प्रकटन

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) और अवकाश नकदीकरण (वित्त पोषित) के लिए कर्मचारी लाभ हेतु एक्चुअरी के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं: -

31-05-2025 को यथा भारतीय लेखांकन मानदण्ड 19 के तहत उपदान योजना का बीमांकिक परिकलन

सारिणी 1: परिभाषित प्रसुविधा लागत

क. लाभ एवं हानि (पी&एल)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
चालू सेवा लागत	66.96	65.13
पूर्व सेवा लागत - य जना संशोधित	-	159.64
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-	-
व्यवस्थापन लागत / (ऋण)	-	-
सेवा लागत	66.96	224.77
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	31.39	13.40
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	**98.35**	**238.16**

ख. अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई.)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	64.45	96.04
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	110.35	83.56
वर्ष के दौरान होने वाली एक्चुरियल (लाभ)/हानि	174.80	179.60
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (छूट दर से अधिक)/कम	(67.96)	(45.68)
ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	**106.84**	**133.92**

ग. परिभाषित प्रसुविधा लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
सेवा लागत	66.96	224.77
निवल परिभाषित देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	31.39	13.40
ओ.सी.आई. में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	106.84	133.92
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
परिभाषित लाभ लागत	**205.19**	**372.08**

घ.. वर्तमान में मान्यताएं

	31-03-2024	31-03-2023
बट्टा दर	7.00%	7.30%
वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25% "	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25% "

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

क. निवल तुलन-पत्र स्थिति का विकास

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(4,607.54)	(4,668.13)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	3,953.93	4,219.70
निधिक स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(653.61)	(448.42)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-	-
निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(653.61)**	**(448.42)**

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
पूर्व अवधि में समाप्त पर निवल परिभाषित प्रसुविधा / (देयता)	(448.42)	(290.73)
सेवा लागत	(66.96)	(224.77)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	(31.39)	(13.40)
ओ.सी.आई. में निर्धारित राशि	(106.84)	(133.92)
नियोक्ता अंशदान	-	214.39
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-	-
निर्निहितीकरण	-	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(653.61)**	**(448.42)**

ग. वर्तमान में मान्यताएं

	31-03-2025	31-03-2024
बट्टा दर	6.60%	7.00%
वेतन वृद्धि का दर :	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	4,668.13	4,514.20
चालू सेवा लागत	66.96	65.13
डीबीओ पर ब्याज लागत	305.49	309.11
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	159.64
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि – अनुभव	64.45	96.04
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	110.35	83.56
कंपनी द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदत्त प्रसुविधा	-	-
योजना आस्तियों से प्रदत्त प्रसुविधा	(607.84)	(559.56)
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	**4,607.54**	**4,668.13**

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	4,219.70	4,223.48
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	274.10	295.72
नियोक्ता अंशदान	-	214.39
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	67.96	45.68
प्रसुविधाएँ प्रदत्त	(607.84)	(559.56)
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	**3,953.93**	**4,219.70**

सारिणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

वर्ष समाप्त होने के लिए डीबीओ की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2026	519.44
31 मार्च, 2027	523.26
31 मार्च, 2028	580.43
31 मार्च, 2029	555.74
31 मार्च, 2030	560.07
31 मार्च, 2031 से 31 मार्च, 2035	2,033.88
10 साल से आगे	3,123.35

ख. 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए प्रत्याशित नियोक्ता अंशदान	(₹ करोड़ में)	68.57
ग. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का भारित औसत अवधि		6 Years
घ. 31 मार्च 2025 को यथा उपचित प्रसुविधा दायित्व	(₹ करोड़ में)	3,998.32

ङ. 31 मार्च 2025 को यथा योजना आस्ति सूचना

	प्रतिशत
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (केन्द्र एवं राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड (लोक उद्यम बॉण्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों का साम्या शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकदी (विशेष जमाराशियों सहित)	0.00%
बीमा के योजनाएँ - परंपरागत उत्पाद	100.00%
बीमा के योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	**100.00%**

च. 31 मार्च 2025 को यथा विश्लेषित चालू एवं अप्रचलित देयता

(₹ करोड़ में)

	कुल
चालू देयता	503.10
अप्रचलित आस्ति / (देयता)	4,104.44
31 मार्च 2025 को यथा देयता	**4,607.54**

योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

उपदान स्कीम एक अंतिम वेतन परिभाषित प्रसुविधा योजना है जो कोई एक सेवानिवृत्ति, मृत्यु, निःशक्तता या स्वैच्छिक आहरण के रूप में निर्गमन पर सृजित एकमुश्त संदाय के लिए उपबंधित करती है। प्रसुविधाओं को अंतिम वेतन एवं सेवा अवधि के आधार पर परिभाषित किया जाता है और निर्गमन पर यथा एकमुश्त प्रदान किया जाता है। योजना अभिहित (डिजाइन) से देयताओं और वित्तीय परिणामों को सामान्यतः प्रभावित करने वाले जोखिम अभिप्राय है जो प्रत्याशित है :

1. ब्याज दर जोखिम: परिभाषित लाभ दायित्व की गणना सरकारी बॉन्ड पर आधारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि बॉन्ड की पैदावार गिरती है, तो परिभाषित लाभ दायित्व बढ़ने की संभावना होगी
2. वेतन मुद्रास्फीति जोखिम: वेतन में अपेक्षा से अधिक वृद्धि से परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि होगी
3. जनसांख्यिकीय जोखिम: यह मृत्यु दर, निकासी, विकलांगता और सेवानिवृत्ति सहित घटोतों की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की परिवर्तनशीलता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन घटोतों का प्रभाव सीधा नहीं है और यह वेतन वृद्धि, छूट दर और निहित मानदंड के संयोजन पर निर्भर करता है। निकासी को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक छोटे करियर वाले कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ की लागत आम तौर पर एक लंबी सेवा वाले कर्मचारी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

वित्तपोषण व्यवस्था और नीतियों का विवरण

भारत में ऐसी योजनाओं के लिए कोई वैधानिक न्यूनतम निधि आवश्यकताएँ अनिवार्य नहीं हैं। हालाँकि, कोई कंपनी कर छूट का लाभ उठाने और लाभों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के माध्यम से लाभों को निधि दे सकती है।

इस योजना को एक अलग अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और कंपनी से ट्रस्ट में नियमित योगदान करने की अपेक्षा की जाती है। फंड का प्रबंधन एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और परिसंपत्तियों को उनके पारंपरिक समूह ग्रेच्युटी उत्पाद में निवेश किया जाता है। फंड संचित शेष राशि की पूंजी गारंटी प्रदान करता है और समय-समय पर ब्याज घोषित करता है जिसे फंड खाते में जमा किया जाता है। हालाँकि हम जानते हैं कि फंड मैनेजर IRDA द्वारा अनुमोदित उत्पादों और आईटी अधिनियम की धारा 101 के तहत निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार फंड का निवेश करता है, सटीक परिसंपत्ति मिश्रण अज्ञात है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित ट्रस्ट परिसंपत्तियां अत्यधिक तरल प्रकृति की हैं और हमें किसी भी महत्वपूर्ण तरलता जोखिम की उम्मीद नहीं है।

ट्रस्टी ट्रस्ट की परिसंपत्तियों के निवेश के साथ-साथ योजना के दैनिक प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार हैं। ट्रस्ट के प्रशासनिक खर्च कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं। ट्रस्टियों को आवश्यक व्यवसाय संचालित करने की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रस्ट के वित्तीय विवरणों को मंजूरी देना, निवेश प्रदर्शन की समीक्षा करना।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च 2025 को यथा आधार ग्रहण पर डीबीओ	(₹ करोड़ में)	4,607.54
क. बट्टा दर		
31 मार्च 2025 को यथा बट्टा दर		6.60%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	(137.08)
प्रतिशत प्रभाव		-3.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	146.17
प्रतिशत प्रभाव		3.00%
ख. वेतन वृद्धि दर		
31 मार्च 2025 को यथा वेतन वृद्धि दर		अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%
1. वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	40.21
प्रतिशत प्रभाव		1.00%
2. वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	(42.83)
प्रतिशत प्रभाव		-1.00%

समूह उपदान बीमा योजना

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2025	31-03-2024
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष"	4,424.48	4,374.64
जोड़ : वर्ष के दौरान निवेश	-	214.39
जोड़ : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	342.07	341.39
न्यून : वर्ष के दौरान निर्गत निधि	361.72	505.94
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	4,404.83	4,424.48

31-03-2025 को यथा भारतीय लेखांकन मानक 19 के अधीन अवकाश प्रसुविधा योजना का बीमांकिक परिकलन

चालू मूल्यांकन तिथि को यथा उत्तम प्राक्कलन ग्रहण पर आधारित एक नजर में मूल्यांकन यथा निम्न प्रदत्त है :

सारिणी 1: परिभाषित प्रसुविधा लागत का प्रकटन

क. लाभ व हानि (पी&एल) (₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
चालू सेवा लागत	254.84	227.46
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	119.61
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-	-
व्यवस्थापन लागत/ (ऋण)	-	-
सेवा लागत	254.84	347.07
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/ (आस्ति) पर निवल ब्याज	29.52	18.32
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	(17.54)	117.96
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	**266.82**	**483.34**

ख. अन्य व्यापक आयक (ओसीआई) (₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	(57.77)	90.23
डीबीओ ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	43.32	30.62
वर्ष के दौरान उद्भूत बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(14.45)	120.84
बट्टा दर से (अधिक)/ कम योजना आस्तियों पर वापसी	(3.09)	(2.89)
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	**-**	**-**

ग. परिभाषित लागत (₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
सेवा लागत	254.84	347.07
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	29.52	18.32
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	-	-
(अतिलाभ)/ हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य पूर्वदीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	(17.54)	117.96
परिभाषित प्रसुविधा लागत	**266.82**	**483.34**

घ. परिभाषा प्रसुविधा लागत

	31-03-2024	31-03-2023
बट्टा दर	7.00%	7.30%
वतन वृद्धि का दर	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

क. निवल तुलन-पत्र स्थिति का विकास (₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(1,293.06)	(1,265.49)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	734.48	713.72
निधिक स्थिति [अधिशेष/घाटा)]	(558.59)	(551.77)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-	-
निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(558.59)**	**(551.77)**

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
पूर्व अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति / (देयता)	(551.77)	(433.43)
सेवा लागत	(254.84)	(347.07)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता / (आस्ति) पर निवल ब्याज	(29.52)	(18.32)
बीमांकिक (हानि)/अतिलाभ	17.54	(117.96)
नियोक्ता अंशदान	260.00	365.00
कंपनी द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदत्त प्रसुविधा	-	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-	-
निर्निहितीकरण	-	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(558.59)**	**(551.77)**

ग. को यथा ग्रहण

	31-03-2025	31-03-2024
बट्टा दर	6.60%	7.00%
वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	1,265.49	1,021.28
चालू सेवा लागत	254.84	227.46
डीबीओ पर ब्याज लागत	78.39	64.05
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	119.61
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि – अनुभव	(57.77)	90.23
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	43.32	30.62
कंपनी द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदत्त प्रसुविधा	-	-
योजना आस्तियों से प्रदत्त प्रसुविधा	(291.21)	(287.75)
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	**1,293.06**	**1,265.49**

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	713.72	587.85
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	48.87	45.73
नियोक्ता अंशदान	260.00	365.00
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	3.09	2.89
प्रदत्त प्रसुविधाएँ	(291.21)	(287.75)
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	**734.48**	**713.72**

सारिणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

क. वर्ष के अंत के लिए डीबीओ की परिपक्वता प्रोफ़ाइल	(₹ करोड़ में)
31 मार्च, 2026	111.85
31 मार्च, 2027	118.17
31 मार्च, 2028	129.99
31 मार्च, 2029	130.02
31 मार्च, 2030	134.30
31 मार्च, 2031 से 31 मार्च, 2035	521.80
10 साल से आगे	1,672.96

ख. 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए प्रत्याशित नियोक्ता अंशदान	(₹ करोड़ में)	267.24
ग. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का भारित औसत अवधि		9 Years
घ. 31 मार्च 2025 को उपचित प्रसुविधा दायित्व	(₹ करोड़ में)	803.90
ङ. 31 मार्च 2025 को यथा योजना आस्ति सूचना		

	प्रतिशत
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (केन्द्र एवं राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड (लोक उद्यम बॉण्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों का साम्या शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकदी (विशेष जमाराशियों सहित)	0.00%
बीमा के योजनाएँ - परंपरागत उत्पाद	100.00%
बीमा के योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	**100.00%**

च. 31 मार्च 2025 को यथा विश्लेषित चालू एवं अप्रचलित देयता

	कुल
चालू देयता	108.33
अप्रचलित आस्ति/(देयता)	1,184.73
31 मार्च 2025 को यथा देयता	**1,293.06**

योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

छुट्टी योजना एक अंतिम वेतन परिभाषित लाभ योजना है जो सेवानिवृत्ति, मृत्यु, विकलांगता या स्वैच्छिक वापसी के माध्यम से बाहर निकलने पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। लाभ अंतिम वेतन और संचित छुट्टी शेष के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं और बाहर निकलने पर एकमुश्त भुगतान किया जाता है। योजना डिजाइन का मतलब है कि आम तौर पर देनदारियों और वित्तीय परिणामों को प्रभावित करने वाले जोखिम इस प्रकार होने की उम्मीद है:

1. ब्याज दर जोखिम: परिभाषित लाभ दायित्व की गणना सरकारी बॉन्ड पर आधारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि बॉन्ड की पैदावार गिरती है, तो परिभाषित लाभ दायित्व बढ़ने की संभावना होगी

2. वेतन मुद्रास्फीति जोखिम: वेतन में अपेक्षा से अधिक वृद्धि से परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि होगी

3. जनसांख्यिकीय जोखिम: यह मृत्यु दर, निकासी, विकलांगता और सेवानिवृत्ति सहित घटोतों की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की परिवर्तनशीलता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन घटोतों का प्रभाव सीधा नहीं है और यह वेतन वृद्धि, छूट दर और निहित मानदंड के संयोजन पर निर्भर करता है। निकासी को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक छोटे करियर वाले कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ की लागत आम तौर पर एक लंबी सेवा वाले कर्मचारी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

4. छुट्टी शेष में परिवर्तन: यह छुट्टी शेष के अपेक्षित संचय से महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण परिणामों की परिवर्तनशीलता का जोखिम है। अन्य सभी पहलू समान रहने पर, छुट्टी शेष में अपेक्षित वृद्धि से अधिक परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि होगी।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च 2025 को यथा आधार ग्रहण पर डीबीओ	(₹ करोड़ में)	1,096.56
क. बट्टा दर		
31 मार्च 2025 को यथा बट्टा दर		6.60%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	(53.71)
प्रतिशत प्रभाव		-4.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	58.40
प्रतिशत प्रभाव		5.00%

ख. वेतन वृद्धि दर		
31 मार्च 2025 को यथा वेतन वृद्धि दर		अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%
1. वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	57.93
प्रतिशत प्रभाव		4.00%
2. वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	(53.80)
प्रतिशत प्रभाव		-4.00%

अवकाश नकदीकरण निधि

कोल इंडिया बोर्ड ने 13 नवंबर 2015 को आयोजित 322वीं बैठक में भारतीय जीवन बीमा निगम और IRDAI द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों के साथ 70:30 के अनुपात में अवकाश नकदीकरण देयता के वित्तपोषण को अपनी स्वीकृति प्रदान की। CIL स्तर पर IRDAI द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों का चयन प्रक्रियाधीन है। इस बीच, CIL ने सभी सहायक कंपनियों को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना के तहत अवकाश नकदीकरण देयता के वित्तपोषण की शुरुआत करने की सलाह दी है। तदनुसार, कंपनी ने LIC के मास्टर प्रस्ताव 'नई समूह अवकाश नकदीकरण नकद संचय योजना (UIN512N282V01)' को अपनाते हुए नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना के तहत वित्तपोषण शुरू कर दिया है। उक्त योजना के तहत LIC के पास शेष राशि इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2025	31-03-2024
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	672.60	715.62
जोड़ : वर्ष के दौरान निवेश	260.00	365.00
जोड़ : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	51.96	48.62
न्यून : वर्ष के दौरान निर्गत अवकाश नकदीकरण निधियन	78.33	456.64
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	906.23	672.60

31-03-2025 को यथा भारतीय लेखांकन मानक 19 के अधीन सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा का बीमांकिक परिकलन

चालू मूल्यांकन तिथि को यथा उत्तम प्राक्कलन ग्रहण पर आधारित एक नजर में मूल्यांकन यथा निम्न प्रदत्त है :

सारणी 1 : परिभाषित प्रसुविधा लागत का प्रकटन

क. लाभ एवं हानि (पी & एल)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
चालू सेवा लागत	20.90	20.73
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधित	-	-
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-	-
व्यवस्थापन लागत / (ऋण)	-	-
सेवा लागत	20.90	20.73
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	25.81	30.80
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	**46.71**	**51.53**

ख. अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई.)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(33.16)	(59.09)
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	42.54	29.16
वर्ष के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	9.38	(29.93)
बट्टा दर से (अधिक)/ कम योजना परिसम्पति पर वापसी	(7.10)	(9.78)
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	**2.28**	**(39.71)**

ग. परिभाषित प्रसुविधा लागत (₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
सेवा लागत	20.90	20.73
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/ (आस्ति) पर निवल ब्याज	25.81	30.80
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	2.28	(39.72)
(अतिलाभ)/ हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
परिभाषित प्रसुविधा लागत	**48.99**	**11.81**

घ. परिभाषा प्रसुविधा लागत

	31-03-2024	31-03-2023
बट्टा दर	7.00%	7.30%
चिकित्सीय मुद्रास्फीति दर	-	-

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

क. निवल तुलन-पत्र स्थिति (₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(907.54)	(819.88)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	523.37	417.52
निधिक स्थिति [अधिशेष/(ह्रास)]	(384.17)	(402.36)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-	-
परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/(देयता)	**(384.17)**	**(402.36)**

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान (₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
पूर्व अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति / (देयता)	(402.36)	(453.31)
सेवा लागत	(20.90)	(20.73)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता / (आस्ति) पर निवल ब्याज	(25.81)	(30.80)
बीमांकिक (हानि)/अतिलाभ	(2.28)	39.72
नियोक्ता अंशदान	67.17	62.77
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-	-
निर्निहितीकरण	-	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(384.18)**	**(402.36)**

ग. को यथा ग्रहण

	31-03-2025	31-03-2024
बट्टा दर	6.60%	7.00%
चिकित्सीय मुद्रास्फीति दर	0.00%	0.00%

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	819.88	772.67
चालू सेवा लागत	20.90	20.73
डीबीओ पर ब्याज लागत	57.39	56.41
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि – अनुभव	(33.16)	(59.09)
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	42.53	29.16
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
योजना आस्तियों से प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	**907.54**	**819.88**

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

	31-03-2025	31-03-2024
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	417.52	319.36
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	31.57	25.60
नियोक्ता अंशदान	67.17	62.77
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	7.10	9.78
प्रसुविधाएँ प्रदत्त	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	**523.36**	**417.52**

सारणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

क. वर्ष 2014-15 के लिए डीबीओ की परिपक्वता प्रोफ़ाइल (₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2026	38.45
31 मार्च, 2027	43.63
31 मार्च, 2028	48.89
31 मार्च, 2029	54.12
31 मार्च, 2030	58.56
31 मार्च, 2031 से 31 मार्च, 2035	340.95
10 साल से आगे	1,823.86

ख. परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि		13 Years
ग. 31 मार्च 2025 को उपचित प्रसुविधा दायित्व	(₹ करोड़ में)	907.54

योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

पीआरएमबी योजना एक निश्चित मौद्रिक राशि वाली परिभाषित लाभ योजना है जो सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है जब कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति चिकित्सा लाभ का दावा करता है। लाभों को चिकित्सा व्यय के तहत दावा की गई राशि के आधार पर परिभाषित किया जाता है (जिसका मूल्यांकन कंपनी द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान किए गए प्रीमियम के रूप में किया जाता है) सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम सीमा तक। योजना के डिजाइन का अर्थ है कि आम तौर पर देनदारियों और वित्तीय परिणामों को प्रभावित करने वाले जोखिम निम्न होने की उम्मीद है:

1. ब्याज दर जोखिम: परिभाषित लाभ दायित्व की गणना सरकारी बॉन्ड पर आधारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि बॉन्ड की पैदावार गिरती है, तो परिभाषित लाभ दायित्व बढ़ने की संभावना होगी

2. चिकित्सा मुद्रास्फीति जोखिम: प्रीमियम में अपेक्षा से अधिक वृद्धि से परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले लाभ की सीमा तय करके (कंपनी के लिए प्रीमियम राशि को सीमित करके) इस जोखिम को कम किया जाता है।

3. जनसांख्यिकीय जोखिम: यह मृत्यु दर, निकासी, विकलांगता और सेवानिवृत्ति सहित घटोतों की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की परिवर्तनशीलता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन घटोतों का प्रभाव सीधा नहीं है और यह वेतन वृद्धि, छूट दर और निहित मानदंड के संयोजन पर निर्भर करता है। निकासी को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक छोटे करियर वाले कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ की लागत आम तौर पर एक लंबी सेवा वाले कर्मचारी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

निधिक व्यवस्था एवं नीतियों का विवरण

भारत में ऐसी योजनाओं के लिए कोई वैधानिक न्यूनतम निधि आवश्यकताएँ अनिवार्य नहीं हैं। हालाँकि, कोई कंपनी कर छूट का लाभ उठाने और लाभों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के माध्यम से लाभों को निधि दे सकती है।

योजना को एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के जरिए वित्त पोषित किया जाता है और कंपनी ट्रस्ट को नियमित अंशदान प्रदान करने के लिए प्रत्याशित है। निधि का प्रबंधन एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और आस्तियों को उनके पारंपरिक समूह उपदान उत्पाद में निवेश किया जाता है। निधि संचित शेष राशि की पूँजी गारंटी प्रदान करता है और आवधिकतः ब्याज घोषित करता है जिसे निधि खाते में जमा किया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि निधि प्रबंधन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआईडीए) द्वारा अनुमोदित उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 101 के अधीन यथा नियत निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करता है, सटीक आस्ति मिश्रण अज्ञात है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंधित न्यास आस्तियाएँ अत्यधिक अर्थसुलभ प्रकृति की होती है और हम किसी भी महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम की प्रत्याशा नहीं करते हैं।

'न्यासी न्यास की आस्तियों के निवेश के साथ-साथ योजना के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रस्ट का प्रशासनिक खर्च कंपनी वहन करती है। न्यासियों को आवश्यक व्यवसाय उदाहरणार्थ न्यास की वित्तीय विवरणी का अनुमोदन, निवेश प्रदर्शन का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च 2025 को यथा आधार ग्रहण पर डीबीओ	(₹ करोड़ में)	907.54
क. बट्टा दर		
31 मार्च 2025 को यथा बट्टा दर		6.60%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	(52.67)
प्रतिशत प्रभाव		-6.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(₹ करोड़ में)	58.20
प्रतिशत प्रभाव		6.00%

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा निधियन

इस प्रयोजन के लिए केवल सामूहिक स्थल पर सीआईएल द्वारा अनुरक्षित न्यास के जरिये सेवानिवृत्ति उपरांत प्रसुविधा योजना को निधिक किया जाता है। न्यास निधि के साथ शेष निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2025	31-03-2024
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	417.52	319.36
जोड़ : वर्ष के दौरान निवेश	67.17	62.77
जोड़ : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	38.68	35.39
न्यून : वर्ष के दौरान निर्गत निधि	-	-
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	523.37	417.52

4. अनिर्धारित मदें

4. [क]. आकस्मिक देयताएँ :

4. [क].I. कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

सारणी - I

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार एवं अन्य अवस्थाने**	सीपीएसई	अन्य	कुल
1.	**01.04.2024 को यथा प्रारंभिक लेखा**	**2,160.57**	**880.59**	**-**	**997.23**	**4,038.39**
2.	वर्ष के दौरान परिवर्धन	422.97	37.82	-	620.65	**1,081.44**
3.	वर्ष के दौरान निपटारित					
	अ. प्रारंभिक शेष से	(970.02)	(2.55)	-	(117.81)	**(1,090.38)**
	आ. वर्ष के दौरान परिवर्धन के	-	-	-	-	**-**
	इ. वर्ष के दौरान कुल निपटारित (अ+आ)	(970.02)	(2.55)	-	(117.81)	**(1,090.38)**
4.	**31-03-2025 को यथा लेखाबंदी**	**1,613.52**	**915.86**	**-**	**1,500.07**	**4,029.45**

प्रबंधन का मानना है कि उक्त के परिणाम का कंपनी पर कोई तात्विक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सारणी - II

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
1.	**केंद्रीय सरकार**		
	आयकर	1,309.90	1,119.88
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1.19	869.42
	केंद्रीय विक्रय-कर	69.48	69.48
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	101.79
	माल एवं सेवा कर	232.95	-
	अन्य	-	-
	अंशसमष्टि (i)	**1,613.52**	**2,160.57**
2.	**केंद्रीय सरकार**		
	रॉयल्टी	67.28	67.48
	पर्यावरण सहमति*	-	-
	बिक्री कर/वैट	33.17	33.17
	विद्युत शुल्क	2.32	2.32
	अन्य :		
	आरई उपकर एवं पीई उपकर	773.92	736.10
	अन्य	39.17	41.52
	अंशसमष्टि (ii)	**915.86**	**880.59**
3.	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम**		
	मध्यस्थम् कार्यवाहियाँ	-	-
	मुकदमा के अधीन कंपनी के विरूद्ध वाद	-	-
	अन्य	-	-
	अंशसमष्टि (iii)	**-**	**-**
4.	**अन्य**		
	प्रकीर्ण - भूमि	12.74	16.69
	अन्य (कर्मी संबंधित एवं इत्यादि)	1,487.33	980.54
	अंशसमष्टि (iv)	**1,500.07**	**997.23**
	समग्र कुल (i + ii + iii + iv)	**4,029.45**	**4,038.39**

कंपनी के लंबित मुकदमे में कंपनी के खिलाफ दावा और कर/सांविधिक/सरकारी अधिकारियों के समक्ष लंबित कार्यवाही शामिल है। कंपनी ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और पर्याप्त प्रावधान किए हैं, तथा अपने वित्तीय विवरणों में, जहां लागू हो, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त के संबंध में भविष्य के नकद बहिर्वाह निर्णयों/निर्णयों के परिणाम पर निर्भर हैं। आकस्मिक देनदारियों के तहत मामलों के निपटान में कोई रुचि अपेक्षित नहीं है, सिवाय इसके कि जहां प्रबंधन का प्रतिकूल दृष्टिकोण हो।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम 1957 के तहत अवैध या गैरकानूनी खनन खनिज के लिए दंड के रूप में झारखंड राज्य और जिला खनन अधिकारी की मांग: झारखंड सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कथित अवैध या गैरकानूनी खनन खनिज के लिए दंड के रूप में ₹ 2,178.14 करोड़ की मांग की है, जिसमें संबंधित सहायक खनन अधिकारी / जिला खनन अधिकारियों द्वारा राजमहल क्षेत्र, एस.पी. माइंस और मुग्मा क्षेत्र को जारी किए गए 11 मांग नोटिस शामिल हैं। इस संबंध में, ईसीएल के संबंधित क्षेत्रों ने संशोधन प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष कथित उल्लंघन के संबंध में झारखंड राज्य द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस को चुनौती देते हुए 11 संशोधन आवेदन दायर किए हैं।

कोयला मंत्रालय के माननीय कोयला न्यायाधिकरण के पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 22.01.2018 के आदेश के तहत, आगे के आदेश तक, माँग सूचनाओं पर रोक लगा दिया है। आगे, कोयला मंत्रालय के माननीय कोयला न्यायाधिकरण के पुनरीक्षण प्राधिकारी निर्देशित किया है कि आक्षेपित माँग सूचनाओं के अनुसरण में प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक के विरूद्ध कोई प्रपीड़न कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला अधिकरण, कोयला मंत्रालय ने अपने दिनांक 29.06.2022 के आदेश के तहत झारखंड राज्य द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया है।

पुनरीक्षण प्राधिकरण ने पाया है कि मामलों में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई उचित तथ्यात्मक जांच या जांच शुरू नहीं की गई है। आवेदकों को अपनी आपत्तियां और प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करने के लिए उचित और निष्पक्ष अवसर दिए बिना निर्णय लिए गए हैं। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने पाया कि उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा संबंधित विभागों के विशेषज्ञों के साथ एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तावों की जांच करनी चाहिए और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सुनवाई का अवसर देना चाहिए।

इसके अलावा, उपर्युक्त आदेश के परिणामस्वरूप झारखंड सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा एक ज्ञापन जारी किया गया जिसमें पूर्व में उठाई गई मांगों की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसे ईसीएल द्वारा एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 के अनुसार भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के माननीय पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष संशोधन आवेदन के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

इस मामले की सुनवाई माननीय पुनरीक्षण प्राधिकरण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14.02.2025 को की गई और आवेदकों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया।

उपरोक्त मामले में उपरोक्त घटनाक्रमों पर विचार करते हुए, कंपनी ने मूल्यांकन किया कि निपटान में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम है और तदनुसार, रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में नहीं माना गया है।

4. [क].II. साख-पत्र एवं गारंटी

31-03-2025 तक बकाया साख पत्र (एलओसी) ₹ शून्य (₹ शून्य) है और जारी बैंक गारंटी ₹ 88.22 करोड़ (₹ 73.66 करोड़) है।

4. [ख] सुपुर्दगियाँ

पूंजी प्रतिबद्धताएं:

• 31.03.2025 तक पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए अनुमानित शेष राशि ₹ 969.15 करोड़ (₹ 1127.25 करोड़) है।

4.[सी] आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

5. अन्य प्रावधान

क.(i) प्रति शेयर अर्जन

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
i.	कर के उपरांत लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	204.49	251.59
ii.	साम्य शेयरधारकों को रोप्य कर पश्चात् निवल लाभ (₹ करोड़ में)	204.49	**251.59**
iii.	साम्या शेयर बकाया का भारित औसत संख्या	42,694,200	42,694,200
iv.	रूपये में मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (प्रति शेयर ₹1000/- अंकित मूल्य) (₹) [iii ÷ iv]	47.90	58.93

क.(ii) कंपनी ने 23 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपनी 09वीं ईजीएम में ₹ 2050.97 करोड़ की वरीयता शेयर पूंजी को इक्विटी शेयर पूंजी में बदलने को मंजूरी दे दी है। जारी होने की तिथि से लेकर इक्विटी शेयरों में रूपांतरण की तिथि तक वरीयता शेयरों पर ₹ 861 करोड़ का लाभांश बकाया है, क्योंकि कंपनी संचित घाटे में चल रही है।

ख. संबद्ध पक्षकार प्रकटन

(i) नियंत्रणी एवं इसकी अनुषंगियाँ

अ. कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्री कंपनी)

आ. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)

इ. केन्द्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)

ई. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)

उ. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)

ऊ. नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)

ऋ. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)

ए. केंद्रीय माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

ऐ. कोल इंडिया इंडिया अफ्रीकाना, मोजाम्बिक (सीआईएएल)

ओ. सीआईएल सोलर प्राइवेट लिमिटेड (सीएसपीएल)

औ. सीआईएल नविकर्णीय ऊर्जा लिमिटेड (सीएनयूएल)

अं. भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल)

अः. कोल गैस इंडिया लिमिटेड (सीजीआईएल)

(ii) समाज

अ. भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान - (आईआईसीएम)

(iii) रोजगारोपरांत लाभ निधि:

अ. एलआईसीआई के साथ सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना

आ. एलआईसीआई के साथ नई सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (01.04.2014 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों के लिए)

इ. एलआईसीआई के साथ नई सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (29.06.2020 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों के लिए)

ई. एलआईसीआई के साथ नया समूहगत अवकाश नकदीकरण योजना

उ. कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)

ऊ. कोल इंडिया अधिवर्षिता प्रसुविधा निधि न्यास

ऋ. कर्मचारियों के लिए संशोधित अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सेवा योजना

ए. सीआईएल अधिशाषी परिभाषित अंशदान पेंशन न्यास

ग. (i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण :

1	श्री सतीश झा	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (19.12.2024 से प्रभावी)
2	श्री समीरन दत्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (28.12.2023 से 18.12.2024 तक)
3	मो. अंजार आलम	निदेशक (वित्त) (15.09.2022 से प्रभावी) एवं निदेशक (कार्मिक) (अतिरिक्त प्रभार 01.09.2024 से 14.01.2025 तक)
4	सुश्री आहुति स्वैन	निदेशक (मानव संसाधन) (18.11.2022 से 31.08.2024 तक)
5	श्री गिरीश गोपीनाथन नायर	निदेशक (तकनीकी) पी एंड पी (25.03.2025 से प्रभावी)
6	श्री गुंजन कुमार सिन्हा	निदेशक (मानव संसाधन) (15.01.2025 से प्रभावी)
7	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी) पी एंड पी (09.12.2022 से 29.04.2024 तक)
8	श्री नीलाद्रि रॉय	निदेशक (तकनीकी) परिचालन (01.02.2023 से प्रभावी) एवं निदेशक (तकनीकी) परियोजनाएं एवं योजना (अतिरिक्त प्रभार 30.04.2024 से 24.03.2025 तक)
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक:		
1	श्री मुकेश अग्रवाल	निदेशक (वित्त), सीआईएल (18.03.2024 से प्रभावी)
2	सुश्री संतोष	डीडीजी, कोयला मंत्रालय (01.01.2025 से प्रभावी)
3	श्री माणिक चंद्र पंडित	निदेशक, कोयला मंत्रालय (19.07.2023 से 31.12.2024 तक)

स्वतंत्र निदेशक:

1 श्री शिव नारायण पाण्डेय (दिनांक 01.11.2021 से 31.10.2024 तक एवं दिनांक 28.03.2025 से (पुनर्नियुक्ति))

2 श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से 31.10.2024 तक)

कंपनी सचिव:

1. श्री रामबाबू पाठक (02.07.2018 से)

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) :

1. मो. अंज़ार आलम (15.09.2022 से)

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकगणों एवं कंपनी सचिव को पारिश्रमिक	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
i.	अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ :	2.22	3.22
ii.	नियोजनोपरांत प्रसुविधाएँ :	0.33	0.49
iii.	पर्यवसान प्रसुविधाएँ (पृथक्करण के समय में प्रदत्त)	0.20	-
	कुल	**2.75**	**3.71**

(iii) स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
i.	बैठक शुल्क	0.07	0.13

(iv) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2025	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024
i.	राशि देय	0.13	0.11
ii.	राशि प्राप्य	-	-

(v) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य राशि अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय नहीं है। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य राशि उन फर्मों या निजी कंपनियों से देय है जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

(vi) समूह के अंदर संबद्ध पक्षकार अंतरण

सीआईएल के साथ लेन-देन की प्रकृति शीर्ष प्रभार, अनुसंधान एवं विकास व्यय, पुनर्वास व्यय, सब्सिडी, ईडीसी ऋण चुकौती, तथा चालू खाते के माध्यम से कर्मचारियों से संबंधित व्यय है। भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेन-देन की प्रकृति और राशि के बारे में निम्नलिखित खुलासे किए गए हैं।

31-03-2025 को यथा बकाया शेष और तब समाप्त वर्ष के लिए लेनदेन (₹ करोड़ में)

संबद्ध पक्षकारों का नाम	संबद्ध पक्षकारों को ऋण	संबद्ध पक्षकारों से ऋण	अन्य सेवाएँ			चालू लेखा शेष (देय)/ प्राप्य	बकाया शेष (देय)/ प्राप्य
			सीआईएल के सेवा प्रभार	पुनर्वासन प्रभार	सीआईएल के पास रखी गई निधियों पर ब्याज		
सीआईएल	-	-	52.04	29.72	-	(250.37)	-
आईआईसीएम	-	-	-	-	-	-	(4.25)
सीएमपीडीआईएल	-	-	-	-	-	-	(160.87)

31-03-2024 को यथा बकाया शेष तथा तब समाप्त वर्ष के लिए लेनदेन (₹ करोड़ में)

संबद्ध पक्षकारों का नाम	संबद्ध पक्षकारों को ऋण	संबद्ध पक्षकारों से ऋण	Other Services			चालू लेखा शेष (देय)/ प्राप्य	बकाया शेष (देय)/ प्राप्य
			सीआईएल के सेवा प्रभार	पुनर्वासन प्रभार	सीआईएल के पास रखी गई निधियों पर ब्याज		
सीआईएल	-	-	47.56	26.24	-	(206.27)	-
आईआईसीएम	-	-	-	-	-	-	(0.93)
सीएमपीडीआईएल	-	-	-	-	-	-	(102.25)

घ. खण्ड रिपोर्टिंग :

कंपनी प्रधानतः कोयले के उत्पादन एवं विक्रय के एकल खण्ड कारबार में लगी हुई है। ब्याज और अय आय से वाली आय कुल राजस्व का 10% से कम है; अतः इसके लिए कोई पृथक खण्ड निर्धारित नहीं है।

ङ. भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार 115 के अनुसार ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व का प्रकटीकरण

विखंडित राजस्व जानकारी:

(₹ करोड़ में)

माल या सेवा के प्रकार	31-03-2025	31-03-2024
• कोयला	14,347.34	13,891.88
• अन्य	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**14,347.34**	**13,891.88**

(₹ करोड़ में)

ग्राहकों के प्रकार	31-03-2025	31-03-2024
• Power sector	9,976.02	9,230.76
• Non-Power Sector	4,371.32	4,661.12
• Others or Services (CMPDIL)	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**14,347.34**	**13,891.88**

(₹ करोड़ में)

अनुबंध के प्रकार	31-03-2025	31-03-2024
• एफएसए	10,997.04	10,101.62
• ई-नीलामी	3,350.30	3,790.26
• अन्य	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**14,347.34**	**13,891.88**

(₹ करोड़ में)

माल या सेवा का समय	31-03-2025	31-03-2024
• किसी समय पर हस्तांतरित माल	-	-
• समय के साथ हस्तांतरित माल	14,347.34	13,891.88
• किसी समय पर हस्तांतरित सेवाएँ	-	-
• समय के साथ हस्तांतरित सेवाएँ	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	**14,347.34**	**13,891.88**

च. अनुपात

	31-03-2025	31-03-2024	अंतर	अंतर का कारण
अ. चालू अनुपात: चालू अनुपात किसी कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। इसका व्यापक रूप से बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के संबंध में निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।	0.64	0.73	-12.33%	पिछले वर्ष की तुलना में अन्य बैंक बैलेंस में कमी और अल्पावधि उधार में वृद्धि के कारण चालू अनुपात में भिन्नता
आ. ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। ये दोनों संख्याएँ कंपनी की बैलेंस शीट में पाई जा सकती हैं। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।	0.03	0.04	-25.00%	पिछले वर्ष की तुलना में दीर्घकालिक उधार पूंजी में कमी के कारण ऋण इक्विटी अनुपात में भिन्नता
इ. ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किस्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = करों से पहले शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती "कर के बाद शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लाभ / (हानि)" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की मदें शामिल नहीं हैं।	11.53	12.57	-8.27%	
ई. इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल: यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात बताता है कि कंपनी द्वारा इक्विटी धारकों के फंड की लाभप्रदता का किस तरह उपयोग किया गया है। यह इक्विटी धारकों को मिलने वाले प्रतिशत प्रतिफल को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ घटा वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित किया जाता है।	0.07	0.09	-22.22%	पिछले वर्ष की तुलना में पीएटी में कमी के कारण इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल में भिन्नता

	31-03-2025	31-03-2024	अंतर	अंतर का कारण
उ. वस्तुसूची आवर्त अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत और अवधि के दौरान रखी गई औसत इन्वेंट्री के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत को औसत इन्वेंट्री से विभाजित करके की जाती है। औसत वस्तुसूची (प्रारंभिक + अंतिम शेष)/2 है। जब वस्तुसूची की आरंभिक और अंतिम शेष की सूचना अनुपलब्ध हो तब अनुपात सीओजीएस या बिक्री को वस्तुसूची के अंतिम शेष भाग देते हुए परिकलित किया जा सकता है।	17.08	27.22	-37.25%	गत वर्ष की तुलना में औसत व्यवसाय प्राप्य में कमी के कारण व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात में अंतर
ऊ. व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात : यह दक्षता को मापित करता है जिसपर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रहा है। व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात = निवल साख विक्रय / औसत लेखा प्राप्य औसत व्यवसाय प्राप्य = (प्रारंभिक + अंतिम शेष)/2 जब ऋण बिक्री, व्यवसाय देनदार का प्रारंभिक और अंतिम शेष की सूचना अनुपलब्ध हो तब अनुपात कुल विक्रय को व्यवसाय प्राप्य के अंतिम शेष से भाग देते हुए परिकलित किया जा सकता है।	7.26	8.04	-9.70%	
ऋ. व्यवसाय देय आवर्त अनुपात : यह विविध लेनदारों की संख्या उपदर्शित करती है जिन्हें अवधि के दौरान संदाय किया गया है। विविध लेनदारों को संदाय करने के लिए नकदी की आवश्यकता का आकलन करने के लिए परिकलित किया जाता है। यह निवल साख क्रयों को औसत लेनदारों से भाग देते हुए परिकलित किया जाता है। व्यवसाय देय आवर्त अनुपात = निवल साख क्रय / औसत व्यवसाय देय निवल साख क्रय समग्र साख क्रय से क्रय वापसी को घटाकर बनता है। जब क्रेडिट खरीद, व्यापार लेनदारों के प्रारंभिक और अंतिम शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार लेनदारों के अंतिम शेष से विभाजित करके की जाती है।	4.32	4.31	0.23%	
ए. निवल पूँजी आवर्त अनुपात : यह अपनी कार्यशील पूँजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को इंगित करता है। निवल पूँजी आवर्त अनुपात यथा निम्नवत परिकलित किया जाता है : उसी अवधि के दौरान निवल बिक्री को क्रियाशील पूँजी की औसत राशि से भाग। निवल पूँजी आवर्त अनुपात = निवल बिक्री / क्रियाशील पूँजी निवल बिक्री यथा कुल बिक्री से बिक्री वापसियों को घटाकर परिकलित किया जाएगा। क्रियाशील पूँजी यथा चालू आस्तियों से चालू देयताओं को घटाकर परिकलित किया जाएगा।	(3.64)	(5.21)	-30.13%	पिछले वर्ष की तुलना में कार्यशील पूंजी में कमी के कारण शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात में भिन्नता।
ऐ. निवल लाभ अनुपात : यह व्यवसाय के निवल लाभ और बिक्री के बीच के संबंध को मापित करता है। निवल लाभ अनुपात = निवल लाभ / निवल बिक्री निवल लाभ करोपरांत होगा। निवल बिक्री यथा कुल बिक्री से बिक्री वापसी को घटकर परिकलित किया जाएगा।	0.01	0.02	-50.00%	पिछले वर्ष की तुलना में पीएटी में कमी के कारण शुद्ध लाभ अनुपात में भिन्नता।

	31-03-2025	31-03-2024	अंतर	अंतर का कारण
ओ. प्रयुक्त पूँजी पर वापसी : नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋण धारकों और साम्या धारकों दोनों के लिए प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए कंपनी के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा वापीस उत्पन्न करने के लिए नियोजित पूँजी अधिक कुशलता से होगी। आरओसीई = ब्याज और कर पूर्व अर्जन / अभिनियोजित पूँजी अभिनियोजित पूँजी = मूर्त निवल मालियत + कुल कर्ज + आस्थगित कर देयताएँ	0.09	0.09	0.00%	
औ. निवेश पर प्रतिफल: निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग निवेशक को उसके निवेश लागत के संबंध में मिलने वाले लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा। व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि में से एक है समय भारित प्रतिफल दर (टीडब्ल्यूआरआर) और आरओआई की गणना करने के लिए उसी का पालन किया जाना चाहिए। यह निवेश नकदी प्रवाह के समय के लिए प्रतिफल को समायोजित करता है। प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग (जैसे, इक्विटी, निश्चित आय, मुद्रा बाजार, आदि) के लिए आरओआई अलग से प्रदान किया जाता है। आरओआई = अंतिम बाजार मूल्य - (प्रारंभिक बाजार मूल्य + नकदी प्रवाह का योग) / (प्रारंभिक बाजार मूल्य + भारित नकदी प्रवाह का योग)				
i. असूचीबद्ध अनुषंगियों में साम्या निवेश पर आरओआई: उप-सूचीबद्ध कंपनियों की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
ii. संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश पर ब्याज दर : ब्याज दर = ((संयुक्त उद्यमों के साम्या से प्राप्त लाभांश))/((संयुक्त उद्यमों के साम्या में औसत निवेश))	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
iii. नियत आय निवेश (बॉण्ड/डिबेंचर इत्यादि) = (ब्याज आय)/(औसत निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
पारस्परिक निधि पर ब्याज दर = लाभांश+पूँजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ (हानि)/ औसत निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
v. जमाराशियों पर ब्याज दर (बैंकों, आईसीडी सहित एफआईआई) = (ब्याज आय)/(औसत निवेश)	0.07	0.09	-21.58%	पिछले वर्ष की तुलना में निवेश पर ब्याज दर में कमी के कारण

छ. मास्टर योजना के अधीन निधि

कंपनी लीजहोल्ड के कोयला प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान के तहत फंड प्राप्त करती है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) गैर-ईसीएल घरों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसके लिए कंपनी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नोडल एजेंसी के रूप में प्राप्त फंड एडीडीए को अग्रिम दिया जाता है और इस तरह के अग्रिम (नोट-6.2 में अन्य जमा और अग्रिम के तहत दिखाए गए) और साथ ही संबंधित फंड, दोनों को एडीडीए द्वारा प्रस्तुत उपयोग विवरण के आधार पर समायोजित किया जाता है। 31 मार्च, 2025 तक ₹ 180.43 करोड़ का अप्रयुक्त फंड है (31 मार्च 2024 तक ₹ 219.32 करोड़) उनके समायोजन के लिए एडीडीए से उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है।

मास्टर प्लान के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	को यथा 31-03-2025	को यथा 31-03-2024
अदोहित निधि का प्रारंभिक शेष	219.32	311.44
जोड़ : वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	-	-
न्यून : वर्ष के दौरान अदोहन/समायोजन	38.89	92.12
अदोहित निधि का अंतिम शेष	180.43	219.32

झ. लेखा में निर्मित प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले/न चलने वाले/अप्रचलित सामान, प्राप्य दावों, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के विरुद्ध खातों में किए गए प्रावधान, संभावित हानियों को कवर करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं।

ञ. चालू परिसम्पति, ऋण एवं अग्रिम आदि

कारबार के साधारण क्रम में चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली पर मूल्य उस राशि से कम नहीं होगा जिस पर उन्हें तुलन पत्र में विवरणित हैं।

ट. चालू देयताएँ

अनुमानित देयता जहाँ वास्तविक देयता को मापित नहीं किया जा सकता है को उपबंधित किया गया है।

ठ. शेष राशि की पुष्टि

नकदी और बैंक शेष, कुछ ऋण और अग्रिम, दीर्घकालिक समझौतों और चालू समझौतों के लिए शेष पुष्टि/समाधान किया जाता है। संदिग्ध अपुष्ट शेष के लिए प्रावधान किया जाता है।

ड. बेनामी संपत्ति:

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं है।

ढ. बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा भरे गए रिटर्न या विवरण:

कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल तिमाही रिटर्न/चालू परिसंपत्तियों का विवरण आम तौर पर लेखा पुस्तकों के अनुरूप होता है।

ण. बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा भरे गए रिटर्न या विवरण:

कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल तिमाही रिटर्न/चालू परिसंपत्तियों का विवरण आम तौर पर लेखा पुस्तकों के अनुरूप होता है।

त. जानबूझकर चूककर्ता:

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

थ. कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण:

कंपनी द्वारा वैधानिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि लंबित नहीं है।

द. कंपनियों की कई परतों का अनुपालन:

कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ध. व्यवस्था की अनुमोदित योजना का अनुपालन:

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई।

न. उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग:

(क) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी इकाई (मध्यस्थ) को कोई फंड अग्रिम या ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा। (ख) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी पार्टी से कोई फंड प्राप्त नहीं किया है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी।

प. क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

फ. अघोषित आय:

कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

ब.माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के निर्देशानुसार, ए.एस.टी. संख्या- 617/2011, दिनांक 26.08.2011 के अनुसार, डिशेरगढ़ विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (वर्तमान में इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए अग्रिम के रूप में ₹ 8.00 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। उक्त राशि को नोट 6.2 - अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया गया है। (ii) उनके द्वारा दिए गए डिस्कनेक्शन नोटिस के मद्देनजर आईपीसीएल को ₹ 3.96 करोड़ की तदर्थ अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था, जो कि माननीय लोकपाल, डब्ल्यूबीईआरसी के समक्ष अपील कार्यवाही में लंबित है। उक्त राशि को नोट 6.2 - अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया गया है।

(iii) माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के निर्देशानुसार ए.एस.टी. संख्या 1904/2011, दिनांक 21.12.2011 में आईपीसीएल को बिजली बिल के लिए सुरक्षा जमा के रूप में ₹ 39.19 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। उक्त राशि को नोट 6.1 - अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

उपरोक्त मामले विवाद के समाधान के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष रखे गए थे। मध्यस्थ ने अपने दिनांक 15 फरवरी 2021 के आदेश के माध्यम से निर्णय दिया है कि चूंकि उठाया गया मुद्दा कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित एक रिट याचिका का विषय है, इसलिए इस मुद्दे पर वर्तमान मध्यस्थता में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

उपरोक्त मामले के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली, (अपीलीय क्षेत्राधिकार) के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपील दायर की गई है। उक्त अपील को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

मामला संख्या (i) और (ii) के संबंध में, ईसीएल ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए अधिवक्ता/वरिष्ठ वकील को नियुक्त किया है और मध्यस्थता निर्णय के अनुसरण में, ईसीएल ने माननीय खंडपीठ, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत आवेदन दायर किया है। हालाँकि, माननीय पुनरीक्षण पीठ, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी की अपील खारिज कर दी गई है। कंपनी ने विभिन्न मंचों पर निर्णय के लिए लंबित प्राप्य राशि के समायोजन के लिए सीपीसी के आदेश 21 नियम 18 और आदेश 21 नियम 29 के तहत आसनसोल के वरिष्ठ वाणिज्यिक न्यायालय में आवेदन किया है। वरिष्ठ वाणिज्यिक न्यायालय ने विभिन्न मंचों पर निर्णय के लिए लंबित प्राप्य राशि के समायोजन के लिए ईसीएल की याचिका को खारिज कर दिया और ₹ 6.06 करोड़ की अंतर राशि ब्याज सहित भुगतान करने के मध्यस्थ के निर्णय को बरकरार रखा, जिसका भुगतान ईसीएल द्वारा किया जा चुका है।

भ. ईसीएल और बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के बीच 2011-12 और 2016-17 से 2020-21 तक कोयले की कम उठान के लिए मुआवजे के दावे की प्रयोज्यता के बारे में विवाद एएमआरसीडी को भेजा गया है। एएमआरसीडी के निर्णय की प्राप्ति के बाद राशि का आकलन किया जा सकता है। वर्तमान में ईसीएल ने 2011-12 और 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए मुआवजे के दावे के लिए ₹ 141.18 करोड़ की गणना की है।

म. कोल इंडिया लिमिटेड में 24 दिसंबर 2020 को आयोजित 415वीं सीआईएल बोर्ड मीटिंग में यह बताया गया कि सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के मामले में उल्टे शुल्क ढांचे के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का संचय होता है, यानी कोयले पर जीएसटी 5% है जबकि इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सेवाओं पर जीएसटी दर 12%, 18% और 28% के टैक्स ब्रैकेट में आती है। इसके परिणामस्वरूप, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां आईटीसी का पूरा उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। तदनुसार, सीआईएल बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 से सभी पूंजीगत व्यय पर जीएसटी को पूंजीकृत करने और कंपनी अधिनियम 2013 और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार उस पर मूल्यह्रास का दावा करने को मंजूरी दी।

कंपनी का परिचालन पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में है। कंपनी झारखंड क्षेत्र में पूंजीगत व्यय पर जीएसटी का पूंजीकरण कर रही है। हालांकि, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में उपरोक्त स्थिति का एक अपवाद है, जहां संपूर्ण जीएसटी आईटीसी का उपयोग आउटपुट जीएसटी देयता के भुगतान के लिए किया जा रहा है और जीएसटी आईटीसी का कोई संचय नहीं है। इस प्रकार, पूंजीगत व्यय पर पात्र जीएसटी आईटीसी का लाभ उठाया जा रहा है और इसका उपयोग आउटपुट जीएसटी देयता के भुगतान के लिए किया जा रहा है क्योंकि यह कंपनी के लिए फायदेमंद है।

य. 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु भूतल परिवहन शुल्क के संबंध में एएमआरसीडी के निर्णय के अनुसार, सितंबर 2017 से अगस्त 2019 के बीच की अवधि के लिए एनटीपीसी पर 74.91 करोड़ रुपये की राशि का क्रेडिट नोट जारी किया गया है।

र. विविध जानकारी

सामग्री लेखांकन नीति जानकारी:

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए सामग्री लेखांकन नीति सूचना (नोट-2) का मसौदा तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्टता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को अद्यतन किया गया है। इन अद्यतनों का कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू नवीनतम लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में कई संशोधन जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले विभिन्न भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करते हैं। इन संशोधनों में Ind AS 117 की शुरूआत शामिल है - Ind AS 101, 103, 105, 107, 109, 115 में परिणामी संशोधनों के साथ बीमा अनुबंध; Ind AS 116 में संशोधन - कुछ बीमाकर्ताओं के लिए पट्टे और Ind AS 104 की निरंतरता। कंपनी ने इन संशोधनों का मूल्यांकन किया है और पाया है कि इसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

ए.ए. अन्य

क. कंपनी का अनुमान है कि उसका सामान्य परिचालन चक्र बारह (12) महीने का होगा।

ख. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

ग. नोट संख्या 3.1 से 16 में पिछली अवधि के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

घ. नोट- 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और सामग्री लेखांकन नीति सूचना का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3.1 से 11.2 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बैलेंस शीट का हिस्सा बनते हैं और 12.1 से 15.1 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा बनते हैं। नोट-16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स प्रदान करता है।

(रामबाबू पाठक) कंपनी सचिव	**(श्याम सुंदर)** जीएम (वित्त)	**(एमडी अंजार आलम)** निदेशक (वित्त) डीआईएन-09743117	**(सतीश झा)** अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डीआईएन-10299809

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
केएएसजी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर. नं. 002228सी
सीए केशव कुमार हरोदिया
पार्टनर
सदस्यता संख्या 034751
यूडीआईएन-25034751BML2PX3446

दिनांक: 15-04-2025
स्थान: कोलकाता

शब्दकोष

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
1	ABPMJAY	Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
2	AGM	Annual General Meeting
3	APR	Annual Property Return
4	ASOs	Area Safety Officer
5	ATR	Action Taken Report
6	BCCL	Bharat Coking Coal Limited
7	BOT	Board of Trustees
8	BT	Billion Ton
9	C&AG	Comptroller and Auditor General of India
10	C2C	Coal to Chemical
11	CAAQMS	Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station
12	CAPEX	Capital Expenditure
13	CBA (A&D) Act	Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act
14	CBM	Coal Bed Methane
15	CBT	Computer Based Test
16	CCL	Central Coalfields limited
17	CEO	Chief Executive Officer
18	CFO	Chief Financial Officer
19	CGST	Central Goods and Services Tax
20	CHP	Coal Handling Plant
21	CIL	Coal India Limited
22	CIMFR	Central Institute of Mining and Fuel Research
23	CIN	Corporate Indentification Number
24	CIPET	Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology
25	CISF	Central Industrial Security Force
26	CM	Continous Miner
27	CMAL	Coal Mines Authority Limited
28	CMC	Contract Mnagement Cell
29	CMD	Chairman-cum-Managing Director
30	CMERI	Central Mechanical Engineering Research Institute
31	CMM	Coal Mine Methane

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
32	CMPDIL	Central Mine Planning and Design Institute Limited
33	CMPFO	Coal Mines Provident Fund Organisation
34	COPU	Committee on Public Undertaking
35	CPGRAMS	Central Public Grievance Redress Monitoring System
36	CPP	Captive Power Plants
37	CPSE	Central Public Sector Enterprises
38	CRO	Chief Risk Officer
39	CSR	Corporate Social Responsibility
40	CST	Central Sales tax
41	CTE	Consent to Establish
42	CUG	Closed User Group
43	CVC	Central Vigilance Commission
44	DARPG	Department of Administrative Reforms and Public Grievances
45	DFO	Divisional Forest Officer
46	DGMS	Directorate General of Mines Safety
47	DIN	Director Identification Number
48	DIPAM	Department of Investment and Public Asset Management
49	DMF	District Mineral Foundation
50	DPE	Department of Public Enterprises
51	DPR	Detailed Project Report
52	DRM	Divisional Railway Manager
53	DSC	Digital Signature Certificates
54	DVC	Damodar Valley Corporation
55	EBIT	Earnings before Interest and Taxes
56	EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization
57	EC	Environmental Clearance
58	ECFDs	Empowered Committee of Functional Directors
59	ECL	Eastern Coalfields Limited
60	EGM	Extra-Ordinary General Meeting
61	EIA	Environmental Impact Assessment
62	e-MB	e-Measurement Book
63	EMP	Environmental Management Plan

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
64	EOI	Expression of Interest
65	EPS	Earning Per Share
66	ERP	Enterprise Resource Planning
67	F.Y.	Financial Year
68	FIRs	First Information Report
69	FMC	First Mile Connectivity
70	Forex	Foreign Exchange
71	FSA	Fuel Supply Agreements
72	GAIL	Gas Authority of India Ltd
73	GCV	Gross Calorific Value
74	GDP	Gross Domestic Product
75	GeM	Government e Marketplace
76	GM	General Manager
77	GOI	Government of India
78	GPS	Global Positioning System
79	GST	Goods and Services Tax
80	GUI	Graphical User Interface
81	GW	Giga Watt
82	HEMM	Heavy Earth Moving Machinery
83	HMD	Head-Mounted Displays
84	HQ	Headquarter
85	HRD	Human Resource Development
86	HSC	Health Sub-Centre
87	HSD	High-Speed Diesel
88	HWC	Health and wellness Centre
89	IA	Internal Audit
90	ICAI	Institute of Chartered Accountants of India
91	ICC	Internal Complaints Committee
92	ICMAI	Institute of Cost Accountant Of India
93	ICMR	Indian Council of Medical Research
94	ICSI	Institute of Company Secretaries of India
95	ICVL	International Coal Ventures Limited

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
96	IFC	Internal Finance Control
97	IGST	Integrated Goods and Services Tax
98	Ind AS	Indian Accounting Standard
99	IOD	Institute of Directors
100	IOL	Intraocular Lens
101	IRN	Invoice Reference Number
102	ISO	International Organisation for Standardization
103	ITC	Input Tax Credit
104	JCC	Joint Consultative Committee
105	JV	Joint Venture
106	KMP	Key Managerial Personnel
107	kWh	Killo Watt Hours
108	L. Te.	Lakh Tonne
109	LAN	Local area Network
110	LHCM	Low Height Continuous Miner
111	LHD	Load Haul Dump
112	LLS	Land Looser Scheme
113	LOA	Letter of Approval
114	LODR	Listing Obligations and Disclosure Requirement
115	LRE	Land Revenue and Estate
116	M. Cum	Million Cubic Meter
117	MCA	Ministry of Corporate Affairs
118	MDO	Mine Develop and Operate
119	MGR	Merry Go Round
120	MHA	Ministry of Home Affair
121	MMCC	Monthly Monetary Cash Compensation
122	MoC	Ministry of Coal
123	MoEF	Ministry of Environment and Forest
124	MoU	Memorandum of Understanding
125	MSEs	Micro and Small Enterprises
126	MSME	Micro, Small Medium Enterprises
127	MTPA	Million Tonnes Per Annum

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
128	NCDP	New Coal DistributionPolicy
129	NCWA	National Coal Wages Agreement
130	NGO	Non-governmental Organization
131	NIC	National Informatics Centre
132	NIOH	National Institute of Occupational Health
133	NIT	Notice Invited Tender
134	NMET	National Mineral Exploration Trust
135	NRS	Non-Regulated Sector
136	NTEP	National Tuberculosis Elimination Program
137	NTPC	National Thermal Power Corporation
138	OAVM	Other Audio Visual Means
139	OB	Ovder Burden
140	OBC	Other Backward Classes
141	OCP	Open Cast Project
142	OMS	Output per Man shift
143	P&P	Project and Planing
144	PAFs	Project Affected Families
145	PAN	Permanent Account Number
146	PAPs	Project Affected Persons
147	PE Survey	Public Enterprises Survey
148	PFR	Project feasibility Report
149	PG Portal	Public Grievance
150	PIA	Project Implementing Agency
151	PMS	to Resilience and Mental Health
152	PRIDE	Performance Report for Individual Development of Executive
153	PRP	Performance Related Pay
154	PSU	Public Sector Undertaking
155	R&D	Research and Development
156	R&R	Rehabilitation and Resettlement
157	RCM	Reverse Charge Mechanism
158	RFID	Radio Frequency Identification
159	RTMs	Risk That Matters

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
160	S&T	Science and Technology
161	SA	Standard of Auditing
162	SCG	Surface Coal Gasification
163	SDC	Sustainable Development Cell
164	SDL	Side Discharge Loader
165	SEBI	Securities and Exchange Board of India
166	SECL	South Eastern Coalfields Limited
167	SEZ	Special Economic Zone
168	SGST	State Goods and Services Tax
169	SNA	State Nominated Agencies
170	SNG	Synthetic Natural Gas
171	SOP	Standard Operating Procedure
172	SRN	Service Request Number
173	SS	Secretarial Standard
174	ST	Scheduled Tribe
175	TPD	Tonne Per Day
176	TPP	Thermal power Plant
177	UCG	Underground Coal Gasification
178	UDIN	Unique Document Identification Number
179	UG	Under Ground
180	VAT	Value Added Tax
181	VC	Video Conferencing
182	VRS	Voluntary Retirement Scheme
183	VTS	Vehicle Tracking System
184	WBFDCL	West Bengal Forest Development Corporation
185	XBRL	eXtensible Business Reporting Language

नोट्स

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 50वीं वार्षिक आम बैठक की झलकियाँ
8 अगस्त, 2025 को ईसीएल मुख्यालय में आयोजित

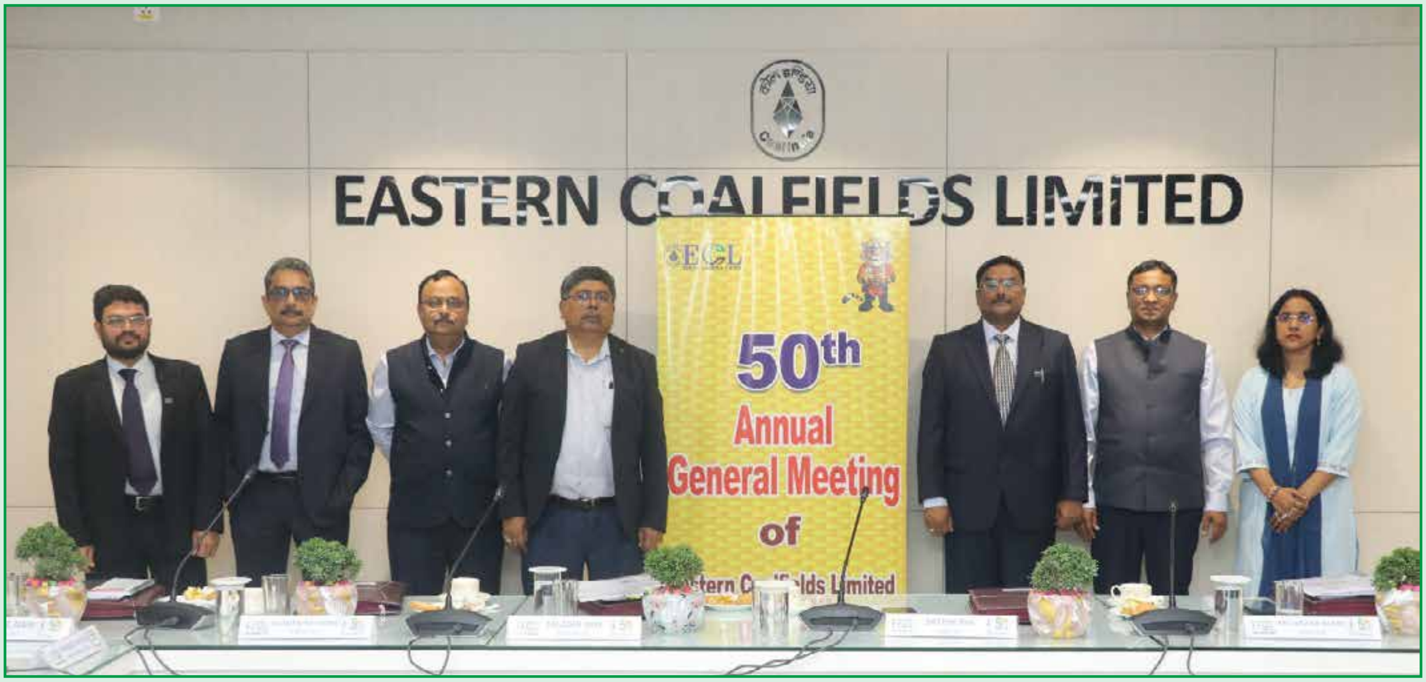

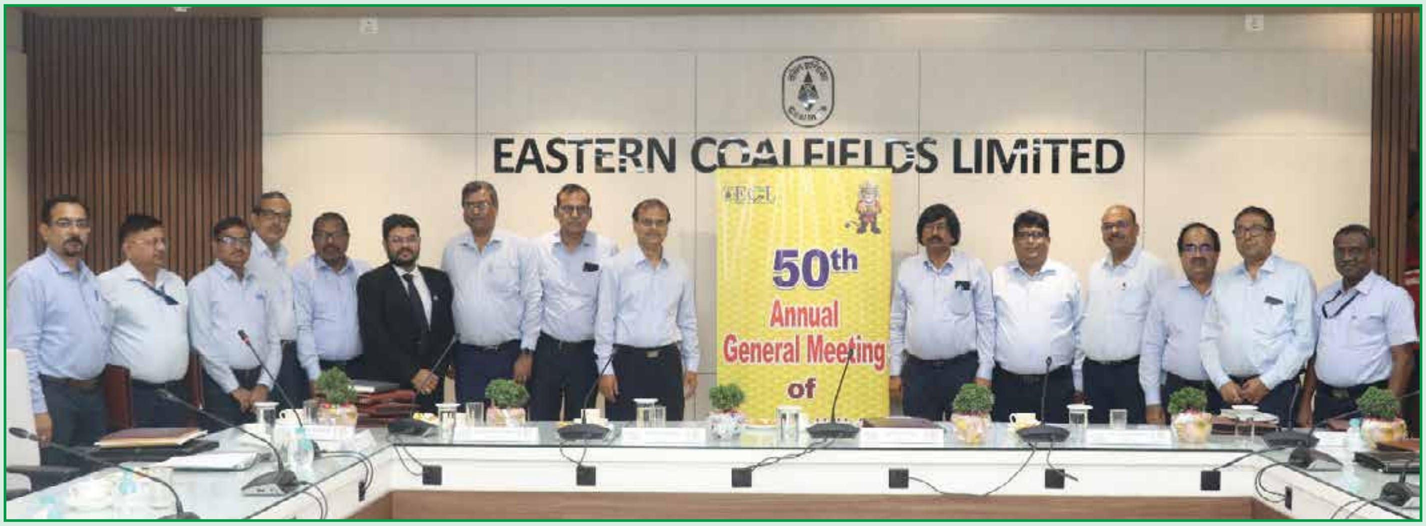

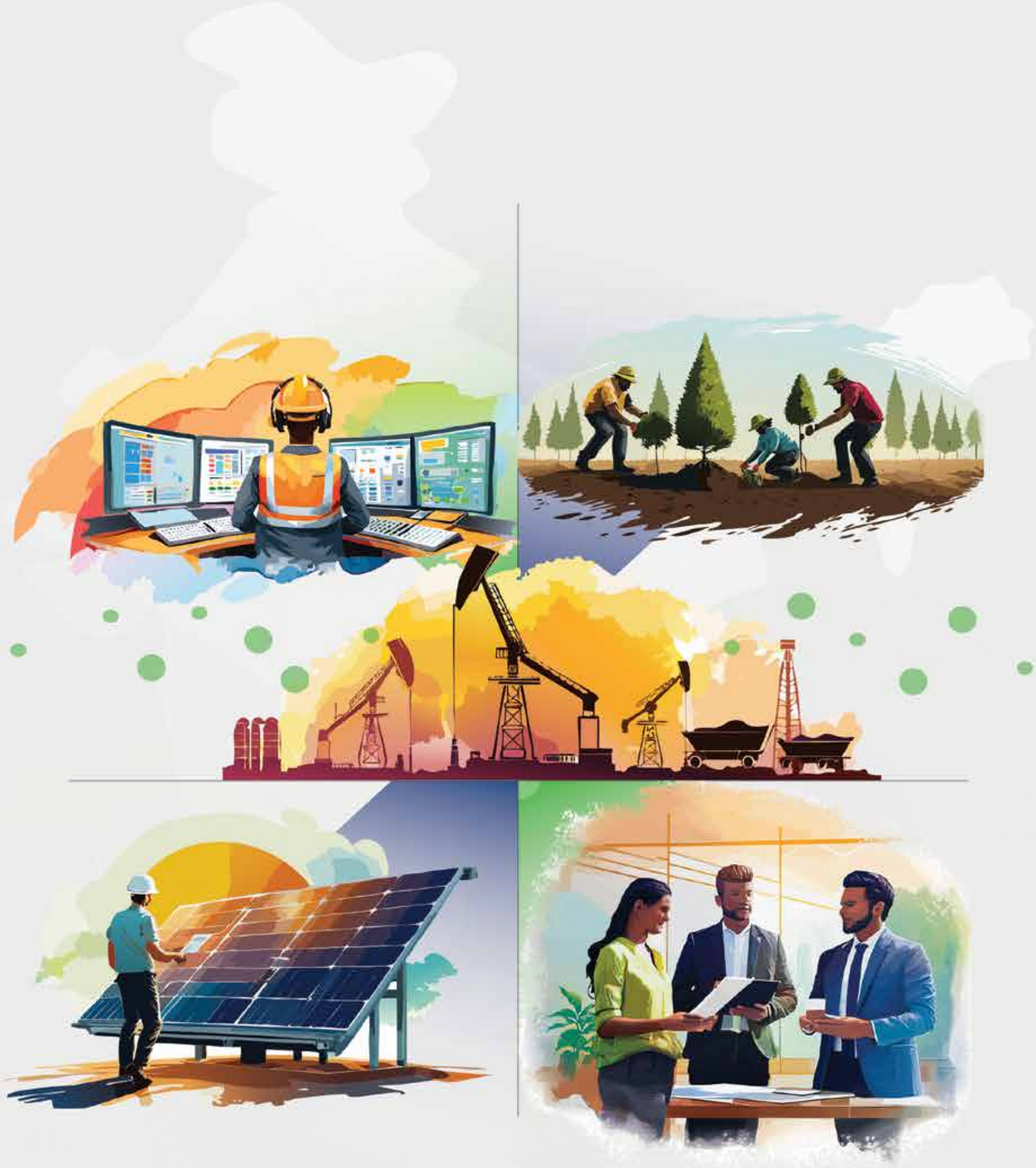

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)
www.easterncoal.nic.in
CIN-U10101WB1975GOI030295